एकादश माला, खंड 6, अंक 10

बुधवार, 4 दिसम्बर, 1996
13 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

4 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

कॉलम 75 पंक्ति 23 में "श्री के. पी. कोंडय्या" के स्थान पर "श्री के. सी. कोंडय्या" पढ़िए ।

कॉलम 76 पंक्ति 16 के पश्चात "{च} जी, नहीं ।" जोड़िए ।

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 10, बुधवार, 4 दिसम्बर, 1996/13 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
आर्मिनिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 186	1—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	187 से 200	26—46
अतारांकित प्रश्न संख्या	1716 से 1880	46—272
सभा पटल पर रखे गए पत्र		273—279
राज्य सभा से संदेश		279—280
राज्य सभा द्वारा पारित विधयेक		
(एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक—**सभा पटल पर रखा गया**		280
(दो) भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक—**सभा पटल पर रखा गया**		280
(तीन) नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—**सभा पटल पर रखा गया**		280
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		280
कृषि संबंधी स्थायी समिति		
छठा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		280
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		281
नियम 377 के अधीन मामले		303—309
(एक) जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन के बीज मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता		
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा		303—304
(दो) बिहार में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता		
श्री राम टहल चौधरी		
(तीन) उड़ीसा में चिल्का और अंसुपा झीलों को सूखने से बचाने के लिए एक पायलट परियोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता		
श्री के.पी. सिंह देव		304
(चार) समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के कार्य आरम्भ करने के लिए केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
श्री टी. गोविन्दन		305—306

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम

(पांच) असम में सुबनसिरी नदी पर बांधों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा ... 306

(छह) केरल के कोट्टायम जिले के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस ... 307

(सात) उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों के महत्वपूर्ण शहरों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ... 07—308

(आठ) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में आर्थिक पैकेज को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंगत राम शर्मा ... 308—309

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प ... 309—338

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जी.एम. बनातवाला ... 309—312

प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" ... 312—319

राजकुमारी रत्ना सिंह ... 320—321

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार ... 321—324

श्री मधुकर सरपोतदार ... 324—331

श्री प्रमथेश मुखर्जी ... 331—334

नियम 193 के अधीन चर्चा ... 338—364

भारत की विदेश नीति

श्रीमती गीता मुखर्जी ... 338—342

श्री जसवंत सिंह ... 343—352

श्री रघुनंदन लाल भाटिया ... 352—356

श्री निर्मल कांति चटर्जी ... 356—363

श्री सुरेश प्रभु ... 364

लोक सभा

बुधवार, 4 दिसम्बर, 1996/13, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

आर्मीनिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से "नेशनल असेम्बली आफ आर्मीनिया के अध्यक्ष महामहिम श्री बाबकेन अरारक्त्सयन और सुश्री कैरीन आवागियन तथा आर्मीनिया के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों, जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और जो हमारे माननीय अतिथि हैं, का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

शिष्ट मण्डल के अन्य सदस्य हैं :—

1. माननीय तेरुहुसिक लैंजारियन
2. माननीय अमालिया पेट्रोशियन
3. माननीय खोरेन सरकिसियन
4. माननीय गेवॉर्ग देवत्यन
5. मानीयय अशत सरकिसियन
6. माननीय अरताशेस तुमानियन

शिष्टमण्डल आज सुबह दिल्ली पहुंचा। इस समय ये लोग विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका ठहरना सुखद और सफल हो। हम उनके माध्यम से आर्मीनिया के राष्ट्रपति, संसद और वहां की जनता को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.01 बजे

राजसहायता प्राप्त मोटर पम्प सैट

+

***181. श्री अजमीरा चन्दूलाल :**
श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये राजसहायता प्राप्त मोटर पम्प सैटों के वितरण में अनेक अनयिमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) लाभार्थियों का पता लाने के लिये जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों द्वारा किन मानदंडों को अपनाया जाता है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किन्जारप्पू येरननायडू) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सबसिडी प्राप्त मोटर पम्पसेटों का वितरण करने में किसी भी तरह की अनियमितता का सूचना इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप योजना अवधि हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों (वर्ष 1991-92 के मूल्यों के अनुसार 11,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम) की एक समेकित सूची तैयार की है। लाभार्थियों का पता लगाने और चयन करने की प्रक्रिया को अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण एंव पारदर्शी बनाने के लिए, मंत्रालय ने समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि इन लाभार्थियों का चयन इसी सूची में से ग्राम सभा की बैठकों में ब्लाक प्राधिकारियों, बैंक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएं।

***श्री अजमीरा चन्दूलाल** : अध्यक्ष महोदय, निजामाबाद और अन्य जिलों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों में बांटने के लिए 2176 मोटर पम्पसेट खरीद गए हैं। परन्तु ये पम्पसेट बेनामी लेन-देन के अन्तर्गत अ.जा. और अ.ज.जा. से भिन्न व्यक्तियों को बांट दिए गए। इस तरह अ.जा. और अ.ज.जा. के व्यक्ति इस लाभ से वंचित रह गए हैं। उन्हें कहीं भी, यहां तक कि डी.आर.डी.ए. में भी कोई लाभ नहीं दिया गया जबकि वे ही वांछित लाभार्थी थे। ऐसी अनेक अनयिमितताएं अनेक स्थानों पर हुई हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की जांच करवायी जिससे कि इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को पहचान करके उन्हें दण्डित किया जा सके।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय को अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। इससे पूर्व यही प्रश्न राज्य सभा में उठाया गया था। उसके लिए हमें आन्ध्र प्रदेश सरकार से कुछ जानकारी मिली थी। इस पत्र में उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि निजामाबाद या आन्ध्र प्रदेश के किसी भी हिस्से में ऐसी अनियमितता नहीं हुई। आन्ध्र प्रदेश सरकार से तो ऐसी ही सूचना मिली है।

---

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

ये पम्प सेट और अन्य चीजें खरीदने के लिए एक व्यापक निगरानी प्रणाली है। प्रत्येक जिले में एक क्रय समिति है। हम बैंकों, अ.जा. निगमों और पिछड़ा वर्ग निगमों को राजसहायता प्रदान कर रहे हैं और बदले में वे यूनिट और अन्य वस्तुएं खरीद रहे है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक निगरानी समिति, जिला स्तर पर जिला स्तर निगरानी समिति तथा राज्य स्तर पर भी निगरानी समितियां हैं। माननीय संसद सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और स्थानीय प्रतिनिधि, ये सभी डी.आर.डी.ए. सरकारी संस्थाओं के भी सदस्य होते हैं। वे कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। यदि आपका कोई विशिष्ट मुद्दा या शिकायत है तो आप अभ्यावेदन दे सकते हैं, मैं उसे जांच के लिए राज्य सरकार को भेज दूंगा।

*श्री अजमीरा चन्दूलाल : महोदय, मैं चाहता हूं कि इन अनियमितताओं की जांच कराई जाए ताकि इन अनियमितताओं के लिए दोषी व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें दण्डित किया जा सके। महोदय, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि निर्धन और अभागे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ और उन्नयन के लिए चलाए जाते हैं परन्तु बैंक अधिकारियों और अन्य सम्बद्ध अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से ये लोग सभी लाभों से वंचित रखे जाते हैं। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन अनियमितताओं की जांच कराई जाएं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन अनियमितताओं की जांच करवाएगी तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगी।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, यदि वह मुझे इसके लिए लिख दें तो मैं इसकी जांच करवा दूंगा।

डा. एम. जगन्नाथ : 23.9.96 को एक समाचार आया था कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों तथा गैर सरकारी सस्थानों को एक समिति का गठन करके चयन करना चाहिए। परन्तु इस मुद्दे के संबंध में उनकी टिप्पणी के अनुसार इन व्यक्तियों को विश्वास में नहीं लिया गया था तथा केवल एम.डी. ने, स्थानीय राजनीतिज्ञों के दबाव के अन्तर्गत सूची तैयार की है और उसमें कुछ प्रमाण जाली हैं। इस संबंध में तथ्य केवल तभी उजागर होंगे जब इसकी जांच की जाएगी। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच कराएं। मैं निश्चित इस मामले की जांच कराऊंगा और अभ्यावेदनों को राज्य सरकारों के पास जांच के लिए भेजूंगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मालवांचल के मोटर पंप सैट देने और उसमें सबसिडी देने के मामले में अनियमितता होने की शिकायतें राज्य सरकार को की गई हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में यह पंप सैट देने के लिए आर्थिक और भौतिक लक्ष्य क्या रखा था और उस लक्ष्य के विरुद्ध उसी वर्ष 1995-96 में क्या उपलब्धि रही और जो सबसिडी देनी थी, वह पूरी दी या नहीं और इंदौर, उज्जैन और रतलाम जिले में जो शिकायतें आई हैं, क्या आप उनकी जांच करायेंगे?

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आन्ध्र-प्रदेश में अनियमितताओं के बारे में हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, हम जिलों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण राजसहायता में सिंचाई भी शामिल है। हमारे पास पम्पसैटों और अन्य वस्तुओं के लिए अलग लेखे नहीं हैं। हम ये पम्प सैट लघु सिंचाई के शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी बैंक इन पम्प सैटों के लिए वित्त प्रदान करता है, हम उस वित्त बैंक को राजसहायता प्रदान करते हैं। हमने अनुसूचित जाति निगम को राजसहायता प्रदान की है क्योंकि वे मोटर सप्लाईकर्ता हैं। इसी प्रकार हम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की निगरानी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, सबसिडी नहीं दी जा रही है, लक्ष्य पूर्ति नही हुई है। वही शिकायत है, वही अनियमितता हो रही है। यही तो प्रश्न पूछा है और वही विवाद है। रतलाम जिले में शिकायत हुई है, शाजापुर में हुई है और इंदौर में हुई है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पूरे उत्तर को ध्यान से सुनें।

(व्यवधान)

श्री किंजारप्पू येरननायडू : यह प्रश्न वर्ष 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पम्प सैटों की खरीद में हुई अनियमितताओं के संबंध में है। यदि आपके जिले या राज्य में कोई अनियमितता हुई हो, तो आप अभ्यावेदन दे सकते हैं, मैं उसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, राज्यवार ब्यौरा मांगा है। उपलब्धि क्या रही और सबसिडी उसको दी है। इसकी जानकारी मंत्री महोदय को होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण मिलना चाहिए। मेरा प्रश्न टू द पॉइंट है और जवाब टू द पाइंट नहीं आया है।

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इसका संबंध केवल आन्ध्र प्रदेश से है या नहीं। यह सभी राज्यों के संबंध में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सूचना एकत्रित करके आपको दे देंगे। प्रश्न सभी राज्यों के संबंध में है।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयून के उत्तर को ट्विस्ट करने का प्रयास किया कि आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा है और मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पूछा है। तो इसमें राज्यवार लिखा है। मंत्री जी उसे पढ़ लें, पढ़ने के बाद समझ लें और समझने के बाद उत्तर देने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग प्रश्न को समझते नहीं हैं, उत्तर क्या देंगे।

मेरा प्रश्न है कि एक भी प्रकरण बताएं जिसमें इन्होंने अनियमितता पकड़ी है? 80 परसेंट पंप सैट खरीदे नहीं जाते। कागज पर गोलमाल पूरे देश में होता है। यह एक प्रदेश नहीं है और पंप सैट का ही सवाल नहीं हैं। जितनी भी योजनाएं केन्द्र से लागू होती है, वह लावारिस छोड़ दी जाती हैं और जहां तक लाभ पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचता है। इसलिए केवल एक मामला बताएं कि यहां पर इन्होंने अनियमितता पकड़ी और उसका निदान किया।

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या है?

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : यही सवाल हैं पंप सैट का एक भी केस इन्होंने पकड़ा हो तो वह बता दें।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्तर पर पम्प सैटों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। हम राज्य सरकारों को एकमुश्त राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणाम-स्वरूप वे किसी विशिष्ट जिले में गरीबी के आधार पर राशि का आबंटन करते हैं। हम पम्पसैटों के लिए दी गई राजसहायता का ब्यौरा नहीं रखते हैं।..**(व्यवधान)**

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : यह उत्तर नहीं है।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : प्रत्येक राज्य में क्रमशः राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ब्लाक स्तर पर शासी निकाय होते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्य करने वाले शासी निकाय में सभी संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और स्थानीय (क्षेत्रीय) प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वे योजना तैयार करते हैं तथा उनके पास संबंध में ब्यौरा रहता है कि कितने पम्पसैट आबंटित किए जा सकते हैं। उसके आधार पर हम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की बैठकों की पुनरीक्षा कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान में पेयजल

***182. कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में 1.6 कि.मी. की परिधि में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गांवों और बस्तियों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई/स्वीकृत योजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च होनी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किन्जारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां। देश में हो रहे सर्वेक्षण के क्रम में राजस्थान सरकार ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बसावटों का पता लगाने के लिए 1993 में एक सर्वेक्षण कराया था। राज्य सरकार अभी भी बकाया रह गई बसावटों को शामिल करने हेतु एक दूसरा सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वेक्षण के 31.12.1996 तक पूरा होने की आशा है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1991-93 के दौरान कराये गये सर्वेक्षण तथा 1994 में किये गये वैधीकरण के अनुसार 16,988 कवर न की गई बसावटें, 18,542 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें तथा 45,843 पूर्णतया कवर की गई बसावटें थी। 30 सितम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की कुल 30,846 बसावटों में से 23,438 बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति द्वारा कवर कर दिया गया है। 1996-97 के दौरान पश्चिमी राजस्थान की 2460 बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति द्वारा कवर करने के लिए 53.92 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश की कवर न की गई/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों (0-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) को 1997-98 तक कवर कर लिया जाए। राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सभी कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई (1-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) बसावटों को कवर करने हेतु 31.12.96 तक कार्रवाई योजना तैयार करें।

कर्नल सोनाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न का जो उत्तर दिया और जो विवरण सभा पटल पर रखा, वे बिलकुल टालू किस्म के हैं। ये अपेक्षाओं और वास्तविकता से परे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि वह अपने उत्तर में सुधार करें।

अब मैं रेगिस्तान क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या पर आता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल 70,000 वर्ग कि मी है। यह भारत में ही नहीं वरन् विश्व में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। आज भी यहां लोग 20 किमी. से अधिक दूरी से पानी लाते हैं। जबकि मानदण्ड 1.6 किमी. का है।

भूमिगत जल के संसाधन भी बहुत सीमित हैं। पानी बिल्कुल भी शेष नहीं रहता है। अधिकांश समय यहां अकाल की स्थिति ही बनी रहती है। यहां तक कि इस वर्ष भी इस क्षेत्र में अकाल पड़ा है। अधिकतर योंजनाएं, जो पिछले 15-20 वर्षों में चलाई गई, निष्फल हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। आपके दो मिनट पूरे हो रहे हैं।

कर्नल सोनाराम चौधरी : जहां तक राशि के आंबटन का संबंध है इसकी कोई समस्या नहीं है लेकिन यह राशि उन लोगों के द्वारा व्यय नही की जा रही है। आपके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि 4 और 5 जुलाई, 1996 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार की गई कार्रवाई योजना के अनुसार 1997 गावों और बस्तियों के 1.6 किमी. की परिधि में जल स्रोत उपलब्ध कराए जाए।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, 4 जुलाई को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गवा था कि कवर न किए गए और आंशिक रूप से कवर किए गए सभी गावों को । लीटर से 10 लीटर तक पेय जल उपलब्ध कराया जाए।

आप कार्रवाई योजना और तत्संबंधी अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें। उसके आधार पर हम धनराशि जारी करेंगे।

हमारी संयुक्त मोर्चा सरकार की सात आधारभूत प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता देश के कवर न किए सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना है। इसी आधार पर इस वर्ष ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. योजना के अन्तर्गत हमेंने 103 करोड़ रुपये आबंटित किए। राजस्थान सरकार ने भी एम.एन.पी. योजना के अन्तर्गत 144 करोड़ रुपये दिये हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गावों को कवर करने के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान के लिए उपलब्ध होगी।

महोदय, केन्द्रीय सरकार 1.3 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। 250 करोड़ रुपये की राशि में से अब तक 100 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। शेष 150 करोड़ रुपये उनके द्वारा. अगले पांच महीने में व्यय किये जायेंगे। वे कार्रवाई-योजना भी तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण भी किया गया है। शेष न कवर किये गये गावों को तैयार की जा रही कार्रवाई योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा। उस कार्रवाई योजना के आधार पर हम धनराशि जारी करेंगे।

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, जैसाकि मैंने पहले बताया कि धनराशि की कोई कमी नहीं है। मैं राज्य के मुख्य सचिव से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है लेकिन कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उनके पास आधारभूत संसाधन जैसे अभियंता, स्टाफ और अन्य सहायता सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए वे कार्यक्रम को चलाने और कार्यान्वित करने में अक्षम हैं।

महोदय, केन्द्रीय सरकार धन दे रही हैं और धन देने के बाद वह चुप हो गई तथा अब वह कार्रवाई योजना के लिए कह रही हैं। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वह इसके लिए धन दे रही हैं और प्रधान मंत्री की भी यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कार्यक्रम की समुचित निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि इनका कार्यान्वयन किया जा सके?

कुमारी ममता बनर्जी : आप मंत्री महोदय से क्यों नहीं कहते है कि वे आपके निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करें?

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, भाग्यवश मैं इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। समिति की बैठकों में भी मैंने उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि वह उनके निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे। मैं फिर उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वह कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करें।

महोदय, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, जो इस प्रश्न से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितनी बातें जानना चाहेंगे।

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, बाड़मेर में 590 करोड़ रुपये लागत से इन्दिरा गांधी नहर नामक एक नहर के निर्माण का एक प्रस्ताव था। मैं जानना चाहूंगा कि उस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात कह चुके हैं।

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, राज्य सरकार ने और अधिक नलकूपों की संभावना की तलाश के लिए हैवी ड्यूटी रिंग्स और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव मार्च में केन्द्रीय सरकार को भेजा था। मुझे नहीं मालूम है कि उस परियोजना का क्या बना?

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, पेयजल राज्य का विषय है-योजना, कार्यान्वयन, प्रचालन, रख-रखाव और सभी कुछ राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। पेयजल प्रदान करना एक प्राथमिकता वाला विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार ने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई है।

महोदय, 1991-93 की अवधि में, पेयजल की मांग के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, उनका प्रश्न बहुत सरल है। आप धन दे रहे हैं राज्य सरकार के पास धन उपलब्ध है, लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या आपका कार्यक्रमों पर निगरानी रखने का विचार है अथवा नहीं। आप 'हां' या 'न' में जवाब दें।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : जी हां। हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इतना पर्याप्त है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, सभी कार्यों के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी हैं। यह राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। हम

परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्षेत्र अधिकारियों को भेजते हैं। सभी कर्मचारी और अन्य स्टाफ राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजस्थान के गावों में हमेशा पेयजल का संकट रहता है, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, पानी का लेवल नीचे चला गया है जिसके परिणामस्वरूप हैंडपम्प, ट्यूबवैल तथा दूसरी बहुत सी स्कीमें बिल्कुल सूख गई हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जैसा मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि 1994 के सर्वे के अनुसार, 16,988 नो-कवर्ड, 18,942 पार्श्यली कवर्ड तथा 45,843 फुल्ली कवर्ड हैबिटेशन्स का सरकार ने पता लगाया है और दोबारा एक्शन-प्लान बनाने के लिए फिर से सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके संबंध में राजस्थान के समाचार पत्रों में विज्ञापन छपे हैं। हमारे अजमेर जिले में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, 100 गावं ऐसे हैं जहां पानी में फ्लोराइड है। उसकी एक योजना यहां सरकार के पास आई ताकि पेयजल की समस्या का निवारण किया जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उन गांवों की पेयजल समस्या के निवारण के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे हैमलैट्स हैं, बड़े रिवैन्यू विलेजज में तो आपने पानी पहुंचा दिया है, लेकिन छोटे गांवों में, जहां छोटी आबादी है, उनकी पयेजल की समस्या के निवारण के लिए सरकार कब तक, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर वहां पेयजल उपलब्ध करा देगी?

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार ने सन् 2000 तक सभी को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। हमने राज्य सरकार से कहा है कि अपनी कार्रवाई योजना दें ताकि 1997-98 तक इस योजना के अन्तर्गत सभी कवर किये गये और आंशिक रूप से कवर किये गये गांवों को शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष हमने ए आर डब्ल्यू एस पी योजना के अन्तर्गत 103 करोड़ रुपये जारी किये हैं। सामान्य मंजूरी के अतिरिक्त, आधारभूत न्यूतनतम सेवाओं के अन्तर्गत इस वर्ष हमने अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को जारी किये। इस धनराशि में से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वे कुछ धनराशि खर्च कर सकते हैं। अब तक राजस्थान सरकार के पास 150 करोड़ रुपये हैं और इसके अतिरिक्त हमने 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बीसलपुर योजना तो मंत्रालय के पास आई हुई हैं। मैरे क्षेत्र के अजमेर जिले में 100 गांव ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइडयुक्त पानी है जिसको पीकर लोग कुबड़े हो जाते हैं। आपके मंत्रालय के पास बहुत समय से लंबित है। उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप उसके बारे में बताएं कि क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप यहां वाद-विवाद न करें।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : राज्य सरकार के अनुरोध पर हम धन जारी कर रहें हैं। राज्य सरकार निगरानी करने वाली एजेंसी है। मुख्य अभियंता और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में है। इसलिए इसके सही कार्यान्वयन के लिए उन्हें राज्य सरकार के पास जाना चाहिए और यदि कोई बात है जिसे केन्द्र कर सकता है तो उन्हें हमसे पूछना चाहिए। हम समय से धनराशि दे रहे हैं। चूंकि राजस्थान राज्य संकट की स्थिति का सामना कर रहा है, इसलिए हमने दूसरी किस्त पहले ही दे दी है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, प्रश्न सही और पेय जल प्रदान कराने से संबंधित है। इस बारे में केन्द्र सरकार के पास विभिन्न योजनाएं हैं। यदि, पानी में फ्लोराईड की अधिकता अथवा दूसरे विषैले अथवा बीमारी को बढाने वाले तत्व हैं, तो एक योजना है जो इसको देखती है और प्रश्न उसी से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि सदस्यगण सहमत हैं कि धनराशि उपलब्ध है। यद्यपि, आपने धनराशि प्रदान कराई है। कार्य सही प्रकार से नहीं किया जा रहा। आप यह बात कह रहे हैं कि यह राज्य का विषय है और इसलिए इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी मात्र धनराशि देना है और कुछ नहीं, तब इस विभाग की क्या आवश्यकता है। योजना आयोग, सीधे ही धनराशि दे सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण जानते हैं, कि 4 जुलाई के मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में सभी मुख्यमन्त्रियों ने केन्द्र से आग्रह किया था कि धनराशि सीधे राज्यों को दी जाएं और कहा था कि वे प्रत्येक चीज की निगरानी करेंगे। उन्होंने हमसे धनराशि प्रदान करने के लिए कहा और जैसाकि उनके पास पूरा तन्त्र है। यह विभिन्न राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की मांग थी। ...(व्यवधान) संयुक्त मोर्चा सरकार सभी राज्यों को सम्मान देती है जो भी धनराशि केन्द्र दे रहा है। उनको इसे सही प्रकार से व्यय करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो इसको राज्य सरकार के ऊपर टाल दिया है। यह प्रश्न इनसे और इनके मंत्रालय से संबंधित है। राज्य सरकार ने तो इन्हें योजना भेज दी है। मंत्रालय क्या कर रहा है?

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दि इस तरह से परेशान न करो।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लोक लेखा समिति इस समस्या से अवगत है। इसलिए इस मामले को लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाएं।

तेल भण्डार

*183. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश कितने तेल भण्डारों के उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई नया सर्वेक्षण अथवा अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन तेल भण्डारों की खोज और उनका दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत 3 वर्षों में किन-किन स्थानों पर तेल की खोज संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख गया है।

विवरण

(क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार तेल और कंडेसेट के निकासी योग्य अनुमानित भण्डार 745.65 एम एम टी हैं।

(ख) और (ग). तेल भण्डारों के अनुमान वार्षिक आधार पर किए जाते हैं।

(घ) तेल भण्डारों का अन्वेषण और दोहन करने के लिए किए गए उपाय निम्नवत् हैं:-

(1) विदित तेल/गैस उत्पादक क्षेत्रों में गहन अन्वेषण।

(2) गहरे समुद्र में अन्वेषण और समीवर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण सहित विस्तृत और गहन अन्वेषण।

(3) तेल क्षेत्रों की बेहतर समझ के लिए 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण।

(4) भण्डारों के इष्टतम अन्वेषण को सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

(5) दूरदर्शितापूर्ण रिजर्वायर प्रबंधन।

(6) ई आर डी. क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियां को अपनाना।

(7) तेल/गैस के विकास की नई योजनाओं का कार्यान्वयन।

(8) तेल अन्वेषण और विकास में निजी/संयुक्त उद्यम की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(9) जहां आवश्यक समझा जाए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं किराए पर प्राप्त करना।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों नामतः ओ एन जी सी और ओ आई एल ने कैम्बे, कच्छ सौराष्ट्र, केरल-कोंकण, कृष्णा-गोदावारी, कावेरी, ऊपरी असम, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट (त्रिपुरा, कछार नागा पहाड़ियां), गंगा घाटी (बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश), बंगाल, राजस्थान के बेसिनों के तटीय और/अथवा अपतटीय भागों में और मध्य प्रदेश राज्य में अन्वेषण कार्य चलाए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 37 स्थानों पर तेल और गैस की खोजें हुई हैं। ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाये गये अन्वेषण कार्य की स्थिति अनुबंध में दी गई हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य की स्थिति

		1993-94	1994-95	1995-96
भूकंपीय सर्वेक्षण				
2डी भूकंपीय सर्वेक्षण (तटीय (एस एल के के समकक्ष में)		36917.20	37105.4	37244.2
2डी भूकंपीय सर्वेक्षण (अपतटीय) (एल के के समकक्ष में)		25028	17152	19007
3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (तटीय) (एल के/वर्ग कि.मी.)		1119.7	1153.21	1106.91
3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (अपतटीय) (एल के/वर्ग कि.मी.)		7482	22902	14725
अन्वेषक वेधन				
(हजार मीटर)	तटीय	373.856	427.548	428.868
	अपतटीय	432.03	516.86	487.842

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : उत्तर के भाग (ङ) में, यह बताया गया है कि गत तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कच्छ सौराष्ट्र बेसिन और

दूसरे क्षेत्रों में खोज कार्य किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या महानदी सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए 'इस्सार' कम्पनी को कोई ठेका दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को 70 करोड़ रुपए की हानि है; यदि हां, तो यह ठेका इस तरह से क्यों दिया गया और ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है।

श्री टी.आर. बालू : श्रीमान, पिछले तीन वर्षों से कच्छ सौराष्ट्र बेसिन में खोज कार्य चल रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए खोज कार्य के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में तेल और गैस की खोज हुई है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बम्बई, कैम्बे, असम के बेसिन की तलहटी और किनारे पर 37 स्थानों पर विभिन्न स्रोत मिले हैं। ...(व्यवधान)

श्री सत्यजीत सिंह दत्तीपसिंह गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री टी.आर. बालू : यदि आप व्यापक उत्तर चाहते हैं और जहां कि कच्छ-सौराष्ट्र का संबंध है, तो परिणाम अभी आना है।

श्री सत्यजीत सिंह दत्तीपसिंह गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यह देखा गया है कि तेल क्षेत्रों में अच्छे और आधुनिक ढंग से खोज कार्य के बहाने गैर सरकारी कम्पनियां को ठेके दिए जाते हैं। जिसके लिए वे ऐसा कर रहे हैं। वह अभी आधुनिक प्रौद्योगिकी है क्योंकि क्षेत्रों की पहचान पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा की गई है। यह वही निजी क्षेत्र है जिसने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पहचान कराई है। बहुराष्ट्रियों ने अभी आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्राप्त की हैं। जब तेल क्षेत्रों की पहचान हुई, जब क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया, जब निजी भागीदारी की पहचान भी हुई, इन क्षेत्रों के खोज कार्य के लिए तब वे केवल आधुनिक आधारभूत सुविधा ही चाहते हैं ऐसे में सरकार के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड गैस संगठनों को निजी भागीदारी का यह ठेका क्यों नहीं दिया गया?

मेरा प्रश्न था कि क्या 'इस्सार' द्वारा निजी भागीदारी से कोई हानि हुई है, यदि हां, तो यह ठेका इस तरह से क्यों दिया गया और ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाने का विचार है?

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्ष महोदय, अतः आंकडा तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार आंकड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा, हम इसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे।

श्री मृत्युन्जय नायक : महोदय, पारादीप के निकट महानदी के बेसिन पर लम्बे समय से खोज कार्य चल रहा है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, और उत्पादन अभी शुरू होना है। महानदी बेसिन के अतिरिक्त दूसरे स्थानां भी हैं जहां तेल भण्डार उपलब्ध हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इसी तरह के सर्वेक्षणों को उन्होंने उड़ीसा के दूसरे भागों में कराने का निश्चय किया है। यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए है?

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही बोल सकता हूं। हम आंकड़ों की जांच कर रहे हैं, इसमें पूंजी लगाना जोखिम से भरा है जिसके कारण हम इस पर धीरे-धीरे कार्य करेंगे। सरकार, सभी उपलब्ध आकंडो पर विचार करेगी और हम आकड़ों को इकट्ठा करने के पश्चात् इस पर कार्यवाही करेंगे और तब अन्तिम निर्णय लेंगे।

श्री एन.एस.वी. चित्तन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर में तमिलनाडु राज्य के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि हाल के वर्षों में तमिलनाडु राज्य में खोज कार्य शुरू किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, जहां तक तमिलनाडु का संबंध है हमने 240 अन्वेषण कुएं खोदे हैं। इकत्तीस विकास कुएं ड्रिल किए गए जिनमें से 62 कुएं तेल के है और 23 कुएं गेस के हैं। । अप्रैल 1996 तक तेल का 2.38 एम.एम.टी. और गैस का 426.99 एम.एम.एस. सी.एम. संचयी उत्पादन है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, यही प्रश्न दसवीं लोक सभा में भी और पिछले सैशन में भी दो-तीन बार पूछा गया था। जैसा मेरे मित्र गायकवाड़ जी ने कहा है, गुजरात में तेल का भंडार साऊथ गुजरात, नोर्थ गुजरात और सौराष्ट्र है, इन तीनों क्षेत्रों में क्षेत्र आइडेंटीफाई किये गये हैं, इसके एक्सप्लोरेशन के लिए मंत्री जी जानते होंगे, प्राइवेंट एण्टरप्रिन्योर्स और सरकारी एजेसीज भी लगाई गई हैं। तीन-चार बार इसकी निगोसिएशंस भी हो गई हैं, मैं पिछले डेढ़ साल से तो इस सदन में सुनता आया हूं, यही जवाब रिपीट होता है कि निगोसिएशंस हो रही है, निगोसिएशंस हो रही है। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से सीधे रूप से जानना चाहूंगा कि गुजरात में संशोधित तेल क्षेत्रों में से तेल निकालने की और उसके लिए मंगाये गए टैंडरों की क्या स्थिति है और कब तक इन तेल क्षेत्रों से तेल निकाला जायेगा? मेरा स्पेसिफिक् क्वश्चन है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : गवेषणा कार्य एक बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। सभी सूचनाओं के चरणबद्ध संसाधन के पश्चात ...(व्यवधान) प्रिय मित्र इससें बहुत से जोखिम हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढ़वी : मुझे सभा तथा सरकार को शीर क्रीक की गंभीरता के विषय में बताना है। शीर क्रीक कच्छ के निकट भारतीय

क्षेत्र में स्थित है और तेल तथा गैस गवेषणा की संभावनाओं से भरपूर है। हाल में पाकिस्तान ने एक अधिसूचना जारी करके यह दावा किया है कि यह खाड़ी उनकी है और इसलिए वे वैसा ही षडयंत्र रच रहे हैं जैसा कि उन्होंने सन् 1965 में चाडबेट में किया था जबकि उस पर अन्तर्राष्ट्रीय विवाद था। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है कि शीर खाड़ी उनकी है जोकि तेल गवेषण की संभावनाओं से भरपूर है? क्या सरकार ने इन कपटपूर्ण चालों को रोकने के लिए पाकिस्तान के षडयंत्र के प्रत्युत्तर में कोई कदम उठाया है? यह सूचना गुजरात से प्राप्त हुई है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढ़वी : मेरा अनुरोध दो चीजों के बारे हैं। एक तो तेल गवेषण के बारे में, जो उनका विषय भी है और दूसरा राष्ट्रीय हित का है जो भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान के गलत दावे के बारे में है। इस बारे में सरकार का क्या नजरिया है? क्या सरकार कोई इस सच्चाई की जानकारी है या नहीं?

श्री टी.आर. बालू : हाईड्रोकार्बन्स के महानिदेशक ने हाल ही में कच्छ के रन का एअरोमेग्नेटिक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के परिणामों के परीक्षण के पश्चात ही उस क्षेत्र की क्षमताओं का पता चल सकेगा। उसके पश्चात ही हम जवाब देने की स्थिति में होंगे.. .(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृपया मुझे अनुमति दें। अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति दी।

मंत्री महोदय ने विवरण में उन स्थानों की एक सूची दी है जहां पिछले तीन वर्षों से ओ.एन.जी.सी. और आई.ओ.एल. द्वारा भूमि पर और तट से दूर गवेषण कार्य किया जा रहा है। इन स्थानों में बंगाल का भी उल्लेख किया गया है, मेरा विश्वास है कि यह पश्चिम बंगाल है। क्या यह सच है कि बोदरा और इटापुर मे दो कुंओं में तेल मिलने के बावजूद ओ.एन.जी.सी. ने पश्चिम बंगाल में और आगे कार्यवाही करना बन्द कर दिया है और कोई भूकंपीय सर्वेक्षण नहीं किया है जिसकी कई विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश की गई थी?

श्री टी.आर. बालू : जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, हमने ओन-लेण्ड सर्वेक्षण किए हैं। हमने 8806 वर्ग किलोमीटर का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है। उसमें से लगभग 8410 जी.एल. के (सिंगलफोल्ड) का 2 डी.भूकंपीय सर्वेक्षण और 6033 ग्राउन्ड लाईन कि.मी. का 6/12 फोल्ड तथा 18,586 स्टेंडर्ड लाइन किमी. का भूंकपीय सर्वेक्षण किया था।

जहां तक ठेके पर कराए गए सर्वेक्षण का संबंध है, हम पहले ही 7771 एल.के. ग्राउन्ड लाईन.के.पी. लैण्ड में से 4758 का सर्वेक्षण कर चुके हैं। 'उन्डी' सर्वेक्षण के मामले में हम पहले ही 185 एस.एस.के. के लिए सर्वेक्षण कर चुके हैं। ठेके के जरिए हम पहले ही 67 वर्ग किलामीटर सर्वेक्षण करा चुके हैं। ऑन-लैण्ड सर्वेक्षण में हाइड्रोकार्बन वाली कोई संरचना नहीं मिली। समुद्र तट से दूर के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम पहले ही 36 कुएं खोद चुके हैं। पिछले चालीस वर्षों में अकेले पश्चिम बंगाल में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सर्वेक्षण कर चुके हैं और कई कुओं की खुदाई कर चुके हैं।...(व्यवधान) वास्तव में किसी वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति नहीं हुई।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

*184. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अलग-अलग विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार स कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) प्रत्येक परियाजना का कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र के ऐसे कितने प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित हैं, और

(घ) इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा निर्माणरत है, उनका प्रत्येक परियोजना पर हुए कुल व्यय समेत विवरण निम्नवत है:-

		क्षमता (मे.वा)	सितम्बर, 1996 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	काली नदी चरण-2 एचईपी	270	391.17
2.	दांडिली एच.ई.पी.	60	1.95
3.	शरावती टैल रेस एचईपी	240	107.39
4.	वृन्दावन एच.ई.पी.	12	4.64
5.	भद्रा एच.ई.पी.	6	2.57
6.	गंगावली एच.ई.पी.	210	6.70
7.	रायचूर टीपीएस (यूनिट-5 एवं 6)	420	7.25

इनके अतिरिक्त सारापड़ी जल विद्युत परियोजना (90 मे.वा.) को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना हेतु निवेश संबंधी संस्वीकृति प्रतीक्षित हैं। निजी क्षेत्र की दो विद्युत परियोजनाओं नामशः मै. जिन्दल ट्रैक्टबेल पावर कार्पोरेशन लि. का तोरागल्लू ताप विद्युत केन्द्र 260 मे.वा. तथा मंगलोर पावर कंपनी का मंगलोर ताप विद्युत केन्द्र (1000 मे.वा.) के लिए भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन परियोजनाओं को अभी वित्तीय निर्वहन प्राप्त करना शेष है।

(ग) और (घ). येलाहंका डी.जी.पी.पी. विस्तार (46.8.. मे.वा.) के प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है जिसे कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक निवेश व स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु हाथ में लिया जा सकेगा।

श्री बी.एल. शंकर : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के लिए स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाएं कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी? कर्नाटक राज्य के लिए कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है? इस समय विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है? और इन परियोजनाओं के कार्यारंभ कर देने के पश्चात क्षमता में कितनी वृद्धि हो जाएगी?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : मैं परियोजनाओं की कुल संख्या से संबंधित विवरण पहले ही सभा पटल पर रख चुका हूं। आठवीं योजनावधि के दौरान 24,168 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है जबकि 20,220 मेगावाट विद्युत ही उपलब्ध हो पाई है। 3961 मेगावाट विद्युत की कमी रही है जो कि 16.4 प्रतिशत बैठती है। इसमें से 390 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा; निधियों की कमी के कारण 78 मेगावाट का विचार छोड़ दिया है परन्तु इसका उत्पादन कोलार, बीदर और जमकंडी जिलों में गैर सरकारी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है; और बाकी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल नियोजित क्षमता 1436 मेगावाट है जिसमें से अब तक 396 मेगावाट का उत्पादन आरंभ किया जा चुका है।

श्री बी.एल. शंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार से सम्मुख विद्युत पारेषण के निजीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा। क्या स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है; यदि हां, तो वे कौन सी शक्तियां हैं जो विद्युत उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में राज्यों को दी गई हैं?

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : सरकार के पास पारेषण क्षेत्र के निजीकरण का प्रस्ताव है। सन् 1910 और 1948 के वर्तमान अधिनियम पारेषण क्षेत्र के निजीकरण की अनुमति नहीं देते हैं। हम पहले ही विधि मंत्रालय को प्रस्ताव भेज चुके हैं। वे इसकी जांच कर रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए अनेक प्रकार से पहल की हैं। उन्होंने अपनी 16 अक्तूबर को की गई घोषणा में राज्य सरकारों को 1000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति प्रत्यायोजित करने की बात कही है। इसलिए 50 मेगावाट की परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्ति राज्य सरकारों की दे दी जाएगी। हम इस बारे में एक कार्य योजना बना रहे हैं। कल हुए मुख्यमंत्रियों के विद्युत संबंधी सम्मेलन में हमने विद्युत संबंधी प्रारूप कार्य योजना परिचालित की थी। माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी कुछ सुझाव दिए थे। उनके सुझावों को सम्मिलित करके अन्तिम कार्य योजना तैयार करेंगे।

प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*185. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 के बीच जनसंख्या वाले शहरों में स्वरोजगार आवास उन्नयन और कौशल वृद्धि में प्रशिक्षण के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनसंख्या संबंधी मानदंड पूरा करने वाले कतिपय शहरों को इस कार्यक्रम में शामिल करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय किया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य, अन्य के साथ-साथ, 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 के बीच आबादी वाली शहरी बस्तियों में स्वरोजगार आश्रय सुधार तथा कौशल संवर्धन प्रशिक्षण देकर गरीबी दूर करना है।

(ख) से (घ). सरकार को महाराष्ट्र के कुलगांव-बादलापुर, नवधार, माणिकपुर तथा कामटी शहरों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव मिले थे। 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 की आबादी वाले नवधार तथा माणिकपुर कस्बे, जो बसई शहरी बस्ती के भाग हैं, पहले से ही इस कार्यक्रम में शामिल हैं, किन्तु कामटी और कुलगांव बादलापुर शहरों की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत नहीं है, अतः वे इस कार्यक्रम में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें उत्तर बहुत मुश्किल से मिला है। आप प्रश्नों के उत्तर नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए। पहला प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इनको लिखा है कि हमने जनगणना की है। 50,000 से लेकर 1,00,000 तक की आबादी वाले इन जिलों के लिए महाराष्ट्र सरकार मांग कर रही है। इनकी बात मैं मानता हूं लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया है, पोपुलेशन के हिसाब से वह ठीक नहीं है। आप इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कल ही डिपार्टमेंट में जाकर इंक्वायरी की है लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने खत लिखा है लेकिन जवाब नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं कि कामटी और कुलगांव बादलापुर शहरों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी को कोई प्रश्न पूछना है। ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : करेंगे या नहीं करेंगे? मैं मांग करता हूं कि इनको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इतनी मुश्किल से जवाब मिला है। आपको आसान प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

डा.यू. वेंकटेस्वरलु : महोदय, स्थिति यह है कि यहां इन कामटी और कुलगांव बादलापुर शहरों को शामिल करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय से भी मांग की गयी है।

प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में इन मार्ग निर्देशों को तैयार करते समय शहरी समूह को ध्यान में रखा गया है और शहर अथवा नगरपालिकाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। शहरी समूह के संबंध में, थोड़ा बहुत अन्तर है जहां किसी विशेष शहर की जनसंख्या उस श्रेणी के अन्तर्गत आती है। जैसाकि संबंधित राज्यों द्वारा परिभाषा दी गयी है और यह बताया गया है, यह शहरी समूह की जनसंख्या उस श्रेणी में नहीं आती है जहां कठिनाई है।

महाराष्ट्र के माननीय शहरी विकास मंत्री बार-बार मुझे पत्र लिख रहे हैं तथा उस क्षेत्र अर्थात कामटी के माननीय विधायक से भी पत्र प्राप्त हुआ है। किन्तु जो बात रूकावट बन रही है वह यह है कि चूंकि यह 50,000 से एक लाख तक की विशिष्ट श्रेणी में नहीं आता है इसलिए हम इसे नहीं ले रहे हैं। वास्तव में, एक लाख से अधिक जनसंख्या के लिए दूसरा आई डी कार्यक्रम है और इन शहरों को उसके तहत लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महाराष्ट्र सरकार ने खत लिखा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके कार्यक्रम के मुताबिक राज्य को भी अधिकार देंगे? यदि कार्यक्रम में कुछ आपत्ति होगी, तो आप राज्य सरकार से पूछ सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या इन कार्यक्रमों के विकास के लिये अधिकार महाराष्ट्र सरकार या सभी राज्यों को देने वाले हैं?

[अनुवाद]

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : यह कार्यक्रम केवल राज्य सरकार द्वारा ही शुरू किया गया, तैयार किया गया तथा कार्यान्वित किया गया है। कुछ समय पूर्व केवल चार दिन पहले, 30 नवम्बर को मैं उन सभी कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने हेतु मुम्बई गया था जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस विभिन्न मदों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं। हमने उनकी पुनरीक्षा की है।

इस विशेष कार्यक्रम अर्थात प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की ओर से थोड़ी लापरवाही बरती गयी है। वास्तव में उन्होंने मैचिंग ग्रांट अनुकूल अनुदान भी निर्मुक्त नहीं की है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भी इस ओर दिलाया था किन्तु उन्होंने अभी तक मैचिंग ग्रांट निर्मुक्त नहीं की है। मैंने मैचिंग ग्रांट निर्मुक्त करने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था ताकि इस सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके। इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक कार्यान्वयन का संबंध है, केवल राज्य सरकार को ही इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अधिकार है। मैंने माननीय शहरी विकास मंत्री से यह भी अनुरोध किया था कि किसी विशेष मामले में यदि कोई और कठिनाई सामने आये तो मुझे पत्र द्वारा सूचित करें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, नवधार-म्प्रणिकपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वसई ताल्लुका सारे हिन्दुस्तान में एक ऐसा ताल्लुका है, जिसमें चार नगरपालिकायें हैं। मुम्बई शहर के बाहर एक ताल्लुका में चार नगरपालिकायें हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं हैं। मुम्बई में बाहर के लोग रहने के लिए आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, वसई ताल्लुका में सारी योजनायें विशेष ढंग से लागू करने के लिए सरकार मदद करेगी?

[अनुवाद]

डा. यू. वेंकटेस्वरलु : महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह शहरी समूह के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उसे इन शहरों को शहरी समूह से अलग कर देना चाहिए। यदि राज्य सरकार शहरी समूह से इन शहरों को अलग करने के बाद मुझे पत्र लिखती है तो हमारा मंत्रालय निश्चित रूप से इसकी जांच करेगा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 'शहरी समूह' की परिभाषा भी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है तथा वे इसे मुझे भेज रहे हैं। ताकि वे इनमें से कुछ शहरों को शहरी समूह से अलग कर सकें तथा चर्चा कर सकें। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा तथा जो भी बन सकेगा, करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी ऐसा ही विचार है।

कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत शुल्क

*186. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत राजसहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है और उसने कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी न्यूनतम शुल्क लगाने के लिए राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने विद्युत राजसहायता को इस प्रकार समाप्त करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत राज सहायता की समाप्ति से कृषि क्षेत्र पर कुप्रभाव न पड़े सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). कृषि क्षेत्र समेत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ तथा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की मात्रा, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है। जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में समूचे देश में न्यूनतम कृषि टैरिफ को 50 पैसे प्रति कि.वा.घं. निर्धारित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। इस निर्णय का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य सरकार/रा. बि.बो: द्वारा किया जाना था।

(ग) और (घ). जी, नहीं। हाल ही में 16.10.96 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कृषि टैरिफ समेत यौक्तिक विद्युत टैरिफ के लिए अनेक राज्यों ने एक राष्ट्रीय/राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता का अभिमत व्यक्त किया था।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है, उनके पचास भाषण मैंने सुने हैं। वे हर भाषण में कहते हैं कि वे गरीब किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जब किसानों को सब्सिडी पर बिजली देने का प्रश्न आता है, तो कहते हैं कि वह तो पावर हाउस को देनी है। मैं यह जानना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार क्या इसमें मदद करेगी? केन्द्रीय सरकार की तरफ से सस्ती बिजली मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पानी किसान क्या कर सकता है। सस्ती बिजली देने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या रोल है, इस बारे में मंत्री जी से मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं। खाली उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि पचास पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है, मैं पूछता हूं, कौन सा राज्य दे रहा है? मैं सब्सिडी के बारे में मंत्री जी से स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि आपनी नीति क्या है? किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल आपने चार बार पूछा है।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अनुसार, विद्युत टैरिफ और राजसहायता की मात्रा का निर्णय संबंधित राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ही लिया जाता है। कृषि और घरेलू क्षेत्रों के उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिए लागू विद्युत की फुटकर बिक्री का निर्धारण करने में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। चूंकि उठाया गया प्रश्न, विद्युत क्षेत्र के लिए न्यूनतम टैरिफ देने के संबंध में है, हमने विद्युत मंत्रियों की बैठक में इसे उठाया था। इसी प्रकार की एक बैठक, एक सम्मेलन वर्ष 1993 में हुआ था। उस समय सभी मुख्य मंत्री अथवा विद्युत मंत्री कम से कम 50 पैसा टैरिफ निर्धारित करने हेतु एक मत थे। वर्ष 1993 में हुए सम्मेलन में भी यही सहमति हुई थी। अब राज्य विद्युत बोर्डों का टैरिफ निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मतलब, आपने भगवान के भरोसे किसान को छोड़ दिया। ...(**व्यवधान**) सब्सिडी के बारे में बोल दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे और इसको पूरे देश ने सुन लिया ऐसी सरकार है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पेट्रोल, डीजल, गैस जहां से आती है यहां पर पूरा खर्चा लगाकर उस पर रेट लिखते हैं। बिजली एक ऐसी चीज है कि यह जहां प्रोड्यूस होती है वहां से जहां जायेगी उसका खर्चा नहीं लगाते। जहां प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं वहां भी वही रेट है, दूसरी जगह भी वही रेट है, यह कैसा विचित्र न्याय है? हमारे विदर्भ में बिजली पैदा होती है और वह पूरे देश में जाती है तो विदर्भ में भी बिजली का वही रेट है, मुम्बई में भी वही रेट है और दिल्ली में भी वही रेट है, पूरे महाराष्ट्र में भी वही रेट है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिजली के लिये जहां कम से कम प्रोडक्शन हो, जहां पर पावर हाउसेस हो वहां पर बिजली सस्ती मिलती है, क्योंकि ट्रांसमिशन लासेस होते हैं, वहां से ले जाने से केपिटल कास्ट बहुत ज्यादा होती है। जहां बिजली पैदा होती है वहां के लोगों को कम से कम सस्ती बिजली मिले, क्या ऐसा कोई निर्णय केन्द्र सरकार की तरफ से हो सकता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह संगत नहीं है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह बहुत ही संगत है। कृपया आप भाग (ख) और (घ) के तहत दिए गए उत्तर पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसे मान लेता हूं।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं विद्युत राज्य और केन्द्र दोनों की सहमति समवर्ती का विषय है। निःसंदेह, माननीय प्रधान मंत्री महोदय अपने आपको किसान का बेटा कह रहे हैं। इसीलिए, हमने कृषि क्षेत्र को लगभग सभी प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए हैं। विद्युत आपूर्ति की औसत लागत एक से दो रुपए तक है तथा कृषि के लिए हम केवल .19 पैसा लेते हैं।

विद्युत पर लगाए गए राजस्व तथा टैरिफ संरचना को युक्ति युक्त बनाने के संबंध में कल भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मुख्य मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया था। वे प्रारूप सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु समग्र रूप से सहमत थे। हम स्टेट रेगुलेटरी कमीशन गठित कर रहे हैं, एक केन्द्रीय स्तर पर होगा तथा दूसरा राज्य स्तर पर होगा। हम शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्युत नीति भी बनायेंगे।

राज्य विद्युत विनियमन आयोग, द्विभागीय शुल्क ढांचे और एकभागीय शुल्क ढांचे के सम्बन्ध में हमने कल लगभग दो से साढे तीन घंटे तक बैठक की थी। उस बैठक में सभी मुख्य मंत्रियों ने इस कार्य योजना को स्वीकार किया है। उन्होंने एक मार्गनिर्देश का सुझाव भी दिया। उस मार्गनिर्देश के साथ ही हम प्रारूप कार्य योजना को अन्तिम रूप देंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, क्या यह मेरे प्रश्न का जवाब है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जहां प्रोड्यूस होती है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पेट्रोल प्रोड्यूस होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं उसमें खर्चा लगा कर आप ज्यादा रेट चार्ज करते हो और बिजली का पूरा रेट एक जगह है क्या उस पर आप विचार नहीं करेंगे? इसमें नीति क्या है आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शुरू से ही आपके प्रश्न की प्रासंगिकता के बारे में संदेह व्यक्त किया था। प्रश्न कृषि क्षेत्र को राजसहायता देने के बारे में है। आप विद्युत शुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। मंत्री जी उत्तर कैसे दे सकते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप कृपया उत्तर पढ़िए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह विद्युत टैरिफ शुल्क के बारे में उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। कृपया "विद्युत टैरिफ को तर्क संगत बनाने के लिए आयोग" उत्तर पढ़िए। यह विद्युत टैरिफ को तर्क संगत बनाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : नहीं, महोदय। हम उन संयंत्रों को अतिरिक्त विद्युत दे रहे हैं जो एक समय में स्थित हैं। हम 15 प्रतिशत अप्रयुक्त कोटा शेष राज्यों को दे रहे हैं और दर वही है। दर में भिन्नता का प्रश्न ही नहीं है। ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपकी अति आभारी हूं। विद्युत क्षेत्र को अतिरिक्त शक्तियां देने के बजाय वे अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि यह उसकी प्रतिबद्धता है कि वह कृषि क्षेत्र को संरक्षण देगी। परन्तु क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में राज्य विद्युत बोर्ड ने कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत टैरिफ में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी है? इसलिए, कृषि क्षेत्र को क्या राजसहायता देने का आपका विचार है?

महोदय, मैं किसी मामले विशेष के बारे में आपका संरक्षण चाहती हूं। यह मामला प्रत्येक संसद सदस्य से भी संबंधित है। यदि हम किसी क्षेत्र विशेष के विद्युतीकरण की मांग करते हैं तो राज्य विद्युत बोर्ड हमें निदेश देता है और कहता है कि हमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से इसका वित्तपोषण करना चाहिए। यदि हम इस प्रयोजनार्थ इस निधि संधन खर्च करते हैं तो एक करोड़ रुपया तो किसी भी गांव विशेष के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या वे इस प्रकार हमें निदेश दे सकते हैं अथवा नहीं। राज्य विद्युत बोर्ड 'बिग बास' की तरह व्यवहार। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे राज्य विद्युत बोर्ड के इस रवैये का समर्थन करते हैं अथवा नहीं?

दूसरे, कृषि क्षेत्र के लिए राजसहायता का क्या हुआ? कृपया सभा को स्पष्ट उत्तर दीजिए। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : ममता जी का गुस्सा वेस्ट बंगाल पर है, मेरे पर नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कम से कम कुछ परिहास समझने का तो प्रयास कीजिए।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, विद्युत आपूर्ति की देखरेख केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है। कृषि, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए टैरिफ निर्धारित करना राज्य विद्युत बोर्ड का कार्य है। यह एक समवर्ती विषय है जिस पर 50 प्रतिशत जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार की। केन्द्र सरकार टैरिफ ढांचे की जांच नहीं करेगी ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इसके लिए धनराशि कौन देगा। राज्य सरकारें टैरिफ में वृद्धि कर रही हैं। आप कृषि क्षेत्र को कोई राजसहायता क्यों नहीं दे रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, विकसित राज्यों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विपरीत हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषक समुदाय के सम्मुख सूखे की स्थिति या चक्रवात आदि जैसी भारी हिमपात की स्थिति से सम्बन्धित प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेक कठिनाइयां आती हैं। मैं विद्युत मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं : चूंकि सरकार की घोषित नीति कुल मिलाकर कृषक समुदाय के पक्ष में है, क्या आप ऐसा नहीं मानते कि आपको सभी राज्य विद्युत बोर्डों की सिंचाई करनी चाहिए जिन्हें या तो टैरिफ सम्बन्धी कतिपय प्रोत्साहन या राजसहायता सम्बन्धी प्रोत्साहन आदि देने सम्बन्धी सभी निर्णय लेने होते हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा, आपका केवल दस सेकण्ड समय अभी बचा है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एस. बंगारप्पा : इसलिए, कृषक समुदाय को दो क्षेत्रों में अनेक प्रोत्साहन देने होंगे। प्रथम है किसानों के पम्पसेटों को विद्युत देने और विद्युत टैरिफ के क्षेत्र में रियायत देने सहित कृषि प्रचालनों में राजसहायता देना। ...**(व्यवधान)** सरकार का कृषक समुदाय को बहुत सी चीजें देने का विचार है। क्या आप नहीं समझते कि ये सारी राजसहायता तथा टैरिफ रियायतें कृषक समुदाय को देनी पड़ेंगी? यथार्थतः संयुक्त मोर्चा सरकार की घोषित नीति कृषक समुदाय के पक्ष में है। तो, तदनुसार, क्या कृषक समुदाय को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आप सभी राज्य सरकारों को उचित अनुदेश देंगे? **(व्यवधान)**

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री बंगारप्पा जानते हैं कृषि के लिए केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही राजसहायता दी जा रही है। पिछले दो या तीन महीनों में हम विद्युत विभागों के सचिवों तथा संबंधित विद्युत बोर्डों से चर्चा तथा विचार विमर्श करते रहे हैं। कल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्रयोजनार्थ मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। शीघ्र ही हम विद्युत के लिए प्रारूप सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दे रहे हैं। इसमें माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे शामिल हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : अध्यक्ष जी, माननीय पुरोहित जी ने किसानों के लिए विद्युत शुल्क में सब्सिडी की बात कही। मध्य प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार का मध्य प्रदेश को विशेष सुविधा के रूप में राजसहायता देने का विचार है?

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : नहीं, महोदय। ...**(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोलियम पर रायल्टी

***187. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर रायल्टी के निर्धारण के लिए इस समय क्या व्यवस्था/प्रक्रिया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा देश के सभी तेल उत्पादक राज्यों के साथ इन्हें नकद के बदले वस्तुओं के रूप में रायल्टी किए जाने हेतु आयोजित की जाने वाली बैठक की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी रायल्टी दी गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंधों द्वारा शासित की जाती है।

(ख) और (ग). सरकार को ऐसी किसी बैठक की सूचना नहीं है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	कच्चा तेल	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल	प्राकृतिक गैस	कच्चा तेल	प्राकृतिक गैस
गुजरात	306.72	29.12	320.41	29.75	327.16	37.53
असम	239.87	4.25	254.15	3.63	250.99	3.72
तमिलनाडु	19.18	0.32	20.43	0.23	19.50	0.32
आंध्र प्रदेश	1.68	8.30	2.02	8.31	2.32	9.24
अरुणाचल प्रदेश	2.83	नगण्य	1.91	नगण्य	1.40	नगण्य
अन्य	4.34	0.61	0.54	0.59	–	0.85

तेल शोधनशाला

*188. **प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल शोधन की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सन् 2000 तक तेल शोधन की क्षमता में कितनी वृद्धि हो जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में वर्तमान तेल शोधन क्षमता 60.55 एम एम टी पी ए है।

(ख) और (ग). वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार/व्यवधान हटाने और सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में नई ग्रास रूट रिफाइनरियों की स्थापना के द्वारा देश में शोधन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने शोधन क्षेत्र में निजी निवेश के लिए भी अनुमति दी है, जिसमें विदेशी निवेश शामिल है।

(घ) औद्योगिक नीति के उदारीकण के अनुसरण में निर्यातोन्मुखी इकाईयों सहित लगभग 70 एम एम टी पी ए के लिए निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना हेतु कई कंपनियों को आशय-पत्र प्रदान किए गए हैं। सभी प्रस्तावों के लागू होने के बाद नौवीं योजना के अंत तक शोधन क्षमता निर्यातान्मुखी इकाइयों की क्षमता को छोड़कर लगभग 130.75 एम एम टी पी ए होने का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना

*189. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान किये जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). हालांकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना के संबंध में राज्यों के चयन के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन भारत सरकार इले. के सभी संबंधित क्षेत्रों में देश भर में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देता है। संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य स्तरीय इले. विकास निगम (एस ई डी सी) जैसी एजेंसियां राज्य में विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं तथा विकास संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देती हैं। इले. वि. आवश्यक दिशा निर्देश तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि देता है। इले. के साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना तथा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इले. वि.भी इले. के क्षेत्र में जनशक्ति विकास, गुणवत्ता प्रमाण, परीक्षण तथा मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास

आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कुछ सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ). टैक्नोपार्क, तिरूवनन्तपुरम में एक अभिनव केन्द्र की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार से वित्तीय सहायता का एक प्रसताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की प्राथमिक जांच की गई है।

राष्ट्रीय कार्य बल

*190. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके गठन तथा उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्य बल की सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही प्रारंभ की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). सरकार द्वारा फरवरी, 1995 में राष्ट्रीय कार्य दल (एनटीएफ) का गठन किया गया था। इसे विद्युत की वृहत् मात्रा तथा पारेषण टैरिफों से संबंधित सिफारिशों का कार्यान्वयन करने और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबद्ध विभिन्न ऐजेंसियों के साथ आवधिक परामर्श हेतु भी एक मंच उपलब्ध कराने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस राष्ट्रीय कार्य दल के प्रमुख के.वि.प्रा. के अध्यक्ष हैं तथा इसमें अन्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के अध्यक्ष भी शामिल हैं।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(1) भावी स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित सभी ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में उपलब्धता पर आधारित विद्युत उत्पादन टैरिफ अपनाया जाएगा।

(2) किसी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन संयंत्रों के प्रचालन श्रेष्ठता क्रम का निर्धारण करते समय पारेषण हानियों तथा अन्य ग्रिड संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। "श्रेष्ठता क्रम" प्रणाली के प्रचालन जिसे क्षेत्रीय आधार पर लागू किया जाना है, की जिम्मेदारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तत्वाधान में क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों को सौंप दी जाएगी।

(3) केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में निर्धारित प्रभारों को "हिस्सेदारी" के आधार पर विभाजित कर दिया जाएगा।

(ङ) और (च). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए संयंत्र उपलब्धता अनुपात का निर्धारण करने के लिए पैरामीटरों को प्रतिपादित करेगा तथा उनकी प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् इसकी समीक्षा की जाएगी। के.वि.प्रा. द्वारा यथा निर्धारित संयंत्र उपलब्धता अनुपात पर आधारित नई टैरिफ प्रणाली को अपनाए जाने की तिथियां भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*191. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1996 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "रूरल इलैक्ट्रिसिटी रूल्स नीड चेंज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है; और

(घ) देश में सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां। यह समाचार मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण की विद्यमान परिभाषा की समीक्षा किए जाने तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी) द्वारा अपने कर्जदारों जैसे रा.बि.बो. से वसूली जा रही ब्याज की दरों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करता है।

(ख) सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की विद्यमान परिभाषा की समीक्षा किए जाने संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के विचार भी मांगे गए हैं।

जहां तक एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में आर.ई.सी. द्वारा वसूली जा रही ब्याज की दरों का संबंध है, वह सरकार से ऋण प्राप्त करने के अलावा पूंजी बाजार से भी निधियां कर्ज के रूप में एकत्र करती है। स्कीमों की व्यवहार्यता तथा अन्य संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए आर.ई.सी. ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें वसूलता है। वह सरकार से प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ऋण की ब्याज दरों से केवल 0.5 प्रतिशत अधिक नाममात्र ब्याज पर प्रचालन करता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में 80,021 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् कार्यक्रम हैं। निधियों की उपलब्धता तथा अन्य निवेशों को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा इस कार्यक्रम के लिए वार्षिक आधार पर वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।

[हिन्दी]

सिंचाई हेतु गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत

*192. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निकट भविष्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों को सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, लघु पनबिजली, बायोमास तथा सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है। मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 1000 मेवा. से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना की जा चुकी है।

सरकार अपारंपरिक ऊर्जा की प्रोन्नति के के लिए मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, जैसे—एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी), ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम, बायोगैस संयंत्र की संस्थापना, उन्नत चूल्हे, बायोमास गैसीकरण तथा ब्रिकेटिंग संयंत्र, सौर तापीय जल उष्मण (घरेलू तथा औद्योगिक दोनों), सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी, लालटेन, सिंचाई के लिए जल पम्प तथा ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा द्वारा ग्रिड युक्त विद्युत, लघु जल विद्युत, खोई-आधारित सह-उत्पादन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा और नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत शक्ति। इस उद्देश्य से उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहन में परियोजना संस्थापना के पहले वर्ष में 100 प्रतिशत अवमूल्यन, अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त अवयव तथा उपस्कर, आयातित सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क और विक्रय कर माफी तथा रियायती सीमाशुल्क शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से ब्याज आर्थिक राज सहायता तथा पूंजी आर्थिक राज सहायता तथा पूंजी आर्थिक राज सहायता तथा मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण/सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए इन वित्तीय एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप देश में अपारंपरिक परियोजनाओं में प्रयुक्त उपकरणों के उत्पादन के लिए एक वृहत निर्माण आधार बना है। देश भर में वितरण तथा रखरखाव तंत्र को लगाने बिक्री के लिए शोरूम खोलने में भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा संबंधित प्रणालियों, साधनों, उपकरणों के कार्य सुधारने तथा इनका मूल्य कम करने तथा नए प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। इन उपायों का उद्देश्य अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त विभिन्न उपस्करों का सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाएं जारी हैं। 942 करोड़ रुपये का एक योजना परिव्यय (जिसमें एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 85 करोड़ रुपये शामिल हैं जिन्हें योजना आयोग से इस मंत्रालय को अप्रैल, 1994 में स्थानांतरित किया गया था) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के लिए अनुमोदित हुआ था तथा जिसमें से योजना के पहले चार वर्षों में (31.3.96) तक 792 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है और वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए 334 करोड़ रुपये का एक योजना परिव्यय का अनुमोदन हुआ है।

[अनुवाद]

विस्थापित कश्मीरी पंडित

*193. **श्री मंगत राम शर्मा :**

डा. मुरली मनोहर जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक कश्मीरी विस्थापित को अभी तक अनुग्रह राशि तथा ऋण के रूप में अलग-अलग कितनी राशि दी गई है;

(ख) जम्मू और कश्मीर स्थित शिविरों में और अन्य राज्य से बाहर विस्थापित हुए कितने कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं और आतंकवाद एवं अशांति के कारण कश्मीर से लगभग कुल कितने परिवार विस्थापित हो गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरियों को अपने घरों को सुविधापूर्वक वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) लगभग कितने परिवार अब तक घाटी वापस लौट गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उन जरूरतमंद प्रवासियों, जो उनके राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रहते हैं, को अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन में लागू विभिन्न दरों पर नगद राहत प्रदान करते हैं। कैंपों में रहने वाले प्रवासियों को भी राशन के साथ आवास, सफाई तथा स्वास्थ्य की देखभाल जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन वहां रहने वाले प्रवासियों को शैक्षणिक तथा चिकित्सा-संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार भी प्रवासियों की घाटी में पीछे छूट गई अचल सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए आंके गए मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से अनुग्रहपूर्वक राहत प्रदान करती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी कुछ प्रवासियों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा राज्य स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किए हैं। राहत के स्वरूप तथा विभिन्न राज्यों आदि में विभिन्न दरें लागू होने के कारण प्रत्येक प्रवासी को अदा की गई राशि की अलग-अलग गणना करना और बताना संभव नहीं है।

(ख) 4700 प्रवासी परिवार जम्मू, दिल्ली और चंडीगढ़ में कैंपों में रह रहे हैं। 48,131 कश्मीरी परिवारों ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में स्वयं को प्रवासियों के रूप में दर्ज करवाया है।

(ग) सरकार ने सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने हेतु संगठित प्रयास किए हैं, जिनके कारण लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक हुए और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो सकी। प्रवासियों को उनके अपने मूल निवास स्थान को वापस लौटाने हेतु उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए अन्य विश्वास-जन्य उपायों के साथ-साथ ये प्रयास अनवरत जारी रखे जा रहे हैं। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार एक विस्तृत कार्य योजना बना रही है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार 13 प्रवासी परिवार (21 व्यक्ति) कश्मीर घाटी में अपने मूल निवास-स्थान को लौट चुके हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

***194. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने 3380 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के निर्माण हेतु कोई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी करने हेतु संयुक्त उद्यमों में निवेश सहित विभिन्न चालू परियोजनाओं के उत्पादन कार्य में तेजी लाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सन् 2001 तक पैट्रोलियम उत्पादों का कुल लक्ष्य कितना है; और

(घ) शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम कब तक हासिल कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) बी पी सी एल ने 1997-98 की मसौदा वार्षिक योजना भेजते समय संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश सहित कई जारी/योजित योजनाओं पर नौवीं योजना अवधि के दौरान 7000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। कारपोरेशन ने पहले अपनी 3380 करोड़ रुपए की लागत वाली, पूंजीगत व्यय की परियोजनाओं का आंशिक रूप से वित्त पोषण इक्विटी शेयरों के एक सार्वजनिक निर्गम से प्राप्त धनराशि से करने का प्रस्ताव किया है। इस निर्गम को आस्थगित कर दिया गया है।

(ख) से (ग). संयुक्त उद्यमों में निवेश सहित बी पी सी एल की विभिन्न जारी/प्रस्तावित परियोजनाएं, उद्योग को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में मदद करेंगी। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2001-02 तक लक्षित पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित उत्पादन 22 मिलियन टन है, जिसमें इसके संयुक्त उद्यमों का उत्पादन भी शामिल है।

(घ) कारपोरेशन द्वारा आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या नीचे दिया गया है :-

परियोजना/योजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपए	आरंभ किए जाने की अनुमानित तारीख
1	2	3
जारी योजनाएं		
1. अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज 1996/97	103.81	12/99
2. नए एल पी जी भरण संयंत्र	60.00	12/98
3. मुंबई-मनमाड़ उत्पाद पाइपलाइन	398.62	04/98

1		2	3
नई योजनाएं			
1.	डीजल हाइड्रो डीसल्फराइजेशन	592.37	03/99
2.	टैंक वेगन गैंट्री सहित वास्को में विपणन टर्मिनल	131.81	12/99
3.	हजीरा में आयात साज संभाल सुविधाएं	60.00	12/99
4.	तटीय स्थापना सहित जे एन पी टी में नई जेटी का निर्माण	139.06	12/99
5.	गेल की पाइपलाइन के आस पास अतिरिक्त एल पी जी टैंकेज	150.00	03/2002
6.	पीपावव/डहेज में एल पी जी आयात सुविधाएं	78.00	03/2000
7.	नौवीं योजना के अंतर्गत नए एल पी जी भरण संयंत्र	758.00	03/2002
8.	उरान में कार्यनीतिक एल पी जी भरण टैंक	125.00	03/2002
9.	मद्रास/एन्नोर और काकीनाडा में एल पी जी की मूलभूत सुविधाओं का विकास	150.00	03/2002
10.	मैसर्स ओमान आयल कंपनी-भारत ओमान रिफाइनरीज लि.(मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश	549.00	03/2000
11.	आई बी पी/ असम सरकार-नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश		04/99
	1. रिफाइनरी	266.39	
	2. विपणन टर्मिनल	23.30	
12.	शैल इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनी लि. भारत शैल लि. के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश	122.50	अभी निश्चित नहीं की गई।
13.	जी जी सी एल-पेट्रोलियम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश (पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की साज संभाल के लिए सुविधाओं का विकास)	100.00	03/97
14.	पेट्रोकेमिकल इकाइयां	2,000.00	अभी निश्चित नहीं की गई
15.	अन्वेषण और उत्पादन	200.00	03/2000

गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाएं

***195. श्री जी. वेंकट स्वामी :**

श्री के डी. सुल्तानपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों से प्राप्त विद्युत क्षेत्र संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की मेगावाट क्षमता कितनी होगी;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव अभी तक लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावित परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). आज तक की स्थितिनुसार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली तथा समझौता ज्ञापन/आशय-पत्र आदि के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश समेत विदेशी निवेश के 57 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से 16 परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। के.वि.प्रा. द्वारा शेष प्रस्तावों को दी जाने वाली स्वीकृति सभी आवश्यक निवेशों/लिंकेजों को सुनिश्चित किए जाने तथा परियोजना प्रस्तावों द्वारा सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने पर निर्भर करती है।

एक भारतीय या एक विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित की जाने वाली एक निजी विद्युत परियोजना के लिए राज्य और केन्द्रीय ऐजेंसियों से

स्वीकृतियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। इस कंपनी को भारतीय वित्तीय संस्थानों/विदेशी ऋणदाताओं आदि से वित्तपोषण भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और कंपनियों द्वारा वित्तीय निर्वहन प्राप्त करने के बाद ही परियोजना स्थापित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रचालन कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। तथापि, के.वि.प्रा. की स्वीकृति प्राप्त विदेशी निवेश वाली 16 परियोजनाओं में से गुजरात में मै. एस्सार पावर लि. द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली हजीरा कंबाइंड साइकल गैस टरबाईन (सीसीजीटी) (515 मे.वा.) तथा आंध्र प्रदेश मै. जी.वी.के. इंडस्ट्रिज लि. द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली जेगुरूपाडु सीसीजीटी (216 मे.वा.) को आंशिक रूप से प्रचालित किया जा चुका है।

विवरण

विदेशी निजी कंपनियों द्वारा प्रकट की गई अभिरूचियों का अनंतिम ब्यौरा .

2.12.96 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	कंपनी का नाम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	गोदावरी जीबीटीपी	208 मे.वा.	स्पैक्ट्रम टेक्नॉलाजी यूएसए/जया फूड्स एंड एनटीपीसी
2.	जेरूपाडु जीबीपीपी	216 मे.वा.	जीवीके इंडस्ट्रीज लि., यूएसए
3.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीएस	500 मे.वा.	बेसीकोर्य इंट पावर, यूएसए
4.	विशाखापट्टनम टीपीसी	2×520 मे.वा.	मै. हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि., यूके
	जोड़ 4	1964.00	
बिहार			
5.	जोजोबेडा	3×67.5 मे.वा.	टाटा स्टील/मिशन एनर्जी, यूएसए
	जोड़ 1	202.50	
दिल्ली			
6.	बवाना जीबीपीपी	800 मे.वा.	रिलायंश इंडस्ट्रीज लि.
7.	नई दिल्ली टीपीएस	300 मे.वा.	मै. जेएमसी डेवलपमेंट, यूएसए/अपोलो हॉस्पिटल्स
	जोड़ 2	1100.00	
गुजरात			
8.	हजीरा सीसीपीपी	1×515 मे.वा.	मै. एस्सार पावर लि. मारीशस
9.	जामनगर	2×250 मे.वा.	रिलायंश पावर लि.
10.	पागुथन जीबीपीपी	615 मे.वा.	गुजरात टोरेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सीमेंस, जर्मन
	जोड़ 3	1670.00	
हिमाचल प्रदेश			
11.	हिमाचल प्रदेश	70 मे.वा.	मै. धामवाड़ी पावर कंपनी, यूएसए
12.	हिब्रा एचईपी	231 मे.वा.	हारजा इंजीनियरिंग कंपनी, यूएसए
	जोड़ 2	301.00	
हरियाणा			
13.	यमुना नगर टीपीएस	2×350 मे.वा.	इसबर्ग ग्रुप ऑफ कंपनी, इस्राइल
	जोड़ 1	700.00	

1	2	3	4
कर्नाटक			
14.	अलमाटी एन. थनमाकल	1107 मे.वा.	मै. चामुंडी पावर कंपनी लि., यूएसए
15.	अंकोला कोमटा (हॉस्पेट)	2×250 मे.वा.	डेक्कन पावर कारपोरेशन लि., यूएसए
16.	बंगलौर	500 मे.वा.	एनआरआई केपिटल कारपोरेशन, यूएसए
17.	बंगलौर सीसीपीपी	100 मे.वा.	मै. पीनया पावर कंपनी लि. यूएसए
18.	धारवाड़ टीपीसी	300 मे.वा.	चालाइस होल्डिंग, यूके
19.	मंगलौर टीपीएस	4×250 मे.वा.	मंगलौर पावर कंपनी लि., (मै. कोर्जेट्रिक्स इंक यूएसए द्वारा प्रवर्तित)
20.	नंजनगुडुआ	110 मे.वा.	इंडिपेंडेंट पावर सर्विस कंपनी, यूएसए
21.	तोरंगल्लू	2×130 मे.वा.	जिंदल/ट्रैकबेल पावर कंपनी लि., बेल्जियम
	जोड़ 8	3877.00	
केरल			
22.	कसारगोड	500 मे.वा.	फिनोलेक्स एनर्जी कारपोरेशन लि., यूके/यूएसए
23.	कसारगोड टीपीसी	2×389 मे.वा.	मै. कसारगोड पावर कारपोरेशन लि.
24.	पालाकाड	344 मे.वा.	पालाकाड पावर जनरेटिंग कंपनी/ एनसर्च इंटेल लि., यूएसए
25.	वाईपीन	650 मे.वा.	सियासिन एनर्जी प्रा.लि., यूएसए
	जोड़ 4	2272.00	
मध्य प्रदेश			
26.	भण्डेर ड्यूएलफ्यूल टीपीएस	330 मे.वा.	एस्सार इन्व.लि., बम्बई (मैसर्स सीआईपीएल), मारीशस
27.	भिलाई टीपीएस	2×250 मे.वा.	सेल, एल एंड टी, जीईए (यूएसए) का संयुक्त उद्यम
28.	बीना टीपीएस	4×250 मे.वा.	मै. बीना पावर सप्लाई कंपनी लि. (मै. ग्रेसिंग इंड लि.) यूके
29.	सूना ड्यूलफ्यूल टीपीएस	3×110+1×110 मे.वा.	मै. एसटीआई इंडौर, यूएसए
30.	ग्वालियर-2 (डीजल) पीपी	8×15 मे.वा.	मै. ग्वालियर पावर कंपनी लि. (वारसिला डीजल, फिनलैंड)
31.	झाबुआ	330 मे.वा.	मै. केडिया डोस्टेलेवर्स लि.
32.	कोरबा पूर्व टीपीएस	2×535 मे.वा.	डेवो कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया
33.	महेश्वर एचईपी	10×40 मे.वा.	मै. श्रीमहेश्वर हाईडल पावर कारपोरेशन लि., यूएसए
34.	नरसिंहपुर	150 मे.वा.	मै. ग्लोबल बोर्ड्स लि., यूएसए
35.	पेंच टीपीएस	2×262.5 मे.वा.	सोरस फंड मैनेजमेंट, यूएसए
	जोड़ 10	4755.00	
महाराष्ट्र			
36.	भद्रावती टीपीएस (चरण-1 और 2)	2×536 मे.वा.	इस्पात अलॉय लि. ईसीजीडी यूके/ईडीएफ, फ्रांस
37.	डाभोल सीसीजीटी (लिग्नाइट)	2015 मे.वा.	एनरॉन डेव. कारपोरेशन, जीई एंड बेकटेल, यूएसए
38.	खापरखेड़ा यूनिट 3 और 4	2×250 मे.वा.	मै. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि.
39.	पातालगंगा जीबीपीपी	410 मे.वा.	रिलायंश इंडस्ट्रीज लि.
	जोड़ 4	3997.00	

1	2	3	4
उड़ीसा			
40	बोमलाई टीपीएस	500 मे.वा.	गेलेक्सी पावर कंपनी, यूएसए तथा शिकागो की इंडेक
41.	दुबरी टीपीएस	2×250 मे.वा.	कलिंगा पावर कारपोरेशन (एनई पावर, यूएसए)
42.	हिरमा टीपीएस चरण-1	6×660 मे.वा.	मै. सीईपीए, हांगकांग
43.	इंब घाटी टीपीएस यूनिट तीन और चार	420 मे.वा.	इंब घाटी कारपोरेशन, यूएसए
44.	लपांगा टीपीएस	500 मे.वा.	सामलाई पावर (लपांगा) कंपनी लि., यूएसए
	जोड़ 5	5880.00	
तमिलनाडु			
45.	बेसिन ब्रिज चरण-2	4×50 मे.वा.	जीएमआर वसावी पावर कार.लि.
46.	कुड्डालौर टीपीएस	2×660 मे.वा.	कुड्डालौर पावर कंपनी लि.
47.	जायमकोडम लिग्नाइट पीपी	1500 मे.वा.	मै. जायमकौडम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन लि., जर्मनी
48.	उत्तरी मद्रास-2	2×525 मे.वा.	वीडीयोकोन पावर लि./एडीसन मिशन एनर्जी, यूएसए
49..	पिलैपेस्मनेल्लूर	330.5 मे.वा.	रेड्डी समूह का डायनाविजन/जे. माकोस्की/पी. विजयकुमार रेड्डी
50.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	250 मे.वा.	एसटी पावर सिस्टम इंक, यूएसए
	जोड़ 6	4650.50	
उत्तर प्रदेश			
51.	अनपारा-सी	1000 मे.वा.	मै. ह्यूनडाई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लि. कोरिया
52.	जवाहरपुर टीपीएस	800 मे.वा.	पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डेव कारपोरेशन, कनाडा
53.	प्रताब पुर	2000 मे.वा.	मै. आईएसएन इंटरनेशनल, यूएसए
54.	रोसा टीपीएस	2×283.5 मे.वा.	इंडो गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया एंड पावर जनरेशन पीएलसी, यूके
	जोड़ 4	4367.00	
पश्चिम बंगाल			
55.	बालागढ़ टीपीएस	2×250 मे.वा.	बालागढ़ पावर कंपनी लि. (सीईएससी/एडीबी/टीएफसी), यूएसए
56.	गौरीपुर टीपीएस	2×75 मे.वा.	गौरीपुर पावर कंपनी लि., कलकत्ता
57.	सागरदीघी टीपीएस	2×500 मे.वा.	डीसीएल कुल्जियम कारपोरेशन, सीएमएस जेनरेशन, यूएसए
	जोड़ 3	1650.00	
	कुल जोड़ 57	37386.00	

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन

*196. **श्री रूप चन्द पाल :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1442 कि.मी. लम्बी कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना, जिस पर 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजना के फरवरी, 1995 में पूरी होने की संभावना थी;

(ग) क्या इस परियोजना के पूरा होने में 21 महीने से भी अधिक का विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्र को इस विलम्ब के कारण प्रति वर्ष घाटा हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च). डिजाइन और इंजीनियरिंग, परियोजना की सामग्रियों की प्राप्ति (मुख्य लाइन की पाइपों की आपूर्ति को छोड़कर), मुख्य लाइन और साथ में स्टेशनों का निर्माण, दूरसंचार, दूरपर्यवेक्षण और इंस्ट्रूमेंटेशन का कार्य संयुक्त आधार पर एक ऐसे परिसंघ को सौंपा गया था, जिसमें मैसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट कंपनी लि., चेक गणतंत्र (परिसंघ प्रमुख), मैसर्स स्ट्रोजेक्सपोर्ट कंपनी लि., चेक गणतंत्र (सदस्य) और मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लि., भारत (सदस्य) शामिल थे। 18 महीनों के पूर्णता कार्यक्रम सहित कार्य अगस्त, 1993 में प्रदान किया गया था और तदनुसार यह कार्य 28.2.95 तक पूरा किया जाना था। तथापि, यह पाइपलाइन दिसम्बर, 1995 से जून, 1996 के बीच चरणों में प्रचालरत रही है और पर्यवेक्षणीय नियंत्रण तथा आंकड़ा अर्जन (स्काडा) व स्थायी केथोडिक रक्षण आदि जैसे कुछ मुख्य शेष कार्यों को छोड़कर कांडला से भटिंडा तक पूरी पाइपलाइन प्रचालनरत है और इस संबंध में कार्य जारी है।

परियोजना के पूरा होने में विलंब डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, पाइपलाइन के निर्माण, स्टेशनों के निर्माण, 10 स्थायी नहर क्रासिंगों पर क्षैतिज दिशात्मक वेधन के निष्पादन और दूरसंचार, दूरपर्यवेक्षण व इंस्ट्रूमेंटेशन कार्यों आदि में देरी होने के कारण हुआ है।

के बी पी एल के गैर-प्रचालन की अवधि के दौरान के बी पी एल के सस्ते माध्यम की अपेक्षा रेल/सड़क द्वारा उत्पाद भेजने के कारण प्रेषण लागत अधिक रही।

एम.पी.एल.ए.डी.एस.

*197. **श्री सनत मेहता :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "एम.पी.एल.ए.डी.एस." के अधीन एक करोड़ रुपये के वार्षिक अनुदान में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को "एम.पी.एल.ए.डी.एस." के दिशानिर्देश में परिवर्तन करने हेतु संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने एम.पी.एल.ए.डी.एस. से प्राप्त ब्याज के व्यय हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त अधिकतर अभ्यावेदन निम्नलिखित के संबंध में हैं :-

(1) योजना के अंतर्गत, प्रति संसद सदस्य वार्षिक आबंटन में वृद्धि करना।

(2) योजना के अन्तर्गत प्रति कार्य के लिए 10 लाख रुपये की निर्धारित अधिकतम लागत संबंधी नियम में ढील देना।

(3) योजना के अन्तर्गत माल सूची में दी गई वस्तुओं की खरीद को भी सम्मिलित करना।

(4) राज्य सभा के सदस्यों को एक वर्ष में एक से अधिक जिला चुनने की अनुमति; और

(5) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि का साझा उपयोग करने की अनुमति।

(ङ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि पर प्राप्त ब्याज के प्रयोग के तरीकों के बारे में दिशानिर्देश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बरौनी तेल शोधक कारखाना

*198. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के बरौनी में स्थापित तेल शोधक कारखाने का विस्तार नहीं किया गया है जबकि उसके बाद स्थापित किये गए अन्य तेल शोधक कारखानों का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार किये जाने का पिछले 11 महीनों से मंत्रालय के पास लंबित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तेल शोधक कारखाने का विस्तार किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग). बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता जो 1964 में 1 मि. मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी उसे विभिन्न चरणों में 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। रिफाइनरी की संसाधन इकाइयां विविध आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कारण 4.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष संसाधन करने में सक्षम हैं। इस रिफाइनरी के 6.00 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक क्षमता विस्तार के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन का प्रस्ताव प्रथम चरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के अधीन है।

[अनुवाद]

एच पी सी एल

*199. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन का आगामी वर्षों में एक ओर तो खनन तथा उत्पादन के क्षेत्र में और दूसरी ओर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 10500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरम्भ हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने विभिन्न चालू/नई परियोजनाओं पर 1997-88 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान 11500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजनाएं बनाई हैं। इसमें से 260 करोड़ रुपये की धनराशि अन्वेषण और उत्पादन परियोजना पर तथा 160 करोड़ रुपये विद्युत परियोजना पर निवेश करने का प्रस्ताव है।

एच पी सी एल ने हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए चुनी हुई वित्तीय संस्थाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। कंपनी में लगभग 3000 करोड़ रुपये निवेश होने की आशा है जो कि एक चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा तथा इस निवेश में एच पी सी एल का इक्विटी अंशदान लगभग 260 करोड़ रुपये होगा। इसी प्रकार एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से लगभग 1850 करोड़ रुपये की लागत से विशाखापत्तनम में पेट्रो-फ्यूल आधारित एक 500 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाने का एच पी सी एल का एक प्रस्ताव है जिसमें एच पी सी एल का इक्विटी अंशदान लगभग 160 करोड़ रुपये होगा।

उपर्युक्त परियोजना प्रस्ताव विकास चरण में हैं और इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के लिए तारीखें अभी तक नियत नहीं की गई हैं।

पेट्रोलियम उत्पाद

*200. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पाईप लाइनों के माध्यम से कितने प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई की जा रही है;

(ख) तेल को कम खर्चीला बनाये जाने हेतु पाईप लाइनों के माध्यम से इसकी ढुलाई में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में क्या समस्यायें सामने आ रही हैं; और

(घ) पाईप लाइन बिछाने हेतु मार्ग का चयन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्तमान में पाइपलाइनों के द्वारा ले जाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का प्रतिशत देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत का 20.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). सरकार ने नई पाइपलाइन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक धारक कंपनी और सहायक संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किए जाने के लिए अनुमोदन दे दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन और उनका विसपोषण अंतिम रूप दिए जाने के चरण पर हैं।

(घ) कार्यान्वयनाधीन पाइपलाइन परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) मुम्बई-मनमाड

(2) विसाख-राजामुंदरी-विजयवाड़ा

प्रस्तावित पाइपलाइन नेटवर्क निम्नवत् हैं :-

1. कोयाली-रतलाम
2. कोचीन-कोयम्बटूर-त्रिची
3. मंगलोर-बंगलौर
4. लोनी-शोलापुर-हजारवाड़ी
5. कानपुर-लखनऊ
6. बीना-झांसी-कानपुर
7. जालंधर-पठानकोट-उधमपुर
8. दिल्ली-गाजियाबाद-रूड़की
9. बासको-लुंडा-बेलगांम-मिराज
10. रतलाम-कोटा

"इसरो" द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का विकास

1716. **श्री बादल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इसरो" द्वारा क्रायोजेनिक इंजन के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गई; और

(ख) "इसरो" द्वारा उक्त इंजन के विकास पर पहले ही कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजिन के विकास हेतु कुल 352.19 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की गई है, जिसका

ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1)	भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) परियोजना के अंतगर्त परियोजना-पूर्व निधि	16.30 करोड़ रुपये
(2)	क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना (सी.यू.एस.पी.)	: 335.89 करोड़ रुपये
	जोड़	: 352.19 करोड़ रुपये

(ख) इसरो द्वारा उक्त इंजिन के विकास पर 136.44 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु वैध लाइसेंसों को रद्द किया जाना

1717. **श्री राम नाईक** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु विदेशी कंपनियों को प्राप्त वैध लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इससे विदेशी निवेशकों को गलत संकेत मिलेंगे;

(ग) यदि हां, तो विधि मंत्रालय ने इस संबंध में क्या तर्क दिए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ). सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी एक पुनरीक्षण समिति गठित की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग द्वारा मत्स्यन के लिए जारी किए गए सभी परमिटों को यथा आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत तत्काल रद्द कर दिया जाए। इस सिफारिश के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981, उसके तहत बनाए गए नियमों और/या ऐसे आशय पत्रों/परमिटों की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐसे परमिटों/अनुमतियों को रद्द करने के लिए कार्रवाई प्रत्येक मामले में विधि मंत्रालय के परामर्श से की जाए।

[हिन्दी]

सेवा मामलों से संबंधित मुकदमे

1718. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सेवा मामलों में मुकदमे की संख्या में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या मुकदमें में बार-बार तारीखें पड़ने और अधिक समय लगने के कारण केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अन्तर्गत मुकदमों को निपटाने में काफी समय लगता है;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये मामले शीघ्र निपटाए जाएं और इन मामलों पर छः महीने के अन्दर निर्णय लिया जाए;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रशासनिक सेवा न्यायाधिकरणों के सदस्य कम समय में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप दो सदस्यों की पीठ के लिए कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन न्यायाधिकरणों में न्यायिक सेवा के विधि विशेषज्ञों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित नीतियों, नियमों तथा आदेशों आदि का सख्ती से तथा ठीक प्रकार से अनुपालन करने की हिदायत दी गई है ताकि मुकदमेबाजी कम से कम हो जाए। उन्हें उपने स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करने, दोष दूर करने के उद्देश्य से शिकायत प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने, नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा स्टाफ संबंधी सभी मामलों के निपटान के लिए समय मानक निर्धारित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मुकाबले अन्य न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान में लिए जा रहे समय की तुलना के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन हाथ में नहीं लिया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन आदेश उसकी अपनी न्यायिक हैसियत से दिए जाते हैं। सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को न्यायाधिकरण में अपने मामलों का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार न्यायाधिकरण में उपाध्यक्ष तथा सदस्य के स्तर की रिक्तियों को यथासंभव शीघ्रता से भरने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च). न्यायाधिकरण के न्यायालय में एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र से तथा दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र से होता है। सेवारत/सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारी न्यायाधिकरण में उपाध्यक्ष तथा न्यायिक सदस्य के पदों पर पहले ही नियुक्त किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दक्षिणी असम में तेल और गैस की खोज

1719. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी असम में तेल की खोज का कार्य धीमी गति से चल रहा है क्योंकि वहां के कुल 10 कुओं में से केवल 2 कुएं ही चालू हैं; और

(ख) वहां और तेल की खोज हेतु क्या कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). धनसीरी घाटी के दक्षिण और कछार क्षेत्र को लेकर दक्षिणी असम बनता है। दक्षिणी असम में अन्वेषण क्रियाकलाप करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा वर्तमान में 5 भूकंपीय कर्मीदल तथा 4 वेधन रिगें लगाई गई हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने दक्षिणी असम में अन्वेषण के लिए तीन ब्लाक निजी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी दिए हैं।

अवैध ढांचा

1720. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री अवैध ढ़ाचों के बारे में 4 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये स्थगन आदेशों बावत मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अवैध निर्माण गिराने के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के मामलों की सूची

क्र.सं.	स्यूट सं.		मामले का शीर्ष	परिसंपत्ति संख्या
1	2		3	4
			दिल्ली नगर निगम	
नरेला जोन				
1.	सिविल रिट याचिका सं.	2504/93	श्री प्रेम चन्द गर्ग बनाम दिल्ली नगर निगम	19/20, राजस्व संपदा, सिंधु बार्डर, नरेला
2.	सि.रि.या.सं.	4464/92 8076/92	रामा बिहार, कल्याण आवास समिति बनाम दिल्ली नगर निगम	गांव मोहम्मदपुर मांजरा, दिल्ली में रामा बिहार कोलोनी को अनधिकृत रूप से बसाना
3.	सि.रि.या.सं.	154/95 298/95	-वही-	-वही-
सिविल लाइन जोन				
4.	सि.रि.या.सं.	1326/94	कुसुम दीप शोपकीपर्स एसोसिएशन बनाम दिल्ली नगर निगम	कुसुम दीप वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर
5.	सि.रि.या.	476/95	इनवीटेशन वैंक्वट हाल बनाम दिल्ली नगर निगम	बी-52, जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र, माडल टाउन
6.	सि.रि.या.	1574/94	रवि ब्रदर्स बनाम दिल्ली नगर निगम	1590-मदरसा रोड, कश्मीरी गेट

1	2		3	4
7.	सि.रि.या.	1586/95	डायरस्टोन बनाम दिल्ली नगर निगम	10-अलीपुर रोड, सिविल लाइंस
सिटी जोन				
8.	सि.रि.या.	1319/96	विजय कुमार जैन बनाम मीमो देवी और अन्य (दि.न.नि.)	2393-2403, छत्ता शाह जी, चावड़ी बाजार
9.	सि.रि.या.	2666/95	शान्ति देवी बनाम सुमन जैन और अन्य (दि.न.नि.)	1568-1568-ए, भागीरथ प्लेस, चांदनी चौक
सेंट्रल जोन				
10.	सिविल रिट याचिका	21/93	मैसर्स मीत का बार-बी क्यू दि.न.नि. और अन्य	ए-50, डिफेंस कालोनी
11.	सिविल रिट याचिका	620/93	श्री राजन मेहता बनाम दिल्ली नगर निगम	एन-1, साउथ एक्स, पार्ट-1
12.	सिविल रिट याचिका	4213/92	मैसर्स राजुल डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाम दिल्ली नगर निगम	एन-9, -वही-
13.	सिविल रिट याचिका	714/93	श्री गौतम महाजन बनाम दिल्ली नगर निगम	47/1, फ्रेंड्स कालोनी
14.	सिविल रिट याचिका	164/94	श्रीमती सीता रानी शर्मा बनाम दिल्ली नगर निगम	सी-471, डिफेंस कालोनी
15.	सिविल रिट याचिका	1068/94	डा. टीआरएस गोयल बनाम दिल्ली नगर निगम	डी-104, डिफेंस कालोनी
16.	सिविल रिट याचिका	2055/94	श्री सुखदेव मिदना बनाम भीमसेन राजपाल	ई-20, लाजपत नगर-II
17.	सिविल रिट याचिका	935/95	मैसर्स मोदी रबर लि. बनाम डीडीए व अन्य (दि.न.नि.)	प्लाट सं. 4,5,6 व 7 एलएसी, न्यू फ्रेंड्स कालोनी
18.	सिविल रिट याचिका	4200/95	श्रीमती सुदर्शन भाटिया बनाम दिल्ली नगर निगम	2/139-एडी/एस विक्रम विहार, लाजपत नगर-IV
शाहदरा (नार्थ) जोन				
19.	सिविल रिट याचिका आई.ए.	620/95 2340/95	श्रीमती कलावती बनाम दिल्ली नगर निगम	1/11701, पंचशील गार्डन, शाहदरा
एस.पी. जोन				
20.	सिविल रिट याचिका	321/93	मानव रतन बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य (दि.न.नि.)	2670, बस्ती पंजाबियन
21.	सिविल रिट याचिका आई.ए.	1060/95 3770/95	श्रीमती कांता नागपाल बनाम कृष्णा देवी व अन्य (दि.न.नि.)	3961-65, फाटक नामक
22.	सिविल रिट याचिका सिविल रिट याचिका	2039/94 3364/94	श्री रूपचंद बनाम दिल्ली नगर निगम	10071, डोरी वालान

1	2		3	4
पश्चिमी जोन				
23.	सिविल रिट याचिका	1852/96 7112/96	राजकुमार पाहवा और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य	एच-3, राजौरी गार्डन
करौल बाग जोन				
24.	सिविल रिट याचिका	1408/95	लीलाजेसन लीजिंग कं. बनाम दि.न.नि.	4/27,डब्लयू ई ए. करौल बाग
न्यू दिल्ली नगर परिषद्				
1.	सिविल रिट याचिका	3980/95	गया प्रसाद और अन्य बनाम नई दिल्ली नगर परिषद	झुग्गी-झोपड़ी सग्रह धोबीघाट सं. 15 साउथ एवेन्यू, न्यू दिल्ली

आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश

1721. **श्री नारायण अठावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका-भारत व्यापार परिषद् शिष्टमण्डल ने आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश को संभव बनाने के लिए कानून में परिवर्तन करने पर विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आवास क्षेत्र में निवेश हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवास क्षेत्र संबंधी निवेश में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). अमरीका-भारत व्यापार परिषद् शिष्टमंडल ने सरकार से, अन्य के साथ-साथ आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश पर विचार करने का अनुरोध किया है। शिष्टमंडल को बता दिया गया है कि आवास क्षेत्र में, अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा उनके प्रभुत्व वाले विदेशी कारपोरेट निकायों द्वारा निवेश को छोड़कर, विदेशी निवेश फिलहाल बन्द है।

(ग) और (घ). फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

रसोई गैस एजेंसियों को आबंटन

1722. **श्री संदीपान थोरात :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान तेल चयन बोर्ड द्वारा गैस/पेट्रोलियम/मिट्टी तेल के डीलरशिप के आबंटन में की गयी अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहा चयन को अवैध घोषित किया गया है और किन-किन स्थानों के लिए डीलरशिप रद्द कर दिया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में वर्षों से तदर्थ/अस्थायी आधार पर कितने डीलरशिप चल रहे हैं और नियमित चयन द्वारा इन डीलरशिप के आबंटन हेतु क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या पश्चिमी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय तेल चयन बोर्ड पुनर्गठन में विलंब से विपणन योजना प्रभावित हुई है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमवार विभिन्न तेल उद्यमों के डीलरशिप नेटवर्क में वृद्धि हेतु विपणन योजना का जिलेवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव के तेल चयन बोर्ड सहित तेल चयन बोर्डों के द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। तदनुसार सरकार ने सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके तेल चयन बोर्डों द्वारा किए गए चयनों को रद्द करने के लिए अक्तूबर, 1996 में तेल कंपनियों को अनुदेश जारी किए।

(घ) महाराष्ट्र में तदर्थ आधार पर नौ (9) खुदरा बिक्री डीलरशिप और 21 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालन कर रही थीं। तेल कंपनियां, केवल उन मामलों के अलावा जो न्यायाधीन आदि होते हैं, ऐसी तदर्थ डीलरशिपों/डिस्ट्रब्यूटरशिपों के स्थान पर नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति करने की कार्रवाई करती हैं।

(ङ) और (घ). वर्तमान चयन प्रक्रिया सरकार के पुनर्विचार के अधीन है। महाराष्ट्र के संबंध में, प्रारूप विपणन योजना 1996-97 में प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का

तेल कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

तेल कंपनी	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
आई ओ सी	19	16
एच पी सी	4	9
बी पी सी	5	8
आई बी पी	2	0

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डार को सीधी आपूर्ति

1723. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भण्डार को आपूर्ति की गई मदों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा केन्द्रीय भण्डार के शाखा भण्डारों को सीधी आपूर्ति को समाप्त करने के संबंध में सुझाव अथवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा शाखा भण्डारों को मदों की सीधी आपूर्ति में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ङ). हालाकि आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा केन्द्रीय भण्डार के शाखा भण्डारों को सीधे आपूर्ति करने की प्रणाली समाप्त करने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं, इस संबंध में अनियमितताएं बरते जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अनुमोदित उत्पादकों/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा भण्डारों को कुछेक छोटी-मोटी मदों की सीधे आपूर्ति किए जाने की प्रचलित प्रणाली संतोषजनक पायी गयी है तथा उसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पवन और तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन

1724. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं निजी कम्पनियों ने केरल अथवा अन्य तटीय राज्यों में पवन और तरंगों से ऊर्जा के उत्पादन की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के, राज्य सरकार के अथवा निजी उपक्रम इस समय पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से पवन और तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन क्षमता, धनराशि आबंटन इत्यादि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसी देश ने इस संबंध में विशेषज्ञ अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की पेशकश की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). केरल में 2 मेवा. क्षमता सहित आठ राज्यों में कुल 818 मेवा. क्षमता की स्थापना की गई है। इसमें केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त धन वाली लगभग 50 मेवा. प्रदर्शन परियोजनाएं तथा निजी निवेशों के माध्यम से लगभग 768 मेवा. व्यावसायिक परियोजनाएं समाविष्ट हैं। व्यावसायिक परियोजनाओं का प्रस्ताव सीधे ही संबंधित राज्यों को किया जाता है। व्यावसायिक पवन विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक पवन ऊर्जा एस्टेट की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश में एक संयुक्त क्षेत्र कम्पनी स्थापित की गई है।

205 किवा. समग्र क्षमता के दो प्रयोगात्मक विद्युत संयंत्रों का निर्माण केरल में विझिंजम, तिरूवनंतपरम में किया गया है। एक स्वीडिश फर्म द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के तट पर एक व्यवसायिक । मेवा. तंरग विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) डेनमार्क सरकार द्वारा भारत में पवन विद्युत विकास को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

1725. **श्री उधब बर्मन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं अथवा शुरू की जाएंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित समस्त देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोगैस कार्यक्रम, बायोमास गैसीफिकेशन कार्यक्रम, सौर ऊर्जा कार्यक्रम, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, लघु जल परियोजनाएं और पवन ऊर्जा कार्यक्रम जैसे विस्तृत श्रेणी के अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/ योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। गत 5 वर्षों के दौरान उन राजयों में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लगाई गई राज्यवार अपारंपरिक ऊर्जा प्रणलियां और उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये सभी योजनाएं चालू वर्ष के दौरान भी जारी रहेंगी।

विवरण

पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत गत 5 वर्षों के दौरान कार्यक्रम/योजनावार उपलब्धियां

क्र.सं.	पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों से संबंधित	पारिवारिक बायोगैस संयंत्र (सं.)	सामुदायिक/ संस्थागत बायोगैस संयंत्र (सं)	उन्नत चूल्हा (सं.)	एसपीवी जल पंप (सं.)	बायोमास गेसीफायर (क्षमता किवा. में)	जल पंपिंग पवन मिल	स्टैंडलोन प्रणाली	सौर कुकर	सौर तापीय (वर्गमी.) संग्राहक क्षेत्र	लघु जल विद्युत सं. (मेवा.)	सौर प्रकाश वोल्टीय रोशनी प्रणालियां (सं.)	एसपीडी विद्युत* संयंत्र (किवा.)
1.	आंध्र प्रदेश	194	–	24829	28	3 (120)	–	–	355	98	7 (16)	1957	5.2
2.	असम	7699	–	168152	52	5 (23)	3	6	80	150	3 (1.45)	844	–
3.	बिहार	28718	3	366953	1	2 (20)	30	–	730	1006	2 (1.00)	5906	–
4.	मणिपुर	693	–	30440	–	–	–	–	72	440	2 (0.20)	560	–
5.	मेघालय	210	–	2000	2	–	–	–	332	152	6 (9.90)	1420	27.7
6.	मिजोरम	498	–	15500	–	–	–	–	48	33	2 (3.10)	2442	–
7.	नागालैंड	298	–	3648	–	–	–	–	–	–	6 (8.62)	–	–
8.	त्रिपुरा	58652	21	767415	–	–	–	–	1645	501	1 (3.00)	2385	4
9.	सिक्किम	1067	–	22576	–	–	–	–	–	170	1 (0.10)	122	–
10.	त्रिपुरा	424	–	10957	–	–	–	–	–	107	3 (5.50)	539	–
11.	पश्चिम बंगाल	50925	14	25939	17	5 (55)	–	–	3175	9334	–	2901	39

* सौर प्रकाशवोल्टीय

ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार

1726. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों की पारेषण प्रणाली में डिजाइन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम लि. तथा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). उच्च वोल्टता पारेषण प्रणाली से संबंधित आर एंड डी प्रयासों के संबंध में दीर्घकालीन आपसी सहयोग किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 29 जून, 1996 को बंगलौर में पावर ग्रिड (जिसका नाम पहले नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड था) और केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित दो आर एंड डी परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया था और सीपीआरआई के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।

1. पारेषण लाइनों तथा उपकेन्द्रों में एसी/डीसी क्षेत्रों का मापन।
2. खराब इंसुलेटरों के साथ इंसुलेटर स्ट्रिंग का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।

दोनों परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था तथा नवम्बर, 1996 में सीपीआरआई द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें

1727. **श्री जय प्रकाश** (हरदोई) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में कतिपय मंत्रालयों तथा विभागों ने आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने इस संबंध में सरकार को कतिपय सुझाव दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि कुछ मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में छः महीने से अधिक का विलम्ब हुआ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). आयोग ने, पुलिस सत्यापन रिपोर्टों को देरी से प्राप्ति के कारण नियुक्ति-प्रस्ताव भेजने में विलम्ब होने के संदर्भ में कतिपय सुझाव दिये हैं। सरकार ने आयोग द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को पहले ही मान लिया है। संलग्न विवरण से यह पता चलेगा कि आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति-प्रस्ताव भेजने में विलम्ब के कुल मामले 1992-93 में 2303 से घटकर 1994-95 में 1202 रह गये हैं।

विवरण

समाप्त वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के वे मामले, जिनमें नियुक्ति-प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हुआ।		
	साक्षात्कार द्वारा	परीक्षा द्वारा	कुल
1992-93	1051	1252	2303
1993-94	803	1250	2053
1994-95	455	752	1202

(सूचना : संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों पर आधारित है)।

[अनुवाद]

अंटार्कटिका में भूकम्प वेधशाला

1728. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में मैत्रिरी स्थाई केन्द्र के निकट अटार्कटिका में भूकम्प वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्फ की सतह के नीचे तल शैल की चुंबकीय विशेषता के अध्ययन हेतु किसी भारतीय अभियान दल ने बर्फ पर कोई जैव भौतिकीय सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला नामतः राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय केन्द्र से पहली बार, अटार्कटिका में यथाअभिलिखित भूकम्पीय कार्यकलापों से संबंधित अध्ययन प्रारम्भ किए जाएंगे। 16वें अभियान में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक द्वारा अंटार्कटिक के श्रिमाचार नखलिस्तान प्रदेश में ऐसे स्थान का निर्धारण किया जाएगा जो इस वैधशाला के प्रारम्भ किए जाने हेतु उपयुक्त हो। बाद में, भूकम्पीय वेधशाला के एक भाग के रूप में अंकीय विस्तृत बैंड भूकम्पलेखी को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके निम्नलिखित वैज्ञानिक उद्देश्य होंगे :—

(1) अंटार्कटिका में भूकम्पीय सक्रियता की बारम्बारता और तीव्रता का प्रबोधन एवं अध्ययन।

(2) दक्षिणी महासागरों के हिन्द महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले भूकम्पीय झटकों का अभिलेखन।

(3) विश्वव्यापी भूकम्पीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में यह विचार किया गया है कि इस वेधशाला में तैयार आंकड़ा से अंटार्कटिका की गहन भूवैज्ञानिक संरचना और समग्र भूमि की सकल भूकम्पीय विशेषताओं का चित्रण करने में मदद मिलेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) चुम्बकीय और गुरूत्व मापों का इस्तेमाल करके शेल्फ हिम प्रदेश और श्रिमाचार तथा वोल्थाट पर्वतों के बीच के क्षेत्र का भू भौतिकीय अन्वेषण किया गया। इसमें, श्रिमाचार नखलिस्तान और वोल्थाट पर्वतों के बीच वाले 100 × 100 कि.मी. क्षेत्र में हेलीकाप्टर वाहित चुम्बकीय सर्वेक्षण सम्मिलित हैं। इससे, इस क्षेत्र की समग्र अधो-स्थलाकृतिक विशेषताओं का 2-डी स्पेक्ट्रमी प्रतिबिम्ब प्राप्त हुआ है। आधार (बेसमेंट) गहराई बहुत उथली है जिससे कई भूवैज्ञानिक त्रुटियों का पता चलता है। हिमानी सघनता । कि.मी. से कुछ ही अधिक है तथा भूपर्पटीय परिसीमा 32 से 38 कि.मी. होने का अनुमान है।

सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों का स्थानांतरण

1729. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने की कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो योजना के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय अभी भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). जी, हां। दिल्ली को भीड़मुक्त करने के एक उपाय के रूप में, 24 सार्वजनिक उपक्रमों को हटाये जाने की पहचान की गयी थी। इन 24 उपक्रमों में से 4 को पहले ही दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है। स्थानान्तरण के लिए निर्धारित 24 उपक्रमों को सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित उपक्रमों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण के लिए निर्धारित सार्वजनिक उपक्रमों की सूची

	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	स्थानांतरण वाले कार्यालय का दर्जा
	1	2
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.	मुख्यालय
2.	भारतीय राज्य फार्मस निगम लि.	मुख्यालय
3.	केन्द्रीय भांडागार निगम लि.	क्षेत्रीय कार्यालय और निर्माण प्रकोष्ठ
4.	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा अंचल कार्यालय (उत्तर)
5.	भारतीय अस्पताल सेवाएं परामर्शदायी निगम लि.	मुख्यालय
6.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम	मुख्यालय
7.	एयर लाइन्स एलाइड सर्विसेज लि.	मुख्यालय
8.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.	मुख्यालय
9.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	क्षेत्रीय कार्यालय

1	2
10. नेशनल फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि.	मुख्यालय
11. भारतीय उर्वरक निगम	मुख्यालय
12. हिन्दुस्तान फर्टिलाजर कार्पो. लि.	मुख्यालय
13. पायाराइट्स फास्फेट्स लि.	मुख्यालय
14. पारादीप फासफेट्स लि.	मुख्यालय
15. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि. (कैमिक्ल डिवीजन)	मुख्यालय
16. नेशनल हाइड्रोइलेट्रिक पावर कारपोरेशन	मुख्यालय
17. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब, व राजस्थान) लि.	क्षेत्रीय कार्यालय
18. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	मुख्यालय
19. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	मुख्यालय
20. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	मुख्यालय
21. ग्राम विद्युतीकरण निगम लि.	मुख्यालय
22. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	मुख्यालय
23. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	मुख्यालय
24. भारतीय सीमेंट निगम लि.	मुख्यालय

विवरण-II

दिल्ली से बाहर स्थानातरित सार्वजनिक उपक्रमों की सूची

जल संसाधन मंत्रालय

(क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(क) पायाराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.

(ख) पारादीप फास्फेटस् लि.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(क) इण्डो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि.

तटीय नगरों में जल-मल संबंधी योजनाएं

1730. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गिने-चुने तटीय नगरों से जल-मल उपचार संबंधी सुविधाओं की स्थिति और तत्संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल सरकार ने विश्व पर्यावरण सुविधा से विदेश वित्त व्यवस्था की संभावना का पता लगाने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय/महासागर विकास विभाग के माध्यम से 10 तटीय शहरों में मलजल निकासी की स्कीमों की एक प्रारम्भिक स्तरीय रिपोर्ट भेजी है। विदेशी वित्त सहायता अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

जल-मल उपचार संबंधी परियोजना

1731. **श्री सौम्य रंजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गामा विकिरण प्रणाली द्वारा जल-मल अवसाद के उपचार हेतु कोई परियोजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन स्थानों में उक्त परियोजना आरम्भ की जानी है और संयंत्र की क्षमता कितनी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वर्ष 1993-94 में गामा विकिरण के प्रयोग द्वारा जल-मल-अवसाद के उपचार हेतु भाभा आवणिक केन्द्र के सहयोग से बड़ौदा में एक अध्ययन कराया था। संसाधन सामग्रियों के सीमित होने, उच्च पूंजी और परिचालन लागत के कारण इस प्रौद्योगिकी को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक अनुसंधान

1732. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

श्री दिनशा पटेल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में भारत के योगदान में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत 15 वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में भारत का स्थान 8वें से 15वां हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो वैज्ञानिकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). जी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के योगदान को मापने के विविध मापदण्ड हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी देश के नागरिकों को स्वीकृत पेटेन्टों की संख्या एक ऐसा ही मापदण्ड है - इस हिसाब से भारत की निष्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 1981 में स्वीकृत 9 पेटेन्टों की तुलना में वर्ष 1995 में 38 पेटेन्ट स्वीकृत किए गए जोकि चार गुणा अधिक हैं। पेटेन्टों की निरन्तर बढ़ती संख्या को किसी देश के वैज्ञानिक कार्य का अधिक विश्वसनीय मापदण्ड माना जा रहा है। साइंस साइटेशन इन्डैक्स के अन्तर्गत आने वाले जरनलों में प्रकाशित शोध-पत्रों की गणना के आधार पर नेचर पत्रिका के संपादक के नाम एक पत्र में भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में आ रही कमी का आरोप लगाया गया है। चूंकि इस तुलना के लिए प्रयोग में लाए गए जरनलों, विषयों अत्यादि की संख्या जैसे मानदण्डों की संगतता के बार में इस पत्र में कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः इन दावों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

(घ) सरकार सीएसआईआर, आईसीएआर तथा आईसीएमआर जैसे सरकारी वित्तपोषित संगटनों को उनके अनुसंधानों से प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभों में उनके वैज्ञानिकों की भागीदारी करने हेतु बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन

1733. **श्री ए.जी.एस. राम बाबू** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कब तक रोक लगा दी जाएगी; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मिट्टी के तेल का आबंटन

1734. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा राज्य को प्रति माह मिट्टी के कोटे का कुल कितना आबंटन किया गया; और

(ख) उक्त कोटे का कितना हिस्सा राशन कार्डों पर बेचा गया;

(ग) खुले बाजार में उक्त कोटे का कितना हिस्सा बेचा गया; और

(घ) उचित मूल्य की दुकानों एवं खुले बाजार में मिट्टी तेल की बिक्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान गोवा राज्य के लिए केरोसीन का मासिक कोटा 2306 एम टी है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केरोसीन का थोक आबंटन करती है। राज्य के अंतर्गत इसका खुदरा वितरण राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित केरोसीन खुले बाजार में बिक्री के लिए नहीं होती है।

(घ) राज्य सरकार उचित दर दुकानों के जरिए बिक्री होने वाले तथा उद्योगों को बिक्री किए जाने वाले केरोसीन के संबंध में मूल्य नियत करती है। आज की तारीख से उत्पाद शुल्क के अलावा तेल कंपनियों द्वारा प्रभारित घरेलू एवं औद्योगिक केरोसीन के भंडारण मूल्य निम्नवत् हैं :-

घरेलू करोसीन	-	2001.40 रुपये प्रति कि.ली.
औद्योगिक केरोसीन	-	6518.63 रुपये प्रति कि.ली.

समानांतर विपणन योजना के तहत निजी पक्षकारों को केरोसीन का आयात करने तथा बाजार निर्धारित मूल्यों पर इसका विपणन करने की अनुमति दी गई है।

कच्चे तेल का उत्पादन

1735. **श्री दिनशा पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्चे तेल की उत्पादन लागत हेतु केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कच्चे तेल तथा गैस का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों से इसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1736. **श्री मुख्तार अनीस** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें प्रमुख केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में हुई प्रगति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार मूल अनुमानित लागत की तथा इनके पूरा होने की संभावित तिथि क्या है तथा अद्यतन अनुमानित लागत तथा इनके पूर्ण होने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) इनके समय पर पूरा नहीं हो पाने के कारण परियोजना-वार कितनी राष्ट्रीय हानि हुई; और

(घ) विलम्ब के कारणों का पता लगाने तथा इनको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी हां। सरकार केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति का लगातार प्रबोधन करती रही है। परियोजनावार मूल अनुमानित लागत और निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख तथा अद्यतन अनुमानित लागत और कार्य आरंभ होने की तारीख, जनवरी-मार्च 1996 समाप्त परियोजना कार्यान्वयन संबंधी स्थिति रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब का परिणाम अंततोगत्वा यह हुआ है कि परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों में विलम्ब और इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हानि हुई है। विलम्बित परियोजनाओं से हुई वित्तीय हानि का यथार्थ आकलन करना संभव नहीं होगा।

(घ) इन परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार का सामना करना पड़ा जिसके कारण समय और लागत की वृद्धि हुई। समय और लागत की वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही अलग-अलग परियोजनाओं और अलग-अलग समय में अलग-अलग होती है। क्रियान्वयन की गति को तेज करने के लिए आम तौ पर किए जाने वाले उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। समयवृद्धि और लागत वृद्धि पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप कुछ ही समय पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को क्रियान्वयन में आशा है कि कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

विवरण-I

परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा आभिज्ञापित विभिन्न कारणों को, जो परियोजनाओं से जुड़े हुए अधिकारियों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा और विश्लेषण से पता चले है। संक्षेप में निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है :-

1. भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।
2. वन/पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति मिलने में देरी तथा आधार ढांचा के विकास के लिए अग्रिम कार्रवाई का न होना।
3. परियोजना की अधूरी तैयारी।
4. पर्याप्त धनराशि और धनराशि के स्रोतों (बजटीय आंतरिक संसाधन, अतिरिक्त बजटीय और बाहरी सहायता) के ऊपर रोक के कारण विलम्ब।
5. विस्तृत अभियंत्रण के बारे में निर्णय लेने और रेखाचित्र प्राप्त होने में विलम्ब तथा अग्रभाग के उपलब्ध होने में विलम्ब।
6. कार्यक्षेत्र/विषयक्षेत्र में बार-बार परिवर्तन।
7. निविदा देने तथा आदेश देने में विलम्ब।
8. परामर्शदाता तथा परियोजना संगठन के संबंध में जवाबदेही का निरूपण न किया जाना।
9. औद्योगिकीय संबंध एवं कानून तथा व्यवस्था की समस्या।
10. साधनों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न हो पाना।
11. निर्मित उपकरणों की आपूर्ति की क्रमिकता/पर्याप्त मात्रा का न होना तथा उसमें विलम्ब होना।
12. यंत्रों के सही रूप में काम नहीं करने के कारण आरंभिक कठिनाइयां।
13. बिना परखी हुई टेक्नोलोजी का चुनाव।
14. परियोजना स्थल पर भूस्थलीय कठिनाई।
15. परियोजना संबंधी प्रबंध का ढ़िलाई से काम करना।

केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार लागत में वृद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :-

1. उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि जैसे सांविधिक करों में परिवर्तन।
2. विदेशी मुद्रा विनिमय की दरों में परिवर्तन।
3. पर्यावरण संबंधी सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी उपायों की अधिक लागत।
4. भू-स्वामियों द्वारा क्षतिपूर्ति कीअधिक राशि मांगे जाने के फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण की लागत में बढोत्तरी।
5. परियोजना के कार्यक्षेत्र/विषयक्षेत्र में परिवर्तन।
6. कतिपय अशांत क्षेत्रों में बोली लगाने वाले ठेकेदारों द्वारा अधिक राशि की निविदा प्रस्तुत करना।
7. वास्तविक लागत अनुमान में यथार्थ में कम अनुमान लगाया जाना; और
8. सामान्य मूल्य वृद्धि।

विवरण-II

सरकार द्वारा परियोजनाओं के मूल अनुमान तैयार करने तथा कार्यान्वयन को सुप्रवाही करने के लिए उठाए गए कदम

(1) चरण-2 में कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासियों और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

(2) परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन। इससे कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपचारी अभयुपाय करने में प्रबंधन की सहायता करने में प्रबोधन अभिकरण समर्थ हो जाएंगे।

(3) परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहराई से जटिल समीक्षा।

(4) ठेका पैकेजों को तेजी से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य दलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण संपरणकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अन्त:मंत्रालयीय समन्वय तथा अन्त:सम्पर्क।

(7) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल।

(8) सचिवों की समिति द्वारा कठिनाइयों का सामना कर रही विशिष्ट परियोजनाओं की समीक्षा।

इम्फाल हवाई अड्डे पर ईंधन भरने की सुविधा

1737. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल हवाई अड्डे पर ईंधन भरने की सुविधा है;

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली जाने वाली एयर बस ए 320 उड़ान के मामले में एकदम नजदीकी हवाई अड्डे अर्थात् गुवाहाटी से कितनी मात्रा में अतिरिक्त ईंधन लाया जा सकता है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इम्फाल जाने वाली उड़ानों अथवा इम्फाल से होकर जाने वाली उड़ानों के यात्रियों की संख्या में कमी आती है तथा इससे आई.ए.सी. को घाटा होता है; और

(घ) इन घाटों एवं जन असुविधा को रोकने हेतु इम्फाल हवाई अड्डे पर ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। इम्फाल हवाई अड्डे पर ईंधन भरने की स्थाई सुविधा है, जिसकी व्यवस्था इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाती है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की सड़कों की स्थिति

1738. **श्री रामसागर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सड़कों की स्थिति प्रत्येक बरसात के बाद खराब हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली में सड़क सामान्य रूप से कितने समय चलती है तथा क्या सड़कों की मरम्मत तथा इन्हें बनाने के समय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित देखरेख नहीं की जाती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). जी, नहीं। किन्तु अभूतपूर्व/रुक-रुक कर लगातार वर्षा के कारण और भारी यातायात के कारण कुछ सड़कों पर छोटे-छोटे गड्ढ़ों के रूप में नुकसान होता है। बरसात के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा सड़कों की मरम्मत/सुधार का कार्य किया जाता है।

(घ) पहले से तारकोल-मिश्र द्वारा निर्मित ऊपरी सतह वाली सड़क की मियाद सामान्यत: दो से तीन वर्ष होती है लेकिन सघन तारकोल डालकर बनायी गई सड़क की मियाद यातायात भार के आधार पर 5 वर्ष की होती है। सड़कों की मरम्मत करते समय/ऊपरी सतह बिछाते समय संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सावधानी और निगरानी बरती जाती है।

[हिन्दी]

जल संबंधी कर में वृद्धि

1739. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर जल प्राधिकरण द्वारा जल संबंधी कर की वसूली हेतु एक नया कानून तैयार किए जाने तथा जल संबंधी कर में भारी वृद्धि करना नियमों का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कानून को स्थगित/रद्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

गेहूं की आपूर्ति

1740. **डा. बलिराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट एच-ब्लाक स्थित केन्द्रीय भण्डार के राशन डिपो को पिछले दो महीनों के दौरान गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त डिपो को गेहूं की समुचित आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) गोल मार्किट एच ब्लाक स्थित केन्द्रीय भण्डार, काली बाड़ी से सम्बद्ध उचित दर दुकान (संख्या-2204) में गेहूं का पर्याप्त भण्डार है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कश्मीरी आतंकवादी

1741. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कश्मीरी आतंकवादी जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर की जेलों में बंद पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर की जेलों में स्थानांतरित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य से बाहर की जेलों में जम्मू एवं कश्मीर के 66 कैदी हैं।

(ख) और (ग). जम्मू एवं कश्मीर के प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों को, जम्मू एवं कश्मीर की जेलों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण राज्य से बाहर की जेलों में रखा गया था। जैसे ही स्थान उपलब्ध हो जाता है, इन कैदियों को राज्य को वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है।

रसोई गैस एजेंसियां

1742. **श्री दिलीप संघानी :**

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियों को जिन्हें सांझेदारी आधार पर आबंटन किया गया था, द्विशासित होने की अनुमति दी गई;

(ख) कितने मामलों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किस नीति और नियमों का अनुकरण किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के दौरान दो (2) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को अनुकंपा के आधर पर दो भागों में विभाजित करने के लिए अनुमति दी गई है।

(ख) दो।

(ग) सामान्यतया विभाजन की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, किसी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के दो भागों में विभाजन के संबंध में अनुमति उपयुक्त मामलों में अनुकंपा के आधार पर अथवा किन्हीं अन्य असाधारण परिस्थितियों के होते दी जाती है।

रसोई गैस कनेक्शन

1743. **श्री वी. धनन्जय कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़ और कोडागु जिलों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित करने और उपभोक्ताओं को घरेलू उद्देश्यों के लिए मांग पर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इन जिलों में कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं और विद्यमान रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ग) कितने उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में हैं और कब से हैं; और

(घ) सभी प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को रसोई गैस के कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं। दिनांक 1.1.96 से 4500 फीट से अधिक ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्रों में तथा दिनांक 1.4.96 से 2000 फीट और 4500 फीट के बीच की ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्रों में मांग पर एल पी जी कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पर्वतीय क्षेत्रों की सूची में दक्षिण कन्नड़ और कोडागू जिलों को पर्वतीय क्षेत्र नहीं माना गया है।

(ख) और (ग). सूचना निम्नवत् है:-

	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या	मौजूदा ग्राहक संख्या	प्रतीक्षा सूची
दक्षिण कन्नड	26	113271	53060
कोडागु	3	24293	4679

(घ) एल पी जी की उपलब्धता, नई ग्राहक नामांकन योजना, प्रतीक्षा सूची, क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड तथा कोडागु जिले सहित सपंर्ण देश में एक चरणबद्ध ढंग से नए एल पी जी कनेक्शन जारी किये जाते हैं। एल पी जी आबंटित उत्पाद नहीं है और इसका पहले से कोई आबंटन नहीं किया जाता है। देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को अगले चार/पांच वर्षों तक एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने की संभावना है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

1744. डा. जी.आर. सरोदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा उत्पादन में लगी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संस्थाओं को प्रदान की गयी राज-सहायता का राज्य-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). गांवों में रोशनी व्यवस्था, जल पंपन और ग्रामीण दूर-संचार जैसे अनुप्रयोगों के लिए विद्युत के उत्पादन और पानी गरम करने, खाना पकाने और शुष्कन जैसे अनुप्रयोगों के लिए ताप का उत्पादन करने हेतु सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए युक्तियों और प्रणालियों के उत्पादन कार्य में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में कई विनिर्माता कार्यरत हैं। इन युक्तियों और प्रणालियों का उपयोग बड़ी संख्या में संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

इस समय समाजोन्मुखी योजना के अन्तर्गत उपयोगकर्त्ताओं को घरेलू और सामुदायिक रोशनी और ग्राम स्तर के लघु विद्युत संयंत्रों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की बाहरी कार्य लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक राजसहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सौर लालटेनों के लिए आर्थिक राजसहायता 1500/- रुपये प्रति लालटेन है। इन सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान वितरित की गई आर्थिक राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई ये आर्थिक राजसहायता राज्य अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसियों के माध्यम से दी गई। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों और संस्थाओं को सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों/प्रणालियों की खरीद के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की एक वित्तीय संस्था भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर और अन्य को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपों की आपूर्ति भी की जा रही है जिसके लिए सौर पंप विनिर्माताओं के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं को 125/-रुपये प्रति पीक वाट प्रकाशवोल्टीय क्षमता की दर से आर्थिक राजसहायता उपलब्ध है जो अधिकतम 1,50,000/- रुपये प्रति पंप के अध्यधीन है। उपरोक्त आर्थिक राज सहायता के अलावा उपयोगकर्त्ताओं को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1,00,000/- तक का उदार ऋण भी उपलब्ध है।

सौर जल तापन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए ब्याज आर्थिक राजसहायता योजना के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और कैनरा बैंक के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं को उदार ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इरेडा अपने वित्तीय बिचौलियों के माध्यम से औद्योगिक और संस्थागत प्रणालियों के लिए (उद्योगों को 8.3 प्रतिशत की ब्याज दरों पर और लाभ न कमाने वाले संगठनों को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर) और घरेलू प्रणालियों के लिए उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है (उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं को अधिकतम 5 प्रतिशत की दर पर) कैनरा बैंक द्वारा घरेलू उपयोगकर्त्ताओं और लघु प्रतिष्ठानों को 5.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस समय कैनरा बैक योजना बंगलौर, मंगलौर, मैसूर, दिल्ली, मद्रास और पुणे में कार्यशील है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सौर संग्राहकों की संस्थापना के लिए उपरोक्त ब्याज दरों पर 0.5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। इरेडा की ब्याज आर्थिक राज सहायता योजना अन्य सौर तापीय उत्पादों जैसे सौर शुष्ककों, और जल शुद्धीकरण के लिए सौर भभकों (सोलर स्टिल्स), पर भी लागू है।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई आर्थिक राजसहायता।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(रु. लाख में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	13.50
2.	असम	3.75
3.	बिहार	74.47
4.	गुजरात	32.50
5.	हरियाणा	60.08
6.	हिमाचल प्रदेश	147.20
7.	जम्मू और कश्मीर	173.26
8.	केरल	170.51
9.	मणिपुर	5.00
10.	मेघालय	10.25
11.	उड़ीसा	26.30
12.	त्रिपुरा	63.51
13.	उत्तर प्रदेश	569.32
14.	पश्चिम बंगाल	108.58
15.	दिल्ली	32.73

[अनुवाद]

एल पी जी कनेक्शन

1745. श्री के.पी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल निगमों द्वारा कर्नाटक में कुल कितने एल पी जी कनेक्शन दिए गए;

(ख) कर्नाटक में घरेलू और वाणिज्यिक एल पी जी सिलेन्डरों की मासिक खपत कितनी है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो माह से कर्नाटक में एल पी जी सिलेन्डरों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कर्नाटक में एल पी जी सिलेन्डरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या कर्नाटक में एल पी जी सिलेन्डरों की कमी कर्नाटक के कोटे को तमिलनाडु को दिए जाने के कारण हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) कर्नाटक में दिनांक 1.10.96 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नामांकित एल पी जी उपभोक्ताओं की कुल संख्या 13.69 लाख है।

(ख) कर्नाटक राज्य में घरेलू एल पी जी सिलेंडरों की मासिक मांग 14818.6 मी.ट. हैं। वाणिज्यिक खपत, जो पैक्ड तथा बल्क दोनों में सप्लाई की जाती है, के लिए एल पी जी मांग का अलग से कोई अनुमान नहीं है।

(ग) से (ङ). सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नामांकित कर्नाटक राज्य सहित देश में एल पी जी के मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग कुल मिलाकर पूरी की जा रही है। कभी-कभार होने वाले अस्थायी बैक लॉग को, छुट्टी के दिनों तथा वर्धित घंटों में भराई संयंत्रों के प्रचालन से और निकटवर्ती क्षेत्रों में भराई संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करते हुए एल पी जी आपूर्ति के संवर्धन के द्वारा पूरा किया जाता है।

महासागर विकास हेतु कार्यक्रम

1746. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महासागर विकास संबंधी उन वर्तमान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नवीं योजना अवधि में शामिल किया जाना है;

(ख) बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है; और

(ग) 'भारतीय नौसेना' तथा 'मरचेंट नेवी' दोनों की स्तर पर हमारे समुद्री अनुसंधान एककों में इस सयम कौन कौन सी परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान महासागर विकास विभाग द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले प्रमुख प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

* लगभग 180.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाल ही में अनुसमर्थित अंटार्कटिका संधि से सम्बन्धित पर्यावरणीय सुरक्षा नयाचार की अपेक्षाओं के अनुसार अंटार्कटिक समुद्री यात्राएं तथा इससे संबद्ध अनुसंधान कार्यकलाप जारी रखना, मैत्री, अंटार्कटिक में ग्रीष्मकालीप शिविर तथा सुविधाएं स्थापित करना तथा एकीकृत तरीके से ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्रों में समसामयिक वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता देना।
* अग्रणी निवेशक तथा निवेशक श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण परिषद के सदस्य के

रूप में लगभग 182 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सहित गहरा समुद्र खनन तथा निष्कर्षण धातुकर्म की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए प्रौद्योगिकियों तथा प्रारम्भिक संयंत्रों को विकसित करना।

* 75 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के मिशन मोड कार्यक्रमों को जारी रखना।

* 105 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए महासागर और तटीय आंकड़ा उत्पादों को तैयार करने और आपूर्ति के लिए महासागर प्रेक्षण और सूचना सेवाओं की स्थापना और परिचालन।

* 12 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आधुनिक औषधि के रूप में विकास के लिए पारंपरिक औषधि तथा नैदानिक परीक्षणों के रूप में दो औषधियों के संभावित विपणन के साथ मधुमेह रोधी, प्रति विषाणुक प्रति अमीबी, प्रतिचिंता तथा डिम्पकनाशी कार्यकलापों के लिए समुद्र से औषधियों का विकास।

* लगभग 42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संसाधान विदोहन के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे सागर में भारत के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए महाद्वीपीय शेल्फ का रेखांकन करना।

* 52 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ तटीय समुद्र प्रबोधन तथा भविष्यकथन प्रणाली (सी.ओ.एम.ए.एस.) कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा तटीय अनुसंधान जलयान का प्रचालन एवं रखरखाव।

* कुल 56.30 करोड़ रुपये के व्यय के साथ मौलिक अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास कार्यक्रमों तटीय एवं द्वीप विकास कार्यक्रमों, मुख्यालय तथा संबद्ध कार्यालयों में जनशक्ति आवर्धन तथा प्रशासनिक एवं अन्य सहयोग इत्यादि को जारी रखना।

* लगभग 61 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ समुद्री जैव विविधता और तटीय जलक्षेत्रों के प्रदूषण प्रबोधन सहित एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबन्ध कार्यक्रम।

* 103 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पिण्डिका कार्यक्रम के लिए एक बहुदेशीय समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान को खरीदना, फास्फोराइट्स के विदोहन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, अन्डमान सागर, बंगाल और अन्डमान फैलाव (फैन) में जलतापीय खनिजीकरण और मध्य हिन्द महासागर में कोबाल्ट की प्रचुरता वाले भूपृष्ठ (क्रस्ट) का अध्ययन।

* 31.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 70 मीटर की गहराई से परे समुद्री सजीव संसाधनों का मूल्यांकन और उनका पारिस्थितिक सहसंबंध, समुद्र कृषि, समुद्री अलंकारी मत्सय संवर्धन और समुद्री अपतृण (सी.वीड) संवर्धन।

(ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए प्रस्तावित महासागर विकास कार्यक्रम।

* समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना हेतु पूर्व तट पर स्थित कुछ विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना।

* बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में समुद्री सजीव संसाधनों का मूल्यांकन।

* अन्डमान द्वीप समूह में समुद्री मछली (सी.बास), मन्नार की खाड़ी में महाचिंगट, उड़ीसा में पंक कर्कट की समुद्री कृषि (मेरी कल्चर) और अन्डमान और मन्नार की खाड़ी में समुद्री अलंकारी मत्स्य संवर्धन और समुद्री अपतृण संवर्धन।

* प्रदूषण प्रबोधन, तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबन्ध और समुद्री जैव विविधता।

* तटवर्ती समुदाय और अन्य प्रयोक्ता अभिकरणों को महासागर प्रेक्षण और सूचना सेवाएं प्रदान करना।

* बंगाल और अन्डमान फैलाव (बेनफैन) के भू आकृतिक अध्ययन और अन्डमान सागर आदि में जल तापीय खनिजीकरण से सम्बधित पर्पटीप्रावार (क्रस्ट मैंटल) प्रक्रियाएं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1747. श्री डी.पी. यादव :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक राज्य-वार कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सम्भलपुर ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के विशेषतः उत्तर प्रदेश के सभी गावों का विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 सितम्बर, 1996 तक देश में 5,02,482 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में 495 आबाद गांव हैं, जिनमें से 481 गांवों को विद्युतीकृत कर लिया गया है। सांभल में शेष 14 गांवों के विद्युतीकरण कार्य आगामी वर्ष में किए जायेंगे।

(घ) उत्तर प्रदेश के इन गांवों सहित देश में शेष अविद्युतीकृत गांवों को नौवीं तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युतीकृत किया जाएगा बशर्ते कि निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों।

विवरण

सितंबर, 1996 तक गांवों के विद्युतीकरण संबंधी कार्यों की प्रगति

क्र.सं.	राज्य	सितम्बर, 96 के अंत तक कुल उपलब्धि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27358
2.	अरुणाचल प्रदेश	2280
3.	असम	21887 (ए)
4.	बिहार	47822
5.	गोवा	377
6.	गुजरात	17892
7.	हरियाणा	6745
8.	हिमाचल प्रदेश	16761
9.	जम्मू और कश्मीर	6277
10.	कर्नाटक	26483
11.	केरल	1219
12.	मध्य प्रदेश	67844
13.	महाराष्ट्र	39106
14.	मणिपुर	2033
15.	मेघालय	2467 (डी)
16.	मिजोरम	727 (सी)
17.	नागालैंड	1099
18.	उड़ीसा	34123
19.	पंजाब	12342
20.	राजस्थान	30754
21.	सिक्किम	405
22.	तमिलनाडु	15822
23.	त्रिपुरा	3640
24.	उत्तर प्रदेश	86665 (बी)
25.	पश्चिम बंगाल	29234
	जोड़	501362
	संघ शासित क्षेत्र	1120
	कुल जोड़	502482

(*) (ए) 3/96 की स्थिति के अनुसार (बी) 5/96 की स्थिति के अनुसार

(सी) 6/96 की स्थिति के अनुसार (डी) 8/96 की स्थिति के अनुसार

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1748. श्री पी.सी. थामस : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है;

(ख) क्या विभिन्न जहाजों अथवा पोतों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं;

(ग) क्या यांत्रिकृत ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने जाना भारतीय तटों के परम्परागत मछुआरों के हित में नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने इन मछुआरों के हितों की रक्षा हेतु कोई कदम उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा यांत्रिकृत ट्रालरों के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च). राज्यों के समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम/नियमों के तहत प्रत्येक राज्य के तटवर्ती जल में परम्परागत मछुआरों तथा 20 मीटर से कम लंबे यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों द्वारा मछली पकड़ने के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित हैं। परम्परागत मछुआरों के लिए अनन्य रूपसे आरक्षित क्षेत्रों की सीमा तट से 5-10 किलोमीटर तक होती है और 20 मीटर से कम लंबे यंत्रीकृत मत्स्यन जलयान इन क्षेत्रों के बाहर ही मछली पकड़ सकते हैं। इन नियमों/विनियमों से इन दो क्षेत्रों के बीच झड़पें रोकने में सहायता मिलती है और परम्परागत ढंग से मछली पकड़ने वालों के हितों की रक्षा होती है। भारत सरकार भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों के अधिग्रहण के अलावा 1981 और 1986 की चार्टर स्कीमों तथा नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति 1991

जिसमें संयुक्त उद्यम, लीजिंग और टैस्ट फिशिंग निहित है, के तहत भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन को अनुमति दे रही है। गहन समुद्री मत्स्यन नीति 1991 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

गैर-सरकारी संगठन

1749. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कमजोर वर्गों के समुचित उत्थान को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन पहले से ही विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सक्रिय रूप से शामिल है।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1750. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 तक केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या सरकार ने कुछ परियोजनाओं को आरंभ किए जाने के कार्य को स्थगित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. बेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). 31 मार्च, 1996 की स्थितिनुसार निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने हेतु प्रस्तावित की गई ईब घाटी ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (2×210 मे.वा.) नामक ही एक ऐसी विद्युत परियोजना है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना के संबंध में अभी भी परियोजना प्रवर्तक और उड़ीसा सरकार के बीच वार्ता चल रही है।

महिलाओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

1751. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत राज्य-वार अब तक शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई; और

(ग) लाभकर्ताओं की परियोजनावार संख्या कितनी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). अब तक वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" योजना के अंतर्गत चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आज तक वर्ष अब तक वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं (राज्यवार)

क्र.सं.	परियोजना का शीर्ष	संस्था का नाम और पता	स्वीकृत राशि(रु.) और तारीख	लाभ उठाने की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ग्रामीण महिला उद्यमवृत्ति का प्रोन्नयन	डा. के. चन्द्रलेखा श्री पदामावती महिला विश्वविद्यालय तिरूपति	57,000/- (नवम्बर, 1994)	25

1	2	3	4	5
2.	ग्रामीण महिलाओं के लिए वर्मीकल्चर टेक्नोलोजी का स्थानांतरण	डा. पी. जानकी कृष्णन प्रोग्रेस 12-13-623 नागार्जुन हिल्स हैदराबाद	3,96,800/- (14-03-95)	30
असम				
3.	म्यूगा छटन प्यूपा से तेल निकालना इसका लक्षणवर्णन और इसका उपयोग	डा. एस.के. चौधरी काटन कालेज, गुवाहाटी असम-781001	1,86,134/- (23-02-95)	70
4.	घर के अंदर पालन की तकनीक के विशेष संदर्भ के साथ म्यूगा संवर्द्धन का विकास	डा. जे.एन. तालुकदार इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एस एण्ड टी जवाहर नगर, खानापुरा, गुवाहाटी-781020	10,34,580/- (21-03-95)	1500
5.	औषधीय पौधों की खेती में महिलाओं की भागीदारी	श्रीमती स्वर्ण हैंडिकी, पीस फाउण्डेशन सेन्टर डाकघर नावजाम, जिला गोलाघाट असम-785604	1,67,000/- (04-05-94)	50
6.	यकृतीय खराबी के विशेष संदर्भ में जड़ी-बूटी औषधियों का विकास	डा जे कोटोकी आई ए एस एस टी, खानापाड़ा, गुवाहाटी-781022	13,46,256/- (30-08-95)	-
बिहार				
7.	सब्जियों और मशरूम को सुखाने के लिए किफायती सोलार ड्रायरों का विकास	डा. सुमन दत्ता सोसाइटी फार रूरल इण्डस्टिय लाइजेशन, बरायतू, रांची	1,04,000/- (07/03/96)	-
दिल्ली				
8.	ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यात्मक क्षमताओं का विकास एक प्रकरण अध्ययन	डा. शक्ति काक एस इं एस एस नई दिल्ली	1,78,000/- (21-04-95)	-
9.	प्रोटोटाइप पेपर ड्रायर का विकास	डा. अरुण कुमार डेवेलपमेंट आल्टरनेटिव्ज बी-32, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110016	2,88,650/- (17-06-94)	-
10.	बौद्धिक रूप से अस्थिर महिला रूचि को बसाने के लिए प्रौद्योगिकियां और स्थानांतरण प्रक्रिया	डा. अशोक जैन एन आई एस टी ए डी एस हिलसाइड रोड नई दिल्ली-110012	6,30,220/- (11-01-95)	30

1	2	3	4	5
11.	महिलाओं द्वारा बेकार शीशे को फिर से तैयार करना	डा. एस. भानुमति रसायन विभाग गार्गी कालेज श्री फोर्ट रोड नई दिल्ली-110049	46,900/- (02-02-95)	15
12.	कीटनाशक और मच्छर नियंत्रण की संयंत्र आधारित जैविकीय विधियों का मूल्यांकन	डा. पदमा वासुदेवन सेंटर फार आर डी एण्ड ए टी आई आई टी, नई दिल्ली-16	4,83,000/- (13-03-95)	700
13.	देहरादून में औद्योगिक उपज का कम लागत पर उपयोगीकरण और परीक्षण	डा. अराधना सेंटर फार टेक्नोलोजी एण्ड डेवेलपमेंट बी-1 एल.एस.सी.जे.-ब्लाक साकेत, नई दिल्ली	6,78,000/- (23-03-95)	50
14.	औद्योगिक उपज का कम लागत पर उपयोगीकरण और परिरक्षण समन्वित परियोजना	श्री अमित सेनगुप्ता सेंटर फार टैक्नोलोजी एण्ड डेवेल्पमेंट बी-1 एल.एस.सी.जे.-ब्लाक साकेत, नई दिल्ली	2,32,000/- (23-03-95)	-
15.	क्रीज बनी रहने और रगड़ से बचने जैसी उन्नत गुण धर्म वाले सस्ते कपड़े तैयार करने के लिए काटन पोलीप्रोपीलीन फाइबर को ब्लेण्ड करने की संभाव्यता का पता लगाना।	डा. बी.सी. वर्मा श्री राम इंस्टीट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च, 19 यूनिवर्सिटी रोड दिल्ली-110007	5,14,860/- (05-07-95)	-
16.	हस्त निर्मित कागज और प्रतिध्वनि वहनीय ग्रामीण परियोजनाओं विषयक कार्यशाला	श्री एन.पी. सिंह एशियन सोसाइटी फार एंटरप्रेनेयोरशिप एजूकेशन एंड डेवेलपमेंट, बी-9/6238 वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070	97,000/- (19-03-96)	50
17.	व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की कार्यात्मक	श्री आर.एल. चोपड़ा "दिशा" 13/88 ब्लाक सी-4-13, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 क्षमताओं और वैज्ञानिक ज्ञान का विकास	5,28,000/- (18-3-96)	20
18.	प्रणाली के लिए जल और मसाला संरक्षण के लिए मांडल का विकास आई.आई.टी. होजखास नई दिल्ली	डा संतोष सी.आर.डी.टी	3,00,000/- (21-03-96)	50
19.	अतिसंवेदनशीलता का पता लगाने के लिए एन्टीजन का विकास	डा रीता कुमार सेंटर फार बायो-केमिकल टेक्नोलोजी, माल रोड जुबली रोड के निकट दिल्ली -110007	6,97,400/- (22-9-95)	25

1	2	3	4	5
20.	कवकमूल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए व्यर्थ भूमि विकास में महिलाओं को शामिल करना	डा. सत्यवती शर्मा आर आर आर एस 20 गांव अदघिनी श्री अरबिन्दो मार्ग दिल्ली-110017	6,90,000 (02-08-96)	25
गुजरात				
21.	महिला विज्ञान	प्रोफेसर रचेल जॉर्ज डिपार्टमेंट आफ होम मेनेजमेंट, एम.एस. यूनिवर्सिटी बड़ौदा-390002	2,74,840/- (14-03-95)	1000
हरियाणा				
22.	औधानिकी उत्पाद का कम लागत पर उपयोगीकरण और परिरक्षण	श्री सतीश कुमार हरियाणा विज्ञान मंच 74/22 किसानपुर सोनीपत रोड, रोहतक	6,78,000/- (15-05-95)	50
23.	किफायती अंकुरण क्षमता के साथ क्षारित व्यर्थ भूमि के लिए उद्यान विज्ञान का अनुप्रयोग	श्री सुनील कौशिक विकास मित्रां गांव और डाकघर फतेहपुर हरियाणा	42,000/- (29-01-96)	25
हिमाचल प्रदेश				
24.	औधानिकी उत्पाद का कम लागत पर उपयोगीकरण और परिरक्षण	श्री जोगिन्दर सिंह सोसाइटी फार टेक्नोलोजी एण्ड डेवेलपमेंट, गांव-बध्याल डाकघर-टिक्कर, जिला-मण्डी	6,78,000/- (15-05-95)	50
कर्नाटक				
25.	ग्रामीण प्रयोग के लिए बायोगैस फ. यूइल्ड फ्रूड और वेजिटेबिल ड्रायर का कार्यानिष्पाद अनुप्रयोग और प्रसार	डा बी.एन. रघुनंदन अस्त्रा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर-560012	1,06,300/- (13-05-94)	-
26.	ए.आई.आर.डी. बंगलौर द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए सिल्क उच्छिष्ट कताई में प्रशिक्षण सह उत्पादन की स्थापना	डा. एम.वी. राजशेखर ए.आई.आर. डी., 7 ए रत्नविला रोड, बासवनगुडी, बंगलौर-560004	1,59,480/- (01-06-95)	325
27.	महिला विज्ञान के लिए तैयारी	श्रीमती श्यामला हिरेमथ इंडिया डेवेल्पमेंट सर्विस जर्मन अस्पताल के निकट मुहन्तेशनगर, धारवाड़-580008	2,44,300/- (08-03-95)	1000
28.	ऊन और उच्छिष्ट सिल्क कताई के लिए मेदलरी चरखे के इस्तेमाल की संभावना	श्रीमती श्यामला हिरेमथ इंडिया डेवेलपमेंट सर्विस साधनकारी रोड जर्मन अस्पताल के पास धारवाड़-580008 (कर्नाटक)	1,08,240/- (22-10-96)	50

1	2	3	4	5
केरल				
29.	गरीब किसानों और ग्रामीण युवकों को शामिल करते हुए मोरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रील भराई, कताई, वस्त्र बुनाई का समन्वित विकास, पाइलट परियोजना	डा. एम.के. प्रसाद आई.आर.टी.सी., के.एस.एस.पी., मुण्डूर, पालघाट-678592	78,200/- (16-08-94)	450
30.	महिलाओं के लिए तकनीकी और आय वाली गतिविधियों में सतत प्रशिक्षण	प्रोफेसर एल. प्रेमा होम साइंस डिपार्टमेंट, कालेज आफ एग्रीकल्चर, केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वेल्लायानी-695522	1,49,100/- (23-01-95)	95
31.	कन्नापाडी कालोनी में स्वास्थ्य स्टेट्स को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के बीच पारम्परिक प्रथाओं का विकास	डा. आर.आर. दास पीरमादे डेवेलपमेंट सोसाइटी पी.ओ. बाक्स नं. 11 पीरमादे, केरल	2,38,650/- (18-01-95)	40
32.	गांव पाली/हार्डी बाजार, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में सिसल रेशा संसाधन के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना	डा. लखन सिंह एम.पी. विज्ञान सभा, 9 ए सिविल लाइन्स, मुमताज मंजिल, 4, बंगला रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल-462002	2,60,200/- (07-03-95)	36
महाराष्ट्र				
33.	ग्रामीण प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी-II	डा. एस.एस. कलबाघ विज्ञान आश्रम, पाबल, पुणे	2,92,789/- (06-03-95)	86
34.	शहरी गंदी बस्तियों में बेसहारा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के अवसरों के माध्यम से भोजन, स्वास्थ्य और पोषण के लिए अभिगन में सुधार	डा. शोभा ए. उदिपी डिपार्टमेंट आफ पी.जी. स्टडीज रिसर्च इन होम साइंस एस.एन.डी.टी. यूनिवर्सिटी शांताक्रुज वेस्ट, बम्बई-4000049	3.00,800/- (20-03-95)	700
35.	औद्योगिकी उत्पाद का कम लागत पर उपयोगीकरण और परिरक्षण	श्रीमती सविता कुरून्दवाले आरोग्य दक्षता मंडल 1913 सदाशिव पेठ, पुणे	6,78,000/- (28-03-95)	50
36.	तालुका उदगीर, जिला लातूर में पी.बी.एच.एस. कार्रवाई परियोजना	डा. ए. पटवर्धन आरोग्य दक्षता मंडल 1913, सदाशिव पेठ, पुणे	5,67,000/- (21-3-95)	100
37.	उष्कटिबंधीय वृक्षों में गोदार्ति शुरू करना और/या बढ़ाना	डा. सोहम पाण्डया सी.एस.वी., मगन संघर्षालय वर्धा-442001	4,41,200 (01-12-94)	40
38.	कदली प्रकंद का पशु चारे के रूप में प्रयोग	डा. टी.डी. निगम बोटानी डिपार्टमेंट, नार्डन कालेज पुणे-411005	1,04,200 (22-12-94)	-
39.	महिलाओं द्वारा सल्फर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अपेक्षाओं का सर्वेक्षण	डा. कमल तावड़ी द्वारा विमेन्स वेल्फेयर इंस्टीट्यूट 235/3239 टैगोर नगर विक्रोली ईस्ट, बम्बई-400083	75,000/- (19-10-95)	25

1	2	3	4	5
40.	सब्जी कृषि के लिए कार्बनिक जल संवर्धन का अभिष्टिकरण	श्रीमती चित्रा कारे धरमित्रा, सिया स्ट्रीट बैंक आफ इंडिया कालोनी नलवाड़ी, वर्धा-442007	2,68,100/- (25-01-96)	50
41.	गांवों में महिला समूह की सहायता से जोरशोर से सतत विकास करना	डा. सोहन पाण्डया सी.एस.वी., मगन संघर्षालय वर्धा-442001	9,64,300/- (15-10-96)	75
मणिपुर				
42.	मणिपुर के ऊखरूल जिले में पी.बी. एच.एस.।	श्री डब्ल्यू. जिंखई एस.टी.सी.सी.डी., बिनो बाजार, ऊखरूल, मणिपुर-795142	87,000/- 15-03-95	25
43.	इम्फाल में प्रसार के लिए अनुकूल स्टुड/स्मार्टसंलूम डिजाइन का और रूपान्तरण।	श्रीमती निर्मला देवी दि चिंगामाथक नेमीकरपम माखा हाय काय डेव.सेंटर पो.ओ. इम्फाल, चिंगामाथाक, मणिपुर-795001	4,30,850/- (12.01.96)	150
44.	झूमिंग कृषि के लिए कम्पोस्ट की तैयारी, उत्पादन एवं.................का प्रदर्शन।	श्री के. कोशांग कमजोर वर्ग विकास परिषद, खांगशिम, पी.ओ.केकचिंग मणिपुर-795103	3,70,000/- (15.12.95)	40
नागालैंड				
45.	फलों और नगदी फसलों की कटाई, प्रसंस्करण और विपणन।	डॉ. जेवी हीज वुमेनस मल्टीपर्पस कोपरेटिव सोसाइटी, एन्हुलुमी विलेज पी.ओ. चिजामी फेक डिस्टिक नागालैंड	3,44,000/- (11.08.94)	40
उड़ीसा				
46.	कम लागत का प्रसंस्करण और बागवानी उत्पाद का संरक्षण।	श्री खेमेंडु सी.ए.आर.डी., कोरापुट, 2 आर ए, 50/7 ए ई एफ कालोनी सुनाबेड़ा, उडीसा	6,78,000/- (31.3.95)	50
पांडिचेरी				
47.	रेशम उत्पादन और सिल्क उद्योग में कार्यरत महिलाओं की कार्यशील क्षमताओं का निर्माण।	श्रीमती अनुपमा पई पांडिचेरी साइंस फोरम, 63 पाश्च्युर नगर विनोबा नगर एक्स. पांडिचेरी-605008	1,92,400/- (05.12.95)	250

1	2	3	4	5
राजस्थान				
48.	सूखाग्रस्त क्षेत्र के फलों का प्रसंस्करण एवं संरक्षण।	डॉ.पी.के. मालवीय सेंट्रल अरीद जोन रिस.इन्स. जोधपुर-342003	3,69,800/- (13.03.95)	300
49.	क्षेत्र अन्वेषण मार्गदर्शी सर्वेक्षण, अन्वेषणीकरण रोग एवं औषधिक देने वाले पौधे, उपयोग तथा कृषि।	डॉ. सुधाकर मिश्रा इन्सिटीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज ए-75, भाभा मार्ग, तिलक मार्ग, जयपुर-302004	79,000/- (22.12.94)	-
50.	उदयपुर में पी.बी.एच.एस. सघन क्षेत्र अन्वेषण।	डॉ. आर.एस. गुप्ता जागरण जन विकास समिति 282, फतेहपुरा, उदयपुर	76000/- (जून,1995)	-
51.	उदयपुर जिले में एथनोमेडिकी-बोटनीकल अन्वेषण, औषधिय पौधों में एक्स सीटु संरक्षण तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रेक्टशनरों की भूमिका।	डॉ. आर.एस. गुप्ता जागरण जन विकास समिति 282, फतेहपुरा, उदयपुर	11,59,000/- (19-03-96)	250
52.	पशु चिकित्सा तथा कृषि उत्पाद में उन्नत तकनीकों के जरिए सूखाग्रस्त क्षेत्र में निर्वाहयोग्य ग्राम्य विकास के लिए समेकित प्रयास।	डॉ. एल.एम. सक्सेना महिला शिक्षा एवं विकास संस्थान किशोर भवन, अपोजिट मेन पुलिस लाइन गेट रतानादा, जोधपुर-342001	3,94,000/- (02-07-96)	500
तमिलनाडु				
53.	खेतिहर महिलाओं के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकीयों का अध्ययन और विकास।	श्री एस. रमेश वेदपुरी कृषि विज्ञान केन्द्र 13, क्रीसेंट पार्क स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-600 017	52,350/- (28-11-94)	150
54.	आय सृजन के लिए नई तकनीकों का उपयोग करके प्राकृतिक रंगों का प्रसंस्करण।	डॉ.टी.एम. वत्सला मुरूगप्पा चेतियार रिस. सेंटर थारामणी मद्रास-600 018	3,31,600/- (29-12-95)	300
55.	कम शक्ति वाले यांत्रिकी तरीकों के उपयोग के जरिए तीन सतही द्वारा कॅयर श्रमिकों की आय में सुधार करना।	डॉ.टी.एस. रामकुमार ग्रामीण पुनर्निर्माण केन्द्र ईथामोजी रोड, चेन्नावन्नाविल्लई नागेर कॉयल-629 002	3,59,960/- (21-03-96)	300
56.	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के बीच उन्नत भण्डारण एवं रसोई तकनीकों के उपयोग का लोकप्रियकरण।	श्री वी. जयराज एस डब्ल्यू ई एस टी आई सी पोस्ट बॉक्स नं.52 डिंडीगुल-624001	1,17,000/- (28-06-95)	500
57.	स्वदेशी किणवित फल-प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण।	डॉ.टी.एस. वत्सला एस सी आर सी थारामणी, मद्रास	3,01,800/- (29-11-95)	25

1	2	3	4	5
58.	महिलाओं की अतिरिक्त आय के लिए खजूर की पत्ती तथा तना संबंधी उत्पादों में नवीकृत उपकरण/मशीनें।	श्री पी. सेल्वन सी ई आर टी सी ओ माडोना स्ट्रीट वीरापन्दीयानपतनम चिदम्बर नगर जिला तमिलनाड-628216	1,39,000/- (02-07-96)	300
त्रिपुरा				
59.	बागवानी उत्पाद का कम लागत का प्रसंस्करण एवं संरक्षण।	श्री मिहिर लाल राय सामाजिक कार्य और अनु.केन्द्र महिम सदन 76, जी बासक रोड मेलारमट, अगरतल्ला	6,78,000/- (28-03-95)	50
60.	पी.बी.एच.एस. क्षेत्र अन्वेषण।	श्री दिगांतु बसु सामाजिक कार्य और अनु.केन्द्र महिम सदन 76 एच जी बासक रोड मेलारमठ, अगरतल्ला	73,000/- (06-05-94)	
उत्तर प्रदेश				
61.	महिला विज्ञान	श्रीमती अम्ला विद्यार्थी भानोवाद्या बी-1/26, अलीगंज लखनऊ-226020	3,08,200/- (28-03-95)	1000
62.	बागवानी उत्पाद का कम लागत का प्रसंस्करण एवं संरक्षण।	डॉ. अनिल जोशी हेस्को विज्ञान प्रस्थ ग्वार चौकी घोल्टियार, चमोली	6,78,000/- (23-03-95)	100
63.	गढ़वाल हिमाचल में क्रोटोलेरिया जन्किया को पुनः प्रारंभ करना।	डा. कुमार अमरीश हेस्को विज्ञान प्रस्थ ग्वार चौकी चमोली	1,69,000/- (17-06-94)	50
64.	महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बी जी ए के लोकप्रियकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	श्री बी.के. पांडे श्री भारद्वाज ग्राम उद्योग सेवा संस्थान पी.ओ. सलमतगढ़ जि. महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	67,200/- (28-07-94)	-
65.	गढ़वाल हिमालय के मोन्टाना वन-चारायोग्य भूमि में बर्निंग तथा ग्रेजिंग अन्तरकार्य।	डा. जे.पी. मेहता वनस्पति विज्ञान विभाग एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174	1,42,600/- (10-02-95)	40
66.	उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आय के सृजन के लिए महिलाओं द्वारा जड़ी बूटियों की खेती।	डा. वी. कुमार हिमालयन स्टडी सर्किल पांडेगांव, पिथौरागढ़ 262509	85,000/- (30-08-94)	25

1	2	3	4	5
67.	गढ़वाल हिमाचल के सुदूर क्षेत्रों में स्थानीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके सामान्य रोग तथा उनके उपचारात्मक उपायों का अन्वेषण तथा उनमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।	डा. ओ.पी. सती एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर गढ़वाल	3,80,600/- (29-01-95)	50
68.	गढ़वाल हिमालय में पर्वतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में परम्परगत औषधिय व्यवहारों एवं जडी बूटियों संबंधी कृषि के पक्ष एवं भावी आशाएं।	डा.ए.के. बदूनी शेर, चकाता रोड विकास नगर, देहरादून-248 198	4,53,700/- (20-12-94)	100
69.	ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण एवं विकास।	श्री आर.एन. कपूर इलाहबाद ग्रामीण विकास समाज, 26, चेतम लाइन्स इलाहाबाद-211 002	2,29,900/- (29-12-95)	150
70.	गढ़वाल हिमालय में गैर-परम्परागत तेल पौधों की भावी आशाएं एवं शुरूआत।	डा. अनिल जोशी हेस्को ग्वार चौकी, घोल्टियार उत्तर प्रदेश	4,29,000/- (जनवरी,96)	75
71.	बागवानी उत्पाद के संरक्षण व प्रसंस्करण में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देना।	डा. सुचित्रा कुमार ग्रामीण जनसंख्या के उत्थान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता,66 रवीन्द्र गार्डन सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ-226020	2,71,600/- (01-11-95)	60
पश्चिम बंगाल				
72.	फलों और सब्जियों को सुखाने में क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए पायलट स्केल ड्राइअर्स के निष्पादन का मूल्यांकन।	प्रो.सुनित मुखर्जी डा. सुभाष मुखर्जी मेमोरियल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी रिस.सेंटर बी.बी. अस्पताल 151-153, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता-700 034	91,300/- (13-05-94)	158
73.	बागवानी उत्पाद के कम लागत का प्रसंस्करण और संरक्षण समन्वित कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता परियोजना।	प्रो.सुनित मुखर्जी डा. सुनित मुखर्जी मेमोरियल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी रिस. सेंटर 151, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता-700 034	5,27,000/- (28-03-95)	
74.	पश्चिम बंगाल के बंकरा जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे औषधिय पौधे।	श्री रामा शंकर बसु ए.एम. कॉलेज, पी.ओ. झाल्दा	31,000/- (14-03-95)	25

1	2	3	4	5
75.	.....वर्मिकम्पोस्ट तथा पर्यावरणीय सफाई की तकनीकी आर्थिक जीव्यता।	डा. ए.के. चट्टोपाध्याय तारारकता ट्राइबल डेव.सोसा. मीरा भवन, लालडिधीपेरा, डी.एम. बंगला रोड पी.ओ. सूरी (पश्चिम बंगाल)	2,55,000/- (11-02-96),	500
76.	बागवानी उत्पाद के कम लागत का प्रसंस्करण तथा संरक्षण।	डा. टी. चक्रवर्ती फोसेट 6/1 सदर स्ट्रीट, कलकत्ता	6,78,000/- (17-05-95)	50
77.	सुदूर ग्रामों में सुरक्षित शिशु जन्म प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए परम्परागत जन्म उपस्थिति पत्रक के बारे में प्रशिक्षण।	डा.जे.बनर्जी श्री अरबिन्द अनुसीलन सोसायटी सेहरापरा पी.ओ. सूरी-731 101	1,88,500/- (02-07-96)	100
78.	विविध जूट उत्पादन में महिलाएं।	श्रीमती कावेरी दास गुप्ता डिशा, ×3 विद्यासागर निकेतन साल्ट लेक, सेक्टर-। कलकत्ता-700 064	6,46,340/- (03-10-96)	400
79.	ग्रामीण पश्चिम बंगाल के औषाधीय पौधों की खेती एवं संरक्षण जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार करना है।	डा.इला चौधरी सोसायटी फार इक्टएबल वोल्यूंटरी एक्शन,52/3, विद्यातन सराणी कलकत्ता-700 035	5,51,000/- (30-04-96)	50
80.	जातीय वर्गों की परिस्थितिकीय एवं जैव-विविधता संबंधों तथा सहयोग पर अध्ययन : पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मार्गदर्शी अन्वेषण।	श्री तपन मिश्रा पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच हेमंत बसु भवन, 12-बी डी बाग, कलकत्ता-700 001	1,00,000/- (01-10-96)	-

[हिन्दी]

अंटा विद्युत परियोजना

1752. **श्री ताराचन्द धगोरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटा गैस ताप विद्युत संयंत्र के द्वितीय चरण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कवास, गंधार, फरीदाबाद तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय के ताप विद्युत संयंत्रों को स्वीकृत किए जाने के संबंध में राजस्थान की उपेक्षा की गई है;

(ग) राजस्थान के अंटा गैस ताप विद्युत संयंत्र को सौंपने के संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान को गैस आपूर्ति हेतु सुविधा नहीं उपलब्ध कराए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) अंटा गैस विद्युत संयंत्र के द्वितीय चरण के लिए एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा आवश्यक निवेश और गैस लिंकेज न होने के कारण वापिस लौटा दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अंटा गैस विद्युत संयंत्र को एनटीपीसी से राजस्थान में हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) रामगढ़ में आयोजित 160 मे.वा. कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन विद्युत परियोजना की कुल 4 युनिटों (3×35.5 मे.वा. जी

टी + 1×53.5 मे.वा. एसटी) में से 35.5 मेगावाट गैस टरबाइन (जीटी) की एक यूनिट हेतु 0.55 एमएम-एससीएमडी (मीट्रिक मिलियन स्टेंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) गैस का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

आवश्यकता आधारित मानव संसाधनों का विकास

1753. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में प्रगति को तेज करने के लिए आवश्यकता आधारित मानव संसाधन एवं संस्थागत क्षमताओं में विकास एवं अनुसंधान करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार लाने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी है;

(घ) निजी क्षेत्र को कितनी परियोजनाओं को सौंपने की पेशकश की गई है; और

(ङ) 1996-97 में कितनी परियोजनाओं को लगाया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु आठवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कई विकासात्मक योजना स्कीमें चला रहा है। कुछ स्कीमों में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान शामिल हैं।

आठवीं योजना अवधि के अंत तक 250 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के लक्ष्य की तुलना में आठवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 204 केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह सहायता केन्द्रीय सरकार के संगठनों, गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों, सहकारिताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध है।

रियायती दर पर गैस

1754. **श्री बाजू बन रियान :**
श्री बादल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा त्रिपुरा को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की दर में कोई अंतर है;

(ख) क्या असम में उद्योगों को रियायती दर पर गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या त्रिपुरा के उद्योगों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो त्रिपुरा को रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). असम और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का मूल्य समान है। मूल्य 1000 रुपये प्रति हजार घन मीटर है और इसके साथ ही मामला दर मामला आधार पर 400 रुपए प्रति हजार घन मीटर छूट का प्रावधान भी है।

[हिन्दी]

त्वरित शहरी क्षेत्र जल आपूर्ति कार्यक्रम

1755. **श्री सत महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास त्वरित शहरी क्षेत्र जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु कांगड़ा जिले की कौन-कौन सी योजनाएं भेजी हैं;

(ख) पेयजल योजनाओं हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) इन पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत कांगड़ा हेतु वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में 100 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का आवंटन कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जा चुका है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल-आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू. डब्ल्यू.एच.पी.) के तहत कांगड़ा जिले के देहरा और नूरपुर कस्बों की जल-आपूर्ति स्कीमें केन्द्र सरकार को मिली हैं।

(ख) और (ग). त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत रेवालसर चौवारी, देहरा और रोहरू कस्बों के लिए कुल 326.10 लाख रुपये लागत की परियोजना स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्कीमों के लागत खर्च की केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी 50:50 के अनुपात में है। केन्द्र सरकार ने 101.50 लाख रुपये दिए हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने केवल 15.69 लाख रुपये की राशि जारी की है। अब तक 93.77 लाख रुपये के खर्च की सूचना है।

(घ) और (ङ). जी, हां। कांगड़ा की जल-आपूर्ति हेतु, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में, योजना आयोग द्वारा 100 लाख

रुपये नियत किए गए हैं और इस स्कीम पर अब तक 344.55 लाख रुपये के खर्च की राज्य सरकार ने सूचना दी है। स्कीम पर 400 लाख रुपये के खर्च का अनुमान है और इसके 1996-97 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मत्स्य कार्य समिति

1756. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अगस्त, 1996 से राष्ट्रीय मत्स्य कार्य समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मछुआरों तथा मछलियों का धंधा करने वाले लोग लम्बी हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले को सुलझाने के लिए तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). गहन समुद्री मत्स्यन नीति के विरूद्ध मछुआरों और मछली -कामगारों के आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने फरवरी, 1995 में गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी एक पुनरीक्षण समिति गठित की थी। समिति ने फरवरी, 1996 में अपनी रिपोर्ट दी। अन्य बातों के साथ-साथ पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के लागू करने की मांग करते हुए अगस्त, 1996 में मछुआरे तथा मछली कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।

(ग) सरकार ने हाल में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिये हैं। इनमें 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति को रद्द करने का निर्णय शामिल है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1757. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम सेवाऐं मुहैया कराने के लिए प्रत्येक राज्य को कितना धन उपलब्ध कराया गया;

(ख) इस संबंध में पता लगाई गई सात आधारभूत आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा धन का उपयोग किए जाने के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में उपयोग किए गए और शेष योजनाओं के लिए उपलब्ध धन का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). प्राथमिकता आधार पर ध्यान देने हेतु तथा समयबद्ध तरीके से पूर्ण कवरेज हेतु सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की गई है। ये हैं :

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
3. प्राथमिक शिक्षा का विस्तारीकरण।
4. सभी आवास रहित गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता उपलब्ध कराना।
5. सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी गंदी बस्तियों तथा अलाभान्वित वर्गों के प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन कार्यक्रम का विस्तार।
6. सभी असंबद्ध गांवों और निवासों को संबद्ध करना।
7. गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाना।

संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सभी घटकों पर कम ध्यान देने की अपेक्षा राज्यों को अपने प्रयास केवल सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर केन्द्रित करना चाहिए। उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित प्रथम तीनों लक्ष्यों को अगले 2-3 वर्ष के भीतर प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। बहरहाल, जिन राज्यों में इन क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर लिए हैं वे अगले 2-3 वर्षों में पूर्ण कवरेज हेतु अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्य घटकों को चुन सकते हैं। वर्ष 1996-97 में स्कीम हेतु 2466 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है। इसके अलावा 15 प्रतिशत का अशंदान राज्य सरकारों से प्राप्त होना है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में उपलब्ध कराई गई निधियों तथा उपयोग में लाई गई निधियों संबंधी विस्तृत राज्यवार सूचना संलग्न विवरण I से XII में दी गई है।

विवरण-I

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय	अनुमानित मानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2670.00	2649.05	2700.00	2649.00	1803.28	1914.20	6230.00	1400.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2845.00	2561.00	2561.00	3007.00	2950.00	3007.00	3300.00	3289.00	
3.	असम	11039.00	11479.00	11039.00	11626.00	12126.00	11622.00	16600.00	16378.00	
4.	बिहार	9299.00	2700.00	3263.00	9299.00	4122.00	5700.00	9300.00	5116.00	
5.	गोवा	185.80	185.80	461.41	409.00	409.00	409.90	445.00	445.00	
6.	गुजरात	2273.00	751.00	1235.72	1451.00	1450.61	1451.00	1450.61	उ.न.	
7.	हरियाणा	3060.00	2410.69	2280.38	3424.00	3250.00	3150.20	3834.00	6511.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	2403.00	2403.00	2340.38	2924.00	2935.00	2924.00	3644.15	3694.00	
9.	जम्मू और कश्मीर	3215.00	2318.00	2795.67	3449.00	3449.00	3528.63	4205.00	4205.00	
10.	कर्नाटक	14850.00	11255.00	11255.00	12904.00	10618.00	19489.65	17614.91	13500.00	
11.	केरल	420.00	420.00	-	-	-	392.00	605.00	605.00	
12.	मध्य प्रदेश	10902.00	7242.81	7878.34	10165.00	8508.63	8847.69	10028.00	8678.00	
13.	महाराष्ट्र	4152.00	3379.00	3965.33	5265.00	5579.00	4775.85	9918.00	10549.00	
14.	मणिपुर	585.00	439.37	400.00	449.0	483.75	449.00	596.17	593.32	
15.	मेघालय	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	1693.54	1950.00	1950.00	1950.00	
16.	मिजोरम	300.00	566.15	535.00	575.00	566.15	485.33	500.00	500.00	
17.	नागालैंड	300.00	216.00	352.68	487.00	369.58	487.00	558.00	558.00	
18.	उड़ीसा	2668.00	2062.62	1824.17	4352.00	2815.20	4351.63	2698.00	2698.00	
19.	पंजाब	992.00	690.00	541.32	1233.00	969.00	1306.00	1471.00	1071.00	
20.	राजस्थान	6850.00	6150.00	6151.48	11000.00	11782.00	13482.00	15692.00	15542.00	
21.	सिक्किम	660.00	617.00	660.00	660.00	831.00	699.00	785.00	1211.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	तमिलनाडु	3824.00	3824.00	4223.12	4251.00	4257.00	4670.18	5413.00	6555.00	
23.	त्रिपुरा	1550.00	1550.00	1550.00	1700.00	1920.00	1700.00	2400.00	2584.85	
24.	उत्तर प्रदेश	15915.00	3271.00	3271.00	21152.00	6839.00	21152.00	6945.00	7239.00	
25.	पश्चिम बंगाल	3325.00	750.00	280.00	2949.00	3190.00	2949.00	3190.00	2500.00	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	487.75		437.18	655.45		655.45	1028.36		
27.	चंडीगढ़	160.00		135.66	314.00		309.00	347.25		
28.	दादर व नगर हवेली	120.00		141.40	149.00		139.97	249.83		
29.	दमन व दीव	100.47		64.19	90.00		150.94	178.78		
30.	दिल्ली	5794.00	5433.17	5358.50	7666.00		7666.00	8214.00		
31.	लक्षद्वीप	36.10		27.38	53.50		53.50	76.85		
32.	पांडिचेरी	394.00	455.87	449.77	526.86	428.85	428.85	511.50	511.50	
	कुल राज्य आवंटन	113325.12	77729.53	80128.08	126784.81	93345.59	130296.97	139979.41	117883.67	
	कुल केंद्रीय आवंटन	44220.00			52300.00			65104.00		

विवरण-II

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	524.00	524.00	1018.24	1100.00	1000.00	1000.00	1100.00	250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.00	57.00	67.00	100.00	98.00	100.00	105.00	102.00
3.	असम	331.00	0.00	331.00	349.00		349.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1000.00		61.98	1000.00		628.00	999.00	
5.	गोवा	50.00	48.00	40.73	38.00	28.00	28.00	38.00	38.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	418.00	395.00	283.34	395.00	395.49	395.00	395.49	
7.	हरियाणा	160.00	50.00	50.00	200.00		100.00	100.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	67.83	60.00	60.00	60.00	50.00	
9.	जम्मू और कश्मीर	10.00	10.00	68.93	103.00	103.00	102.84	92.00	92.00
10.	कर्नाटक	869.00	869.00	869.00	912.00	803.00	898.37	718.63	484.50
11.	केरल	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	600.00	480.48	456.00	680.00	530.00	530.00	583.00	
13.	महाराष्ट्र	32.00	32.00	31.15	735.00		742.40	631.00	
14.	मणिपुर	225.00	47.31	47.14	53.00	53.00	53.00	61.00	61.00
15.	मेघालय	100.00	100.00	100.00	100.00	–	100.00	100.00	100.00
16.	मिजोरम	25.00	25.00	55.50	18.00	25.00	15.60	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	6.90	7.00		7.00	7.00	7.00
18.	उड़ीसा	630.00	467.88	373.52	784.12	400.95	784.12	434.00	434.00
19.	पंजाब	200.00		0.00	150.00	100.00	150.00	143.00	10.00
20.	राजस्थान	300.00	200.00	198.76	410.00	410.00	410.00	450.00	738.66
21.	सिक्किम	12.00	9.00	12.00	12.00	9.00	9.00	15.00	10.00
22.	तमिलनाडु	738.00	738.00	803.36	1924.00	1924.00	2172.14	1943.00	900.00
23.	त्रिपुरा	80.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	385.00	253.00	253.00	440.00	108.00	440.00	1104.00	810.00
25.	पश्चिम बंगाल	730.00		193.00	526.00	526.00	526.00	526.00	500.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.15		4.00	6.15		6.15	8.90	
27.	चंडीगढ़	1.50		0.00	0.00		0.00	0.00	
28.	दादर व नगर हवेली	9.50		2.11	5.00		5.00	5.00	
29.	दमन व दीव	5.50		1.45	3.00		3.85	3.85	
30.	दिल्ली	90.00	3.00	17.98	52.00		52.00	50.00	
31.	लक्षद्वीप	3.00		1.65	3.00		3.00	3.00	
32.	पांडिचेरी	1.00	0.10	0.10	0.14	0.08	0.08	0.50	0.50
	कुल राज्य आवंटन	7670.65	4418.77	5465.67	10245.41	6653.52	9750.95	9666.37	4537.66
	कुल केंद्रीय आंवटन	17797.00			21400.00			23400.00	

विवरण-III

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय	अनुमानित मानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3099.00	5061.60	500.00	760.00	960.00	960.00	500.00	960.00	960.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1385.00	1247.00	1248.00	1463.00	1434.00	1434.00	1610.00	1601.00	1601.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	25.00	250.00	25.00	358.00	358.00	358.00
4.	बिहार	14079.00	3605.00	3605.00	7250.00	1800.00	1800.00	7326.00	1610.30	1610.30
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	700.00	700.00	702.00	700.00	700.00	700.00	1000.00	700.00	700.00
7.	हरियाणा	6.00	6.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1220.00	1420.00	2921.00	1355.00	1394.00	1394.00	1500.00	1500.00	1500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	817.00	744.00	851.00	898.00	898.00	898.00	890.00	890.00	890.00
10.	कर्नाटक	2500.00	2500.00	2013.00	4091.00	3935.00	3935.00	1502.00	1693.36	1693.36
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	3000.00	1515.87	546.00	2500.00	1350.30	1352.00	2300.00	1850.00	1850.00
13.	महाराष्ट्र	2291.00	2291.00	1447.00	11398.00	3257.00	3257.00	3790.00	3780.00	3780.00
14.	मणिपुर	900.00	446.52	530.00	837.00	610.00	610.00	610.00	950.00	950.00
15.	मेघालय	785.00	785.00		660.00	904.00	904.00	860.00	1073.00	1073.00
16.	मिजोरम	800.00	800.00	695.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	525.00	377.00	377.00	550.00	94.00	94.00	550.00	450.00	450.00
18.	उड़ीसा	1350.00	3600.00	4207.00	4750.00	4513.00	4513.00	2372.00	3822.00	3822.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	2200.00	2200.00	2200.00	3920.00	3920.00	3920.00	8880.00	9507.00	9507.00
21.	सिक्किम	653.00	603.00	603.00	660.00	603.00	603.00	669.00	1226.00	1226.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	तमिलनाडु	1000.00	1150.00	1500.00	1850.00	1850.00	1850.00	2550.00	1850.00	1850.00
23.	त्रिपुरा	775.00	700.00	700.00	890.00	890.00	890.00	960.00	793.00	793.00
24.	उत्तर प्रदेश	12147.00	11847.00	13823.00	14500.00	14532.00	14532.00	16800.00	16800.00	16800.00
25.	पश्चिम बंगाल	900.00	500.00	900.00	950.00	950.00	950.00	1400.00	2100.00	2100.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	40.00		40.00	45.00		45.00	45.00		
28.	दादर व नगर हवेली						145.00	170.00		
29.	दमन व दीव	0.00			34.00		34.00	34.00		
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00		
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
	अखिल भारत	51172.00	42098.99	39418.00	60729.00	45487.30	45488.00	56768.00	53523.66	53523.66

विवरण-IV

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.00	69.00	69.00	77.00	75.00	75.00	109.00	108.00
3.	असम	80.00		34.00	80.00	80.00	80.00	135.00	75.00
4.	बिहार	324.00	11.73	11.00	324.00	8.00	10.00	324.00	10.50
5.	गोवा	12.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6.	गुजरात	32.00	32.00	45.00	45.00	45.00	45.00	80.00	57.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	900.00	677.00	642.00	645.00	645.00	657.00	849.00	841.00
9.	जम्मू और कश्मीर	138.00	71.00	0.00	141.00	123.70	124.00	132.00	132.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	10.00	10.84	10.00	10.00	10.00	10.00	55.00	10.00
12.	मध्य प्रदेश	320.00	300.00	0.00	310.00	310.00	310.00	340.00	340.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	40.00	31.98	31.00	34.00	34.00	34.00	58.00	58.00
15.	मेघालय	31.00	27.00	17.00	31.00	31.00	31.00	40.00	33.00
16.	मिजोरम	42.00	36.90	37.00	42.00	42.00	42.00	60.00	60.00
17.	नागालैंड	90.00	65.00	60.00	79.00	23.70	24.00	79.00	43.00
18.	उड़ीसा	24.00	24.00	24.20	50.00	77.26	77.00	74.00	74.00
19.	पंजाब	8.00		10.00	4.00	0.00	40.00	5.00	0.00
20.	राजस्थान	123.00	93.00	97.00	243.00	184.00	184.00	278.00	222.00
21.	सिक्किम	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	52.00	52.00
22.	तमिलनाडु	79.00	57.00	60.00	157.00	147.00	147.00	210.00	208.00
23.	त्रिपुरा	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	17.00	10.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00		10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	9.00
25.	पश्चिम बंगाल	11.40	10.00	39.00	12.54	12.54	13.00	100.00	15.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	78.67		62.59	81.77		81.77	92.40	
27.	चंडीगढ़	9.00		12.93	31.70		31.70	48.76	
28.	दादर व नगर हवेली	13.55		7.21	10.00		10.00	15.30	
29.	दमन व दीव	0.50		0.12	0.60		0.60	3.95	
30.	दिल्ली	50.00	45.00	44.15	70.00		70.00	210.00	
31.	लक्षद्वीप	0.00			0.00			33.20	
32.	पांडिचेरी	18.00	15.00	14.89	16.00	26.00	26.00	81.00	82.00
	कुल राज्य आवंटन	2574.12	1638.45	1398.09	2564.61	1943.20	2192.07	3496.61	2444.50
	कुल केंद्रीय आवंटन	1100.00			1236.00			1435.00	

विवरण-V

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान ई.आई.यू.एस. के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	401.50	191.50	111.55	292.00	100.00	100.00	191.50	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00
4.	बिहार	390.00	19.00	0.55	300.00	64.00	64.00	300.00	66.00
5.	गोवा	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	300.00	300.00	300.00	325.00	325.00	325.00	600.00	600.00
7.	हरियाणा	190.00	238.00	238.00	253.00	253.00	253.00	500.00	812.00
8.	हिमाचल प्रदेश	73.00	73.00	73.50	73.00	73.00	73.00	81.00	81.00
9.	जम्मू और कश्मीर	90.00	72.00		88.00	88.00	88.00	100.00	100.00
10.	कर्नाटक	912.00	912.00	912.00	859.00	747.00	747.00	859.00	709.00
11.	केरल	130.00	133.54	130.00	110.00	110.00	110.00	160.00	160.00
12.	मध्य प्रदेश	510.00	530.00	378.00	582.00	591.39	591.39	598.00	598.00
13.	महाराष्ट्र	974.00	974.00	974.00	1500.00	1418.00	1418.00	4162.00	4162.00
14.	मणिपुर	30.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	40.00	40.00	40.08	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
16.	मिजोरम	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	81.00	56.00	135.75	56.00	56.00	56.00	80.00	80.00
19.	पंजाब	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	370.00	370.00	370.00	400.00	400.00	400.00	445.00	457.00
21.	सिक्किम	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	230.00	230.00	547.00	330.00	830.00	830.00	526.00	589.00
23.	त्रिपुरा	55.00	8.00	0.00	55.00	55.00	55.00	50.00	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	785.00	737.00	780.00	785.00	779.00	779.00	794.00	525.00
25.	पश्चिम बंगाल	700.00	500.00	404.41	500.00	100.00	100.00	270.00	200.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
27.	चंडीगढ़	0.00		303.00	300.00		300.00	0.00	
28.	दादर व नगर हवेली	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
29.	दमन व दीव	4.50			3.50			1.50	
30.	दिल्ली	900.00	785.00	750.00	900.00		900.00	960.00	
31.	लक्षद्वीप	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
32.	पांडिचेरी	40.00	40.00	40.00	40.00	52.00	52.00	45.00	45.00
	अखिल भारत	7432.50	6279.54	6558.96	7847.50	6137.39	7337.39	10833.00	9454.00

विवरण-VI

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान ग्रामीण आवास के तहत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		अनुमोदित परि.	संशोधित परि.	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परि.	संशोधित परि.	अनुमोअनुमानित व्यय	अनुमोदित परि.	संशोधित व्यय	अनुमानित मानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6587.00	6587.00	6837.00	7787.00	7787.00	7787.00	10288.00	10288.00	10288.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.00	114.00	110.80	125.00	123.00	123.00	138.00	137.00	137.00
3.	असम	332.00	232.00	232.00	322.00	332.00	332.00	365.00	340.00	340.00
4.	बिहार	556.00		0.00	260.00		0.00	260.00		
5.	गोवा	23.00	3.00	0.52	20.00	9.00	9.00	20.00	15.00	15.00
6.	गुजरात	1800.00	1080.00	1540.00	1715.00	1715.00	1715.00	1764.00	1704.00	1704.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हरियाणा	386.00	386.00	583.01	984.00	954.00	954.00	1082.00	1052.00	1052.00
8.	हिमाचल प्रदेश	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00	500.00	500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	16.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	58.00	58.00	58.00
10.	कर्नाटक	12555.00	12555.00	11158.00	8053.00	5914.00	5914.00	8446.00	4385.87	4385.87
11.	केरल	225.00	225.00	209.48	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
12.	मध्य प्रदेश	800.00	800.00	546.16	800.00	800.00	800.00	1500.00	1045.00	1045.00
13.	महाराष्ट्र	216.00	173.00	133.19	1800.00	2159.00	2159.00	724.00	724.00	724.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	65.00	65.00	59.93	60.00	60.00	60.00	75.00	60.00	60.00
16.	मिजोरम	15.00	15.00	159.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00
19.	पंजाब	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
20.	राजस्थान	350.00	286.00	286.00	468.00	468.00	468.00	650.00	650.00	650.00
21.	सिक्किम	25.00	22.50	22.50	22.00	21.00	21.00	30.00	1000.00	1000.00
22.	तमिलनाडु	480.00	480.00	480.00	200.00	830.00	830.00	2010.00	2140.00	2140.00
23.	त्रिपुरा	135.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	1550.00	1543.00	1866.00	1915.00	1760.00	1760.00	1919.00	1919.00	1919.00
25.	पश्चिम बंगाल	37.00	25.00	31.01	31.01	20.00	20.00	27.00	20.00	20.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
27.	चंडीगढ़	0.00		30.00	1.00		1.00	1.00		
28.	दादर व नगर हवेली	16.00		16.00	30.00		30.00	0.00		
29.	दमन व दीव	3.81			3.81			4.55		
30.	दिल्ली	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	130.00	84.00	84.36	98.00	94.00	94.00	92.00	92.00	92.00
	अखिल भारत	27572.81	25105.50	24815.46	25152.82	23504.00	23535.00	30563.55	26649.87	

विवरण-VII

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.00	400.00	338.00	400.00	400.00	462.00	400.00	400.00
3.	असम	500.00		0.00	500.00	3600.00	500.00	2200.00	
4.	बिहार	700.00	60.00	206.00	300.00	72.00	300.00	790.00	120.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1900.00	1900.00	1936.00	1900.00	1900.00	1900.00	2700.00	2700.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	1000.00	900.00	781.00	675.00	675.00	676.00	800.00	743.00
15.	मेघालय	450.00	500.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00	150.00
16.	मिजोरम	900.00	810.00	1155.00	720.00	720.00	720.00	700.00	150.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	1200.00	800.00	1592.00	800.00	800.00	800.00	800.00	825.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	2700.00	2500.00	2700.00	2200.00	2600.00	2160.00	2700.00	2700.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	750.00	750.00	613.00	705.00	170.00	648.00	385.00	277.00
24.	उत्तर प्रदेश	4500.00	4500.00	4912.00	6500.00	3370.00	6500.00	4500.00	4500.00
25.	पश्चिम बंगाल	1000.00	800.00	720.00	1050.00	1050.00	1050.00	1265.00	1265.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अखिल भारत	16000.00	13920.00	15053.00	16000.00	15357.00	15716.00	17490.00	13831.00

विवरण–VIII

1993–94, 1994–95 तथा 1995–96 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993–94			1994–95			1995–96	
		अनुमोदित परि.	संशोधित परि.	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परि.	संशोधित परि.	अनुमोदित अनुमानित व्यय	अनुमोदित परि.	संशोधित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	70.00	55.00	75.00	0.00	0.00	68.00	66.00
3.	असम	70.00	70.00	65.00	70.00	70.00	70.00	148.00	78.00
4.	बिहार	300.00	60.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	
5.	गोवा	100.00	100.00	127.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.	गुजरात	300.00	300.00	332.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	315.00		22.00	30.00	30.00	30.00	235.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	500.00	500.00	508.00	1040.00	1192.00	1192.00	1050.00	
9.	जम्मू और कश्मीर	866.00	497.00					523.00	523.00
10.	कर्नाटक	130.00	125.00	125.00	116.00	116.00	116.00	1131.00	1880.78
11.	केरल	225.00	237.00	115.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00
12.	मध्य प्रदेश	250.00	250.00	134.00	232.00	530.79	531.00	370.00	
13.	महाराष्ट्र	18.00	18.00	22.00	118.00	19.00	19.00	200.00	
14.	मणिपुर	90.00	55.23	47.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00
15.	मेघालय	37.00	37.00	32.00	35.00	35.00	35.00	70.00	70.00
16.	मिजोरम	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	220.00	170.00	167.00	170.00	170.00	170.00	150.00	150.00
19.	पंजाब	175.00	175.00	131.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
20.	राजस्थान	40.00	120.00					240.00	240.00
21.	सिक्किम	10.00	5.00	10.00	20.00	5.00	5.00	25.00	25.00
22.	तमिलनाडु	50.00	50.00		1.00	0.01		389.00	351.00
23.	त्रिपुरा	20.00	20.00	38.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	801.00	274.00	801.00	1600.00	1576.00	1576.00	2576.00	1376.00
25.	पश्चिम बंगाल	218.00		0.00	4.00	0.00		214.00	50.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00		50.00	40.00		40.00	550.00	
27.	चंडीगढ़							36.00	
28.	दादर व नगर हवेली	5.00			0.00		0.00	0.00	
29.	दमन व दीव	5.00			5.00		5.00	0.00	
30.	दिल्ली							40.00	
31.	लक्षद्वीप	16.00		0.00	7.00		7.00	14.00	
32.	पांडिचेरी	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	कुल राज्य आवंटन	4961.00	3203.23	3161.00	5023.00	5203.80	5256.00	9879.00	5999.78
	कुल केंद्रीय आंवटन	3000.00			6000.00			6000.00	

विवरण-IX

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4668.00	4698.00	6038.00	4268.00	9900.00	9900.00	5600.00	4056.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	960.00	866.00	874.00	1023.00	1076.00	1076.00	1140.00	1136.00
3.	असम	3846.00	3346.00	3345.00	3846.00	3876.00	3876.00	5504.00	4102.00
4.	बिहार	7548.00	1472.00	1375.00	5500.00	1382.00	1382.00	7216.00	4369.00
5.	गोवा	375.00	375.00	490.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
6.	गुजरात	15621.00	3521.00	5331.00	6581.00	6381.00	6381.00	6516.00	5305.00
7.	हरियाणा	2240.00	2265.00	1562.00	2260.00	1940.00	1940.00	2490.00	2725.00
8.	हिमाचल प्रदेश	853.00	853.00	4585.00	1150.00	1940.00	1940.00	1925.00	2975.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2382.00	3154.00	3076.00	3715.00	3715.00	3715.00	3701.00	3701.00
10.	कर्नाटक	6370.00	6375.00	6375.00	8741.00	6241.00	6241.00	11425.00	9304.60
11.	केरल	4820.00	4854.00	4152.00	4798.00	4798.00	4798.00	5195.00	5195.00
12.	मध्य प्रदेश	3950.00	5150.00	4429.00	4968.00	5342.00	5342.00	5656.00	5856.00
13.	महाराष्ट्र	9568.00	10222.00	11082.00	13000.00	13000.00	13000.00	20221.00	23789.00
14.	मणिपुर	820.00	743.28	853.00	770.00	770.00	770.00	977.00	977.00
15.	मेघालय	1250.00	1250.00	1333.00	1135.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
16.	मिजोरम	300.00	300.00	304.00	340.00	300.00	300.00	300.00	300.00
17.	नागालैंड	400.00	287.00	309.00	310.00	300.00	300.00	450.00	450.00
18.	उड़ीसा	3185.00	2935.00	3170.00	3235.00	3235.00	3235.00	3376.00	3376.00
19.	पंजाब	2450.00	3294.00	3186.00	3300.00	2561.00	2561.00	4549.00	3114.00
20.	राजस्थान	7122.00	5648.00	5937.00	7265.00	8428.00	8428.00	10180.00	12245.00
21.	सिक्किम	325.00	330.00	360.00	380.00	367.00	367.00	402.00	717.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	6000.00	6000.00	6979.00	5999.00	4999.00	4999.00	6570.00	5570.00
23.	त्रिपुरा	800.00	733.00	742.00	874.00	874.00	874.00	1228.00	1211.00
24.	उत्तर प्रदेश	6152.00	6244.00	6794.00	7875.00	5384.00	5384.00	9533.00	10733.00
25.	पश्चिम बंगाल	1824.00	2004.00	2450.00	2484.00	2488.00	2488.00	4190.00	4266.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	350.00		389.00	400.00		400.00	410.00	
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	61.00		69.00	78.00		78.00	87.00	
29.	दमन व दीव	46.00		43.00	63.00		63.00	70.00	
30.	दिल्ली	400.00	400.00	528.00	400.00	400.00	400.00	500.00	
31.	लक्षद्वीप	70.00		105.00	87.00		87.00	90.00	
32.	पांडिचेरी	59.00	59.00	66.00	75.00	75.00	75.00	104.00	114.00
	कुल राज्य आवंटन	94815.00	77378.28	86331.00	95295.00	91147.00	91775.00	120980.00	116961.60
	कुल केंद्रीय आवंटन	74000.00			89000.00			111000.00	

विवरण-X

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन (अनंतिम)

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	125.00	80.00		125.00	80.00		50.00	75.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00		0.00			30.00	
3.	असम	0.00	0.00		0.00			130.00	
4.	बिहार	800.00	230.00		400.00	62.00		100.00	148.90
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	
6.	गुजरात	300.00	328.00		331.00	331.11		120.00	328.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	350.00	350.00		350.00	283.00		250.00	250.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	72.00	74.00		78.00	78.00		50.00	99.00
10.	कर्नाटक	513.00	1513.00		300.00	300.00		200.00	250.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	150.00	244.48		250.00	334.00		300.00	10.00
13.	महाराष्ट्र							65.00	
14.	मणिपुर	175.00	79.20		0.00	0.00		120.00	0.00
15.	मेघालय	100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00
16.	मिजोरम	150.00	150.00		100.00	100.00		300.00	100.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
18.	उड़ीसा	225.00	225.00		240.00	260.00		272.00	273.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
20.	राजस्थान	200.00	200.00		296.00	296.00		200.00	367.00
21.	सिक्किम	70.00	40.00		0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
22.	तमिलनाडु	106.00	106.00		118.00	114.00		100.00	145.00
23.	त्रिपुरा	40.00	33.80		40.00	40.00		50.00	45.00
24.	उत्तर प्रदेश	281.00	303.00		362.00	310.00		280.00	317.00
25.	पश्चिम बंगाल	150.00	150.00		165.00	165.00		140.00	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य आवंटन	4827.00	4226.48	0.00	3255.00	2853.11	0.00	3400.00	2507.90
	कुल केंद्रीय आवंटन	3010.00			3400.00			3400.00	

विवरण-XI

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पोषाहार के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय	अनुमानित मानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	800.00	800.00	1581.00	1600.00	1500.00	1500.00	3153.00	2653.00	2653.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	115.00	109.00	110.00	120.00	118.00	118.00	270.00	268.00	268.00
3.	असम	770.00	285.00	275.00	770.00	770.00	770.00	1645.00	745.00	745.00
4.	बिहार	3028.00	1162.00	1162.00	3028.00	1300.00	1300.00	3028.00	1373.00	1373.00
5.	गोवा	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
6.	गुजरात	10700.00	9100.00	9319.00	10700.00	10700.00	10700.00	11935.00	2843.00	2843.00
7.	हरियाणा	582.00	582.00	579.00	637.00	768.00	768.00	1106.00	1106.00	1106.00
8.	हिमाचल प्रदेश	200.00	185.00	185.00	400.00	390.00	390.00	425.00	425.00	425.00
9.	जम्मू और कश्मीर	437.00	200.00	208.00	347.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00
10.	कर्नाटक	1157.00	1147.00	1244.00	1399.00	1382.00	1382.00	3627.00	3315.17	3315.17
11.	केरल	350.00	353.00	318.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00
12.	मध्य प्रदेश	2000.00	2120.00	1528.00	3000.00	2190.00	2190.00	2200.00	2200.00	2200.00
13.	महाराष्ट्र	670.00	536.00	511.00	1000.00	1000.00	1000.00	1155.00	955.00	955.00
14.	मणिपुर	185.00	32.00	48.00	165.00	165.00	165.00	200.00	200.00	200.00
15.	मेघालय	215.00	203.00	167.00	238.00	233.00	233.00	238.00	238.00	238.00
16.	मिजोरम	115.00	109.00	109.00	115.00	98.00	98.00	135.00	135.00	135.00
17.	नागालैंड	175.00	126.00	126.00	154.00	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00
18.	उड़ीसा	500.00	662.00	1662.00	2783.00	1385.00	1385.00	4900.00	8000.00	8000.00
19.	पंजाब	514.00	100.00	100.00	200.00	170.00	170.00	200.00	150.00	150.00
20.	राजस्थान	400.00	373.00	371.00	800.00	550.00	550.00	1521.00	1221.00	221.00
21.	सिक्किम	120.00	120.00	120.00	170.00	170.00	170.00	207.00	246.00	246.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	तमिलनाडु	7257.00	7257.00	8853.00	10043.00	9101.00	9101.00	11603.00	11000.00	11000.00
23.	त्रिपुरा	640.00	640.00	643.00	730.00	730.00	730.00	715.00	530.00	530.00
24.	उत्तर प्रदेश	2322.00	1320.00	2239.00	2650.00	2207.00	2207.00	3040.00	3040.00	3040.00
25.	पश्चिम बंगाल	1000.00	617.00	766.00	744.00	645.00	645.00	1154.00	951.00	954.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	34.74	35.00	32.40	34.74	34.74	34.74	34.74	34.74	34.74
27.	चंडीगढ़	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00
28.	दादर व नगर हवेली	43.00	43.00	39.00	37.94	37.94	37.94	46.87	46.87	46.87
29.	दमन व दीव	15.00	15.00	16.16	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00	40.00
30.	दिल्ली	934.00	850.00	839.75	1000.00	1000.00	1000.00	1926.00	1926.00	1926.00
31.	लक्षद्वीप	8.00	8.00	15.11	15.00	15.00	15.00	17.00	17.00	17.00
32.	पॉडिचेरी	220.00	220.00	223.96	250.00	253.00	253.00	310.00	295.00	295.00
	अखिल भारत	35565.74	29368.00	33446.38	43614.68	37896.68	37896.68	56096.61	45221.78	45221.78

विवरण–XII

1993–94, 1994–95 तथा 1995–96 के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1993–94			1994–95			1995–96	
		अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	वास्त-विक व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित परि.	अनुमो-अनुमानित व्यय	अनु-मोदित परि.	संशो-धित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	800.00	800.00	761.83	800.00	750.00	750.00	1029.00	500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	309.00	279.00	279.14	346.05	339.00	346.05	448.00	448.00
3.	असम	1620.00	1695.00	1649.00	1890.00	1890.00	1871.00	2048.00	2048.00
4.	बिहार	6711.00	1110.00	1818.00	2700.00	996.00	996.00	2700.00	2400.00
5.	गोवा	232.00	232.00	184.60	232.00	189.00	162.00	170.00	170.00
6.	गुजरात	1650.00	1018.00	1748.17	1718.00	1718.00	1659.00	2160.00	2280.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	925.00	873.50	811.47	900.00	900.00	900.00	1063.00	1069.00
8.	हिमाचल प्रदेश	975.00	975.00	987.70	1257.00	1344.00	1286.85	1400.00	1400.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1560.00	1500.00	1574.97	1662.00	1662.00	1718.85	1946.00	1946.00
10.	कर्नाटक	3517.00	3517.00	3245.00	3438.00	3438.00	3414.00	3638.00	3168.95
11.	केरल	506.00	511.50	461.00	506.00	0.00	466.00	675.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2808.00	2262.18	2277.78	3350.00	3921.13	2403.48	2919.00	2919.00
13.	महाराष्ट्र	4741.00	3879.00	4440.99	3566.00	4884.00	4883.85	6698.97	7034.00
14.	मणिपुर	60.00	151.79	166.49	225.00	225.00	225.00	231.50	231.50
15.	मेघालय	483.00	500.00	483.00	500.00	535.00	535.00	946.00	946.00
16.	मिजोरम	200.00	400.00	454.68	328.00	273.80	303.82	400.00	400.00
17.	नागालैंड	100.00	72.00	72.00	175.00	95.00	174.68	175.00	311.00
18.	उड़ीसा	1207.00	1039.92	804.97	1489.47	909.50	1098.65	1293.00	1293.00
19.	पंजाब	601.00	742.00	717.00	1000.00	854.08	962.50	1100.00	819.00
20.	राजस्थान	2400.00	2173.00	2173.00	2950.00	3296.00	3700.00	8296.00	7504.00
21.	सिक्किम	245.00	111.55	111.55	250.00	101.00	101.00	170.00	184.00
22.	तमिलनाडु	2448.00	2448.00	2554.89	2679.00	2679.00	2934.20	3014.00	2831.00
23.	त्रिपुरा	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	460.00	345.00
24.	उत्तर प्रदेश	3924.00	3142.00	3492.23	4295.00	3976.00	5140.06	5361.00	5098.00
25.	पश्चिम बंगाल	1292.00	800.00	800.00	1107.00	600.00	1325.00	995.00	500.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	240.00		263.77	372.00	372.00	325.00	330.00	330.00
27.	चंडीगढ़	55.00		55.00	90.00	90.00	108.00	119.56	119.56
28.	दादर व नगर हवेली	24.76		10.75	38.00	38.00	38.10	45.00	45.00
29.	दमन व दीव	41.00		77.90	45.00	45.00	54.97	50.00	50.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	35.55		43.66	48.32	48.32	48.32	39.35	39.35
32.	पांडिचेरी	207.00	199.00	145.96	211.00	175.00	172.96	214.00	214.00
	अखिल भारत	40367.31	30881.44	33116.50	38617.84	36793.83	38554.34	50134.38	46644.16

मूल योजना से हट जाना

1758. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी मूल योजना से विभिन्न मंत्रालय हट गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी मंत्रालयवार क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि किसी मद विशेष हेतु निर्धारित धनराशि अन्य किसी मद पर खर्च न की जाए, क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). अनुमोदित पंचवर्षीय योजना के आधार पर मंत्रालयों द्वारा योजना कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है और इनके क्रियान्वयन की सहमति प्रदान की जाती है। योजना लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर योजना आयोग के साथ संबंधित मंत्रालयों के वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के दौरान अपेक्षित परिवर्तनों का अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदित योजनाओं से विचलित होने की कोई सूचना नहीं है।

प्राकृतिक गैस

1759. **श्री भक्त चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक गैस के मूल्य में 11 से 20 प्रतिशत वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित उपभोक्ता मूल्य क्या होगा;

(ग) इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) बढ़े हुए मूल्य कब तक लागू किये जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सरकार ने प्राकृतिक गैस मूल्यों में परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्राकृतिक गैस के मूल्यों में संशोधन करने की आवश्यक कार्रवाई इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

[हिन्दी]

जल आपूर्ति परियोजनाएं

1760. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी जल आपूर्ति परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, स्वीकृत की गई हैं तथा सरकार के पास लम्बित हैं, परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1.9.1893 से 31.8.1996 तक के दौरान प्राप्त/अनुमोदित उप मिशनों के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

1993-94 (सितम्बर, 1993 से अगस्त, 1994 तक)	48
1994-95 (सितम्बर, 1994 से अगस्त, 1995 तक)	33
1995-96 (सितम्बर, 1995 से अगस्त, 1996 तक)	16
	97

तकनीकी जांच के अन्तर्गत राज्य-वार तेरह लम्बित प्रस्तावों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं, इन परियोजनाओं पर 1996-97 के अन्त से पूर्व उनके गुणों के आधार पर निर्णय लिए जाने की संभावना है :-

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	हरियाणा	जिला रेवाड़ी में फ्लोरोसिस पर नियंत्रण	1069.55
2.	गुजरात	1. खेड़ा जिले में खीरोली क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना	1024.11
		2. खेड़ा जिले में नमनार क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना	792.75

1	2	3	4
3.	केरल	आझीकोड तथा इडाविलांगू गांव, वेंकीडांगू तथा कोझी जामापारा और निकटवर्ती गांवों के फेज II और III के लिए जल सप्लाई योजना	1166.50
4.	उड़ीसा	1. खुर्दा जिले के सिंगेस्वर तथा निकटवर्ती गांवों के 35 गांवों को जल सप्लाई	203.63
		2. खुर्दा जिले के सुनानेरी तथा निकटवर्ती 4 गांव	63.57
		3. खुर्दा जिले के राहमबीली तथा 5 गांव	22.88
		4. खुर्दा जिले के हाटाबारीदी चिलका तथा निकटवर्ती गांव-5 गांव	45.90
		5. खुर्दा जिले के चण्डेश्वर-1 गांव	24.92
		6. खुर्दा जिले के सरना तथा निकटवर्ती गांव - 3गांव	148.28
		7. खुर्दा जिले के अमोराली तथा निकटवर्ती गांव - 3 गांव	27.02
5.	पश्चिम बंगाल	दक्षिणी 24 परगना जिले के संखियाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सतही जल सप्लाई योजना	26011.0
6.	असम	कच्छार जिले में लौह दूर करने वाले संयन्त्रों की स्थापना	35.80

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन

1761. श्री सत महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मैदानों की अपेक्षा पहाड़ी राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है तथा इसका अब तक कितना दोहन हुआ है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कितनी राशि की सहायता/अनुदान दिया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश के संबंध में (31.10.96 के अनुसार) उपलब्ध और विकसित/विकासधीन शक्यता का ब्यौरा निम्नवत है :-

	60 प्रतिशत भार अनुपात पर मे.वा.
कुल हिमाचल प्रदेश शक्यता	11647
विकसित शक्यता	2007
विकासाधीन शक्यता	525

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए योजना आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को आवंटित की गई सकल और निवल केन्द्रीय सहायता निम्नवत है :-

(करोड़ रुपये में)

1993-94	273.49 (सकल)	270.93 (शुद्ध) *
	+4.50 (ए.सी.ए)	+4.50 (ए.सी.ए)#
1994-95	328.25 (सकल)	325.83 (शुद्ध)*
	+4.82 (ए.सी.ए.)	+ 4.82 (ए.सी.ए.)
1995-96	485.04(शुद्ध)	375.46 (शुद्ध)#
	+16.46 (ए.सी.ए.)	+16.46 (ए.सी.ए)

* गत वर्ष हेतु समायोजन करने के पश्चात् भुगतान किया गया।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

विद्युत संयंत्र का आधुनिकीकरण

1762. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार किन-किन विद्युत स्टेशनों तथा विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया गया तथा उन्नत बनाया गया;

(ख) उनकी पूर्व विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वर्तमान क्षमता के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). वे विद्युत यूनिटें, जिनका पिछले दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण तथा कोटि उन्नयन किया गया, उनके नाम पिछले एवं वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). विद्युत की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :-

1. क्षमता अभिवृद्धि।
2. मांग पक्ष प्रबंधन संबंधी उपाय।
3. विद्यमान संयंत्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण।
4. ऊर्जा संवर्धन।
5. पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना।
6. अंत:क्षेत्रीय संपर्कों के माध्यम से अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण करके विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रभावकारी ढंग से समुपयोजन करना।

विवरण

क्र.सं.	यूनिट	प्रकार	राज्य (मेगावाट)	पूर्व क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान क्षमता
1.	डीवीसी की दुर्गापुर-3	ताप	पश्चिम बंगाल	130	140
2.	एनएलसी-1 और 2 चरण-1	ताप	तमिलनाडु	2×45	2×50
3.	एनएलसी-9 चरण-1	ताप	तमिलनाडु	1×95	1×100
4.	सतपुड़ा-6	ताप	मध्य प्रदेश	1×150	1×180
5.	सतपुड़ा-7	ताप	मध्य प्रदेश	160	180
6.	भाखड़ा-दाहिना किनारा	जल	पंजाब	132	157
7.	नागझरी-2	जल	कर्नाटक	135	150

[अनुवाद]

मांस और कुक्कट प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण

1763. श्री हरिन पाठक : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांस और कुक्कट प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में सरकार की विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान योजना स्कीमों में संलग्न दस्तकारों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न संगठनों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने दस्तकारों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं में मांस (सुअर, भेड़ और बकरी मांस, खरगोश और भैंस मांस) पाल्ट्री मांस और अंडा प्रसंस्करण का विकास किया जाता है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार के उपक्रमों, (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों तथा जनजातीय बहुल जनसंख्या वाले राज्यों में स्थित), सरकारी क्षेत्रों, पंजीकृत सोसायटियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र उद्योग सहित निजी सहभागियों और निजी उद्यमियों को राज्य सरकार के उपक्रमों/बैंकों आदि के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के विकास, ढुलाई के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षित जनशक्ति विकास के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

इन स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग). पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता और प्रशिक्षित किए गए दस्तकारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	सहायता अनुदान	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या
1993-94		
असम	3.173	85
आंध्र प्रदेश	0.90	25
महाराष्ट्र	1.80	45
मणिपुर	0.72	25
1994-95		
असम	5.32	140
आंध्र प्रदेश	1.936	50
महाराष्ट्र	1.790	50
बिहार	1.00	25
मणिपुर	2.45	75
1995-96		
असम	6.564	180
महाराष्ट्र	0.999	25
तमिलनाडु	1.20	30

बिटूमन घोटाला

1764. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिटूमन घोटाला, जिसमें परिवहन कम्पनियां, राज्य सरकार के अधिकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कम्पनियां शामिल हैं, के संबंध में छान-बीन हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया है;

(ख) इस घोटाले में कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) घोटाले के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं तथा इस संबंध में किस प्रकार की अनियमितता बरती गयी है जिसके परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है;

(घ) बिटूमन के असमान वितरण का क्या कारण है जिसके कारण ढुलाई में व्यवधान हुआ है तथा रियायती उत्पादों की कालाबाजारी की गयी है;

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गयी जांच का निष्कर्ष क्या है; और

(च) इस घोटाले को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग). तेल कंपनियों के सतर्कता संगठन से प्राप्त हुई कुछ एक रिपोर्टों के आधार पर तेल समन्वय समिति (ओ सी सी) द्वारा एक विशेष जांच पड़ताल की गई थी तथा देश के विविध क्षेत्रों के अंतर्गत बिटूमेन के परिवहन तथा विपणन के संबंध में कुछ एक अनियमितताओं का पता चला था। चूंकि इनमें निजी परिवहनकर्त्ताओं तथा राज्य सरकार कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शामिल होने का संदेह किया गया था तथा इनमें अंतर्ग्रस्त धनराशि काफी अधिक थी, इसलिए विस्तृत जांच के लिए मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था। तेल समन्वय समिति की विशेष जांच पड़ताल रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया था कि निजी परिवहनकर्त्ताओं ने विविध भंडारण बिन्दुओं के बीच बिटुमेन के परिवहन, जो कि वास्तव में किया ही नहीं गया था, के संबंध में भुगतानों के लिए दावेदारी की थी। तेल कंपनियों द्वारा ऐसे दावों के संबंध में भुगतान किया गया था तथा वास्तविक परिवहन अथवा अन्यथा बिटुमेन के सत्यापन के बगैर तेल समन्वय समिति से तत्संबंधित प्रतिपूर्ति के लिए दावेदारी की गई थी।

(घ) बिटुमेन एक निर्धारित उत्पाद है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका राज्यवार आबंटन राज्य सरकारों के साथ परामर्श से तेल कंपनियों द्वारा जरूरतों के संबंध में किए गए अनुमान के आधार तथा राज्य सरकारों द्वारा-उत्पाद की पहले की जाती रही खरीद के आधार पर भी किया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) ऐसे घोटालों को रोकने के लिए तेल कंपनियां, पेट्रोलियम उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की गतिविधि की ध्यानपूर्वक निगरानी करेंगी।

भूकम्प

1765. श्री एस. अलघ कुमार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्रिसूर जिले के तलापल्ली तालुकों में भूकम्प के कारणों की जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरीय दल गठित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चोगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी नहीं।

(ख) केरल के त्रिसूर क्षेत्र में भूकम्प की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1994-95 में क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से इस मामले की जांच की थी, जब कुछ मामूली झटके रिकार्ड किये

गये थे और यह रिपोर्ट राज्य सरकार को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक अन्य दल धिसूर क्षेत्र में और अधिक अध्ययन के लिए अब क्षेत्र सर्वेक्षण कर रहा है।

पानी में आग

1766. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6-12 अक्तूबर, 1996 के "दि सनडे आब्जरवर आफ बिजिनेस एण्ड पालिटिक्स" के नई दिल्ली संस्करण में "फायर इन वाटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसमें उल्लिखित मामलों के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी पर्यावरणीय आपदाओं को रोकने के लिए मंत्रालय ने क्या उपाए किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पिछले एक वर्ष में अपटतीय रिगों पर आग लगने की केवल दो छोटी घटनाएं घटी हैं।

(घ) उक्त रिगों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आग बुझाने वाली प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

1767. **श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों व केन्द्र द्वारा वित्तीय कार्यनिष्पादन के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा, नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, नहीं। यद्यपि योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के निष्पादन का मध्यावधि मूल्यांकन किया है जिसमें आयोग द्वारा केन्द्र और राज्यों के निष्पादन की समीक्षा की गई है। पुनरीक्षा ने दर्शाया है कि केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय की कमोवेश उपलब्धि कर ली जाएगी लेकिन राज्यों के मामले में परिव्ययों की उपलब्धि में कुछ कमी रहेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के मध्यावधि मूल्यांकन प्रारूप की प्रति पहले ही संसद के पुस्तकालय में रखवा दी गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

नवी नगर ताप विद्युत परियोजना

1768. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नवी नगर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए किन-किन कंपनियों ने निविदाएं दी तथा किस कंपनी को यह निविदा दी गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां। पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय की तरफ से नवी नगर में 2000 मे.वा. (4×500 मेगा.) क्षमता की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए स्थापना करने के लिए परियोजना विकासकर्त्ताओं की "पूर्व अर्हताओं" हेतु जांच आरंभ कर दी है। यह नोटिस 30 अगस्त, 1996 को जारी किया गया था।

(ख) अभी तक भावी विकासकर्त्ताओं द्वारा निविदाएं प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की शहरी परियोजनाएं

1769. **श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की कुछ शहरी विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं। छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति इन परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सक्षम है।

(ख) से (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान, महाराष्ट्र के छह (6) कस्बों को 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि राज्य स्तरीय अनुमोदन

समिति ने यद्यपि 10 कस्बों को परियोजनाएं अनुमोदित की थीं। लेकिन प्रथम छह कस्बों के लिए ही केन्द्रीय सहायता राशि जारी की जा सकी। राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त शेष चार कस्बों-अमरावती, शहादा, नवापुर तथा कुरूंदवाड को 1995-96 के दौरान केन्द्रीय धन नहीं दिया जा सका। ये कस्बे राज्य को 1995-96 के लिए तय नियतन राशि से बाहर हैं। ऐसी हालत में, अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इन कस्बों को केन्द्रीय सहायता कब प्रदान की जाएगी। वर्ष 1996-97 में अतिरिक्त कस्बों के लिए धन की अदायगी चालू परियोजनाओं के लिए वायदा राशि की पूर्ति के बाद, अधिशेष धन उपलब्ध होने, राज्यांश राशि की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. के तहत पूर्व-प्रदत्त धन के बारे में राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

राजस्थान तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच विवाद

1770. **श्री भेरुलाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच गैस पर आधारित विद्युत स्टेशनों से शुल्क के संबंध में कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान रा.बि. बोर्ड सहित सभी लाभभोगी रा.बि.बोर्ड तथा एनटीपीसी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के उपरांत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अब एनटीपीसी गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए टैरिफ को अंतिम रूप दे दिया है। अधिसूचना जारी करने के लिए के.वि.प्रा. ने अब अपनी सिफारिशें विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

निजी क्षेत्र द्वारा परती भूमि का विकास

1771. **श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत निर्धारित शर्तें क्या हैं और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परती भूमि विकास हेतु सरकार को निजी क्षेत्र से कोई सुझाव/योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 से वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना-निवेश संवर्धन योजना कार्यान्वयन के अंतर्गत है। इस योजना में बंजरभूमि के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। निवेश संवर्धन योजना को केन्द्र तथा राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्राम समुदायों, निजी किसानों आदि की वनेतर क्षेत्रों मे बंजरभूमि के विकास के लिए प्रयोक्ता उद्योगों और अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थानों, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाने/उनका सरणीकरण/उन्हें कारगर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुमोदित तथा निर्धारित परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, को संवर्धनात्मक सब्सिडी/सहायता के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु बैंक योग्य/उपयुक्त परियोजनाओं को बनाने हेतु परियोजना लागत के 1 प्रतिशत की दर से परियोजना बनाने हेतु सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ). दिए गए कई महत्वपूर्ण सुझावों में (1) राज्य/जिला स्तर पर बंजरभूमि पर जिला-वार सूचना उपलब्ध कराना, (2) बंजरभूमि का व्यापक प्रचार तथा जागरूकता पैदा करने वाले अभियानों पर अधिक बल देना, (3) राज्य सरकारों के क्षेत्र में जो बंजरभूमि है, उसे निजी क्षेत्र को पट्टे पर आबंटित करना शामिल है।

कांडला-भटिंडा परियोजना

1772. **प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई ओ सी ने कांडला-भटिंडा परियोजना पाइप लाइन के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए स्कोडाएक्सपोर्ट से एक सौ करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया है और स्कोडाएक्सपोर्ट ने परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा डाले जाने के लिए प्रति दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). संयुक्त कार्य संविदाकार मैसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट कं.लि. द्वारा कांडला-भटिंडा पाइपलाइन के शेष कार्यों के निष्पादन में अनिश्चितता के कारण संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकार के खर्चे व जोखिम पर कार्य पूरा करने हेतु आंशिक

शुरूआत तथा साधन जुटाने के लिए असमायोजित अग्रिमों की वसूली तथा गैर कार्यनिष्पादन के लिए आई ओ सी द्वारा मैसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट को बैंक गारंटियों का सहारा लिया गया है।

[हिन्दी]

बिजली के पारेषण एवं वितरण में हानि

1773. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत वितरण में हानि विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक विद्युत बोर्ड द्वारा पारेषण तथा वितरण में कितने प्रतिशत विद्युत की हानि होती है;

(घ) अन्य विकसित देशों में पारेषण तथा वितरण में विद्युत की अनुमानित कितनी हानि होती है; और

(ङ) पारेषण तथा वितरण में इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी हां। वर्ष 1994-95 के दौरान देश में पारेषण एवं वितरण हानियां 21.13 प्रतिशत रही हैं और यह विश्व के दूसरे अधिकतर देशों की अपेक्षाकृत अधिक है। विकसित तथा विकासशील देशों में पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण-I और II में संलग्न है।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान रा.बि.बो./बिजली विभागों की पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है।

(घ) विकसित देशों में हानियां 6 से 1 प्रतिशत तक हैं जैसाकि उपरोक्त संदर्भित विवरण-I में दिए गए ब्यौरों से देखा जा सकता है।

(ङ) वर्तमान में वितरण कार्य राज्य विद्युत बोर्डों के हाथ में है, जिन्हें पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए यथोचित उपाय करने पड़ते हैं। तथापि पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए भारत सरकार ने विद्युत यूटिलिटियों के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकाधिक हानियों के लिए जिम्मेदार प्रणाली घटकों को अभिज्ञात करने के वास्ते ऊर्जा लेखा परीक्षा कराना, वोल्टता प्रोफाइल सुधारने के लिए केपिसिटरों की अधिष्ठापना करना, अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार लाने तथा इन्हें सशक्त बनाने के वास्ते प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्सों की अधिकष्ठापना करना तथा ऊर्जा की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना शामिल है। अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना तैयार की है।

विवरण-I

विभिन्न देशों (सार्वजनिक यूटिलिटियां) में पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत

क्र.सं.	देश	1989	1990	1991	1992
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रिया	7.19	7.34	7.44	7.19
2.	बेल्जियम	5.64	5.82	5.59	5.51
3.	कनाडा	9.45	8.44	8.74	8.44
4.	चेकोस्लोवाकिया	7.91	9.86	8.00	8.50
5.	डेनमार्क	5.65	5.17	6.92	6.70
6.	फिनलैंड	5.64	5.91	5.04	5.89
7.	फ्रांस	8.25	8.18	8.28	7.64
8.	जर्मन डी आर	8.05	9.15		-
9.	जर्मन एफ आर	4.18	4.63	-	-
10.	जर्मनी		-	5.17	4.87
11.	ग्रीस	8.12	9.05	8.88	7.92

1	2	3	4	5	6
12.	हंगरी	11.11	11.09	11.06	9.43
13.	आयर लैंड	9.70	9.78	10.00	9.71
14.	इटली	8.54	7.83	8.15	7.84
15.	नार्वे	8.53	10.43	7.40	9.71
16.	पोलैंड	10.58	9.83	12.43	13.85
17.	स्पेन	9.10	10.00	10.01	10.05
18.	स्वीडन	7.20	7.00	6.57	7.11
19.	स्विटजरलैंड	8.03	7.97	7.97	8.03
20.	यूएसएसआर	9.45	9.32	–	–
21.	रूसी संघ	–	–	8.98	9.59
22.	यू के	8.53	8.25	8.80	9.20
23.	यूएसए	5.70	5.68	7.93	8.97
24.	भारत*	23.28	22.89	22.83	21.80

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए यूरोप संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विद्युत ऊर्जा सांख्यिकी का वार्षिक बुलेटिन।

सामान्य पुनरावलोकन : के.वि.प्रा. द्वारा प्रकाशित।

टिप्पणी : * वित्तीय वर्षों के लिए।

विवरण–II

विकासशील देशों (सार्वजनिक यूटिलिटियां) में पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत

क्र.सं.	देश का नाम	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अल्जीरिया	14.09	15.55	18.51	15.07	16.32	13.31
2.	बंग्लादेश	39.64	38.55	30.10	35.57	38.95	39.09
3.	ब्राजील	13.28	13.26	13.70	13.31	14.67	14.00
4.	चाइल	17.67	18.77	15.41	14.72	12.91	12.07
5.	कोलंबिया	17.46	25.83	24.25	23.70	22.94	21.54
6.	कोस्टारिका	10.20	10.44	10.16	17.62	11.45	11.46
7.	ग्वाटेमाला	15.97	16.31	16.08	एन.ए.	16.82	18.96
8.	इंडोनेशिया	20.84	19.02	18.42	17.98	17.84	17.73
9.	जोर्डन	15.91	13.27	10.99	10.07	10.51	11.00
10.	केन्या	13.42	16.47	15.46	15.45	15.41	15.04
11.	कोरिया गणराज्य	5.85	5.60	5.93	5.49	5.50	5.66
12.	कुवैत	9.02	9.32	9.02	8.40	एन.ए.	एन.ए.
13.	मलेशिया	11.96	11.75	11.38	9.63	15.69	15.45
14.	म्यांमार	30.13	34.05	27.96	26.16	36.29	36.08

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	नेपाल	28.21	32.67	28.39	28.84	28.38	25.38
16.	फिलीपिंस	21.73	19.80	18.37	16.51	20.45	21.95
17.	पाकिस्तान	22.36	22.24	20.64	21.34	20.60	20.32
18.	पेरू	13.67	13.52	13.91	14.46	एन.ए.	एन.ए.
19.	श्रीलंका	16.31	14.83	17.26	16.78	18.25	18.26
20.	सिंगापुर	4.97	4.99	5.00	5.00	एन.ए.	एन.ए.
21.	थाईलैंड	10.64	10.50	10.20	10.85	11.08	10.67
22.	ट्यूनिसिया	13.51	14.04	13.62	13.83	12.40	12.67
23.	उरगुए	23.62	21.77	19.12	21.72	19.96	22.37
24.	जिम्बाबवे	8.93	9.73	6.76	9.74	12.81	13.20
25.	भारत*	22.48	22.31	23.28	22.89	22.83	21.80

टिप्पणी : 1. * वित्तीय वर्षों के लिए आंकड़े

2. एन.ए. -आंकड़े उपलब्ध नहीं।

स्रोत : 1. अधिशेष ऊर्जा तथा विद्युत प्रोफाइल

2. सामान्य पुनरावलोकन -के.वि.प्रा. द्वारा प्रकाशित

विवरण-III

राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली विभागों में परिणमन, पारेषण एवं वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियां जैसे चोरी आदि समेत)

क्षेत्र	राबि.बो/ वि. विभाग	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	27.49	26.79	26.78	25.00	30.80
	2. हिमाचल प्रदेश	21.45	20.37	19.51	18.31	18.21
	3. जम्मू और कश्मीर	42.33	49.21	48.28	45.69	48.74
	4. पंजाब	18.97	21.52	19.24	19.37	16.90
	5. राजस्थान	25.92	23.11	22.74	25.00	24.78
	6. उत्तर प्रदेश	26.93	26.06	24.43	24.08	21.69
	7. चंडीगढ़	23.72	29.64	26.21	27.27	28.44
	8. डेसू	23.86	24.35	23.56	31.79	34.56
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	23.71	23.56	22.03	20.34	20.02
	2. मध्य प्रदेश	24.94	25.08	21.35	20.26	19.61
	3. महाराष्ट्र	18.06	18.40	17.83	16.22	16.33
	4. दादर व नगर हवेली	17.69	19.66	17.98	12.64	11.35
	5. गोवा	24.97	23.78	21.85	24.50	26.87
	6. दमन व दीव	16.85	15.90	15.67	22.34	16.30

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी क्षेत्र	1. आंध्र प्रदेश	22.43	19.70	19.88	19.91	17.95
	2. कर्नाटक	20.11	19.88	19.55	19.55	19.41
	3. केरल	21.67	21.67	21.95	20.00	20.05
	4. तमिलनाडु	18.74	18.63	17.50	17.18	17.11
	5. लक्षद्वीप	18.62	17.43	18.72	16.99	17.84
	6. पांडिचेरी	19.20	18.00	15.31	15.80	15.00
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.09	23.19	22.00	20.35	19.76
	2. उड़ीसा	25.29	24.65	25.25	22.43	23.03
	3. सिक्किम	24.53	25.89	22.55	22.60	21.22
	4. पश्चिम बंगाल	21.81	22.26	24.87	20.82	21.91
	5. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19.83	21.66	23.62	23.71	22.38
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	24.10	21.76	21.41	22.44	24.18
	2. मणिपुर	28.02	24.43	22.35	23.92	25.30
	3. मेघालय	11.80	11.49	11.79	18.03	18.47
	4. नागालैंड	26.08	23.14	27.26	33.45	36.12
	5. त्रिपुरा	29.59	31.96	30.64	30.53	31.96
	6. अरुणाचल प्रदेश	19.99	28.20	32.32	42.04	45.30
	7. मिजोरम	29.63	34.95	29.04	31.89	29.76
	अखिल भारत (यूटिलिटीज)	22.89	22.83	21.80	21.41	21.13

[अनुवाद]

पाइपलाइन परियोजना

1774. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने दो देशों के बीच 2000 कि.मी. लम्बी गैस पाइप लाइन बिछाने संबंधी परियोजना कार्यान्वयन करने में निकट सहयोग हेतु हाइड्रोकार्बन्स और परिवहन क्षेत्र की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में दो देशों के बीच इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). पाइपलाइन के द्वारा ईरान से भारत को 50-75 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस का आयात करने के लिए भारत और ईरान के बीच जुलाई, 1993 और तदुपरांत नवम्बर, 1993 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं

1775. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कितने विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के प्रस्ताव हैं;

(ख) उक्त प्रस्ताव किन-किन स्तरों पर लंबित पड़े हैं;

(ग) उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) उन विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य के लिए किसी परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

"नाफ्था और लो स्टॉक हार्ड सल्फर" की सप्लाई

1776. **श्री एस.डी. एन.आर. वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्रस्तावित "बार्ज माउंटिड" विद्युत संयंत्रों हेतु "नाफ्था" और "लो स्टॉक हार्ड सल्फर" की सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो "नाफ्था" और "लो स्टॉक हार्ड सल्फर" की कितनी मात्रा की आवश्यकता है; और

(ग) इनकी सप्लाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां। कर्नाटक में निजी क्षेत्र में चार बार्ज माउटेंड विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु 0.870 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक नाफ्था का आबंटन करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अनुरोध किया हैं।

(ग) तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए नाफ्था और अन्य तरल ईंधन का आबंटन करने हेतु मानदण्डों को अंतिम रूप देने संबंधी उपरोक्त अनुरोध सरकार के ध्यान में है।

दमन-दीव में पेयजल की आपूर्ति

1777. **श्री गोपाल टंडेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति संबंधी एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). जी, हां। दमन तथा दीव प्रशासन ने बताया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दीव तथा सम्मीपवर्ती गांवों में जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। फेज-I भाग-I का कार्य हो गया है और यह अप्रैल, 1994 में चालू हो गया है तथा ढाबेल, रिंगनवाड़ा, वारगुण्ड, मेनसलोर इनेडा गांव और पानी दमन शहरी इलाकों को लाभान्वित किया गया है।

शेष बस्तियों का कार्य चल रहा है तथा जुलाई 1997 तक पूरा हो जाएगा।

दीव जिल के लिए रावल सिंचाई योजना से 4.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन की जल आपूर्ति योजना पहले ही पूरी हो चुकी है।

(ग) जहां ये योजनाएं लागू की गई हैं, वहां ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रही हैं।

बंगलौर त्वरित जन परिवहन प्रणाली

1778. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर त्वरित जन परिवहन प्रणाली का कार्य पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि बंगलौर त्वरित जन परिवहन प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.वी.आर.) तैयार की जा रही है। बंगलौर त्वरित जन परिवहन प्रणाली के पूर्ण होने की समय सीमा, केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने पर ही दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण

1779. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनेक योजनाओं तथा परियोजनाओं हेतु सरकार/राज्य सरकारों/विशेषरूप से नोएडा/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि को उंचे दामों पर बेचा जा रहा है जबकि इस भूमि के किसानों/मालिकों को दी गई इसकी कीमत/मुआवजा बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस अधिग्रहीत भूमि के लिए किसानों/स्वामियों को समुचित दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रसारण कार्यपालक

1780. डा. अरविन्द शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दूरदर्शन/आकाशवाणी में "प्रसारण कार्यपालक" के पद हेतु वर्ष 1994 में आयोजित की गयी लिखित परीक्षा में दिल्ली केन्द्र से 33 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या साक्षात्कार के पश्चात् केवल दो उम्मीदवारों का ही चयन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है चाहे वे साक्षात्कार में सफल हुए हों अथवा असफल;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा में अंक देने में रियायत दी गयी थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आरक्षित पदों को भरने हेतु क्या मानदंड अपनाये गए हैं;

(छ) क्या वर्तमान सरकार की बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरदर्शन/आकाशवाणी, दिल्ली में सभी रिक्तियों को भरा जाएगा और क्या उक्त लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नामों को आरक्षित पदों को भरे जाने हेतु नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसित किया जाएगा;

(ज) यदि हां, तो कब तक; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) प्रसारण कार्यपालक (सामान्य तथा निर्माण) परीक्षा, 1994 के परिणामों के आधार पर 33 उम्मीदवारों, जिनमें 17 आरक्षित वर्गों से संबंधित थे, को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

(ख) और (ग). जी, हां। वर्ष 1994 की परीक्षा के माध्यम से चयन के लिए उपयोक्ता विभागों द्वारा दिल्ली केन्द्र के लिए मात्र दो रिक्तियां सूचित की गई थीं जिनमें एक आरक्षित तथा एक अनारक्षित थी।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च). जी, हां। मामले से संबद्ध सभी संगत पहलुओं पर विचार करके आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट की सीमा निर्धारित करता है।

(छ) से (झ). कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न केन्द्रों में उपयोक्ता विभाग द्वारा यथा-सूचित प्रसारण कार्यपालक रिक्तियों के लिए चयन करता है।

विवरण

प्रसारण कार्यपालक (जनरल तथा प्रोडक्शन), 1994 की भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम

क्र.सं.	क्षेत्र	सफल उम्मीदवारों की संख्या						
		अनु. जा.	अनु. जन. जाति	अन्य पिछडे वर्ग	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक	अस्थि विकलांग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हिमाचल प्रदेश	6	10	1	26	-	-	43
2.	जम्मू और कश्मीर	16	5	-	10	-	-	31
3.	दिल्ली	12	2	3	16	-	-	33
4.	चंडीगढ़/हरियाणा/पंजाब	12	1	17	16	-	-	46
5.	राजस्थान	17	27	40	24	14	-	122
6.	बिहार	6	12	9	9	-	-	36
7.	मध्य प्रदेश	-	-	11	81	15	-	107
8.	उत्तर प्रदेश	10	7	7	47	-	-	81
9.	पश्चिम बंगाल	22	8	14	47	1	-	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	3	5	11	–	–	21
11.	उड़ीसा	13	41*	11	22	–	–	87
12.	अरुणाचल प्रदेश	3	18	4	45	–	–	70
13.	असम	10	9	15	8	1	–	43
14.	मणिपुर	2	2	–	8	–	–	12
15.	मेघालय	–	15	4	9	–	–	28
16.	मिजोरम	–	15	–	3	–	–	18
17.	नागालैंड	1	14	–	14	–	–	29
18.	त्रिपुरा	5	10	–	13	–	–	28
19.	महाराष्ट्र, दादर व नगर हेवली	11	10	10	20	–	1	52
20.	गोवा	–	–	–	9	–	–	9
21.	गुजरात	10	9	21	40	3	1	84
22.	आंध्र प्रदेश	21	7	10	11	–	–	49
23.	कर्नाटक	7	7	15	22	2	–	53
24.	केरल – लक्षद्वीप	2	2	2	16	–	–	22
25.	तमिलनाडु – पांडिचेरी	17	7	38	10	6	–	78
	कुल	215	241	237	537	42	2	1274

* इसमें । अनु.जनजाति/भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं।

दुकानों का आवंटन

1781. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के पश्चिम पुरी के पाकेट I, II, तथा III में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ दुकानों को निर्धारित मूल्य/न्यूनतम मूल्य पर आवंटित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने दुकान अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं;

(घ) पश्चिम पुरी/पश्चिम विहार में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित ऐसी दुकानों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इन दुकानों को उन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करने का प्रावधान है जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित प्रश्न के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो क्या सरकार इन दुकानों का आवंटन विशेषतः अनुसूचित जातियों के ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें स्वरोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया है, को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित धनराशि प्राप्त करने के पश्चात आवंटित कराने की व्यवस्था करेगी; और

(च) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) डी.डी.ए. ने बताया है कि पश्चिम पुरी के ब्लाक "ए" तथा ब्लाक "बी", पाकेट बीजी-6 में स्थित दो सुविधा बाजारों में कुल 42 दुकानें हैं।

(ख) और (ग). दो दुकानें (दुकान नं, 26 तथा 17 सुविधा बाजार, ब्लाक-बी, पाकेट बीजी-6). एक नियत मूल्य पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों के लिए बनी 8 दुकानें (2 दुकानें सीएससी ब्लॉए ए तथा 6 दुकानें सीएससी ब्लाक बी) खाली पड़ी हैं।

(घ) से (च). उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेख के अनुसार पश्चिम पुरी के विपणन केन्द्रों में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों के लिए बनी 8 दुकानें खाली पड़ी है। विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग विभाग ने बताया है कि प्रधान मंत्री की रोजगार योजना राज्य सरकारों/संघ के माध्यम से लागू की गई हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकारें/संघ प्रशासन अवस्थापना सहायता देकर तथा

उद्योग, सेवा एवं व्यापार मार्गों में लघु उद्योगों की स्थापना में आने वाली समस्याएं दूर करके लाभार्थियो की सहायता प्रदान करते हैं।

डीडीए की मौजूदा नीति के अनुसार, अ.ज./अ.ज.जा. श्रेणियों के आवेदनों को दुकानों का आवंटन पुनः निर्धारित कीमत पर किया जाता है।

उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान

1782. **श्री पी. कोदंड रमैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन किए जाने संबंधी मामला बहुत लम्बे समय से मध्यस्थता बोर्ड के समक्ष लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को उक्त मामला निपटारे हेतु मध्यस्थता बोर्ड को सौंपा गया था;

(ग) इस लम्बित मामले के निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त मामले का निपटारा अब किस स्थिति में है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ङ). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन संबंधी मामला मई, 1992 में विवाचन बोर्ड को भेजा गया था और यह अभी भी उनके पास लम्बित पड़ा है। इस बोर्ड द्वारा इस मामले की सुनवाई जून, 1994, सितम्बर, 1994, मार्च, 1995 तथा जून, 1995 में की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 24/25 जुलाई, 1996 को होनी थी किंतु बोर्ड द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया था। इस मामले में आगे की कार्रवाई बोर्ड का अधिनिर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी।

पेयजल आपूर्ति योजना

1783. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ब्रिटेन के सहयोग से पेयजल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत-ब्रिटेन समझौते का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ब्रिटेन सरकार के साथ 16,460 मिलियन पाउंड की लागत से महाराष्ट्र ग्रामीण पेजयल आपूर्ति परियोजना के लिए 10 सितम्बर, 199। को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना में महाराष्ट्र के जलगांव, धुले और नासिक जिलों के गांवों में पाइपों द्वारा पानी की सप्लाई उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है। 16460 मिलियन पाउंड के कुल नियतन में से अब तक 5.330 मिलियन पाउंड वितरित किए गए हैं।

(ग) किसी अन्य पेयजल आपूर्ति योजना के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ फिलहाल कोई समझौता नहीं किया गया है।

तरल ईंधन पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

1784. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1996 के "दि इकनामिक्स टाइम्स", नई दिल्ली में "गवर्नमेंट टू ड्राप सम लिक्विड फ्यूल बेस्ड पावर यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें तरल ईंधन से जोड़ा जाना है तथा साथ ही ऐसी प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है जिसे पहले तरल ईंधन के आधार पर विकसित किया जाना था लेकिन अब यह विचार छोड़ दिया गया है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इनमें से कितने ज्ञापनों के अनुसार इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) विभिन्न राज्यों के साथ राज्यवार कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). तरल ईंधन आधारित किसी परियोजना को छोड़ देने का निर्णय नहीं लिया गया है। विभिन्न प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं को तरल ईंधन आवंटित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च). तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए ईंधन लिंकेज प्रदान किए जाने हेतु राज्यों से हाल ही में प्राप्त अनुरोधों के अनुसार 66 ऐसी परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें 21.12 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक तरल ईंधन की आवश्यकता के साथ कुल 16459 मेगावाट की

क्षमता की परिकल्पना की गई है। राज्यवार मांग इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षमता (मे.वा.)	एमएमटीपीए में अपेक्षित ईंधन की कुल मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	28	1244.25	2.70
2.	गुजरात	1	110	0.10
3.	कर्नाटक	12	1935	2.64
4.	केरल	10	3528	4.27
5.	मध्य प्रदेश	8	1583.25	2.29
6.	महाराष्ट्र	1	2450	1.04
7.	राजस्थान	1	788.5	1.10
8.	तमिलनाडु	5	4720	6.98

जम्मू-कश्मीर में विद्युत परियोजनाएं

1785. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने जम्मू कश्मीर में कुछ बिजली परियोजनाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा जम्मू व कश्मीर में सलाल चरण-1 (345 मे.वा.) तथा सलाल-2 (345 मे. वा.) जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया गया है और इन्हें क्रमशः वर्ष 1987 तथा 1993-95 में चालू किया गया है।

(ग) और (घ). जम्मू व कश्मीर में स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	स्थल (जिला)	क्रियान्वयन ऐजेंसी
1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	दुलहस्ती	390	डोडा	एनएचपीसी#
2.	उड़ी	480	बारामुला	एनएचपीसी
3.	ऊपरी सिंध-II	70	श्रीनगर	जेकेपीडीसी *
4.	ऊपरी सिंध-II	35	श्रीनगर	जेकेपीडीसी
5.	किशनगंगा	330	बारामुला	जेकेपीडीसी
6.	दुमखर	4.5		जेकेपीडीसी
7.	सेवा चरण-III	9	कठुआ	जेकेपीडीसी
8.	चेनानी चरण-III	7.5	उधमपुर	जेकेपीडीसी
	जोड़	1326		

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

* जम्मू व कश्मीर विद्युत विकास निगम

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु योजनाएं

1786. श्री अनंत कुमार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, इसके विस्तार तथा इसे बढ़ावा देने हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में 30 सितम्बर, 1996 तक क्या प्रगति हुई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजना स्कीमों के तहत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और संवर्धन समेत समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य से प्राप्त फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण स्कीमों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में कुल 336.09 लाख रु. की सहायता दी गई है। परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

बदरपुर ताप विद्युत गृह

1787. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला भण्डार समाप्त होने के कारण बदरपुर ताप विद्युत गृह बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया और रेलवे ने अपने बकाया का भुगतान करने तक कोयले की आपूर्ति बन्द करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो कोल इंडिया और रेलवे की 31 अक्तूबर, 1996 तक की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि बदरपुर ताप विद्युत गृह विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुरूप अपेक्षित कोयले की आपूर्ति प्राप्त नहीं करता रहा है।

(ग) और (ङ). कोयला आपूर्ति के लिए कोल इंडिया ने नकद भुगतान स्कीम को अपनाया है। रेलवे ने भी कोयला संवहन के लिए 1.10.1996 से पूर्व भुगतान की स्कीम शुरू की है। तथापि डेसू द्वारा कम भुगतान किए जाने के कारण बीटीपीएस की खराब वित्तीय स्थिति होने की वजह से रेलवे "भुगतान किया जाना है के आधार पर" बीटीपीएस को कोयला का संवहन कर रही है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली सरकार/डेसू द्वारा दिनांक 1.1.97 से विद्युत की खरीद के लिए बीटीपीएस को सभी चालू बकाया राशियों का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाना है ताकि बीटीपीएस कोयला ढुलाई के लिए रेलवे को भाड़े का अग्रिम भुगतान करने तथा कोयला आपूर्ति के लिए भुगतान करने में समर्थ हो सके।

(घ) दिनांक 31.10.96 की स्थितिनुसार कोयला कंपनियों तथा रेलवे को बीटीपीएस द्वारा देय बकाया राशि क्रमशः 126.50 करोड़ रुपए तथा 721.81 करोड़ रुपए थी।

समुद्री खनिजों की खोज

1788. श्री रमेश चेन्निथला :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र तल के बहुमूल्य खनिजों की खोज करने हेतु विस्तृत खोज कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार इस दिशा में अन्य देशों से सहयोग की मांग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। भारत को मध्य हिन्द महासागर बेसिन में 150,000 वर्ग कि. मी. का खान स्थल आवंटित किया गया है। इस क्षेत्र में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में समाविष्ट अनुबन्धों के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। विभाग ने, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के उपयोग से संबंधित रूसी संघ समिति के साथ संक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित करके, बहुधात्विक पिण्डिकाओं के विदोहन के लिए गहरा समुद्र संस्तर खनन प्रौद्योगिकी के विकास में संयुक्त सहयोगात्मक कार्यक्रम जारी रखने हेतु समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, संयुक्त परियोजनाओं का और विवरण तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरना

1789. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों जो 1993 और 1994 में आयोजित की गई सहायक वर्ग की परीक्षाओं के माध्यम से नहीं भरे जा सके थे, को आरक्षित करके और सामान्य उम्मीदवारों को पदोन्नति देकर भर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में ऐसे पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं भरी जा सकी आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरती है और इनको अगले वर्ष के लिए आरक्षित कोटे में शामिल कर लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नहीं भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए आरक्षित रिक्तियों में शामिल करने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अन्य पिछडे वर्ग की रिक्तियों को अनारक्षित नहीं किया जाएगा बल्कि इन्हें अगले तीन भर्ती वर्षों तक या जब तक ये पद अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भर नही लिए जाते, इनमें जो भी पहले हो, तक अग्रेणीत किया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय में सहायक ग्रेड को तैतीस संवर्गों में विकेन्द्रीकृत किया गया है तथा संबर्ग प्राधिकारियों द्वारा इस ग्रेड में नियुक्ति संवर्गवार की जाती हैं। सरकार की उपर्युक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी भिन्न-भिन्न भर्ती वर्षों की सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भरी न गई आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष तक अग्रेणीत किए जाने संबंधी अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

फार्म हाऊस

1790. **श्री संदीपान थोरात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहरी दिल्ली में फार्म हाऊसों के निर्माण के संबंध में क्या नीति है और अभी तक कितने फार्म हाउसों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या फार्म हाउसों में और इनके बाहर निर्माण कार्य को अप्राधिकृत घोषित कर दिया गया है और इन्हें गिरा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बाहरी दिल्ली में कुल कितने अप्राधिकृत निर्माण किए गए हैं और वास्तव में कुल कितने अवैध निर्माणों को गिराया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चा तेल

1791. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का प्राकृतिक गैस के उत्पादन में ठहराव आ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस बिक्रियों का लक्ष्य एवं उत्पादन निम्नवत था :-

	(आंकड़े मि.मी.टन में) कच्चा तेल		(आंकड़े मि.मी. टन में) गैस बिक्रियां	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक
1993-94	24.420	24.215	13240	13371
1994-95	29.349	29.356	13510	13961
1995-96	33.316	*31.640	16300	17047

(* ई एंड एस आंकड़े)

(लक्ष्य केवल गैस बिक्रियों के संबंध में नियत है)।

गत तीन वर्षों के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने जहां प्राकृतिक गैस बिक्री लक्ष्य प्राप्त किए थे वहीं वर्ष 1993-94 तथा 1995-96 के दौरान कच्चे तेल उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में कमी आई थी।

(घ) कच्चे तेल उत्पादन लक्ष्यों में कमी के कारण निम्न हैं :-

(1) रिजर्वायर के ऐसे अप्रत्याशित आचरण के कारण जोकि पूर्वानुमानों के अनुरूप नहीं था, बी आर बी सी के प्रमुख क्षेत्रों विशेषतया बंबई हाई तथा नीलम से प्रत्याशित उत्पादन में कमी।

(2) प्राकृतिक रूप से ह्रासोन्मुख चरण में प्रवेश कर रहे तेल क्षेत्र।

(3) कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं तथा विद्रोह के कारण प्रचालन स्थितियों से संबंधित कठिनाइयां।

(4) पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत बारंबार विद्युत बन्दी ने कृत्रिम लिफ्ट प्रचालनों को प्रभावित किया।

(5) नागालैंड में काम की रूकावट।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण में वृद्धि करने के संबंध में उठाए गए कदम निम्न है :-

(1) तेल अन्वेषण तथा विकास के अंतर्गत निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(2) भूकंपीय सर्वेक्षणों, गहन जल अन्वेषण, विदेश में रकबों/भंडारों के अर्जन तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण के जरिए हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण को सघन करना और भण्डारों में बढ़ोत्तरी करना।

रसोई गैस एजेंसियां

1792. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन निजी एजेंसियों/बिक्री केन्द्रों को रसोई गैस की बिक्री करने का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) इन बिक्री केन्द्रों द्वारा सुरक्षा अपेक्षाओं/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केरल में कोई रसोई गैस बाटलिंग प्लांट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल में कोई रसोई गैस बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) अप्रैल, 1993 में एल पी जी के आयात को नियंत्रणमुक्त करने और अगस्त, 1993 में संबंधित नियंत्रण आदेश के संशोधन के साथ ही इच्छुक पक्षकारों को भारत में बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल पी जी का आयात और विपणन करने के लिए कोई अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की अन्य सांविधिक अपेक्षाएं और लागू नियम पूरे करने होते हैं।

(ख) समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत थोक और पैक एल पी जी का विपणन अगस्त, 1993 के संशोधित एल पी जी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों और एस एम पी वी नियमावली, 1981 (अनफायर्ड) के लागू प्रावधानों, एल पी जी भरण संयंत्रों तथा गैस सिलेंडर नियमावली, 1981 आदि के लिए ओ आई एस डी के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

(ग) और (घ). मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से प्राप्त सूचना के अनुसार केरल में निजी क्षेत्र में एक भरण संयंत्र को लाइसेंस प्रदान किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निजी क्षेत्र में भरण संयंत्रों की लाइसेंसिंग और प्रचालन की निगरानी नहीं करता। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों का संबंध है, निम्नलिखित भरण संयंत्र केरल में प्रचालनरत हैं :—

स्थान	वर्तमान भरण क्षमता
	(टी एम टी पी ए)
कोचीन	44
त्रिवेंद्रम	44
कालीकट	18
पालघाट	10

(ङ) और (च). मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने केरल में निजी क्षेत्र में सात भरण संयंत्रों का अनुमोदन कर दिया है।

उपर्युक्त के अलावा आठवीं योजनावधि के तहत केरल में किवलोन में आई ओ सी द्वारा 22 टी एम टी पी ए क्षमता वाला एक एल पी जी भरण संयंत्र स्थापित किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

1793. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इसके खर्च का लेखा परीक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई हेराफेरी अथवा भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को गत तीन वर्षों में आबंटित की गई राशि इस प्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

	योजना	गैर-योजना
1993-94	45.00	115.99
1994-95	50.00	119.96
1995-96	35.00	197.80

(घ) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के खर्च सहित लेखों का वर्ष 1995-96 तक का लेखा परीक्षण करा लिया गया है।

(ङ) लेखा परीक्षा रिपोर्टों में इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(च) (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आवास का अधिकार

1794. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय से अनुसूचित जातियों और अनुसूधित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा शहरी गरीबों को आवास का अधिकार देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.ए.सं. 12992/96 (अहमदाबाद नगर निगम बनाम नबाब खॉ गुलाब खॉ व अन्य) मामले में अपने हाल के निर्णय के अन्य के साथ-साथ, टिप्पणी की है कि :-

(1) आश्रय के अधिकार में तदनुसार रहने का पर्याप्त स्थान, सुरक्षित और सुन्दर ढांचा, स्वच्छ और सुन्दर परिवेश, पर्याप्त प्रकाश, शुद्ध हवा-पानी, बिजली, सफाई तथा सड़क आदि की अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।

(2) जैसा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में व्यवस्था है, राज्य, अपनी आर्थिक बजट व्यवस्था के अनुसार अपने नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा।

(3) अतः अपने सांविधिक दायित्व की पूर्ति में राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह समाज के निर्धन और अत्यंत उपेक्षित बेसहारा वर्गों के लिये आश्रय का अधिकार सुलभ कराये।

(4) अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रामीण या शहरी निर्धनों को आवास मुहैया कराने की नीतियों के निष्पादन में सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए, ताकि आबंटित भूमि या निर्मित मकान/आबंटित भूखंड बाबत कार्यवाही इस प्रकार की जाए, ताकि समाज के सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्य निर्धन वर्ग सौहार्दपूर्ण सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग बन सकें।

(ग) सरकार राष्ट्रीय आवास नीति में यथा-विहित अनेक कारगर उपायों के जरिये "सभी के लिए पर्याप्त आवास" के अधिकार की उत्तरोत्तर अधिप्राप्ति के लिये वचनबद्ध है।

ब्रेक वाटर वेव पावर जनरेशन सिस्टम

1795. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टेग्रेटिड ब्रेक वाटर वेव पावर जनरेटिंग सिस्टम" के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी पूरी तरह से विकसित कर ली गई है;

(ख) क्या ऐसी कोई परियोजना उड़ीसा में शुरू की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कृषि, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत और जल संसाधन मंत्रालय के परामर्श से एक समेकित योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). एकीकृत भंग जल तरंग विद्युत उत्पादन प्रणाली (इन्टीग्रेटिड ब्रेक वाटर वेव पावर जनरेटिंग सिस्टम) के निर्माण की प्रौद्योगिकी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। उड़ीसा में ऐसी किसी परियोजना के प्रारंभ करने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही कोई एकीकृत योजना तैयार करने का विचार है।

[हिन्दी]

कानपुर में सड़क निर्माण

1796. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर शहर (उत्तर प्रदेश) की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है जबकि इसके लिए धनराशि एक वर्ष पहले ही प्रदान कर दी गई थी;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में अनियमितताओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) कानपुर शहर की सड़कों की मरम्मत और सुधार हेतु 5.2.96 को 250.00 लाख रु. मंजूर किये गये थे। अंशतः धन फरवरी व मार्च, 1996 में जारी हुआ और धन मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जो जून, 1996 तक पूरा हो गया।

(ख) और (ग). जी, नहीं। काम समय पर शुरू हुआ और समय पर पूरा हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त निर्माण कार्यों में कोई अनियमितता नहीं पायी गई। जब भी कोई अनियमितता राज्य सरकार के ध्यान में आती है तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कश्मीरी विस्थापितों के लिए धनराशि

1797. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर भवन, नई दिल्ली में कश्मीरी विस्थापितों के लिए धनराशि के दुरूपयोग किए जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की जांच का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक जाचं का आदेश दिया गया था और एक विशेष लेखा-परीक्षा की गई थी। पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था और उनमें से एक को, थाना तुगलक रोड, नई दिल्ली में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया। इस मामले का चालान 18.1.1995 को दिल्ली में न्यायालय में किया गया है। अधिकारियों ने भी अपने निलंबन के खिलाफ दिल्ली तथा श्रीनगर उच्च न्यायालय में अपीलें दायर की हैं, जो न्यायाधीन हैं।

पेट्रोलियम का उत्पादन

1798. **श्री बी.एल. शंकर** :

श्री नीतीश कुमार :

श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मांग और आपूर्ति की मात्रा और इन तीनों मदों में प्रत्येक का घरेलू उत्पादन कितना है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक मद के आयात पर खर्च की गई धनराशि और उपभोक्ताओं के लिए राजसहायता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) किसी समग्र खपत और उनके स्वदेशी उत्पादन पर निर्भर करती है। पेट्रोल, डीजल और एल पी जी का स्वदेशी उत्पादन क्रमशः 4.52 एम एम टी, 22.07 एम एम टी और 3.21 एम एम टी होने का अनुमान है।

(ख) आयातित उत्पादों की मात्रा और मूल्य, समग्र खपत, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन तथा समय समय पर पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करते हैं।

डीजल (एच एस डी) और एल पी जी (घरेलू) पर 1996-97 के दौरान अनुमानित राजसहायता क्रमशः 8340 करोड़ रुपये (रु. 1.97/- प्रति लीटर) और 1950 करोड़ रुपये (रु. 72.22/- प्रति सिलेंडर) है। पेट्रोल (एम एस) पर कोई राजसहायता नहीं है।

गरीबी रेखा

1799. **श्री मोहन रावले** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान के लिए 11850 (1991 पर आधारित) रुपये की आर्थिक सीमा को बढ़ा कर 15000 रुपये करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान हेतु मौद्रिक सीमा बढ़ाने के लिए योजना आयोग को महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्युत का आवंटन

1800. **श्री नीतीश कुमार** :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग को दी गयी विद्युत का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र को दी गई विद्युत का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक मांग का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93, 193-94 और 1994-95 के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा ऊर्जा की खपत का प्रतिमान इस प्रकार है :-

अखिल भारत ऊर्जा विक्रय (केवल यूटिलिटियां)

(आंकड़े मि.यू. में)

श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95*
1	2	3	4
घरेलू	39717.08	43343.66	47702.83
वाणिज्यिक	12652.76	14143.83	15944.01
औद्योगिक विद्युत	90169.55	94503.24	100315.56
सार्वजनिक प्रकाश-व्यवस्था	1901.07	1939.37	2078.01
रेलवे/ट्राम्बे	5067.73	5620.34	6007.39
कृषि	63327.79	70699.48	79809.97
सार्वजनिक जल कार्य एवं गंदे पानी की निकासी	4376.56	4837.91	5457.07
विविध	3461.06	3481.15	3527.61
जोड़	220673.60	238568.98	260842.45

* अनंतिम

(ग) और (घ). 1997-2002 तक की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा उर्जा खपत की पद्धति को शामिल करने वाला एक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि. प्रा.) द्वारा 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण में किया गया था। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ऊर्जा की बिक्री की अखिल भारत प्रतिमान (यूटिलिटियां)

(आंकड़े मि.यू. में)

श्रेणियां	1997-98	1998-99	1999-00	2001-01	2001-02
घरेलू	70554.65	78710.10	86558.65	95661.69	105505.52
वाणिज्यिक एवं विविध	23828.98	25577.05	27442.29	29433.13	31558.72
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	2751.06	2943.23	3145.91	3359.80	3585.75
सार्वजनिक जल कार्य	7682.04	8250.94	8888.05	9529.19	10237.21
सिंचाई	87519.61	92210.35	96960.61	101652.18	105419.95
लिफ्ट सिंचाई	1898.80	2158.63	2364.82	2586.12	2829.24
उद्योग	29692.05	31951.23	34358.63	36923.65	39699.02
1 मे.वा. से कम के उद्योग	25906.75	28057.20	30753.33	32562.45	34940.63
1 मे.वा. और उससे ऊपर के उद्योग	81318.34	87114.33	91962.68	96351.32	100453.31
रेलवे संकर्षण	7967.26	8658.24	9435.95	10002.79	10603.39
गैर-औद्योगिक	3133.00	3375.42	3671.44	3890.90	4083.04
कुल खपत	342252.54	368506.80	395042.36	421953.27	448995.78

विधवा पेंशन

1801. **श्री पंकज चौधरी :**
कुमारी उमा भारती :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवा पेंशन मामलों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों की विधवाओं को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन दी जाती है। कुटुम्ब पेंशन का भुगतान बैंकों/डाकखानों द्वारा किया जाता है और पेंशन की राशि को मृत पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाया जाता है। सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर, उसकी विधवा कुटुम्ब पेंशन और पेंशन-संबंधी अन्य प्रसुविधाओं के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क करती है। पेंशन भगुतान में देरी संबंधी शिकायतों की जांच मृत सरकारी कर्मचारी के संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। पेशन व्यवस्था विकेन्द्रीकृत आधार पर की जाती है और पेंशनभोगयों को नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रसुविधाएं देने और अलग-अलग मामलों में शिकायतकर्त्तांओं को पेंशन-संबंधी प्रसुविधाओं की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता संबंधी स्थिति सूचित करने के लिए उपयुक्त स्तरों पर प्राधिकारी उनकी शिकायतों की जांच करते हैं।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोल पम्प

1802. **श्री कचरु भाऊ राउत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सीधे तेल कंपनियों द्वारा कितने पेट्रोल पम्प चलाए जा रहे हैं;

(ख) इन पेट्रोल पम्पों को गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हुए लाभ एवं घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन कंपनियों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में तेल कंपनियां 8 खुदरा बिक्री केन्द्र स्वयं चला रही है। एक खुदरा बिक्री केन्द्र जून, 1996 में ही चालू किया गया था। बाकी के 7 खुदरा बिक्री केन्द्रों ने पिछले दो वर्षों के दौरान 15.78 लाख रुपए की कुल हानि उठाई।

(ग) उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :-

1. मुफ्त हवा, पानी और प्रसाधन
2. टेलीफोन
3. क्रेडिट कार्डों से ईंधन/स्नेहकों की खरीद
4. घनत्व जांच/फिल्टर पेपर परीक्षण/5 लीटर के माध्यम से ईंधन की गुणवत्ता/मात्रा की जांच करने की सुविधा
5. सर्विसिंग/छोटी-मोटी मरम्मत की सुविधाएं/पी वी सी

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

1803. **श्री जी. वेंकट स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पम्प-सेटों के ऊर्जायन के माध्यम से भू-जल संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांव शामिल किये गये हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने पम्प-सेटों का ऊर्जायन किया गया है; और

(ग) इन राज्यों को राज्यवार चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता दिये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण पहले से विद्युतीकृत में भार वृद्धि, पंपसेटों के ऊर्जायन, प्रणाली सुधार इत्यादि समेत ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से मुहैया करवाई गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे तथा वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक तीन वर्षों के दौरान अर्जित पंपसेटों और विद्युतीकृत गांवों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आरईसी के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 783 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। राज्यवार अनंतिम आवंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आरईसी कार्यक्रमों के अधीन वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता, विद्युतीकृत गांव तथा अर्जित पंपसेट

क्र.सं.	राज्य	प्रदत्त वित्तीय सहायता # (लाख रु.में)	अर्जित पंपसेट	विद्युतीकृत गांव
1.	आंध्र प्रदेश	34043	216372	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4859	0	481
3.	असम	6600	0	392
4.	बिहार	877	4285	287
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	12707	49115	0
7.	हरियाणा	4476	9736	0
8.	हिमाचल प्रदेश	3087	499	0
9.	जम्मू और कश्मीर	2897	1889	99
10.	कर्नाटक	15387	117812	0
11.	केरल	7207	34188	0
12.	मध्य प्रदेश	43434	125359	2273
13.	महाराष्ट्र	24676	234610	0
14.	मणिपुर	3000	0	317
15.	मेघालय	596	0	23
16.	मिजोरम	2787	0	146
17.	नागालैंड	303	4	0
18.	उड़ीसा	5645	7639	1163
19.	पंजाब	6242	26723	0
20.	राजस्थान	21990	61218	2157
21.	सिक्किम	347	0	0
22.	तमिलनाडु	19974	121853	0
23.	त्रिपुरा	2006	156	340
24.	उत्तर प्रदेश	18268	42028	2076
25.	पश्चिम बंगाल	4408	4286	732
	जोड़	245816#	1057752	10486

इसमें कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अधीन जारी की गई अनुदान तथा लीजिंग एंड चिंड एनर्जी एनरेशन इत्यादि के तहत प्रदान की गई 8243 लाख रु. की राशि शामिल नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान आरईसी के माध्यम से विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	(लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	5150
2.	अरुणाचल प्रदेश	995
3.	असम	2075
4.	बिहार	1896
5.	दिल्ली	25
6.	गोवा	25
7.	गुजरात	3660
8.	हरियाणा	1640
9.	हिमाचल प्रदेश	850
10.	जम्मू और कश्मीर	1200
11.	कर्नाटक	4700
12.	केरल	2160
13.	मध्य प्रदेश	10560
14.	महाराष्ट्र	6700
15.	मणिपुर	925
16.	मेघालय	770
17.	मिजोरम	475
18.	नागालैंड	215
19.	उड़ीसा	1949
20.	पंजाब	2150
21.	राजस्थान	7400
22.	सिक्किम	0
23.	तमिलनाडु	5250
24.	त्रिपुरा	500
25.	उत्तर प्रदेश	8190
26.	पश्चिम बंगाल	2340
	जोड़	71800
1.	लघु उत्पादन/ग्राम विद्युतीकरण सहकारिताएं	1000
2.	कुटीर ज्योति (अनुदान)	2500
3.	ओईसीएफ	3000
	1996-97 के लिए कुल परिव्यय	78300

[हिन्दी]

रसोई गैस के कनेक्शन

1804. **डा. जी.आर. सरोदे :**
श्री ए.सी. जोस :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) :
डा. बलिराम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक घरेलू/वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रतीक्षारत आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जारी किए गए नये कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) एल पी जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षाधीन आवेदकों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है। तेल कंपनियां वाणिज्यिक ग्राहकों के आवेदनों को नए एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में नहीं रखती।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :—

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	एल पी जी कनेक्शनों की संख्या
1993-94	13.60
1994-95	22.90
1995-96	20.54

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत देश के वर्तमान ग्राहकों की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। तथापि एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि करके देश में आने वाले वर्षों में नए एल पी जी पंजीकरणों को त्वरित करने के लिए योजनाएं बनाई गई है। यह वृद्धि नए स्रोतों को चालू करके, कुछ वर्तमान स्रोतों में एल पी जी के उत्पादन और नई आयात सुविधाओं को सुदृढ़ करके प्राप्त करने की आशा है। मंगलौर और कांडला में हाल में नई एल पी जी आयात सुविधाओं के चालू होने पर एल पी जी के अधिकाधिक आयात के माध्यम से ग्राहकों के पंजीकरण में वृद्धि होगी।

विवरण

घरेलू उपयोग हेतु एल पी जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षाधीन आवेदकों का ब्यौरा

राज्य	(आंकड़े लाख में)
आंध्र प्रदेश	10.23
अरुणाचल प्रदेश	0.17
असम	1.70
बिहार	3.94
गोवा	0.92
गुजरात	8.34
हरियाणा	4.96
हिमाचल प्रदेश	0.98
जम्मू और कश्मीर	1.12
कर्नाटक	7.05
केरल	6.56
मध्य प्रदेश	6.96
महाराष्ट्र	18.19
मणिपुर	0.06
मेघालय	0.06
मिजोरम	0.08
नागालैंड	0.05
उड़ीसा	1.96
पंजाब	7.29
राजस्थान	7.26
सिक्किम	0.01
तमिलनाडु	14.43
त्रिपुरा	0.35
उत्तर प्रदेश	14.53
पश्चिम बंगाल	9.86
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.11
चंडीगढ़	0.91
दादर व नगर हवेली	0.02
दिल्ली	7.59
दमन व दीव	0.05
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.47

लाखों कुआं योजना

1805. **श्री डी.पी. यादव** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के सम्भल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लाखों कुआं योजना के अंतर्गत क्या प्रगति की गयी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश के सम्भल क्षेत्र (ब्लाक) के ग्रामीण क्षेत्रों में दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत किसी भी कुएं का निर्माण नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी उपसमूह

1806. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के संबंध में योजना आयोग का उपसमूह गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना पैनल ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के संबंध में कोई सिफारिशें की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के.अलघ) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने सचिव लोक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम प्रबन्धन के संबंध में एक कार्यक्रम का गठन किया है।

(ख) कार्य दल का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। कार्य दल की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नौवी योजना हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक प्रबन्धन संबंधी उप-दल गठन

1.	सचिव, लोक उद्यम विभाग सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	सचिव, व्यय वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली	सदस्य
3.	अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्रक चयन बोर्ड, तृतीय तल, ब्लाक 14, सीजीओ काम्पलेक्टस, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
4.	अध्यक्ष, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, बैंक आफ बड़ोदा भवन, सातवां तल, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 10-20 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक इण्डियन पैट्रो केमिकल्स लि. बड़ौदा	सदस्य
7.	अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लि. नई दिल्ली	सदस्य
8.	अध्यक्ष स्कोप, सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
9.	सचिव, उद्योग महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	सदस्य
10.	सचिव, उद्योग असम सरकार, गुवाहाटी	सदस्य
11.	सचिव, उद्योग हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़	सदस्य
12.	सचिव, उद्योग कर्नाटक सरकार, बंगलौर	सदस्य
13.	सलाहकार (आई एण्ड सम) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों सम्बन्धी उप-दल पर दिनांक 4.12.1996 को डा. कृपासिंधु भोई द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

नौंवी योजना हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक प्रबन्धन संबंधी कार्यदल-विचारार्थ विषय :—

(1) उपलब्धियों की पुनरीक्षा अर्थात राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के उद्देश्य।

(2) उदार आर्थिक परिदृश्य के सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की भूमिका की पुनरीक्षा।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए नीति उपायों को आवश्यक बनाने की सिफारिश करना।

(4) प्रबंधन संस्कृति हेतु मानव संसाधन विकसित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(5) सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा संसाधन सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश उन्हें बढ़े हुए रूप से स्वतः-सतत और कम बजटीय सहायता पर निर्भर रहने के लिए करना।

(6) केवल सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।

(7) बी आई एफ आर की भूमिका के बावजूद बीमार सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को पुनः जीवित करने के लिए कारणों का विश्लेषण करना और उपायों की सिफारिश करना।

(8) सम्बंधित विशिष्ट क्षेत्रों में चयनात्मक सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों के माध्यम से अनुसंधान तथा विकास आधार सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(9) सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्धन की जवाबदेही के साथ स्वायत्तता हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(10) सुदृढ़ आधार वाले क्षेत्रों का पता लगाना और चयनात्मक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नियंत्रित निष्पादन में सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(11) पूंजी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का हल्दिया एकक

1807. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया एकक को अधिगृहीत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

1808. श्री बीर सिंह महतो : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आवंटित की गई थी;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य द्वारा कितनी राशि मांगी गई थी एवं योजना आयोग ने कितनी राशि मंजूर की थी; और

(ग) कम राशि आवंटित करने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ). (क) से (ग). क्रमशः वर्ष 1993, 1994 एवं 1995 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर प्राप्त वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पश्चिम बंगाल को आवंटित की गयी प्रतिव्यक्ति राशि निम्नानुसार है :—

(राशि रु. में)

क्षेत्रक	प्रति व्यक्ति राशि 1993-94	प्रति व्यक्ति राशि 1994-95	प्रति व्यक्ति राशि 1995-96
कृषि	9.52	13.32	14.03
ग्रामीण विकास	13.53	18.17	21.14

2. योजना आयोग राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सम्मत योजना परिव्यय के क्षेत्रकीय आबंटन को अंतिम रूप देता है।

तेल और गैस की खोज

1809. श्री संतोष मोहन देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 ब्लाकों में तेल और गैस की खोज के लिए ठेके दिए हैं;

(ख) ये ठेके किन-किन पार्टियों को दिए गए हैं;

(ग) इन ब्लाकों से तेल और गैस कब तक मिलने लगेगी; और

(घ) इस समझौते की अन्य शर्तें क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी हां। भारत सरकार ने अन्वेषण बोली के सातवें और आठवें दौरों के अंतर्गत 14 ब्लाकों मे तेल और गैस के अन्वेषण के लिए हाल ही में ठेके दिए हैं।

(ख) जिन पक्षकारों को ये ठेके दिए गए हैं उनके नाम निम्नानुसार हैं :-

1) रेक्सवूड कार्पोरेशन, यू एस ए
2) ओकलैंड आयल कं., यू एस ए
3) एस्सार आयल लि., भारत
4) अपसीज इंक, यू एस ए
5) फोनिक्स ओवरसीज लि., भारत
6) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., भारत
7) औक्सीडेंटल इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कं., यू एस ए
8) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., भारत
9) जनरल फाब्रेज (प्रा.) लि.
10) असम कंपनी लि., भारत
11) मेदालियन कंपनी लि., यू एस ए
12) एनरान एक्सप्लोरेशन कं., यू एस ए
13) लारसन एंड टूब्रो लि., भारत
14) टुल्लो आयल पी एल सी
15) जोशी टेक्नोलोजीज इंक., यू एस ए

(ग) इन ब्लाकों में अन्वेषण कार्य, उत्पादन हिस्सेदारी करारों पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद आरंभ होगा।

(घ) इन ठेकों के दिए जाने की मुख्य शर्तें और निबंधन नीचे दिए गए हैं :-

अन्वेषण ब्लाकों के ठेके उत्पादन हिस्सेदारी ठेके होते हैं और कच्चे तेल व संबद्ध गैस के संबंध में ठेका अवधि 25 वर्ष तक होती है। कंपनियों को बोनस एवं सांवधिक उद्ग्रहणों के भुगतान से छूट प्राप्त होती है। भारत सरकार को इन ठेकों के तहत उत्पादित तेल के संबंध में अस्वीकार करने का पहला अधिकार होगा और कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उनके तेल के हिस्से का भुगतान किया जा रहा है। अन्वेषण और/अथवा विकास चरण मे उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा प्रतिभागिता का प्रावधान रखा गया है और ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रतिभागिता हित ले सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहन के योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा इन ठेकों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया जाता है।

प्राकृतिक गैस

1810. श्री बाजू बन रियान :
श्री बादल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस का पता लगाने तथा वहां और गैस आधारित उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). ओ एन जी सी त्रिपुरा में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण कार्य में सक्रिय रूप से लगी हुई है। फिलहाल पश्चिम त्रिपुरा (बारामुरा के अलावा) में एक भूकंपीय कर्मी दल तथा तीन अन्वेषी वेधन रिंग कार्य कर रही हैं।

भारत सरकार ने अन्वेषण बोली दौरों के तहत त्रिपुरा में आने वाले एक ब्लाक एए-ओ एन/3 को, सौंवदा की शर्तें और निबंधनों को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त पर ओंकलैंड आयल कं., यू एस ए, रेक्सवर्ड कार्पोरेशन, यू एस ए को प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदित कर दिया है।

त्रिपुरा में गैस आधारित इकाईयों को 1.64 एम एम एस सी एम डी गैस आबंटित की गई है।

भूमिगत पाइपलाइन

1811. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण और ओमान गैस कंपनी का एक संयुक्त कार्य-दल भारत को ओमान गैस कंपनी द्वारा 5 बिलियन डालर की भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से दीर्घावधि गैस आपूर्ति के समझौते के तकनीकी पहलू का अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या ओमान तेल कंपनी की व्यवहार्यता तथा क्षमता का समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व अध्ययन किया गया था, यदि हां, तो संयुक्त कार्य दल द्वारा अध्ययन किये जाने वाले तकनीकी पहलू क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त कार्य दल व्यवहार्यता अध्ययन शीघ्रता से करेगा तथा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए एजेन्सियों की पहचान करेगा।

(ग) ओमान आयल कंपनी ने करार पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन से पहले का अध्ययन पूरा कर लिया था।

भूमि का अवैध कब्जा करना

1812. श्री भक्त चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण दिल्ली में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा 3.45 एकड़ महत्वपूर्ण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लेने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी भूमि को फिर वापस करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस मामले में शामिल व्यक्तियों/प्राधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1813. श्री नामदेव दिवाथे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) कितने आवेदन लंबित हैं और उन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण आदि के अतिरिक्त शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	आवेदन		
	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत
1993-94	शून्य	शून्य	शून्य
1994-95	शून्य	शून्य	शून्य
1995-96	03	शून्य	03

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम/भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड

1814. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ते.प्रा.गै.नि./भा.गै.प्रा.लि. का असम राज्य विद्युत बोर्ड के लकवा ताप विद्युत स्टेशन के चरण II को अपेक्षित दबाव पर 0.4 मिलियन क्यूबिक मीटर तथा उक्त मात्रा में ही चरण-I को भी गैस की आपूर्ति करने का वादा है;

(ख) क्या 1995-96 के प्रारंभ में एल.टी.पी.एस. चरण-II पर 20 मैगावाट के 3 गैस टर्बाईन आरंभ किये गये थे;

(ग) ते.प्रा.गै.आ./भा.गै.प्रा.लि. के एल.टी.पी.एस. को चरण-I के लिये 0.4 मिलियन क्यूबिक मीटर को मिलाकर प्रतिदिन औसतन कितनी गैस की आपूर्ति अपेक्षित दबाव पर की गई; और

(घ) क्या हाल ही में आरंभ किया गया एल.टी.पी.एस. चरण-II ते.प्रा.गै.आ./भा.गै.प्रा.लि. द्वारा पर्याप्त मात्रा तथा अपेक्षित दाबव पर गैस आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण बेकार पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमशः 0.15 एम एम एस सी एम डी तथा 0.30 एम एम एस सी एम डी गैस की आपूर्ति की तुलना में असम राज्य विद्युत बोर्ड, लकवा को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में क्रमशः 0.41 एम एम एस सी एम डी तथा 0.43 एम एम एस सी एम डी गैस की आपूर्ति की गई थी।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी

1815. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक समेकित ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी को 200 मिलियन डालर का अनुपूरक ऋण करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक भी इस एजेंसी को 100 मिलियन डालर का ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को शामिल किए बगैर इन ऋणों को समेकित ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी को सीधे उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो ऋण अदायगी का तरीका तथा इन पर ब्याज की दर क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने अक्षय ऊर्जा विकास परियोजना के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) को 100 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति प्रकट की है।

(ग) एशियाई विकास बैंक का ऋण सीधे ही भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की पुनर्अदायगी के लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।

(घ) यह ऋण 5 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि सहित 25 वर्षों में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा अदा किया जाएगा। प्रत्येक ब्याज भुगतान की तिथि को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर वही होगी जो एशियाई विकास बैंक ऋणों के लिए लागू विनिमय जोखिम पूलिंग प्रणाली के अनुसार एशियाई विकास बैंक द्वारा परिचालित की गई है। इरेडा को इस ऋण पर विदेशी विनियम जोखिम भी वहन करना होगा।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा से संचालित ऊर्जा उद्यान

1816. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ऊर्जा के नए तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्यों में सौर ऊर्जा संचालित ऊर्जा उद्यानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में भी ऐसे उद्यानों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने 1994-95 में विशेष क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा यंत्रों के प्रदर्शन तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं जनता के बीच प्रचार तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शैक्षिक संस्थाओं तथा उन संस्थाओं में जहां बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रवेश है, ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की। 1994-95 में इस योजना के प्रारंभ से अब तक 18 राज्यों में 86 ऊर्जा पार्क परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। मंजूर की गई ऊर्जा पार्क परियोजनाओं का राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). गुजरात में अब तक तीन ऊर्जा पार्क परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं-(1) लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसारा, जिला भावनगर (2) महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा तथा (3) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़।

विवरण

मंजूर की गई ऊर्जा पार्क परियोजनाओं की राज्य तथा स्थानवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरूपति, जिला चित्तूर।
		2. प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
		3. जे.एन.टी.यू. अभियंत्रण महाविद्यालय, अनंतपुर।
		4. तक्षशिला शिक्षा समाज लाल्लागुड़ा, कैलाश, शांतिनगर, सिकन्दराबाद।
		5. केन्द्रीय ग्रामीण विद्युत संस्थान (सी आई आर ई) शिवराम पल्ली, हैदराबाद।
		6. नेहरू जैविक उद्यान बहादुरपुरा, हैदराबाद।
		7. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर।
		8. श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर।
		9. क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वारंगल।
2.	असम	1. असम अभियंत्रण संस्थान, चांदमारी, गुवाहाटी।
		2. सिल्चर पोलीटेक्निक, मैहरपुर, सिल्चर।

1	2	3	
3.	दिल्ली	1.	माता अमृतानंदमयी मठ, सैक्टर डी-III; वसंतकुंज, नई दिल्ली।
		2.	राजकीय बालक/बालिका व. माध्यमिक विद्यालय, मुण्डका गांव, दिल्ली।
		3.	जामिया हमदर्द, हमदर्द विश्वविद्यालय, हमदर्द नगर, न. दिल्ली।
		4.	कर्नल सत्संगी किरण स्मारक।
		5.	राय विद्यालय, लोदी संस्थान परिसर, नई दिल्ली।
		6.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर-सी, पॉकेट-5, वसंत कुंज, न.दि.
4.	गुजरात	1.	लोकभारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसारा, जिला भावनगर।
		2.	यांत्रिक अभियंत्रण विभाग, प्रौद्योगिकी एवं अभियंत्रण संकाय, महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बडोदरा।
		3.	कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़।
5.	हरियाणा	1.	क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र।
		2.	कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सी एस एस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
		3.	छोटूराम राज्य अभियंत्रण महाविद्यालय, मुथाल (सोनीपत)।
6.	हिमाचल प्रदेश	1.	संत बेदास महाविद्यालय, नयबहार, शिमला
		2.	क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, हमीरपुर।
		3.	राजकीय पॉलीटेक्नीक, सुन्दर नगर, जिला मांडी।
7.	कर्नाटक	1.	बी.व्ही.बी. अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, विद्या नगर, हुबली।
		2.	ब.जयचारमराजेन्द्र अभियंत्रण महाविद्यालय, मोनोसा गंगोत्री डाकघर, मैसूर।
		3.	जेएनएन अभियंत्रण महाविद्यालय, नबील, शिमोगा।
		4.	कर्नाटक अभियंत्रण महाविद्यालय, सुरथकल, श्रीनिवास नगर।
		5.	बापजी अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दवनगिरी।
		6.	पिलिकुल्ला निसर्गाधाम, मंगलौर, दक्षिण कन्नड़।
		7.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
		8.	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, शिक्षा परिसर, मैसूर।
8.	केरल	1.	एस.बी. महाविद्यालय, चंगननेसरी कोट्टायम जिला।
		2.	बिशप मूरे महाविद्यालय, कल्लूमाला, मवेलिकारा।
		3.	डी.डी. पम्पा महाविद्यालय, परूमाला मेनर डाकघर, तिरूवला।
		4.	मार थोमा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंडीराम डाकघर, रैनी।
		5.	टी.के.एम. अभियंत्रण महाविद्यालय, कोलम।
		6.	एन सस सस महाविद्यालय, पंडालम पठनामथिट्टा जिला।
		7.	सी एस एस महाविद्यालय, कोट्टायम।
		8.	विजया पार्क, अलप्पूझा।

1	2	3
		9. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, त्रिचुर।
		10. अभियंत्रण महाविद्यालय, तिरूअनंतपुरम।
		11. बाल उद्यान, थिरवल्ला पठानमथिट्टा जिला।
9.	मध्य प्रदेश	1. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र (एन सी एस एम), मानव संसाधन विकास मंत्रालय टी टी आई के सामने, बनागंगा रोड, श्यामला पहाड़ी, भोपाल।
		2. प्रशासन एकेडमी, म.प्र. पोस्ट बैग सं. 6, 1100 सेट्स के निकट, भोपाल।
		3. डा. बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, 16 जनरल्स रोड, मौ.कैंट, माऊ
		4. ऊर्जा अध्ययन तथा शोध केन्द्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खण्डवा रोड, इंदौर।
		5. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, धरमपुर सं. 1, जगदलपुर, बस्तर।
		6. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
		7. राजकीय पोलिटेकनीक, हरदा, होशंगाबाद।
10.	महाराष्ट्र	1. विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, नागपुर।
		2. ज्ञान प्रबोधनी मेडिकल ट्रस्ट, संजीवन अस्पताल, कारवे रोड से लगा हुआ, पुणे।
		3. पुणे विश्वविद्यालय, ऊर्जा अध्ययन विद्यालय, गणेशखंड, पुणे।
		4. गांधी राष्ट्रीय स्मारक समाज, आगाखं पैलेस, पुणे नगर रोड, पुणे।
		5. ज्ञान प्रबोधनी शिव प्रदेश, पुणे।
11.	मिजोरम	1. मिजोरम पोलीटेक्नीक, लंगलेई एजोल।
12.	उड़ीसा	1. भुवनंद उड़ीसा अभियंत्रण विद्यालय, कटक।
		2. क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय राउरकेला, जिला सुंदरगढ़।
		3. यू सी पी अभियंत्रण विद्यालय, बेरहामपुर जिला गंजाम।
13.	पंजाब	1. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।
		2. फरीदकोट जिला सांस्कृतिक समाज, रेडक्रास भवन, फरीदकोट।
		3. कोष ऊर्जा अध्ययन विद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
		4. एस ए एस नगर, मोहाली, रोपड़ पीईडी ए।
		5. डा. बी.आर. अंबेडकर क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जी.टी. रोड, बाई पास, डाकघर सुरानुसी, जालंधर।
		6. राजकीय महिला महाविद्यालय, लुधियाना।
		7. राजकीय अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, डाबवाली रोड, भटिंडा।
		8. राष्ट्रीय आई आर डी एवं टी टी संस्थान, पलाही, कपूरथला।
		9. शिवालिक पब्लिक स्कूल, जिला नवनशहर।
14.	राजस्थान	1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, 506 मिनी सचिवालय, बानी पार्क, जयपुर।
		2. एम आर अभियंत्रण महाविद्यालय, जे एल एन मार्ग, जयपुर।
		3. एम जी एम अभियंत्रण महाविद्यालय, अभियंत्रण संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

1	2	3
15.	तमिलनाडु	1. क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय, तिरूचिनापल्ली।
		2. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, पालकलेई नगर, मदुरै।
		3. यांत्रिक अभियंत्रण विभाग, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास।
		4. दलित लिब्रेशन शिक्षा ट्रस्ट, 46 मेन (बुथरोड), संत थामस माऊंट मद्रास।
		5. तमिलनाडु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, गांधी मंडपम रोड, अभियंत्रण महाविद्यालय पोर्ट, मद्रास।
16.	त्रिपुरा	1. रामकृष्ण मिशन, विवेक नगर, डाकघर अमतली।
17.	उत्तर प्रदेश	1. ए एच ई सी रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की।
		2. नेडा प्रशिक्षण एवं आर एवं डी केन्द्र, चिनहट-देवा रोड, चिनहट, लखनऊ।
		3. एच एन बी, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स सं. 67, श्रीनगर, गढ़वाल।
		4. अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतापुर रोड, लखनऊ
18.	पश्चिम बंगाल	1. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, सैक्टर-5, ब्लॉक जी एन, विधान नगर, कलकत्ता।
		2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, डाकघर खड़गपुर, जिला मिदनापुर।

कर्मचारियों का पुनर्वास

1817. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड को, राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों के बन्द किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति से निबटने तथा इससे प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए योजना तैयार करने के बारे में निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन औद्योगिक इकाईयों के बन्द होने के कारण प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय राजधानी बोर्ड ने कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ इसे अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा और इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इलाहाबाद में जल आपूर्ति

1818. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में अब तक कितने गांवों तथा बस्तियों को शामिल किया गया है; और

(ख) इलाहाबाद जिले में कितने गांवों तथा बस्तियों में अभी जल आपूर्ति की जानी है तथा कब तक दिये जाने की संभावना है साथ ही पेय जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 1996-97 में कितने गांवों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार राज्य स्तर की सूचनाएं रखती है तथा जिले स्तर की सूचनाएं नहीं रखती है। यद्यपि अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

1819. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 1996 के नई दिल्ली के "द आब्जर्वर" नई दिल्ली में "पावर मिनिस्ट्री इन डार्क

ओवर स्टेटस् लिमिट टू क्लियर प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करगया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उनके मत्रांलय में प्रधान मंत्री कार्यालय से इस आशय का स्पष्ट निदेश प्राप्त हो चुका है कि 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश की सभी विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाएगा तथा राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई और 1000 करोड़ रुपए तक की लागत वाली, उत्पादन कम्पनियों द्वारा स्थापित उत्पादन विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष, उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है तथा इस संबंध में एक अधिसूचना 13 सितम्बर, 1996 को जारी कर दी गई। इस अधिसूचना को विभिन्न राज्य सरकारों को भी परिपत्रित किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर में जल विद्युत परियोजना स्थापित करना

1820. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में कोई जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). कर्नाटक सरकार 360 मे.वा. संभाव्य क्षमता की मेकादातू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। यह परियोजना बंगलौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर मैसूर जिले में अवस्थित है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन और खपत

1821. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन व खपत हुई;

(ख) क्या गत वर्ष के दौरान राज्य में इन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन मदों का उत्पादन बढाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र में तेल, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन तथा खपत।

(मिलियन टन)

मद	1993-94		1994-95		1995-96*		% उत्पादन में वृद्धि
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत	1995-96/ 1994-95 कालम. 6/ कालम.4
1	2	3	4	5	6	7	8
तेल	15.375	13.221+	20.226	12.740+	22.665	13.319+	12.1
प्राकृतिक गैस	13.356	12.472	14.138	13.150	16.579	15.966	17.3

1	2	3	4	5	6	7	8
पेट्रोलियम उत्पाद	12.605	10.184	11.984	10.253	12.740	11.283	6.3
जिसमें							
एल पी जी	0.337	0.554	0.347	0.606	0.373	0.677	7.5
एम एस	0.890	0.582	0.835	0.629	0.908	0.722	8.7
नेफ्था	1.293	0.535	1.527	0.389	1.527	0.482	0.0
ए टी एफ	0.550	0.573	0.510	0.591	0.534	0.613	4.7
एस के ओ	0.932	1.523	0.758	1.519	0.795	1.545	4.9
एच एस डी	4.568	2.970	4.431	3.227	4.805	3.821	8.4
एल डी ओ	0.490	0.355	0.386	0.345	0.381	0.329	-1.3
ईंधन तेल	2.336	2.401	2.137	2.222	2.137	2.248	0.0
बिटूमेन	0.521	0.274	0.445	0.288	0.522	0.376	17.3

* अनन्तिम

+ रिफाइनरी क्रूड थ्रुपूट

[अनुवाद]

दिल्ली में फार्म हाउस

1822. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री दिल्ली में फार्म हाउस के बारे में 11 सितम्बर, 1996 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न सं. 5140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 और 344 के अन्तर्गत दिल्ली में फार्म हाउस के निर्माण के लिए निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के बाकी 184 मामलों में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"के.टी.पी.एस. चरण-IV, राजस्थान

1823. **श्री भेरुलाल मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को "के.टी.पी.एस. चरण-IV के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना हेतु किस एजेंसी से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1994 में राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट में 779.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 210 मे.वा. की एक यूनिट स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मई 1996 में प्रस्ताव राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को यह बताते हुए लौटा दिया है कि वह कोयला लिंकेज, जल उपलब्धता तथा पर्यावरणीय अनुज्ञा जैसी अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करें तथा उन्हें इस परियोजना के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन को हाथ में लेने के लिए प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

(ङ) इस परियोजना के लिए अभी तक किसी भी ऐजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के वाहनों द्वारा सड़कों को क्षति

1824. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के भारी वाहनों के यातायात से आंध्र प्रदेश के पूर्वी/पश्चिमी गोदावरी जिलों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के भारी वाहनों के आवागमन से कुछ पुलिये/पुलें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं;

(ग) क्या स्थानीय व्यक्तियों ने क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलियों की मरम्मत तथा इन्हें चौड़ा करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम से वित्तीय सहायता देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) ओ एन जी सी लि. 1.4.1991 से 21.13 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश में सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव पर व्यय कर चुकी है।

कश्मीरी उग्रवादी

1825. श्री तारीक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में समर्पण कर चुके कुछ उग्रवादियों ने पुनर्वास-शिविर छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें फिर से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास योजनाएं

1826. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए राज्य-वार और योजनावार कितना आवंटन किया गया है तथा अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ख) योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जिनके नाम हैं: जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के लिए राज्यवार आबंटन रिलीज की गई धनराशि के साथ साथ लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से -IV में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना		सुनिश्चित रोजगार योजना	
		आवंटन (के. + राज्य) (रुपये लाख)	रिलीज (राज्य अंश सहित) (लाख रुपये)	लक्ष्य (लाख श्रमदिन)	रिलीज (रुपये लाख)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17372.39	10659.85	373.67	6837.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	178.30	89.15	4.42	1137.50
3.	असम	5718.18	2592.79	98.77	-
4.	बिहार	34075.58	17037.79	489.25	5387.50
5.	गोवा	192.65	96.33	4.39	-
6.	गुजरात	6376.25	3188.13	109.14	2687.50
7.	हरियाणा	1531.81	765.90	15.73	575.00
8.	हिमाचल प्रदेश	612.16	306.09	7.63	500.00

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	1243.93	920.79	47.27	1700.00
10.	कर्नाटक	11665.34	5832.66	255.74	5612.50
11.	केरल	4244.16	2122.08	59.73	875.00
12.	मध्य प्रदेश	22014.51	11007.25	444.97	11400.00
13.	महाराष्ट्र	18937.85	9468.78	469.32	2562.50
14.	मणिपुर	228.53	114.26	3.20	562.50
15.	मेघालय	267.40	91.31	4.35	437.50
16.	मिजोरम	112.65	105.26	2.29	1000.00
17.	नागालैंड	286.64	143.33	6.54	1187.50
18.	उड़ीसा	14093.11	8236.96	321.32	8462.50
19.	पंजाब	1089.39	544.70	15.62	
20.	राजस्थान	9146.40	4573.20	162.92	6687.50
21.	सिक्किम	104.36	52.19	1.49	275.00
22.	तमिलनाडु	15704.96	7852.48	447.59	6637.50
23.	त्रिपुरा	296.83	148.41	6.36	900.00
24.	उत्तर प्रदेश	42334.91	21167.45	709.73	5587.50
25.	पश्चिम बंगाल	15569.34	7594.83	221.86	6725.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	84.41	42.21	1.25	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	45.81	22.91	0.65	0.00
28.	दमन व दीव	26.99	13.50	0.85	0.00
29.	लक्षद्वीप	42.32	21.16	0.80	0.00
30.	पांडिचेरी	82.64	35.32	1.74	
	कुल :	342815.10	119135.62	4288.58	77737.00

नोट : (1) सुनिश्चित रोजगार योजना (1) अक्तूबर, 1996 तक की सूचना।

(2) यह मांग आधारित योजना है अतः योजना के अंतर्गत कोई आवंटन/लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

विवरण-II

1996-97 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में राज्यवार आबंटन, रिलीज एवं लक्ष्यों को दर्शाने वाली धनराशि के बारे में विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आबंटन (लाख)	केन्द्र+ राज्य रिलीज	वितरित ऋण वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8336.41	4168.22	1500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.43	146.36	200.00
3.	असम	2743.50	685.88	4500.00
4.	बिहार	16218.24	818.00	20000.00
5.	गोवा	141.87	35.47	600.00
6.	गुजरात	3059.22	1603.66	7600.00
7.	हरियाणा	735.33	367.64	3800.00
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	109.48	1400.00
9.	जम्मू व कश्मीर	999.09	232.47	1100.00
10.	कर्नाटक	5594.91	2797.44	11500.00

1	2	3	4	5
11.	केरल	2036.15	673.36	6000.00
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	4875.80	21000.00
13.	महाराष्ट्र	9087.73	2476.94	20000.00
14.	मणिपुर	449.59	175.68	100.00
15.	मेघालय	477.57	462.39	300.00
16.	मिजोरम	201.82	50.46	50.00
17.	नागालैंड	335.69	83.93	200.00
18.	उड़ीसा	6783.85	3573.85	11500.00
19.	पंजाब	521.53	239.93	1800.00
20.	राजस्थान	4388.01	2194.00	12000.00
21.	सिक्किम	55.95	74.24	300.00
22.	तमिलनाडु	7537.14	1714.78	16000.00
23.	त्रिपुरा	641.42	379.98	1500.00
24.	उत्तर प्रदेश	20316.50	10071.52	45000.00
25.	पश्चिम बंगाल	7472.20	1424.24	12500.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	70.94	17.73	100.00
27.	दादर व नगर हवेली	14.99	7.49	50.00
28.	दमन व दीव	27.97	13.98	10.00
29.	लक्षद्वीप	6.99	3.49	10.00
30.	पांडिचेरी	57.95	28.98	100.00
	जोड़	109721.16	39525.27	214220.00

विवरण-III

1996-97 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन, रिलीज और लक्ष्य की धनराशि दर्शाने वाला विवरण

राशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन	रिलीज	जनसंख्या लाख लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6618.00	3309.00	27.800
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200.00	600.00	0.150
3.	असम	2026.00	1013.00	6.700
4.	बिहार	7795.00	3113.00	14.000
5.	गोवा	189.00	94.50	0.713
6.	गुजरात	3882.00	1941.00	31.500
7.	हरियाणा	1451.00	725.50	11.125
8.	हिमाचल प्रदेश	1303.00	651.50	0.520
9.	जम्मू और कश्मीर	3652.00	1826.00	2.257
10.	कर्नाटक	6087.00	3043.50	31.500
11.	केरल	3095.00	1547.50	5.000
12.	मध्य प्रदेश	7327.00	3663.50	25.000
13.	महाराष्ट्र	8810.00	4405.00	21.250
14.	मणिपुर	440.00	220.00	1.910
15.	मेघालय	472.00	236.00	0.900
16.	मिजोरम	337.00	168.50	0.530
17.	नागालैंड	422.00	211.00	0.845
18.	उड़ीसा	3468.00	1734.00	16.600
19.	पंजाब	1105.00	552.50	3.593
20.	राजस्थान	7256.00	7256.00	4.220
21.	सिक्किम	372.00	186.00	0.140
22.	तमिलनाडु	5247.00	2623.50	15.000
23.	त्रिपुरा	418.00	209.00	2.120
24.	उत्तर प्रदेश	12278.00	6139.00	40.000
25.	पश्चिम बंगाल	4760.00	2370.00	10.440
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	25.00	-	0.071
27.	दादर व नगर हवेली	15.00	-	0.621
28.	दमन व दीव	10.00	-	0.621
29.	दिल्ली	30.00	-	0.472
30.	लक्षद्वीप	0.00	-	0.219
31.	पांडिचेरी	20.00	10.00	0.685
	कुल	90090.00	47848.50	276.502

टिप्पणी :- सूचना मासिक प्रगति रिपोर्ट सितम्बर, 1996 के आधार पर है।

विवरण-IV

1996 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में राज्यवार आबंटन, रिलीज और लक्ष्य की धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		निर्धारित भौतिक लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)		राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
								राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	उच्चतम सीमा	उच्चतम सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4194.00	2180.88	2161.50	2223.98	1164.60	605.59	466000	24563	242625
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.30	-	5.50	-	6.30	-	1700	63	1313
3.	असम	630.90	-	621.50	-	281.10	-	70100	7063	58563
4.	बिहार	6969.60	1529.40	3481.50	10.92	1808.40	167.76	774400	39563	376750
5.	गोवा	19.80	-	11.00	5.72	8.40	-	2200	125	1750
6.	गुजरात	1440.90	-	726.00	-	373.80	-	160100	8250	77875
7.	हरियाणा	339.30	176.44	148.50	-	114.60	52.15	37700	1688	23875
8.	हिमाचल प्रदेश	140.40	54.29	38.50	-	43.50	-	11600	438	9063
9.	जम्मू और कश्मीर	239.40	124.49	88.00	32.32	99.60	28.35	26600	1000	20750
10.	कर्नाटक	2845.80	-	1248.50	-	754.50	-	316200	14188	157188
11.	केरल	1300.50	-	324.50	-	225.30	-	144500	3688	46938
12.	मध्य प्रदेश	4408.20	2292.26	2700.50	722.99	1466.40	-	489800	30688	305500
13.	महाराष्ट्र	4515.30	-	1974.50	-	1144.20	-	501700	22438	238375
14.	मणिपुर	31.50	16.38	11.00	5.72	13.20	6.86	3500	125	2750
15.	मेघालय	30.60	15.91	11.00	-	12.60	-	3400	125	2625
16.	मिजोरम	12.60	6.55	5.50	2.86	5.10	2.65	1400	63	1063
17.	नागालैंड	21.60	11.23	5.50	2.86	9.00	4.68	2400	63	1875
18.	उड़ीसा	2550.60	1275.30	1677.50	-	760.20	-	283400	19063	158375
19.	पंजाब	328.50	170.82	121.00	62.92	80.70	-	36500	1345	168125
20.	राजस्थान	1800.00	297.54	869.00	-	651.30	-	200000	9875	135688
21.	सिक्किम	7.20	3.74	5.20	-	3.00	-	800	63	625
22.	तमिलनाडु	3527.10	1834.09	1831.50	952.38	871.50	453.18	391900	20813	181563
23.	त्रिपुरा	47.70	24.80	16.50	8.58	19.80	10.29	5300	188	4125
24.	उत्तर प्रदेश	9247.50	4808.70	5104.00	-	2783.10	1447.21	1027500	58000	579813
25.	पश्चिम बंगाल	3185.10	1656.25	1738.00	903.76	868.20	451.46	353900	19750	180805
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.40	-	5.50	-	2.10	-	600	63	438
27.	चंडीगढ़	11.70	-	5.50	-	5.10	-	1300	63	1063
28.	दादर व नगर हवेली	2.70	1.40	5.50	2.86	0.90	-	300	63	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	दमन व दीव	1.80	0.93	5.50	2.86	0.60	-	200	63	125
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	171.00	-	60.50	-	71.10	-	19000	6875	14813
31.	लक्षद्वीप	0.90	-	5.50	-	0.30	-	100	63	63
32.	पांडिचेरी	13.50	-	5.50	-	5.70	-	1500	63	1188
	कुल	48020.40	16481.40	25019.20	3840.73	13654.20	3230.38	5335600	290511	2995945

विश्व बैंक सहायता-प्रदत्त विद्युत परियोजनाएं

1827. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कुछ विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है और इन्हें कितनी-कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) ये परियोजनाएं इस समय किस चरण में हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). विश्व बैंक सहायता के साथ क्रियान्वित की जा रही प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	ऋण सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	क्षमता (राज्य)	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	2844-इन	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना (दादरी)	1669.210	322.830	4×210 मे.वा. ताप यूनिटें 817 मे.वा. गैस यूनिट (उ.प्र.)	सभी यूनिट प्रचालित
2.	2845-इन	तालचेर ताप विद्युत परियोजना	2592.180	295.100	2×500 मे.वा. ताप यूनिटें (उड़ीसा)	दोनों यूनिटें प्रचालित
3.	3632-इन	विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए टाईम स्लाइस लोन	4063.960	400.00		
	(क)	विन्ध्याचल-II			2×500 मे.वा. ताप यूनिटें (म.प्र.)	कार्य प्रगति पर पहली यूनिट फरवरी, 2000 तक प्रचालित कर दी जाएगी, दूसरी यूनिट फरवरी, 2001 तक प्रचालित कर दी जाएगी।
	(ख)	कायमकुलम			400 मे.वा. 2×119.6 मे.वा. गैस यूनिटें 1×115 मे.वा. ताप यूनिटें (केरल)	मुख्य ठेके दे दिए गए हैं पहली इकाई मार्च, 99 तक प्रचालित कर दी जाएगी, दूसरी यूनिट, मई, 1999 तक प्रचालित कर दी जाएगी, तीसरी यूनिट मार्च, 2000 तक प्रचालित कर दी जाएगी।

1	2	3	4	5	6	7
पावरग्रिड						
4.	3577-इन	पावरग्रिड प्रणाली विकास परियोजना एनटीपीसी की विद्यमान विन्ध्याचल परियोजना की पारेषण लाइनें तथा दक्षिण क्षेत्र प्रणाली समन्वयन केन्द्र।	2368.577	350.00	400 के.वी. (म.प्र., महाराष्ट्र, आ.प्र., कर्नाटक)	लाइनों को दिसंबर, 97 तक तथा समन्वयन केन्द्र को फरवरी 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
5.	3237-इन	उत्तर क्षेत्रीय पारेषण परियोजना परिषण लाइनें तथा दिल्ली स्थित उत्तर क्षेत्रीय समन्वयन केन्द्र	1882.330	485.000	400/800 के.वी. (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जे एंड. के, उ.प्र. तथा हिमाचल प्रदेश)	मोगा-हिसार-भिवानी हिसार-जयपुर हिसार-बवाना लाइनें पूरी कर ली गई हैं। नाथपा-झाकड़ी तथा किशनपुर-मोगा लाईन पर कार्य प्रगति पर है जिसे अक्तूबर, 99 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा समन्वयन केन्द्र को मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशा है।
6.	2726-इन	उत्तर क्षेत्रीय पारेषण परियोजना नापथा झाकड़ी पारेषण लाइनों के लिए परामर्शी (जापानी अनुदान)	1882.330	148.500 जापानी येन	400 के.वी. (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उ.प्र. तथा हिमाचल प्रदेश)	परामर्शी परियोजना समाप्त हो गई।
7.	2845-इन	तालचेर पारेषण परियोजना	एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन परियोजना में शामिल कर लिया गया।	31.420	400 के.वी. (उड़ीसा)	लाइनें प्रचालित हैं।
विद्युत वित्त निगम						
8.	3436	विद्युत यूटिलिटी दक्षता सुधार परियोजना	1963.640	265.00	लागू नहीं। बहुराज्यीय परियोजना (आं.प्र., म.प्र. गुजरात, हरियाणा राजस्थान तथा दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड)	पथपन उप-परियोजनाएं हैं। सबके ठेके दे दिए गए हैं तथा वे विभिन्न राज्यों में पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।
9.	3630-इन	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना। कोयला जल विद्युत परियोजना।	71.260	20.00	लागू नहीं। बहुराज्यीय परियोजना (आ.प्र., गुजरात, तमिलनाडु तथा हरियाणा)	10 परामर्शी उप परियोजनाएं है।

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र						
10.	3096-इन	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना। कोयला जल विद्युत परियोजना।	1118.00	354.00	4×250 मे.वा.	पहली यूनिट को अप्रैल, 98 तक प्रचालित किए जाने की संभावना है।
11.	3498-इन	दूसरी महाराष्ट्र विद्युत परियोजना भूकंप प्रभावित गांवों की पुनर्स्थापना के लिए एचवीडीसी लाइनें चन्द्रपुर यूनिट-7	1887.410	350.00	लागू नहीं	लाइनें निर्माणाधीन हैं, जिन्हें जनवरी, 98 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। परामर्शी परियोजना लगभग पूरी हो गई है। चन्द्रपुर यूनिट अगस्त, 97 तक चालू कर लिए जाने की संभावना है। प्रसंविदा की शर्तें पूरा न कर पाने के कारण ऋण रद्द कर दिया गया है।
नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम						
12.	3024-इन	नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना	4337.950	485.000	6×250 मे.वा.	सभी प्रमुख अवार्ड दे दिए गए। सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। पहली यूनिट जून, 2001 तक प्रचालित किए जाने की संभावना है।
13.	4014-इन	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनः संरचनात्मक परियोजना	उपलब्ध नहीं	350.000	लागू नहीं	उड़ीसा में अनुवर्ती पुनः संरचना संबंधी कार्य हाथ में ले लिए गए हैं।

मेगा सिटी योजना

1828. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में मुम्बई में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या मुम्बई की मेगा सिटी योजना संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है तथा वास्तव में कितनी राशि जारी की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) तथा (ख). मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद मेगा नगरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम 1993-94 में आरम्भ की गई थी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 16.3.1995 को अनुमोदित इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच भागीदारी 25:25 के अनुपात में होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि संस्थागत वित्त से जुटायी जाएगी;

(2) स्कीम में शामिल की जाने वाली परियोजनायें तीन प्रकार की होंगी :—
(क) बुनियादी सेवा परियोजनाएं (ख) प्रयोक्ता प्रभार आधारित परियोजनाएं, तथा (ग) प्रतिलाभ वाली परियोजनाएं।

(3) धन की अदायगी राज्य स्तर पर ऐसी विशेषज्ञता संस्था/नोडल एजेंसी की मार्फत करनी होती है जो जल आपूर्ति, सीवरेज जल-निकासी, सफाई-प्रबन्ध, नगर परिवहन नेटवर्क, भूमि विकास, स्लम सुधार, कचरा निपटान प्रबंध आदि सहित शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त मुहैया कराती है।

(ग) से (ङ). मुम्बई मेगा सिटी परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना मंजूरी समिति ने अब तक कुल 266.82 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं मंजूर की हैं जिसमें से 30.9.1996 तक 150 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। बम्बई मेगा सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति संतोषजनक है, क्योंकि इसे इस स्कीम के दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा मार्च, 1995 में ही भेजे गए थे और राज्य सरकार को स्कीम के कार्यान्वयन हेतु तैयार होने के लिए अनेक प्रारंभिक उपाय करने थे।

(च) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

मेगा सिटी स्कीम के तहत बम्बई मेगा सिटी प्रोजेक्ट के लिये वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में नियत यथार्थ में प्रदत्त राशि इस प्रकार है :-

(रुपये करोड़ में)

धन अदायगी का वर्ष	मेगा सिटी स्कीम के लिए नियत धन (सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश)	मुम्बई मेगा सिटी परियोजना के लिए प्रदत्त राशि
1993-94	70.00	20.10
1994-95	75.00	16.10
1995-96	84.00	18.08

* 1993-94 के लिए धन योजना आयोग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (जिस मेगा सिटी स्कीम के लिए भारत सरकार का अंश माना गया) के रूप में दिया गया जबकि वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लिए केन्द्रीय अंश राशि शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा भूमि का अतिक्रमण

1829. डा. बलिराम : क्या प्रधान मंत्री पेट्रोल पम्प के लिए भूमि का आवंटन के बारे में 4 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4352 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 55 पेट्रोल पम्पों के मालिकों द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहीत की गयी सरकारी भूमि को खाली कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस भूमि को कब तक खाली कर लिया जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). एक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील करने और गिराने के आदेश जारी किये हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य मामले में सील करने और गिराने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। भूमि और विकास कार्यालय द्वारा अनधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के शेष 53 मामलों में नोटिसें जारी कर दी गई हैं और आगे की कार्रवाई संबंधित पार्टियों के उत्तर पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

जम्मू कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

1830. श्री चमन लाल गुप्त : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू कश्मीर में कार्यरत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अपने तैयार माल को निर्यात करने योग्य है; और

(ख) घाटी तथा डोडा जिले के इन इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार की कौन सी नई योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए यूनिटों, इनमें निर्यात में लगी यूनिटें शामिल हैं, की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें चला रहा है। जम्मू और कश्मीर में एक फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए 20 लाख रु. की मंजूरी दी गई है।

परिवहन प्रणाली

1831. श्री रमेश चेन्नितला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में एक समेकित परिवहन प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग

1832. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षित पदों को भरने हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को लोक सेवा की मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में आरक्षण का लाभ देने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के अन्तर्गत आबंटित किए गए हैं। ये तीन उम्मीदवार राजस्थान, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से संबंधित हैं।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा नियमों में अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में शिथिल मापदण्ड लागू करने का प्रावधान है, यदि संघ लोक सेवा आयोग उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसी छूट देना आवश्यक समझता है।

[अनुवाद]

शहरी त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम

1833. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और ये योजना 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम की आबादी वाले शहरों के लिए लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेजी से हो रहे शहरीकरण के लिए कई शहरों की आबादी 20,000 से भी अधिक हो गई है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम को 20,000 से अधिक की आबादी वाले शहरों में भी शुरू किया जाये तथा पानी की आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर से बढ़ाकर 1000 लीटर कर दी जाये; और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार के उक्त अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रियां है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). जी, हां। मार्च, 1994 में शुरू त्वरित शहरी जल आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम में 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में जल आपूर्ति सुविधाओं का प्रावधान है। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में धन दिया जाता है।

राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 175.67 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की 215 योजनाएं मंजूर की गई हैं। विभिन्न राज्य सरकारों को 48.49 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश जारी किया जा चुका है।

(ग) 1991 में किए गए जनसंख्या सर्वेक्षण के पश्चात-कई शहरों की आबादी 20,000 से अधिक हो गई है। तथापि, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान, 1991 की जनगणना के अनुसार शहरों की आबादी पर आधारित है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिए गए उत्तर में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1,00,000 तक की आबादी वाले शहरों के लिए प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी का वर्तमान मात्रा पर्याप्त समझा गया है क्योंकि इन शहरों की औद्योगिक तथा संस्थागत आवश्यकताएं सामन्जस्य अधिक नहीं होती हैं। जहां तक 20,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में इस कार्यक्रम को लागू करने का सवाल है, यह उत्तर दिया गया था कि योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए गठित जल आपूर्ति तथा सफाई सेक्टर संबंधी कार्य दल ने सिफारिश की है कि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत विचार किए जाने वाले शहरों की आबादी को 20,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया जाये।

विद्युत मंत्रालय का प्रस्ताव

1834. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टेट्स रिजेक्ट पावर मिनिस्ट्री प्रोपोजल" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) राज्यों द्वारा बिजली वितरण के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले पावर लाइसेंसिंग कॉरपोरेटों को प्रस्तावित स्वतंत्र विद्युत विनियामक आयोग द्वारा मंजूरी न दिए जाने के क्या प्रमुख कारण दिए गए हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव पर राज्यों को सहमत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). 16 अक्तूबर, 1996 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में प्रारूप समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए 4 नवम्बर 1996 को ऊर्जा सचिवों की एक बैठक बुलाई गई। कार्य योजना पर अंतिम निर्णय मुख्य मंत्रियों के अगले सम्मेलन में लिया जाएगा।

[हिन्दी]

रसोई गैस का वितरण

1835. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री दादा बाबूराव पराजपे :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशीराम राणा :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस के भरे सिलेंडरों के वितरण में डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं/कदाचार के अनेक मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) एजेन्सियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों के अनुसार भरे हुए एल पी जी सिलिंडरों के विपणन के संबंध में अनियमितताओं/कदाचारों के कुछ एक मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमे कम वजनी सिलिंडरों की आपूर्ति, अधिक प्रभार वसूली, रिफिल आपूर्ति में विलंब, हाट प्लेट की जबरन बिक्री, इत्यादि शामिल हैं। गत तीन वर्षों के दौरान देश में रिपोर्ट की गई साबित शिकायतों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

1994-95	456
1995-96	629
1996-97	106

(सितम्बर, 1996 तक)

गलती करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जिसमें चेतावनी पत्र, जुर्माने, निलंबन तथा समापन शामिल हैं।

रक्षित विद्युत संयंत्र

1836. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1996 तक निजी क्षेत्र में सरकार द्वारा कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ख) क्या देश में विद्युत की भारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में 30 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने वाला कोई रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले ताप विद्युत, डीजल विद्युत और वन-विद्युत संयंत्रों संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) 31.10.96 की स्थिति के अनुसार, उन्नीस (19) निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

भद्रावती टी.पी.एस

1837. **श्री जी. वेंकट स्वामी :**
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भद्रावती टी.पी.सी. के संबंध में प्राप्त प्रारूप विद्युत खरीद समझौते की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच परियोजना के लिए प्रति-गारन्टी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारूप विद्युत क्रय करार के संबंध में भारत सरकार की टिप्पणियां महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कंपनी लि. की संयुक्त प्रतिक्रिया के लिए महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) को उपलब्ध करवा दी गई थीं जो अब प्राप्त कर ली गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

पेयजल योजनाएं

1838. **श्री डी.पी. यादव** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने/शुरू करने के संबंध में उत्तर प्रदेश के विशेषकर सम्भल क्षेत्र के गांवों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है और योजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार 23250 कवर न की गई बसावटें तथा 113969 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें थीं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 122.780 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से 1997-98 तक सभी कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई (1-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) बसावटों को कवर करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. में पंजीकृत व्यक्ति

1839. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवेदनकर्त्ताओं को आवास आवंटित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 30 जून, 1996 तक आवास आवंटित न किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पंजीकरण की गई योजनाओं को आरम्भ करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक तथा तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिली सूचना के अनुसार, एन.पी.आर.एस. 1979 और पी एम आर वाई 1989 के तहत एल आई जी./एम आई जी श्रेणियों के निम्नलिखित पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर आवास स्कीमों के सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों की पेशकश की जा चुकी है।

	एम आई जी	एल आई जी	योग
एन पी आर एस-79	* 18122	11868	29990
ए ए वाई-89	6585	4576	11161
	24707	16444	41151

उपर्युक्त बकाये के कुछ कारण इस प्रकार हैं :-

(1) एन पी आर एस 1979 के तहत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक अर्थात 1,71,272 होना।

(2) भूमि प्राप्ति में कठिनाइयां।

(3) डेसू द्वारा बाहरी विद्युतीकरण में विलंब।

(4) स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति और सीवेज सुविधाओं के प्रावधान में विलंब।

(5) भवन निर्माण सामग्री की सामयिक कमी।

(घ) से (ङ). चालू वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित तीन स्कीमों की घोषणा की है :—

(1) नौवीं स्ववित्त पोषित स्कीम-96

(2) विस्तारणीय आवास स्कीम-96

(3) जनता आवास पंजीकरण स्कीम-96

गैस की खोज

1840. **श्री सनत मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में निजी क्षेत्र की विदेशी कंपनियों द्वारा गैस की खोज तथा उत्पादन कार्यों हेतु संसाधन जुटाने का है, उदारीकरण के पूर्व की स्थिति की तुलना में वर्ष 1992 के पश्चात् भारतीय गैस प्राधिकरण/तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को वास्तव में कितना खर्च पड़ा;

(ख) गैस की खोज में कुल कितना निवेश किया गया तथा इन कंपनियों द्वारा ड्रिलिंग सहित कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) इन प्रयासों से देश के तेल और गैस भंडारों में कुल कितनी वृद्धि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत वित्त निगम

1841. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर, 1996 के "आब्जर्वर" में "नो टेकट्स फॉर पी.एफ.सी. ज्वेन, फन्डस लाई अनयूटीलाइज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) पीएफसी फण्ड्स अप्रयुक्त नहीं पड़े हैं तथा मुख्यतः राज्य विद्युत यूटिलिटियों को ऋण देने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। 30 सितम्बर, 1996 तक पीएफसी ने 10,1986। करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं और 6,565.63 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। समाचार पीएफसी के निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को उधार देने से संबंधित है।

(ग) और (घ). निजी क्षेत्र की परियोजनाएं जिन्हें पीएफसी को प्रस्तुत किया गया है, वे अभी निगम द्वारा वित्तपोषित किए जाने की अवस्था में नहीं हैं। सरकार सतत रूप से निगम के प्रचालन की समीक्षा कर रही है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी विनियमन और प्रतिबंध नियमों को लागू करना

1842. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी विनियमनों/प्रतिबंध निगमों को कारगर रूप से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत बारह माह के दौरान विदेश मत्स्यन नौकाओं द्वारा देश के इस संबंध में विनियमनों का उल्लघंन करने के बारे में रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ). गहन समुद्री जलयानों का प्रचालन भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और/या ऐसे प्रचालनों हेतु दिए गए अनुमोदनों की शर्तों के तहत नियन्त्रित किया जाता है। फिर भी, गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन पर लगाए गए प्रतिबंधों/नियंत्रणों के उल्लंघन के बारे में कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और/या ऐसे अनुमोदनों की शर्तों के तहत उचित कार्रवाई की गई है।

बिना बारी के आवंटन

1843. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना बारी के आवास आवंटन संबंधी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). श्री शिव सागर तिवारी द्वारा दायर चल रही जनहित याचिका की विषय वस्तु सरकारी आवास का बिना बारी आवंटन करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टाइप-III और ऊपर के आवास बाबत अनुकंपा आधार पर 1991-95 के दौरान किये गये बिना-बारी आवंटनों को श्रेणीबद्ध करने की जांच हेतु एक समिति का गठन किया था। समिति ने माननीय न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मामला न्यायाधीन है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या

1844. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 से 1996 तक 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार वर्षवार संबंधित राज्य संवर्गों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने पदाधिकारी थे और मंजूर पदों की संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार संबंधित राज्य संवर्गों से केन्द्र में संयुक्त सचिव, अवर सचिव और सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई है; और

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में किसी तरह का क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किसी नीति या परिपाटी का पालन करती है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) एक जनवरी की स्थिति के अनुसार 1991 से 1996 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गों की प्राधिकृत पद संख्या तथा राज्यवार पदाधारिता क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) सम्बन्धित राज्य संवर्गों से, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, अपर सचिव तथा सचिव के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) भारत सरकार के अन्तर्गत स्थानन भारत सरकार की अपेक्षाओं के मद्देनजर संबंधित अधिकारी के गुणों तथा अनुभव पर विचार करते हुए, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत किए जाते हैं। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अधिकाधिक शामिल किए जाने से क्षेत्रीय संतुलन बना हुआ है।

विवरण-I

भारतीय प्रशासनिक सेवा
संवर्गवार पदभारिता की स्थिति

	संवर्ग	1.1.1991 को	1.1.1992 को	1.1.1993 को	1.1.1994 को	1.1.1995 को	1.1.1996 को
1.	आंध्र प्रदेश	312	318	316	320	323	326
2.	ए.जी.एम.यू.	197	211	213	207	228	242
3.	असम-मेघालय	196	203	189	178	201	211
4.	बिहार	383	369	353	353	380	370
5.	गुजरात	241	249	245	237	239	232
6.	हरियाणा	206	208	203	208	209	198
7.	हिमाचल प्रदेश	129	131	131	130	126	130
8.	जम्मू और कश्मीर	98	107	104	81	94	116
9.	कर्नाटक	258	260	259	249	259	260
10.	केरल	161	165	171	164	163	162
11.	मध्य प्रदेश	378	382	373	372	386	391
12.	महाराष्ट्र	339	345	342	335	348	364
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	135	134	142	137	148	159
14.	नागालैंड	51	51	46	43	45	44
15.	उड़ीसा	202	203	215	194	200	202
16.	पंजाब	177	194	180	181	189	196
17.	राजस्थान	241	240	225	251	240	248
18.	सिक्किम	44	41	44	39	38	41
19.	तमिलनाडु	305	304	310	311	308	314
20.	उत्तर प्रदेश	530	540	541	508	539	540
21.	पश्चिम बंगाल	298	299	280	259	302	301
	कुल	4881	4954	4882	4757	4965	5047

विवरण-II

कुल प्राधिकृत संख्या भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र.सं.	संवर्ग	1.1.1991 को	1.1.1992 को	1.1.1993 को	1.1.1994 को	1.1.1995 को	1.1.1996 को
1.	आंध्र प्रदेश	331	331	331	331	331	314
2.	ए.जी.एम.यू.	245	210	210	210	245	232
3.	असम-मेघालय	213	213	218	218	218	207
4.	बिहार	408	408	408	408	414	392
5.	गुजरात	253	253	253	248	248	236
6.	हरियाणा	233	233	215	215	215	205
7.	हिमाचल प्रदेश	140	140	140	138	138	131
8.	जम्मू और कश्मीर	118	118	118	118	118	112
9.	कर्नाटक	265	265	265	265	266	253
10.	केरल	195	195	195	181	181	171
11.	मध्य प्रदेश	398	398	398	398	398	377
12.	महाराष्ट्र	356	356	366	366	366	348
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	171	171	171	209	209	198
14.	नागालैंड	60	60	54	54	54	51
15.	उड़ीसा	216	216	216	210	210	199
16.	पंजाब	197	284	204	204	204	193
17.	राजस्थान	263	266	266	266	266	252
18.	सिक्किम	59	64	64	56	53	53
19.	तमिलनाडु	339	339	340	340	340	323
20.	उत्तर प्रदेश	554	554	554	554	554	527
21.	पश्चिम बंगाल	320	320	320	308	308	292
	कुल	5334	5314	5306	5297	5336	5066

विवरण-III (क)

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सचिव, अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1.4.1991			1.4.1992			1.4.1993		
		सचिव	अ.सचिव	स.सचिव	सचिव	अ.सचिव	स.सचिव	सचिव	अ.सचिव	स.सचिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम-मेघालय	1	6	13	2	3	12	2	3	13
2.	आंध्र प्रदेश	6	6	22	4	6	22	5	3	20
3.	बिहार	6	6	20	5	7	17	5	5	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	गुजरात	2	6	17	2	4	13	2	4	10
5.	हिमाचल प्रदेश	1	–	11	1	–	09	–	1	08
6.	हरियाणा	2	1	12	1	–	14	2	3	13
7.	जम्मू और कश्मीर	–	–	06	–	1	09	–	–	08
8.	केरल	6	2	08	6	–	09	1	1	10
9.	कर्नाटक	6	1	16	5	1	13	5	2	12
10.	महाराष्ट्र	6	5	26	4	7	25	4	7	23
11.	मध्य प्रदेश	9	5	21	5	6	21	4	6	25
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	–	–	06	–	1	03	–	1	05
13.	नागालैंड	–	–	06	–	–	03	–	–	01
14.	उड़ीसा	5	5	17	6	6	15	5	7	17
15.	पंजाब	6	2	12	6	3	11	7	3	09
16.	राजस्थान	5	5	10	6	5	10	3	4	09
17.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	तमिलनाडु	5	3	14	6	2	09	6	2	08
19.	उत्तर प्रदेश	13	5	33	11	4	36	9	3	37
20.	संघ राज्य क्षेत्र	2	2	16	4	2	15	4	2	14
21.	पश्चिम बंगाल	5	2	21	5	2	22	1	3	22
	कुल	78	58	299	79	60	292	65	60	201

विवरण-III (ख)

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सचिव, अपर सचिव तथा तथा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1.4.1994			1.4.1995			1.4.1996		
		सचिव	अ.सचिव	स.सचिव	सचिव	अ.सचिव	स.सचिव	सचिव	अ.सचिव	स.सचिव
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	असम-मेघालय	2	2	12	3	6	8	6	5	13
2.	आंध्र प्रदेश	5	3	18	5	3	15	5	7	15
3.	बिहार	3	4	19	3	6	26	5	4	25
4.	गुजरात	5	4	14	4	6	16	6	5	13
5.	हिमाचल प्रदेश	–	2	11	–	3	09	1	2	10
6.	हरियाणा	1	3	11	2	5	11	2	3	08
7.	जम्मू और कश्मीर	–	1	08	1	1	07	–	2	08
8.	केरल	2	2	08	2	1	12	2	2	11
9.	कर्नाटक	3	4	13	1	2	10	1	3	11
10.	महाराष्ट्र	8	5	24	8	5	21	11	1	19

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.	मध्य प्रदेश	5	4	27	7	5	30	10	3	25
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	-	8	04	-	2	06	-	1	07
13.	नागालैंड	-	-	-	-	-	02	-	-	05
14.	उड़ीसा	7	4	14	6	3	07	4	3	11
15.	पंजाब	6	3	09	4	4	06	4	4	05
16.	राजस्थान	3	1	14	2	-	12	-	2	11
17.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	तमिलनाडु	5	2	09	4	2	08	3	3	10
19.	उत्तर प्रदेश	10	5	32	12	6	34	9	6	31
20.	संघ राज्य क्षेत्र	5	-	13	4	2	14	2	4	15
21.	पश्चिम बंगाल	1	6	21	1	6	18	2	7	18
	कुल	71	56	281	69	68	272	73	67	271

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश

1845. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन-किन क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां।

(ख) अनाज तथा अनाज आधारित उत्पादों, फल तथा सब्जी उत्पादों, दूध और दूध उत्पादों, मछली प्रसंस्करण और एक्वाकल्चर, किण्वन उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, मांस और मांस उत्पाद आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) पूंजी निवेश के लिए अनुमोदित कुछ प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) संयुक्त उद्यम, विदेशी सहयोग, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों तथा ऐसे उद्योगों, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी है, की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को निरन्तर आधार पर अनुमोदन प्रस्ताव के गुण-अवगुणों तथा उस समय लागू नीतियों के अनुसार दिया जाता है।

विवरण

प्रमुख विदेशी कम्पनियों की सूची जिनके विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

1. मैं. केलॉग एंड कं., यू.एस.ए
2. मैं. पेप्सिको इंक, यू.एस.ए
3. मै. कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स, यू.एस.ए
4. मै. मैक्डोनाल्ड कारपो., यू.एस.ए
5. मै. पिजा हट इंटरनेशनल, हांगकांग
6. मै. सीग्राम कं.लि. कनाडा
7. मै. यूनाइटेड डिस्टीलर्स, यू.के
8. मै. हिराम वाकर ग्रुप, यू.के
9. मै. हिन्ज इटालिया, इटली
10. मै. के एफ सी, हांगकांग
11. मै. मार्स इन्कॉरपोरेटेड, यू.एस.ए
12. मै. विलियन रीग्ले जू.कं. यू.एस.ए.
13. मै. परफेटी एस.पी.ए., इटली
14. मै. सी.पी. एक्वाकल्चर, थाइलैंड
15. मै. कार्ल्सबर्ग इंटरनेशनल, डेनमार्क
16. मै. हॉल्सटिन ब्रानेरेई एग. जर्मनी
17. मै. हेनिन्गर ब्रान, जर्मनी

18. मै. फोस्टर्स ब्रिउइंग ग्रुप, आस्ट्रेलिया
19. मै. हॉफब्रॉ मैन्चेन, जर्मनी
20. मै. फिन्सर फिनान्सियल सर्विसेज लि., लंदन
21. मै. कारगिल साउथ एशिया लि.
22. मै. पिल्सबरी कं., यू.एस.ए
23. मै. मीकेन फूड्स लि., कनाडा
24. मै. टेरा एगो टेक्नालॉजिज, इस्राइल
25. मै. बर्न फिलिप एंड कं. ऑस्ट्रेलिया
26. मै. चूपा चूप कनफेक्शनरी, हॉलैंड
27. मै. गूपे डेनोने, फ्रांस
28. पै. व्हाइट एंड मैके, यू.के.
29. मै. परनोड रिचर्ड, यू.के.
30. मै. ब्राउन फॉरमान, यू.के.
31. मै. थ्यूसेन रीनस्टॉल टेक्नॉलोजी, जर्मनी
32. मै. सी.प्री.सी. इंटरनेशनल, यू.एस.ए.
33. मै. डोहलर जीएमबीएच, जर्मनी
34. मै. फार्म फ्राइट्स बी.वी., हॉलैंड
35. मै. डलसेम बेसिएप बी.बी. हॉलैंड
36. मै. फ्रैंकलिन मशरूम्स इंक., यू.एस.ए
37. मै. सेफ्टी हैंडल्स जीएमबीएच, जर्मनी
38. मै. एग्री सिस्टम बी.वी., हॉलैंड
39. मै. मेकन एग्री लि. नादर्न आयरलैंड
40. मै. गर्लिन होल्डिंग्स, हॉलैंड
41. मै. गॉथियर, एस.ए., फ्रांस
42. मै. बेकार्डी इंटरनेशनल (प्रा.) लि., बरमुडा
43. मै. फिलिप्स मॉरिश इंक, यू.एस.ए.
44. मै. मुस्कान लि., यू.के

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखानों का आधुनिकीकरण

1846. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ तेल कंपनियों ने अपने तेल शोधक कारखानों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी तेल कंपनियों के नाम और उनकी स्थापना के स्थान के साथ उनकी बढ़ी हुई क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या इन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण/विस्तार और इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	रिफाइनरी का नाम	क्षमता वृद्धि	वर्ष	अनुमोदित लागत
1.	सी आर एल कोचीन	3.00 एम एम टी पी ए	1994-95	481.24
2.	बी आर पी एल विस्तार	1.00 एम एम टी पी ए	1995-96	222.90
3.	डिग्बोई रिफाइनरी	0.15 एम एम टी पी ए	1996-97	346.34

(घ) और (ङ). कोचीन रिफाइनरी विस्तार परियोजना जून, 1995 के अनुमानित पूर्णता कार्यक्रम की तुलना में दिसम्बर, 1994 में चालू कर दी गई।

डिग्बोई रिफाइनरी मार्च, 1996 में यांत्रिक रूप से पूर्ण कर ली गई। यांत्रिक ठेकेदार के घटिया कार्यनिष्पादन की वजह से 4 महीने की मामूली देरी हुई।

बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स

चरण-I निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया गया। तथापि, चरण-II 10 महीने के विलंब से पूरा हुआ। विलंब के कारण नीचे दिए गए हैं :-

(1) असामान्य/बहुत अधिक वर्षा, जिससे संचार में बाधा आई

(2) स्थानीय बंद और हड़तालें।

(3) विक्रेता की दुकान पर श्रमिक समस्या/हड़ताल के कारण कुछ उपस्करों की सुपुर्दगी में देरी हुई।

पेट्रोल पम्प

1847. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड का विचार दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ पेट्रोल पम्प खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पेट्रोल पम्प किन-किन स्थानों पर तथा कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) इन पेट्रोल पम्पों द्वारा उपभोक्ताओं को क्या विशेष सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). इंडियन आयल कार्पोरेशन ने आरंभ में विभिन्न प्राधिकारियों से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करके एक चरणबद्ध तरीके से अपने निम्नांकित 10 खुदरा बिक्री केन्द्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने के लिए इनके उन्नयन के संबंध में प्रस्ताव किया था :-

1. शेर सर्विस स्टेशन, जनकपुरी।
2. प्रगति, मिन्टो रोड।
3. आटो सर्विस, रोहतक रोड।
4. मां आनंद माई, पटपड़गंज।
5. दीपक मोटर्स, झिलमिल।
6. क्वीन्स रोड सर्विस स्टेशन, वसन्त विहार।
7. किंग्सवे सर्विस स्टेशन, माल रोड।
8. सेन्टर हाफ सर्विस स्टेशन, जोसेफ ब्रीज टीटो मार्ग।
9. ढींगरा सर्विस स्टेशन, चिराग दिल्ली।
10. राजकुमार सर्विस स्टेशन, आई आई टी क्रासिंग।

(घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा इन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छतरी, आर सी सी ड्राइववे, बहु उत्पाद वितरण इकाइयां, सुविधा भंडार, स्वचालित कार धुलाई सुविधा, द्रुत ल्यूब तेल परिवर्तन सुविधा इत्यादि जैसी सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

स्वीकृति हेतु परियोजनाएं

1848. **श्री दत्ता मेघे** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य हेतु निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को प्राप्त हुयी परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ख) विवरण में इंगित सभी परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	टी ए सी द्वारा स्वीकृति की तारीख
1. तैम्हापुरी माध्यमिक सिंचाई परियोजना	18.09	24.6.1994
2. शिवनटकली माध्यमिक सिंचाई परियोजना।	34.76	24.6.1994
3. बौरदहगांव माध्यमिक सिंचाई परियोजना	16.27	24.12.1994

[अनुवाद]

भारत समर्थक उग्रवादी

1849. **श्री तारीक अनवर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में भारत समर्थक उग्रवादी भूमिगत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये उग्रवादी पुनः अलगाववादी गुटों में शामिल हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). सरकार को समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित ऐसी खबरों की जानकारी है।

(ङ) केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों ने इस बात को दुहराया है कि जो लोग आतंकवादी तथा अलगाववादी हिंसा के मार्ग को छोड़कर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनके पुनर्वास हेतु उचित उपाय किए जाएंगे।

रसोई गैस के डीलर

1850. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जिले-वार रसोई गैस डीलरों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक के पास कितने गैस कनेक्शन पंजीकृत हैं;

(ग) क्या रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या में कमी करने तथा उपभोक्ता सेवा में तीव्रता लाने तथा इसे बेहतर बनाने हेतु और रसोई गैस एजेंसी खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली में कितनी आपातकालीन सेवायें प्रदान की जा रही है; और

(च) क्या वर्तमान आपातकालीन सेवायें अपर्याप्त नहीं है और न्यूनतम समय में आपात स्थिति में किये गये फोन काल पर कार्यवाही करने हेतु और आपातकालीन सेवायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). दिनांक 1.10.1996 तक दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में क्रमशः 270, 167 तथा 660 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं, जिनके ग्राहकों की संख्या क्रमशः 17.51 लाख, 8.01 लाख तथा 35.39 लाख थी।

(ग) और (घ). नगर की जनसंख्या के आधार पर तथा प्रचालन की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों में रिफिल बिक्री की अधिकतम सीमा 5000-9000 के बीच निर्धारित की गई है। क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से ऊपर कार्य करने वाली एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के प्रचालन क्षेत्र के पुनर्गठन पर विचार किया जाता है तथा उत्पाद उपलब्धता के आधार पर एक चरणबद्ध ढंग से प्रचालन की व्यवहार्यता की शर्त पर 10,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं।

(ङ) और (च). दिल्ली में तेल उद्योग द्वारा पांच आपातकालीन सेवा केन्द्र चलाए जा रहे हैं, जो फिलहाल दिल्ली के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

[हिन्दी]

मिट्टी तेल की एजेंसियां

1851. डा. बलिराम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल तथा मिट्टी के तेल की एजेंसियों के आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था;

(ख) किन-किन स्थानों के लिए उक्त आवंटन किया गया तथा किन-किन स्थानों के लिए आवंटन नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विपणन योजना में किन-किन स्थानों को शामिल किया जाएगा तथा उनके साक्षात्कार की तिथियां क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 417 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 228 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 58 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए। इनमें से 275 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 98 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 25 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा 266 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 98 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों व 24 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के लिए आशय-पत्र जारी किए गए। 9 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 1 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप के लिए आशय-पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। बाकी की 142 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, 130 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 30 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए हैं।

अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी

1852. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डा. सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों के अनुसार एक विषय के रूप में अंग्रेजी को जारी रखने अथवा न रखने के संबंध में मुख्यमंत्रियों के विचार मांगे गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा की लिखित परीक्षा में अंग्रेजी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न-पत्र मैट्रिक स्तर का होता है और इसमें प्राप्त अंक अंतिम-रैंकिंग के लिए नहीं गिने जाते। ऐसा प्रश्न पत्र कोठारी समिति द्वारा संस्तुत किया गया था और 1979 में प्रारंभ की गई परीक्षा की संशोधित स्कीम का एक अंश है।

(ग) से (ङ). जी, हां। डा. सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों पर अधिकतर मुख्यमंत्रियों के विचार प्राप्त हो चुके हैं। सरकार का यह मत है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए सामान्य भाषा नीति पर निर्णय लेना, एक व्यापक सर्वसम्मति होने के पश्चात ही संभव हो पाएगा।

[अनुवाद]

टैंकेज प्लांट में आग

1853. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त टैंकेज प्लांट में 9 नवम्बर, 1996 को भीषण आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आग लगने से कितनी क्षति हुई;

(घ) इस अग्निकांड में कितने लोग हताहत हुए; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). विशाखापत्तनम में मुख्य रिफाइनरी परिसर के बाहर एच पी सी एल के अतिरिक्त टैंकेज परियोजना स्थल पर 8 नवम्बर, 1996 को आग लग गई। यह आग नेफ्था के जलने के कारण लगी, जो नेफ्था शिपिंग लाइन के माध्यम से अतिरिक्त टैंकेज परियोजना स्थल तक फैल गई।

इस आग की वजह से पाइपलाइन के बहुछिद्रिल नल और नेफ्था के टैंक को क्षति पहुंची। इस आग के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति घायल हो गए।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एच पी सी एल द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

पन विद्युत उत्पादन

1854. **श्री जी. वेंकट स्वामी :**
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता में स्थापित पन विद्युत उत्पादन क्षमता के हिस्से में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उठाए गए उपचारात्मक उपाय क्या हैं; और

(घ) इसके परिणाम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). 1963 में देश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में जल विद्युत शक्यता का हिस्सा 50.62 प्रतिशत था जो बाद में घटकर 25.10 प्रतिशत रह गया। 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार 83287.09 मे. वा. कुल अधिष्ठापित क्षमता में जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता 20976.09 मे.वा. है। जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले मुद्दों में कुछ मुद्दे संसाधनों की कमी व केश-फ्लों संबंधी समस्या, पुनर्स्थापना संबंधी समस्याएं, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, कानून व्यवस्था संबंधी पहलू, अंतर्राज्यीय पहलू और पर्यावरणीय विचारधाराएं आदि हैं।

(ग) और (घ). जल विद्युत शक्यता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के निगमों की स्थापना करना, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए परिव्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि करना तथा विदेशी सहायता के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय, प्रशासनिक तथा कानूनी प्रक्रियाओं में भी संशोधन किया है, जिसके परिणामस्वरूप जल विद्युत पयिोजनाएं स्थापित किए जाने से संबंधित 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी कुल क्षमता 11070 मेगावाट है।

"पाम आयल" मिल

1855. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी. एस.आई.आर.) "पाम आयल" मिलों के लिए एक नई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को लाभकारी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से क्षय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द के. अलघ) : (क) और (ख). क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरूवनन्तपुरम द्वारा पाम आयल प्रोसेसिंग के लिए एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी पैकेज में निम्नवत् यूनिट प्रचालन शामिल हैं :—

- ताजे फलों के गुच्छों का स्थिरीकरण
- ताजे फलों के गुच्छों का अवलेपन
- खाली गुच्छों को हटाना
- आयम पाम फलों का पाचन
- आयन पाम फलों का निष्कर्षण
- तेल का निर्मलीकरण
- तेल का शुद्धिकरण एवं शुष्कीकरण
- तेल भंडारण

- आयल पाम गिरी की प्राप्ति
- बहिस्राव उपचार

पेदावेंगी, आंध्र प्रदेश स्थित मैं. ए.पी. आयलसीड ग्रोवर्स फेडरेशन, हैदराबाद के परिसर में वर्ष 1992 में 2.5 टन ताजे फलों के गुच्छों की प्रति घंटा क्षमता वाली आदिप्ररूप यूनिट स्थापित और चालू की गई थी। यह पाम आयल मिल सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और ताजे फलों के गुच्छों में मौजूद तेल में से 90 प्रतिशत से अधिक तेल की प्राप्ति की गई है। मिल द्वारा 4 प्रतिशत से कम वसीय अम्ल रहित (एफएफए) खाद्य ग्रेड कच्चे लाल पाम आयल का उत्पादन किया जाता है। (खाद्य ग्रेड तेलों के लिए स्वीकार्य सीमा)

(ग) यह पाम आयल मिल, 4.5 वर्षों की पुनः भुगतान अवधि, 39.65 प्रतिशत के ब्रेक इवन प्वांइट और बिक्री पर 14.4। प्रतिशत औसत निवल लाभ सहित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है। निम्नवत् परियोजना इंजीनियरिंग कंपनियों को यह प्रौद्योगिकी पैकेज प्रदान किया गया :—

- मै. अर्क इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट प्राइवेट लि., नई दिल्ली
- मै. जाप्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लि., बम्बई
- मै. विल्सन इजीनियरिंग इंटरप्राईजेज, कोयम्बटूर

ये परियोजना इंजीनियरिंग कंपनियां सीएसआईआर प्रौद्योगिकी आधारित टर्न की आधार पर देश में विभिन्न ग्राहकों के लिए पाम आयल मिलों की स्थापना करने हेतु अवसर प्रदान कर रही है।

नेप्था आधारित विद्युत संयंत्र

1856. **श्री सनत मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नेप्था और द्रव ईंधन आधारित कितनी विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) मंजूर की गई इन विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितने द्रव ईंधन की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या इस आयातित ईंधन का कोई स्वदेशी विकल्प है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) के.वि. प्रा. द्वारा स्वीकृत कुल 9 विद्युत परियोजनाएं नापथा और अन्य तरल ईंधनों पर आधारित है।

(ख) उपरोक्त 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 6 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक नापथा की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ). विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों जैसे कृषि, यातायात, विद्युत तथा विमानन आदि से राष्ट्रीय मांगें पूरा करने के लिए तरल ईंधन की स्वदेशी आपूर्ति अपर्याप्त है।

आन्ध्र प्रदेश में रोजगार आश्वासन योजना

1857. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए 118.50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए कहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का इस योजना के अन्तर्गत राज्य को अतिरिक्त आबंटन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1995-96 के दौरान चालू कार्यों को पूरा करने एवं नए कार्यों को शुरू करने हेतु 120 करोड़ रुपए प्रदान करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था।

(ख) और (ग). सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत एक राज्य अथवा एक जिले के लिए कोई निर्धारित आबंटन नहीं है। एक जिला सुनिश्चित रोजगार योजना की अगली किस्त के लिए अनुरोध उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत से अधिक प्रयोग कर लिए जाने के बाद कर सकता है। निधियों की आवश्यकता क्षेत्र में लोगों द्वारा की गई रोजगार की मांग पर निर्भर करती है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विनिवेश योजना

1858. **श्री तारीक अनवर** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कंपनी में विनिवेश किये जाने संबंधी सरकार की योजना पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

1859. **श्री मोहन रावले** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 40 एल.पी.सी.डी. से 50 एल. पी.सी.डी. बढ़ाने तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत निजी घरों को कनेक्शन देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस संबंध में इसके बाद केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्राधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की है कि जिन राज्यों ने 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की कवरेज को प्राप्त कर लिया है वे योजनाएं तैयार करते समय उनमें प्रारम्भ से उच्च आपूर्ति 55-70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की व्यवस्था कर सकते हैं। तथापि, महाराष्ट्र सहित राज्यों को सलाह दी गई है कि वे डिजाइन को परिवर्तित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि स्रोत तथा प्रणाली की निरन्तरता को ध्यान में रखा गया है।

पेट्रोल पम्प हेतु भूमि

1860. **श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल पम्प हेतु कश्मीरी विस्थापितों को भूमि का आबंटन किये जाने संबंधी अनेक मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें भूमि का आबंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि दिल्ली में पेट्रोल पम्प के लिए कश्मीरी प्रवासियों के भू आवंटन का कोई मामला लम्बित नहीं है। फिर भी जम्मू-कश्मीर से दिल्ली तक पेट्रोल पम्प पुर्नस्थापन के तीन मामले पाये गये हैं। ये मामले वर्ष 1994 से संबंधित हैं।

(ग) यह आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई वर्रीयता और स्थल उपलब्धता के आधार पर किया जाना है।

फ्लैटों का अन्तरण

1861. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय सामान्य पूल के फ्लैटों का अन्य पूलों के फ्लैटों से अतंरण करता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान श्रेणी-वार कितने फ्लैटों का अंतरण एक पूल से दूसरे पूल में किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि केवल उच्च श्रेणी के फ्लैटों का ही अंतरण किया जाता है, जबकि श्रेणी-दो के फ्लैटों का अंतरण नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार सम्पदा निदेशालय ऐसे कार्यालयों के साथ मकानों का अन्तर पूल अंतरण करने को सहमत है जो साधारण पूल से वास पाने के पात्र नहीं हैं बशर्ते कि बदले में इसी टाइप का (निदेशालय को स्वीकार्य) मकान दिया जाए।

अन्तर पूल अंतरण संबंधी अनुदेश सभी किस्म के वास पर समान रूप से लागू हैं।

दिनांक 1.1.95 से विनियम आधार पर दिए गए मकानों की संख्या संबंधी जानकारी इस प्रकार है :-

टाइप	क्वार्टरों की संख्या
I	शून्य
II	03
III	03
IV	01
IV स्पेशल	शून्य
V-ए	
डी-II	13
V-बी	
डी-I	01
VI	
सी-II	03
VI (बंगला)	06
VII	07
VIII	शून्य
होस्टल	04
योग	41

विश्व बैंक सहायता

1862. **श्री कचरु भाऊ राउत** :
श्री तारीक अनवर :
श्री डी.पी. यादव :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक को भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या राज्यों से भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो योजनावार तथा राज्यवार कितनी धनराशि मांगी गई है तथा कितना आबंटन किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). जी हां। भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान के संबंध में गरीबी उन्मूलन परियोजना हेतु विश्व बैंक से आरंभिक अनुरोध किया है। विश्व बैंक ने परियोजना तैयारी हेतु 88.3 मिलियन येन के जापानी अनुदान को मंजूरी दे दी है। विभिन्न राज्यों द्वारा कराए गए अध्ययनों के आधार पर नियमित परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के पश्चात ही कुल परियोजना लागत को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि का अतिक्रमण

1863. **श्री जय प्रकाश** (हरदोई) : क्या **प्रधान मंत्री** 31 जुलाई, 1996 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न सं. 2342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैनिक फार्म में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटा दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नई दिल्ली मे अनंतराम डेटी में सरकारी भूमि पर अनधिकृत भवनों को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि इस अतिक्रमण की उन्हें जानकारी है तथा इसे हटाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले पर पहले ही कार्रवाई की है।

(ग) और (घ). दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 1.1.1996 से इस इलाके में 22 मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी मामलों में निर्माण कार्यों को गिराने के नोटिस जारी किए गए तथा तत्पश्चात् इस आशय के आदेश पारित किए गए थे। एक एक मामले में निर्माण कार्य को गिराने की कार्रवाई भी की जा चुकी हैं। शेष मामलों में पहले से ही कार्रवाई कर रहा है।

(ङ) नई दिल्ली नगर परिषद ने बताया है कि अनंतराम डेयरी में जहां भी अनधिकृत निर्माण पाया गया है उसे हटाने/सील करने के लिए नोटिस जारी कर दिये गए हैं।

विद्युत क्षेत्र का आधुनिकीकरण

1864. **डा. सी. सिल्वेरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर निवेश को देखते हुए मंत्रालय ने नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले ऐसे प्रतिष्ठान जहां विद्युत की खपत होती हैं, के द्वारा परियोजना ये शुरू करने के लिए योजना आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि देने का निर्णय लिया है;

(ग) विद्युत क्षेत्र में निजी पार्टियों के निवेश नहीं होने के मुख्य कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की स्थिति बेहतर बनाने हेतु उक्त पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या विद्युत क्षेत्र हेतु आठवीं योजना के दौरान निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). नौवीं योजना जिसे कि अभी अंतिम रूप दिया जाना है, में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के लिए संसाधनों की आवश्यकता, जिसमें राज्य के स्वामित्व में विद्युत यूटिलिटी भी शामिल है, का समाधान करेगी।

(ग) निजी विद्युत कार्यक्रम के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति ने इन परियोजनाओं में से कुछ के शीघ्र वित्तीय समापन को प्रभावित किया है।

(घ) सरकार द्वारा अन्य उपायों पर भी विचार किए जाने के साथ-साथ राज्यों/अन्य प्रतिष्ठानों के साथ नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम जारी करना विद्यमान संयंत्रों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार करना, मांग पक्षीय प्रबंधन एंव टैरिफ यौक्तिकरण करना शामिल है।

(ङ) और (च). आठवीं योजना के दौरान 30537.7 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के तहत 17668 मेगावाट प्राप्त होने की आशा है। इसमें आई कमी के प्रमुख कारण राज्यों के पास संसाधनों की कमी, पुनर्वास एंव पुनर्स्थापना मामले, कानून एवं व्यवस्था इत्यादि शामिल है।

अधिभार लगाना

1865. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीबों के लिए आवास योजनाओं हेतु धन जुटाने के लिए 50 लाख से अधिक लागत वाले भवनों के निर्माण पर अधिभार लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रयोजना हेतु धन जुटाने के लिए गैर कानूनी रूप से भवन-निर्माण पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). 7 से 9 अक्टूबर, 96 तक आयोजित राष्ट्रीय आवास सेमीनार में अन्य बातों के साथ-साथ आर्लाशान मकान, खाली भूमि पर कर और अनधिकृत निर्माण कार्यों पर भारी-जुर्माने लगाने एवं इनसे होने वाली आमदनी को "आश्रय कोष" में जमा कराने की सिफारिश की है ताकि गरीबों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

तथापि, सरकार द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1866. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित करने तथा इसे बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) तमिलनाडु में अब तक खाद्य प्रसंस्करण के कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) राज्य में इस प्रकार के और अधिक केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश और घरेलू/अनिवासी भारतीय/विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतियों को उदार बनाया है और अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया है। उदारीकरण से लेकर अक्तूबर, 1996 तक देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 45407 करोड़ रु. के पूंजी निवेश वाले 3831 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं। इनमें से 6596 करोड़ रु. के पूंजी निवेश वाले 507 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन कार्यान्वित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, उक्त अवधि से लेकर मार्च, 1996 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना/विदेश सहयोग/संयुक्त उद्यम आदि हेतु कुल 11418 करोड़ रु. की परियोजना लागत वाले 815 अनुमादेन प्रदान किए गए हैं। जुलाई, 1996 तक 3298 करोड़ रु. के कुल परियोजना लागत वाली 115 परियोजनाओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

इनके अलावा यह मंत्रालय कुछ योजना स्कीमें भी चला रहा है जिसके तहत राज्य सरकार के संगठनों/सहायता प्राप्त संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों/स्वेच्छिक संगठनों/सहकारिताओं आदि को खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना/उन्हें बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत 8वीं योजनावधि के दौरान तमिलनाडु राज्य में 14 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर शीघ्रता से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

लद्दाख का निषिद्ध क्षेत्र

1867. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के निषिद्ध क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर विदेशी पर्यटकों का जाना मना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्रों के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है; और

(घ) लद्दाख में विदेशी कितनी अवधि तक ठहर सकते हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). चार या इससे अधिक व्यक्तियों के ग्रुपों में मान्यता प्राप्त टूर आपरेटरों द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटकों को, सक्षम अधिकारी से आवश्यक परमिट प्राप्त करने के पश्चात अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित स्थानों की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।

स्थान

(1) **खाल्त्से-सब डिवीजन (ड्रोकान्पा क्षेत्र)**

(क) खाल्त्से-दुमखर-स्कोरदुघान-हानुदो-वियामा-धा।

(II) नूबरा सब-डिवीजन

(क) लेह-खारदुंग ला-खलसर-तिरित-पनामिक तक।

(ख) लेह खारदुंग ला-खलसर-हुंढेर तक।

(ग) लेह-साबो-दिगार ला-दिगार-लेलाब-खुंगरू गांपा-तांगर।

(केवल अनुमोदित टूर आपरेटरों द्वारा संचालित ट्रैकिंग के लिए और राज्य कर्मियों को साथ लेकर)

(III) न्योमा सब डिवीजन

(क) लेह-उप्शी-चूमाथंग-माहे-पुगा-त्सो-मोरारी झील/कोरजोक।

(ख) लेह-उप्शी-देबरिंगे-पुगा-तसो-मोरारी झील/कोरजोक।

(ग) लेह-कारू-चांग ला-दुरबक-तांग्त्से-लूकुंग-स्पांकमिक। (पांगोंग झील-स्पांकमिक तक)

मूलभूत सुविधाएं

1868. **श्री शिवराज सिंह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1997-98 में आंबटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो की जाने वाली वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित करने के लिए सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की गई है।

पहचान की गई सेवाएं इस प्रकार हैं :-

(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

(2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।

(3) प्राथमिक शिक्षा का विस्तारीकरण।

(4) सभी आवास रहित गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता उपलब्ध कराना।

(5) सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी गंदी बस्तियों तथा अलाभान्वित वर्गों के प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन कार्यक्रम का विस्तार।

(6) सभी असंबद्ध गांवों और निवासों को संबद्ध करना।

(7) गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाना।

वर्ष 1996-97 के बजट में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में इन सात बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए 2466 करोड़ रुपये राज्यों को उपलब्ध कराये गए हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आबंटित की जाने वाली राशि के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

फल प्रसंस्करण उद्योग

1869. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में फल प्रसंस्करण उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण में फिलहाल 23 यूनिटें लगी हैं।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना अवधि के दौरान अपनी विभिन्न योजना स्कीमों के तहत 264.37 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भी सहकारी क्षेत्र में फल और सब्जी प्रसंस्करण के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

भूखण्ड को आबंटन

1870. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस अकेले व्यक्ति, जिसे उत्तरी क्षेत्र में विकसित भूखण्ड में से कोई भूखण्ड आबंटित नहीं किया जा सका, को एक विकसित भूखंड आबंटित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस व्यक्ति ने उत्तरी क्षेत्र में छोटे आकार के विकसित भूखण्ड, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण उसे दे रहा था, को इसलिए लेने से इंकार कर दिया था क्योंकि दि.वि.प्रा. के पास बड़े

आकार के भूखण्ड उपलब्ध थे, जिन्हें वह पक्षपातपूर्ण आधार पर अन्य व्यक्तियों को आबंटित कर रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उस अकेले व्यक्ति को भूमि व भवन विभाग ने दक्षिण क्षेत्र में उसकी अधिग्रहित भूमि के बदल प्रारंभ में दक्षिण क्षेत्र में ही 200 वर्ग गज का भूखण्ड आबंटित करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के अनुसरण में, उस व्यक्ति को दिनांक 30.10.73 को मालवीय नगर आवास योजना के अन्तर्गत 200 वर्ग गज के भूखण्ड की पेशकश की गई। इस पर कथित सिफारिशी व्यक्ति ने 400 वर्ग गज के बड़े आकार के भूखण्ड के आबंटन के लिए प्रतिनिवेदन किया। भूमि व मकान विभाग द्वारा उसमें निवेदन की जांच की गयी तथा उसे दिनांक 12.11.73 के पत्र के जरिये सलाह दी गयी कि वह 200 वर्ग गज भूखण्ड के आबंटन को स्वीकार कर ले, ऐसा न करने पर उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि 400 वर्ग गज भूखण्ड आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं हो जाता। सिफारिशी व्यक्ति को तदनुसार अपना विकल्प सूचित करने के लिए कहा गया। सिफारिशी व्यक्ति ने साकेत में 200 वर्ग गज भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा 400 वर्ग गज का ही भूखण्ड, उपलब्ध होने पर के आबंटन का अनुरोध किया। वर्ष 1986 में चूंकि दक्षिणी क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध नहीं था, सिफारिशी व्यक्ति को दिनांक 19.8.86 के पत्र के द्वारा 200 से 250 वर्ग गज के भूखण्ड आबंटन का विकल्प देने के लिए कहा गया। किन्तु सिफारिशी व्यक्ति ने पुनः प्रस्ताव नहीं माना तथा बड़े आकार के भूखण्ड आबंटन के लिए ही आग्रह किया। वैकल्पिक भूखण्डों के आबंटन के लिए दिनांक 15.10.93 को पर्ची द्वारा ड्रा निकाला गया और उस सिफारिशी को रोहिणी आवासीय योजना के 330 वर्गमीटर का भूखण्ड आबंटित कर दिया गया। दिनांक 28.10.93 को मांग व आंबटन पत्र जारी किया गया, लेकिन सिफारिशी व्यक्ति ने मांगी गयी राशि आज तक जमा नहीं की है। रोहिणी में भूखण्ड आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्णय से क्षुब्ध होकर, उस सिफारिशी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ). उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान के आधार पर विस्तार

1871. **श्री प्रिय रंजन दासमुंशी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय विज्ञान और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के आधार पर उद्योगों के कार्पोरेट स्तर पर विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए 9वीं योजनावधि के दौरान देश में सभी महाविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय और विज्ञान प्रयोगशाला हों, उद्योग मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक विस्तृत अध्ययन करेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : विज्ञान शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी विकास पर एक अध्ययन 1995 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायतशासी संस्थान, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा किया गया था। अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान शिक्षा पूर्वाभिमुखीकरण और मजबूत करने का सुझाव दिया गया है। उद्योग में अनुसंधान और विकास के आधार पर विस्तार करना इस मंत्रालय की चल रही गतिविधि है।

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्कों को वित्तीय सहायता

1872. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या केरल सरकार के औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास निगम ने इस संबंध में कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनके लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या केन्द्रीय सहायता से केरल के एर्णाकुलम जिले के कुन्नाथुनाड अथवा मुवत्तुपूजा तालुकों में 70 एकड़ भूमि पर ऐसे औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा सकती है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) हमारी योजना स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं लेकिन 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ था और उस वर्ष 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पश्चिम बंगाल में दनमुनी में एक खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए दी गई।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). केरल औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास निगम से केरल में एक खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क के विकास संबंधी प्रस्ताव हुआ है और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(च) औद्योगिक पार्क की स्थापना केवल उपलब्ध क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली आम सुविधाओं की मात्रा और ऐसे पार्क में स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या जैसे कारण भी निर्णय को प्रभावित करते हैं।

कमजोर वर्गों को ऋण रियायतें

1873. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जनजातीय लोगों और हरिजनों को कोई ऋण और रियायतें दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋणों और रियायतों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक दिए गए ऋणों और रियायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को आय सृजक परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए सहायता ऋण व सबसिडी के रूप में दी जाती है। यह पूर्वापेक्षा है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई कवरेज में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवार होने चाहिए।

(ख) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को राज्यवार ऋण व सबसिडी का धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित सबसिडी एवं ऋण

	राज्य		अनुसूचित जाति के परिवार		अनुसूचितजन जाति के परिवार	
			सबसिडी	ऋण	सबसिडी	ऋण
			(लाख रुपये में)		(लाख रुपये में)	
1	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	2646.82	2808.31	928.30	948.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	–	–	386.36	95.42
3.	असम	3	358.92	447.34	597.28	722.81
4.	बिहार	3	2316.36	2986.72	540.75	1536.85
5.	गोवा	3	0.81	1.29	–	–
6.	गुजरात	3	436.79	474.44	1079.54	1317.43
7.	हरियाणा	3	636.21	833.84	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3	108.01	197.63	29.31	38.54
9.	जम्मू और कश्मीर	3	99.80	86.63	63.47	87.87
10.	कर्नाटक	3	1279.44	1821.33	301.39	450.68
11.	केरल	3	1060.41	1343.06	81.62	94.61
12.	मध्य प्रदेश	3	1891.78	2477.09	2872.99	3684.58
13.	महाराष्ट्र	3	2006.25	2555.47	1356.01	1549.88
14.	मणिपुर	3	4.20	1.92	190.38	40.91
15.	मेघालय	3	4.14	–	236.31	–
16.	मिजोरम	3	–	–	167.25	25.45
17.	नागालैंड	3	–	–	95.84	91.45
18.	उड़ीसा	3	1446.39	1543.60	1816.50	1740.65
19.	पंजाब	3	561.90	896.40	–	–
20.	राजस्थान	3	1549.92	2260.51	911.87	1207.75
21.	सिक्किम	3	1.84	3.47	13.37	15.96

	1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	3	3588.78	3845.04	157.06	164.97
23.	त्रिपुरा	3	160.43	169.22	336.38	343.88
24.	उत्तर प्रदेश	3	9562.22	17901.64	154.63	276.33
25.	पश्चिम बंगाल	3	2025.75	2125.40	396.92	429.31
26.	अंडमान निकोबार दीपसमूह	3	–	–	14.44	14.86
27.	दादर व नगर हवेली	3	0.68	1.46	10.41	24.22
28.	दमन व दीव	3	0.35	0.70	1.46	2.92
29.	लक्षद्वीप	3	–	–	5.17	8.02
30.	पांडिचेरी	3	–	38.39	–	–
	जोड़		31747.40	44820.20	12795.51	14913.46

विवरण–II

वर्ष 1995–96 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित सबसिडी एवं ऋण

	राज्य		अनुसूचित जाति के परिवार		अनुसूचित जनजाति के परिवार	
			सबसिडी	ऋण	सबसिडी	ऋण
			(लाख रुपये में)		(लाख रुपये में)	
	1		2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	2041.41	2544.28	800.81	876.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	–	–	329.41	127.34
3.	असम	3	376.06	471.66	622.50	767.88
4.	बिहार	3	2981.45	3669.69	1660.55	2137.98
5.	गोवा	3	0.00	0.00	–	–
6.	गुजरात	3	427.99	498.93	846.43	1866.85
7.	हरियाणा	3	770.87	1417.98	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3	111.17	301.45	23.54	46.14
9.	जम्मू और कश्मीर	3	81.29	129.69	100.71	90.99
10.	कर्नाटक	3	1496.89	2463.82	334.50	744.99
11.	केरल	3	945.49	1755.08	69.66	129.68
12.	मध्य प्रदेश	3	2164.13	4295.53	3642.83	5372.25
13.	महाराष्ट्र	3	2165.38	3323.95	1364.39	1827.72
14.	मणिपुर	3	4.14	0.00	183.81	30.19
15.	मेघालय	3	0.67	1.04	227.95	269.89
16.	मिजोरम	3	0.00	0.00	254.25	32.28
17.	नागालैंड	3	–	–	0.00	0.00

	1		2	3	4	5
18.	उड़ीसा	3	1666.42	2097.75	2002.66	2446.77
19.	पंजाब	3	305.18	629.46	0.00	0.00
20.	राजस्थान	3	1478.27	2898.88	926.40	1752.29
21.	सिक्किम	3	7.64	14.22	49.85	102.16
22.	तमिलनाडु	3	3677.72	4703.55	176.80	206.51
23.	त्रिपुरा	3	116.49	133.32	308.33	333.07
24.	उत्तर प्रदेश	3	9530.80	19917.31	172.26	341.47
25.	पश्चिम बंगाल	3	2213.42	2235.53	418.99	432.70
26.	अ.नि. द्वीपसमूह	3	0.00	0.00	8.08	8.08
27.	दादर व नगर हवेली	3	0.29	0.67	11.23	26.54
28.	दमन व द्वीप	3	2.30	5.07	9.60	7.57
29.	लक्षद्वीप	3	0.00	0.00	1.08	1.77
30.	पांडिचेरी	3	16.34	45.97	0.24	0.24
			32551.21	53554.83	14546.86	19179.62

विवरण-III

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सब्सिडी एवं ऋण 1996-97 (सितम्बर 1996)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	अनुसूचित जाति के परिवार		अनुसूचित जनजाति के परिवार	
		सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	782.08	985.38	370.29	425.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	58.88	38.39
3.	असम	24.90	31.84	47.00	59.74
4.	बिहार	718.75	1043.38	454.17	565.39
5.	गोवा	-	-	-	-
6.	गुजरात	130.55	161.42	269.58	393.94
7.	हरियाणा	190.22	392.81	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	40.24	115.83	8.97	18.24
	जम्मू और कश्मीर	4.88	9.68	5.57	[illegible]
	कर्नाटक	380.05	697.81	160.30	209.76
		351.99	673.63	19.34	36.90
	मध्य प्रदेश	261.43	470.61	479.17	761.95

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	322.60	534.14	231.67	338.08
14.	मणिपुर	1.08	–	61.15	15.09
15.	मेघालय	0.52	–	103.87	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	असूचित			
18.	उड़ीसा	278.40	358.84	280.52	382.35
19.	पंजाब	97.27	268.88	–	–
20.	राजस्थान	103.95	410.98	121.68	414.48
21.	सिक्किम	2.41	5.27	21.32	38.09
22.	तमिलनाडु	513.16	724.89	12.27	14.57
23.	त्रिपुरा	25.36	30.21	51.27	60.02
24.	उत्तर प्रदेश	3245.82	6887.06	77.86	149.50
25.	पश्चिम बंगाल	692.59	708.69	114.02	121.31
26.	अ.नि. द्वीप समूह	–	–	–	–
27.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–
28.	दमन व द्वीप	–	–	–	–
29.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
30.	पांडिचेरी	–	–	–	–
	अखिल भारत	8168.25	14501.35	2948.90	4051.88

× जून 1996 तक

× अगस्त 1996 तक

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

1874. **श्री नामदवे दिवाथे :**

श्री चर्चिल अलेमाओ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा और महाराष्ट्र में कुल कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) कितने पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत लाइसेंस दिए गए हैं और वे किन स्थानों पर कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के अन्त तक इन राज्यों में पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के लिए और अधिक लाइसेंस देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). महाराष्ट्र और गोवा में प्रचालनरत खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खुदरा केन्द्रों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या नीचे दी गई है :

	खुदरा बिक्री केन्द्र			एल पी जी		
	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
महाराष्ट्र	1622	47	41	690	41	50
गोवा	66	4	0	33	5	0

(ग) और (घ). खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 और एल पी जी विपणन योजना 1994-96 तथा प्रारूप विपणन योजना

1996-97 में महाराष्ट्र और गोवा के संबंध में सम्मिलित खुदरा बिक्री डीलरशिप और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नीचे दी गई है :-

	खुदरा बिक्री केन्द्र (विपणन योजना)		एल पी जी (विपणन योजना)	
		प्रारूप		प्रारूप
	1993-96	1996-97	1994-96	1996-97
महाराष्ट्र	106	15	133	133
गोवा	7	0	14	1

विपणन योजना के शामिल स्थानों के चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाएंगे। महाराष्ट्र और गोवा के लिए तेल चयन बोर्ड इस समय कार्यरत नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स

1875. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के 21,535 फ्लैटों का कोई खरीदार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इसपर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1979 के नई पैटर्न योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का फ्लैटों का पहले आबंटन किए बगैर एक के बाद एक योजनाएं निकालीं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में निम्नलिखित तीन स्कीमों की घोषणा की गई है :-

(1) जनता आवास पंजीकरण स्कीम, 1996

(2) 9वीं स्ववित्त पोषित स्कीम, 1996

(3) विस्तारणीय आवास स्कीम, 1996

जनता आवास पंजीकरण स्कीम, 1996 और 9वीं स्ववित्त पोषित स्कीम, 1996 प्रारंभ किये गये हैं क्योंकि इन दो श्रेणियों में कोई भी पिछला मामला लंबित नहीं है।

विस्तारणीय आवास स्कीम में अतिरिक्त विस्तार की गुंजाईश वाले फ्लैट भी दिये जाने हैं।

न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 और अम्बेडकर आवास योजना 1989 के पंजीकृत व्यक्तियों को ये फ्लैट नहीं हैं।

उत्प्रवासियों का आना

1876. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1996 के "एशियन ऐज" में "इनफ्लक्स ऑफ माईग्रेन्टस कोजिंग इपीडेमिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भूमि घोटाला

1877. **श्री रामसागर :**

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1996 में "दैनिक जागरण" में "वाराणसी में 200 करोड़ का भूमि घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भूमि राज्य का विषय है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, उन्होंने वाराणसी में अपनी तुलसीपुर गृह स्थान योजना वर्ष 1972 में लगभग 439.69 एकड़ क्षेत्र पर अधिसूचित की थी।

आवास एवं विकास परिषद् को 281.95 एकड़ जमीन का कागजी कब्जा दिया गया था परन्तु भूस्वामियों ने परिषद को यह भूमि विकसित करने की अनुमति नहीं दी। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार जो

भूमि पहले परिषद के नाम दर्ज थी, वह कथित सहकारी समितियों तथा कालोनी-निर्माताओं को अवैध रूप से दे दी गई। यह भी बताया गया है कि यह काम उप-पंजीयक के कार्यालय, राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अर्बन सीलिंग तथा स्थानीय तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया है।

मामले की जांच की जा रही है।

घरों का गिराया जाना

1878. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग द्वारा संगम बिहार में 3 अक्टूबर, 1996 को बड़ी संख्या में गिराए गए मकानों के मालिकों ने यह दावा किया है कि उन्हें कुछ प्रापर्टी डीलरों द्वारा सस्ती दरों पर प्लाट बेचकर धोखा दिया गया है जैसाकि 4 अक्टूबर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन प्रापर्टी डीलरों का पता लगाने का कोई विचार है जिन्होंने ये प्लाट बेचे थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे माल का उत्पादन

1879. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री तारीक अनवर :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1996 के "इकोनामिक्स टाइम्स" में "पैनल सेट अप टु प्रोब स्लोपेज इन क्रूड आउटपुट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) यह पैनल अपनी सिफारिशें कब तक दे देगा; और

(घ) क्या पैनल देश में तेल उत्पादन में कमी के प्रश्न पर भी विचार करेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) से (घ). सरकार ने 1996-97 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी होने के कारणों की जांच करने और कमी होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डा. के. नारायणन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. श्री जे.एस. बैजल
2. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.सी.एन. जटार
3. श्री एस.एन. तालुकदार
4. डा. अविनाश चंद्र

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की पांचवीं स्ववित्त पोषण योजना

1880. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पांचवीं स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें फ्लैट आबंटित किये हैं और जिन्हें अभी फ्लैट आबंटित किया जाना है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कब तक फ्लैट आबंटित किये जायेंगे और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). डीडीए ने बताया है कि 1982 में शुरू पांचवीं स्ववित्त पोषित योजना में कुल 34,631 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। इस योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को डीडीए द्वारा समय समय पर जारी फ्लैटों के प्रति आवेदन करना था। योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को अन्तिम अथमर, 20.12.93 से 7/1/94 की अवधि में फ्लैट जारी करके दिया था। अब यह योजना बन्द हो गई है। उन सभी व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित/निर्धारित कर दिये गये हैं जिन्होंने आवेदन किया था। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को कोई बैकलाग नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 739/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 740/96]

(दो) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 741/96]

इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : महोदय, मैं श्री योगेन्द्र के. अलघ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 742/96]

(2) (एक) रसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बरे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 743/96]

(3) (एक) इण्डियन अकादमी आफ साइन्सिज, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन अकादमी आफ साइन्सिज, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 744/96]

(4) (एक) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलांजी, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 745/96]

(5) (एक) इण्डियन नेशनल साइंस आकदमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 746/96]

(6) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस ऐसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 747/96]

(7) (एक) इंडियन एसोसियेशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसियेशन फार दि कल्टिवेशन आफ सांइस, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 748/96]

(8) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जिआलॉजी, देहरादून के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जिआलॉजी, देहरादून के वर्ष 1995-96 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 749/96]

(9) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक सांइसिज, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक सांइसिज, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 750/96]

(10) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकादमी आफ इंजीरियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 751/96]

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 752/96]

नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड शिलौंग के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और विद्युत मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन आदि।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलौंग के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलौंग का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 753/96]

(ख) (एक) इण्डियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महोलखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 754/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 755/96]

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 756/96]

(तीन) इण्डियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट ऐजेन्सी लिमिटेड और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 757/96]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 758/96]

कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996 जो 13 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 520 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 759/96]

बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के बीच समझौता ज्ञापन तथा कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखत पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 760/96]

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल.टी. 761/96]

(तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 762/96]

(चार) लुबरीजोल इण्डिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 763/96]

(पांच) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 764/96]

(छह) बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 765/96]

(सात) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 766/96]

(आठ) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 767/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 768/96]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अपराह्न 12.01 1/2 बजे

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1996 को यथापारित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1996

(2) भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 1996

(3) नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1996

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री सूरजभान (अम्बाला) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 1/2 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कृषि सम्बंधी स्थायी समिति में कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सम्बंध में छत्तीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के "रक्षा नीति, योजना और प्रबन्ध" सम्बन्धी छठे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, 18 दिसम्बर को संत बाबा गुरूघासी जी के जयन्ती पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी वर्षों पहले घोषित कर दी थी। संत बाबा गुरू घासी दास के करोड़ों अनुयायी, सतनामी समाज एवं उपासक इस अवसर पर उपवास रख कर पूजा, अर्चना करते हैं। लोग धूमधाम से यह त्यौहार मनाते आ रहे हैं। करोड़ों सतनामी समाज एवं उपासक मध्य प्रदेश में ही नहीं, सम्पूर्ण भारत के कोने-कोने में निवासरत हैं।

संत बाबा गुरू घासीदास जी ने मानव समाज को उपदेश दिया। उनका कहना था कि सत्य बल से ही असत्य को मिटाया जा सकता है। सत्य नहीं तो मानव जीवन शून्य है।

सतनामी सही नाम नहीं जाने जग संसार,
सतनाम के उपकार में भये सकल विस्तार।
सत बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप।
सत्य में धरती, सत्य में आकाश,
सत्य में सूर्य करें नित्य प्रकाश,
सतनाम सार है, सब दुनिया मायाजाल,
जो समझ के चले वो भव सागर पार।
तन के दियना मन के बात्ती,
प्रेम के तेल डाल के क्षमा के लौ जलाए।
शांति दया के करे आरती,
धर्म एवं सत्य के ज्योति जला के गुरू अंधकार देय मिटाय,

मानव समाज को बाबा गुरूघासी दास जी ने उपदेश देते हुए कहा कि मानव चाहे कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए, सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, साहस एंव शांति के बिना जी नहीं सकता। मनुष्य को वर्तमान के बारे में न सोच कर भविष्य के बारे में सोच, सत्य का चिन्तन करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने जिस तरह अन्य समुदायों के महापुरूषों की पुण्य तिथि पर सार्वजनिक छुट्टी की है, उसी तरह करोड़ों सतनामी समाज एवं संत बाबा गुरू घासीदास की उपासना करने वालों की भावना का आदर करते हुए 18 दिसम्बर को बाबा गुरू घासीदास जयन्ती पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की कृपा करें। इसके लिए पूरा समाज गर्व महसूस करेगा।

श्री नंदकुमार सिंह चौहान (खंडवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की गलत कागज नीति के कारण हिन्दुस्तान की लगभग सभी अखबारी मिलें बंद होने के कगार पर हैं। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सैक्टर की लगभग 6 कागज मिलें हैं और प्राईवेट सैक्टर की 22-23 कागज मिलें हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की न्यूज प्रिंट की गलत नीति के कारण हिन्दुस्तान की लगभग सभी कागज मिलें बंद होने के कगार पर हैं। विदेशी कम्पनियों का एक षड्यंत्र चल रहा है और वे हिन्दुस्तान को सस्ता कागज दे रहे हैं और वह इसलिये कि जब यहां की सभी मिलें बंद हो जायेंगी तो जो कागज आज 15 हजार रुपये टन के हिसाब से दे रहे हैं, उसका मूल्य 30-35 हजार रुपये टन हो जायेगा। सरकार द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी हटा देने से यह समस्या बढ़ी है और लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वे आज भी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में नेपा नगर कागज मिल हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी कागज मिल है जिसकी स्थापना पूर्व प्रथम प्रधान मंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू ने की थी, वह आज बंद है जिसके 15 हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इसी के साथ हिन्दुस्तान के बाकी पेपर मिल्ज भी बंद होने के कगार पर हैं, उनके कर्मी भी बेरोजगार हो जायेंगे। यह आवश्यक है कि सरकार कागज नीति पर पुनः विचार करे और इम्पोर्ट किये गये कागज पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाये जिससे हिन्दुस्तान के हित में निर्णय लिया जा सके। मेरा सरकार से एक बार फिर से अनुरोध है कि लाखों लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी से बचाने के लिए जल्द ही कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, आपका धन्यवाद। अगले वर्ष 23 जनवरी से देश नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मनाएगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री के जरिए माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस सम्बंध में सरकार जो भी कार्ययोजना घोषित करने जा रही है उसे इसी सत्र में घोषित किया जाए। इस समय संसद का सत्र चल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी इस समिति के सभापति हैं। उन्हें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मनाने के संबंध में सरकार की कार्य योजना को इस सभा में शीघ्र घोषणा करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस धरती के महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरकार को 23 जनवरी राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषणा करनी चाहिए।

महोदय, देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित हैं या नहीं क्योंकि मास्कों से प्राप्त नवीनतम समाचार में यह बताया गया है कि जापान में विमान दुर्घटना के बाद नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मास्को चले गए थे। हमारे पास इस सम्बंध में कागजात हैं। इसीलिए क्या मैं सरकार से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह देश के लोगों की भावनाओं को समझे? हम अगले वर्ष जनम शताब्दी मनाने जा रहे हैं। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए तथा हमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के दुःखद रूप से लापता होने की जानकारी मिलनी चाहिए। देश के लोग सच्चाई जाना चाहते हैं। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि देश के लोगों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ क्या घटना घटी इसकी जानकारी मिल सके।

संसदीय कार्य मंत्री को कार्य योजना के बारे में घोषणा करने हेतु माननीय प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहिए। संसद सत्र चल रहा है। उन्हें इस सत्र में ही इसकी घोषणा करनी चाहिए क्योंकि 23 जनवरी से पूर्व कोई सत्र नहीं होगा। यह शीतकालीन सत्र है। इसलिए, मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री इस पर कार्यवाही करेंगे...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अखिल भारतीय स्तर पर 23 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)** आपकों सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि 23 जनवरी, का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। ऐसी घोषणा नहीं की गयी है। केवल पश्चिम बंगाल में अवकाश की घोषणा की गयी है...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, प्रधान मंत्री महोदय को राष्ट्रीय अवकाश के बारे में सभा में घोषणा करनी चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सरकार से अनुरोध करें कि वह 23 जनवरी, 1997 का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के इस प्रस्ताव पर विचार करें ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : ऐसा तो होना ही चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करें।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : महोदय, चूंकि हम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसलिए 23 जनवरी, 1997 का राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। आप सरकार से यह अनुरोध कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभा के नेता मौजूद हैं। वह इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नेताजी केवल बंगाल के ही नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे।

[अनुवाद]

इसलिए, सरकार को कुछ कहने दीजिए। पासवान जी कृपया कुछ कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, जो आपकी ओबजरवेशन है और जो हाऊस का सेंन्टीमेंन्ट, उसको हम प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : एक राष्ट्रीय समिति गठित की गयी है, किन्तु राष्ट्रीय समिति ने समारोह के कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया है। महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि क्या समारोह होगा अथवा नहीं। सरकार ने अभी तक इसे मनाने का निर्णय लिया है। यह प्रश्न अभी शेष है कि हमें इसे मनाना किस प्रकार है? महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से कहें कि वह नेताजी की जन्मशताब्दी मनाने के लिए पद्धति, तरीका और योजना की घोषणा करें।

दूसरी बात यह है कि हमारे देशवासी उनके लापता होने के रहस्य संबंधी मामले के बारे में जानने के लिए बहुत आतुर हैं। हमारे देशवासियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके अंतिम दिनों के दौरान उनके साथ क्या हुआ। महोदय, देश के प्रत्येक नागरिक का यह पूरा अधिकार है कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे महान नेता के बारे में यह जानें कि वे कहां हैं, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना घटी। इसलिए, मैं यह चाहता हूं कि आज उनसे संबंधित जो जानकारी उपलब्ध है, उसकी नये सिरे से जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में इस सभा को मैं यह स्मरण कराता हूं कि अगस्त, 1978 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई ने सभा में सरकार तौर पर यह वक्तव्य दिया था कि खोंसला आयोग के निर्णय

अथवा शाह नवाज खान समिति के निर्णय को निर्णायक न माना जाए क्योंकि सरकार का उसके बाद और अधिक जानकारी तथा और कागजात प्राप्त हुए हैं। अब मैं सरकार से पूछता हूं कि नवीनतम जानकारी क्या है। श्री मोरारजी देसाई द्वारा दिया गया वक्तव्य, उनका व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं था, श्री मोरारजी देसाई ने यह वक्तव्य भारत सरकार की ओर से दिया था। यह सरकार उस वक्तव्य से इंकार नहीं कर सकती क्योंकि पूर्व सरकार भी ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए यह सरकार भी अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है। सरकार हमेशा बनी रहती है। पूर्व सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी तथा मेरा विचार है कि यह सरकार भी इस मामले पर कार्यवाही करेगी तथा इस संबंध में वास्तविक सच्चाई का पता लगायेगी।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, पिछले छः महीने से पिछली सरकार से बातें चल रही हैं कि क्या सुभाष चन्द्र बोस की सेन्टीनेरी मनाई जाए। इस पर पिछली सरकार ने कहा कि इस पर विचार किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि सरकार सुभाष चन्द्र बोस के लिए अभी विचार करे कि उनकी सेन्टीनेरी मनाई जाएगी कि नहीं और मंत्री जी का यह कहना भी शर्मनाक है कि यह संदेश वह प्रधान मंत्री के पास पहुंचा देंगे। यह पूरे सदन की बात है। सारा सदन यह चाहता है। कम से कम सुभाष चन्द्र बोस के बारे में इस देश की जनता में, इस देश के नेताओं में विभिन्न पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सर्वसम्मति से सेन्टीनेरी मनाई जाए और चित्त बसु जी ने जो बात कही है, ऐक्शन प्रोग्राम अनाउंस किया जाए कि किस तरह से यह मनाया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर संदेश पहुंचाने की कोई बात नहीं है। सर्वसम्मति से सदन इसके लिए तैयार है। इसकी जानकारी ले ली जाए। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति इस बारे में दो राय नहीं रखता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐक्शन प्रोग्राम तुरन्त घोषित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात मैं कहना चाहता हूं। इस बारे में सारे सदन की सहमति है कि जन्मदिन मनाया जाएगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। कैसे मनाया जायेगा उसके बारे में तैयारी करना रामविलास जी की सूचना पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की बात को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अभी यह दो मामले आये, एक मामला पहले आया कि उनके जन्म दिवस को नेशनल होलीडे मनाया जाए। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश की कुछ ऐसी विभूति है जिनके लिए हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं। जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, बाबासाहब अम्बेडकर हैं। लेकिन जो नेशनल होलीडे का अभी तक हम लोगों को मालूम है उसमें महात्मा गांधीजी को छोड़कर दूसरे किसी के नाम पर नेशनल होलीडे पब्लिक होलीडे नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : बाबासाहब अम्बेडकर के बारे में हुआ था, यह हाउस में हुआ था।

श्री राम विलास पासवान : पंडित जवाहर लाल नेहरू वगैरह का बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पब्लिक होलीडे नहीं है।

कुमार ममता बनर्जी : बाबासाहब अम्बेडकर का है।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, यह होना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : इसमें भी होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : जहां तक सरकार का मामला है उसके लिए नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक सवाल यह उठा और दूसरा सवाल यह उठा कि क्या नेताजी जीवित हैं या नहीं। जिसकी खोसला कमेटी के संबंध में इन्होंने कहा कि यह कमेटी पुरानी हो गई है, इसको नये सिरे से बदलना चाहिए। इन दो मुद्दों के सवाल पर मैंने कहा कि जो हाउस की फीलिंग्स हैं वह हम प्रधान मंत्री जी के पास हम कन्वे कर देंगे। अभी हमारे भाई लालमुनी चौबे ने एक तीसरा सवाल कहा कि उनकी सेन्टीनरी मनाई जाये या नहीं और इस पर विरोधाभास है। मैं समझता हूं कि सेन्टीनरी मनाई जाए, इस पर कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार धूमधाम से सेन्टीनरी मनायेगी। कैसे मनायेगी उस पर सरकार विचार कर रही है।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस इश्यू पर सब सहमत हैं। एक बात और तय कर लीजिए, नेताजी के बारे में कोई डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन नहीं है, यह होनी ही चाहिए। वह पूरे देश के ही नहीं इंटरनेशनल लीडर थे। लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि जो नेशनल लीडर हैं जैसे आपने नाम लिये हैं- बाबासाहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवनराम और कई नेता हैं, इसके बारे में एक नीति बना ली जाए। सब राजनीतिक पार्टी के लोग बैठकर तय करें कि क्या करना है।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : यही मुख्य बात है।...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, बाबासाहेब अम्बेडकर माननीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजा योग्य हैं। लेकिन जहां तक सुभाष चंद्र बोस का सवाल है यह स्वतंत्रता के पहले गांधी के समय से है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों के सामने कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी : सर, गांधी जी गांधी जी हैं, नेताजी, नेताजी हैं, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब हैं, इनमें फर्क नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सबको विदित है कि हमारा देश प्राचीनतम देश है, उसके संघर्ष का एक लम्बा इतिहास रहा है। इस संघर्षकाल में देश के करोड़ों-करोड़ जनता की भावनाओं की अवहेलना करके देश के नाम को बदल दिया गया, देश के प्रांतों के नामों को बदल दिया गया, देश के विभिन्न शहरों के नामों को बदल दिया गया। लेकिन मैं सरकार से खुश हूं कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में बॉम्बे का नाम मुम्बई किया, त्रिवेन्द्रम का नाम तिरूअनन्तपुरम किया और मद्रास का नाम चेन्नई किया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : सर, वैसे गुजरात के लोगों की यह भावना रही है कि गुजरात का जो मुख्य शहर है जिसका कि पिछले तीन सालों से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं - अहमदाबाद, उसका पुराना नाम करूणावती नाम है। करूणावती नाम के प्रस्ताव को अहमदाबाद कारपोरेशन में सर्वसम्मति से भेज दिया है। करूणावती नाम के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने केन्द्र के पास भेज दिया है। मेरे और उन लोगों के कहने से जाफर शरीफ साहब ने अहमदाबाद-बम्बई ट्रेन का नाम करूणावती एक्सप्रेस भी रखा था। मेरा कहना यह है कि इससे जनता की भावना जुड़ी है कि इसके नाम को जल्दी से जल्दी करूणावती किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब सरकार के पास से आपके पास आया है इसको जल्दी ही घोषित किया जाए और अहमदाबाद का नाम करूणावती होना चाहिए। मुझे इस पर गर्व होगा मैं पूरे गुजरात की ओर से पूरे सदन का अभिवादन करूंगा।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनल बुनियाद पर नाम नहीं बदला जा सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है? मैं कुछ समझ नहीं सकता।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : यह फिरकावाराना बुनियादों पर, कम्युनल बुनियादों पर नाम नहीं बदलना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने अब श्री बंगारप्पा कहा है।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : इस तरह से नाम बदलना एक गलत नीति होगी।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बंगारप्पा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं दी है। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री बंगारप्पा को अनुमति दी गयी है, किसी अन्य को नहीं।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने इस देश का दौरा किया था। जब भी कोई विदेशी उच्च पदाधिकारी दूसरे देश का दौरा करता है तो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता होती है। यह सीमा के मुद्दे से संबंधित हो सकती है जहां तक चीन और हमारे देश का संबंध है यह वार्ता चीन द्वारा पाकिस्तान को 'मिसाइलों' की आपूर्ति से संबंधित हो सकती अथवा व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो सकती है। किन्तु मैंने यह देखा कि इससे पूर्व सरकार द्वारा इस सम्माननीय सभा में अथवा ऊपरी सभा अर्थात राज्य सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। संविधान के अन्तर्गत इस सभा का बहुत महत्व है। जब भी विदेशी उच्च पदाधिकारी इस देश में आते हैं तथा उच्च स्तर पर बातचीत होती है तो उन बातचीतों का ब्यौरा तत्काल इस माननीय सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक मैंने देखा कि इससे पूर्व ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें तथा यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देने हेतु तैयार हो गयी है कि चीन के राष्ट्रपति और हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री के बीच कब और किस प्रकार की वार्ता हुई, किन मामलों पर चर्चा की गयी तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को आपूर्ति की गयी 'मिसाइलों' पर चर्चा की गयी अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा, आपके नाम में दो मदें हैं और आप केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे के लिए ही अनुमति है।

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय मैं जानता हूं, मैं केवल इस मामले को ही उठा रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा कोई स्पष्ट वक्तव्य दिया जा रहा है अथवा नहीं। इस सभा को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है और वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर भी जो भी बातचीत हुई, हमें उसके बारे में समाचार पत्र पढने से पता चला। सरकार की ओर से संवाददाता सम्मेलन बुलाये गए समाचार पत्रों ने भी काफी सामग्री एकत्र की तथा उन्होंने इसे प्रकाशित किया है। इलैक्ट्रोनिक माध्यमों के द्वारा भी इसका प्रसार किया गया। इस सभा को पूरी तरह से अंधेरे में क्यों रखा गया है? सरकार ने इस सम्माननीय सभा को पूरा ब्यौरा देने हेतु इस मामले को पूरी गम्भीरता से क्यों नहीं लिया? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई स्पष्ट वक्तव्य देने जा रही है अथवा नहीं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोविन्दन अगले वक्ता हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, संसद सदस्यों की योजना के संबंध में माननीय मंत्री ने सभा को पहले ही आश्वासन दे दिया है..

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री गोविन्दन को बोलने की अनुमति दी है।

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोड़ा) : महोदय, मैं केरल में चल रही डाक कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित मामला उठाना चाहता हूं हड़ताल का कारण केरल के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा वेतन के लिए मना करना है। यह अक्तूबर में केन्द्रीय कर्मचारियों के संघर्ष से भी संबंधित है। किन्तु यह पिछले अक्तूबर के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में भारत सरकार के दृष्टिकोण के बिल्कुल बिरूद्ध है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं तथा ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब केरल के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाया गया था। इसलिए, मैं भारत सरकार और संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में दखल दें तथा इस संघर्ष को समाप्त करें। अन्यथा, इससे केरल के लोगों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चमन लाल गुप्त को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हाल ही में, डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे और हड़ताल की अवधि के दौरान हड़ताली कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने संबंधी आदेश स्पष्ट नहीं थे क्योंकि विभागेत्तर कर्मचारियों कोई छुट्टी देय नहीं थी।

इसलिए, उनकी छुटटी से हड़ताल की अवधि की कटौती कहां से की जायेगी? इस मुद्दे को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अनुपस्थिति की अवधि को माफ कर दिया जाना चाहिए। विभागेत्तर कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट अनुदेश जारी किए जाने चाहिए। कम से कम विभागेत्तर कर्मचारियों के लिए एक अवधि को माफ किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात को मैं कहना चाह रहा था। मैं अपने आपको श्री बसुदेव आचार्य जी की बात के साथ संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भी अतिरिक्त डाक विभागीय कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं मिल रहा है जबकि नियमित कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन मिल रहा है। इसमें उन ई.डी. कर्मचारियों का क्या दोष है। वे तो हड़ताल के दिनों में भी डाकखाने में आए थे, लेकिन डाकघर बंद था। वे तो काम करना चाहते थे, लेकिन हड़ताल के कारण वे नहीं कर सके। ऐसे कर्मचारी राजस्थान में भी हजारों की संख्या में हैं और वे ही असल में डाक विभाग का सबसे ज्यादा काम करते हैं। उनको हड़ताल के दिनों का वेतन न देना उनके साथ घोर अन्याय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ई. डी. कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन दिए जाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को अविलंब दें।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार के मंत्री को कुछ निर्देश देने के लिए कहिए, ताकि ई.डी. कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें सारी बात आ गई है।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप सरकार को कुछ निर्देश दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कुछ कहें।

उपाध्यक्ष महोदय: राम विलास पासवान जी, ई.डी. एम्पलाइज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैंने माननीय सदस्य के विचार को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...**(व्यवधान)**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल, जिस समय माननीय पासवान जी, सदन में

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंबाला में हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसी समय जम्मू के अंदर, जम्मू से 30 किलोमीटर की दूरी पर, रेल की पटरी पर 30 किलो वजन के आर.डी.एक्स के दो बड़े-बड़े बैग पकड़े गए थे। सर्वप्रथम तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन रेलवे के कर्मचारियों ने रात के तीन बजे ये बैग पकड़े हैं, उनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि उनको और अन्य लोगों को इस प्रकार के काम करने का प्रात्साहन मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात को मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं वह यह है कि विशेषकर इलैक्शन के बाद जम्मू-कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि कम से कम 100 से लेकर 1200-1300 फारेन मर्सनेरीज बार्डर क्रास करके भारत के अंदर आ गई हैं। कई लोग बार्डर क्रास करके पाकिस्तान जा रहे हैं और इसके कारण जो स्थिति वहां बनती जा रही है, उससे चिन्ता पैदा हो रही है। सरकार आ करके जम्मू के अंदर बैठी हुई है और कश्मीर के अंदर कश्मीर वैली तथा डोडा डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से आतंकवादियों का घर बन गया है। आर्मी जो थोड़े बहुत आपरेशन किया करती थी, उसने वे वर्चुअली बन्द कर दिए हैं। उनका कहना यह है कि इन इलाकों को जब तक बिलकुल डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम आपरेशन नहीं करेंगे। उनकी यह मांग भी है कि वहां उनके साथ कोई न कोई मजिस्ट्रेट जाए या लोकल पुलिस का आदमी साथ जाए। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर दिन प्रति दिन हालत बिगड़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वहां से कुछ चौकियां हटा ली हैं। जब वहां से आप चौकियां हटा रहे हैं तो उसी के साथ वहां से लोगों की मायग्रेशन भी शुरू हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बिगड़ती हुई स्थिति को संभालें और जो वहां इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर अपना निकम्मापन दिखा रही है, उसकी तरफ भी आप ध्यान दें और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना रक्त बहाकर के पिछले छः सात वर्षों में स्थिति को जो वहां कंट्रोल किया था, उसको और अधिक बिगड़ने न दें और इस पर पूरा ध्यान दें। भारत सरकार के हमारे यहां जो भी अहलकार हैं वे वहां के अधिकारियों और आर्मी के आफीसर्स के साथ बात करके स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। यह मेरा कहना है। धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : आप सबको चांस देते हैं हमको नहीं देते। क्या बात है? ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे शोर मचाने से चांस नहीं मिलेगा। .. मेरे पास सबके नाम हैं।

[अनुवाद]

मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप शोर मचाते रहें। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। शोर मचाने वाले को कभी मौका नहीं दिया जायेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यक्रम कर्मचारी एसोसियेशसन कल 5 दिसम्बर से अपना आन्दोलनकारी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। प्रत्येक शाखा अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक एक प्रतिनिधि के साथ एसोशियेशन के प्रेसीडेन्ट कल से आकाशवाणी के सामने अनिश्चित कालीन भूख हडताल पर बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ देश के सभी केन्द्रों पर भूख हड़ताल, गेट मीटिंग, प्रचार आदि किया जाएगा। उनकी मांग वेतन-समानता बहाल करने के बारे में है। पारेषण-कार्यकारी अधिकारियों और इंजीनियरिंग सहायकों के वेतनमानों में समानता की बहाली के मामले को लगातार विभिन्न प्राधिकारियों के सम्मुख रखा जाता रहा है। हमें याद होगा कि पिछले सत्र में भी यह मामला सभा में उठा था। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कार्यक्रम कर्मचारी एसोशियेशन की न्यायोचित मांगों को पूरा करने का वचन दिया था।

उनके द्वारा 27 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में दिए गए उत्तर में भी यह बात साफ साफ कही गई हैं। सरकार द्वारा दिए गए इस प्रकार के आश्वासन के बावजूद उन्हें वेतन समानता बहाल नहीं की गई। इसे अभी तक मूर्तरूप नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। यह भूख हड़तॉल और आन्दोलन आदि के रूप में मुखरित होगा जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अनेक पद खाली पडे हैं। वे खाली पड़े पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं। कृपया यह बात समझिए कि कार्यक्रम संवर्ग में 730 पद खाली पड़े हैं। परिणामस्वरूप नए केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के कुछ और केन्द्र भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। परन्तु संस्वीकृत कर्मचारियों आदि न होने के कारण वे कार्य आरंभ करने की स्थिति में नहीं है। वे कार्य नहीं कर रहे हैं। स्थिति यह है उनके अपने संवर्ग से पदोन्नति के बारे में उनकी एक और न्यायोचित मांग है इसलिए लम्बे समय से चली आ रही इन न्यायोचित और वास्तविक मांगों को संबंधित मंत्री ने भी सभा में सही ठहराया था। इसके बावजूद पता नहीं इसके कार्यान्वयन में इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है जिसके कारण पूरे देश में ऐसी दुखदायी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपर्युक्त बातों को देखते हुए मैं माननीय सदन के नेता, जो यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री राम विलास पासवान जी कल से ही यह मामला और गंभीर हो जाएगा क्योंकि वे लोग अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हो। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यही बात है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोग्रामिंग स्टाफ की बहुत ही महत्ता होती है। उनके वेतन की विसंगति से उनके मन में काफी रोष है। इस कारण वे अपने आन्दोलन को कल से प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस दिशा में ध्यान दें और निश्चित रूप से बहुत जल्दी फैसला लें, जिससे इस वेतन विसंगति को दूर किया जा सके।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जो हालात है, उनमें आज उसकी असली मालिक भारत सरकार बनकर बैठ गई है। उत्तर प्रदेश के अन्दर रबी की फसल के केवल 15-20 दिन बुआई के शेष रह गये हैं, लेकिन किसानों को न खाद मिल रहा है और न बीज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग से और सहकारिता विभाग से खाद और बीज का किसानों के लिए प्रबन्ध कराती थी। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग ने और कृषि विभाग ने लाखों टन खाद और बीज को खरीदा तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वह खुले मार्किट में कालाबाजारी में जा रहा है या क्या हो रहा है। आज किसानों को उत्तर प्रदेश में खाद और बीज प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और जालौन के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो कमजोर वर्ग के किसान हैं, आज वे तबाही की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज खाद और बीज प्राप्त न होने के कारण रबी की बुआई कमजोर वर्ग के किसानों के खेतों में शुरू नहीं हो पाई है, जबकि केवल शेष 20 दिन बच गये हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदयल मस्ती और मौज में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और भारत सरकार आज उत्तर प्रदेश की मालिक बनी बैठी हुई है।

माननीय कृषि मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को रबी की फसल में बोने के लिए खाद और बीज तुरन्त उपलब्ध करायें और जो सहकारिता विभाग ने और कृषि विभाग ने लाखों टन बीज और खाद खरीदा है। ये जांच करायें कि वह कहां गया है, खुले बाजार में गया है और किसानों को क्यों नहीं मिला है? ...**(व्यवधान)**

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी 12 नवम्बर पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नम्बर बता रहे हैं, अच्छी बात है।

[अनुवाद]

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा लगभग बंगला देश से घिरा हुआ है। वास्तव में यह बंगला देश के भीतर स्थित भारतीय अन्तर्क्षेत्र है जिससे एक संकरा रास्ता आसाम से होता हुआ त्रिपुरा को देश के साथ जोड़ता है। बंगला देश के साथ लगने वाली देश की 84 प्रतिशत सीमा त्रिपुरा में पड़ती है और शेष 16 प्रतिशत मिजोरम और असम में पड़ती है। पहले त्रिपुरा एक जनजाति बाहुल्य रियासत था। विभाजन के पश्चात कई लाख शरणार्थी इस राज्य में आ बसे और आज स्थिति ये है कि कुल जनसंख्या में 70 प्रतिशत लोग गैर जनजातीय हैं। भारत-मुजीब समझौता लागू होने के बाद बंगला देश के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अनारक्षित होने के कारण आज भी हजारों विदेशी आते जा रहे हैं। इन सबके [illegible] त्रिपुरा के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक [illegible] दबाव पड़ा है। आजकल उग्रवादियों ने भी अपनी विद्रोही गतिविधियां बढ़ा दी है। सीमा पर पुलिस बल की कमी और भीतर घुसने की जगह मिलने के कारण उग्रवादी गिरोह आसानी से पड़ौसी देश में आश्रय, प्रशिक्षण, अत्याधुनिक हथियारों की प्राप्ति के लिए पहुंच जाते हैं और मौका मिलते ही वापस भी आ जाते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में पढ़ा नहीं जाता। आप वैसे ही अपनी बात कह दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बादल चौधरी : भारत सरकार ने पहले ही कुछेक कदम उठाए हैं जैसे भारत-बंगलादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना, भारत बंगलादेश सीमा सड़क (आई.बी.बी.रोड) का निर्माण करना, सीमा सुरक्षा बल कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना और राज्य सचल कार्यबल को सुदृढ़ बनना आदि। परन्तु सिवाए त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर सीमा सड़कों के निर्माण के ये सभी कार्य सूची में शामिल नहीं है। अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गृह मंत्रालय केन्द्र सरकार ने परियोजनाएं आरंभ की हैं जिनके नाम हैं :-भारत-बंगला देश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना चरण-दो और राज्य सचल बल को सुदृढ़ करना। परन्तु वित्त मंत्रालय से अनुमोदन न मिलने के कारण इन परियोजनाओं को प्रवृत्त नहीं किया जा सका। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य की वर्तमान असामान्य स्थिति और त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा क्षेत्रों में व्याप्त उत्तेजना को ध्यान में रखते हुए और विदेशियों को देश में आने से रोकने के लिए इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र अनुमोदित किया जाए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जितने भी इश्यू हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, मैं सभी को अवसर दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं बड़े दुखी और भारी अतर्मन से हां बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। रेल मंत्री बिहार में रेलों का जितना भी विकास करें, हमें इसका दुख नहीं है। लेकिन सम्पूर्ण मध्य प्रदेश की उपेक्षा रेल विभाग कर रहा है। मध्य प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र इन्दौर की, जो कि वहां की औद्योगिक राजधानी भी है, घोर उपेक्षा हो रही है। मैंने जितने भी मामले रेलों से सम्बन्धित उठाए, उनका कोई जवाब नहीं आया। इन्दौर से दो ट्रेन चलती हैं, एक मालवा एक्सप्रेस चलती है जो जम्मू तक जाती है और दूसरी इन्दौर से निजामुद्दीन के बीच इंटरसिटी चलती है। पता नहीं किस रेल अधिकारी के मन में यह आया कि इन दोनों गाड़ियों के रैक्स का इंटर-चेंजिग शुरू हो गया। इस तरह से ये दोनों गाड़ियां समय, पर नहीं जा रही हैं। मैं जब यहां आ रही थी तो ए.सी. डिब्बे में एक वृद्ध दम्पती भी बैठे थे। वे जम्मू तक जा रहे थे और उन्हें वापस भी आना था। कुल मिलाकर छः-सौंत दिन का सफर था, लेकिन बैड-रोल की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे वहां रेल से सम्बन्धित एक भी काम नहीं हो रहा है। हम बराबर मांग कर रहे हैं कि इन्दौर से मुम्बई के लिए जो एक ट्रेन चलती है उसको मुम्बई सेंट्रल तक जान चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने एक और मांग की थी कि इन्दौर को राज्य की राजधानी भोपाल से जोड़ने के लिए एक इंटरसिटी चलाई जाए और उसको साढ़े तीन घंटे में पहुंचना चाहिए, लेकिन वह छः-छः घंटे तक लेती हैं। इसका मूल कारण यह है कि उज्जैन से इन्दौर जो कि 60 किलोमीटर का फासला है, उसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसलिए दो बार इंजर बदलना पड़ता है। इन्दौर इतना बड़ा शहर है, वहां का रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी काम नहीं हो रहा है, रेल मंत्री कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश पर ध्यान दें। इन्दौर भी हिन्दुस्तान के नक्शे में रेल के मामले में जुडना चाहता है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : यह बात ठीक है कि मालवा एक्सप्रेस गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। अंगर एक बोगी में 46 बर्थ हैं तो केवल 13 ही बैड-रोल दिए जाते हैं। जबकि किराया सभी से लिया जाता है, लेकिन बैडिंग की सप्लाई नहीं की जाती। जम्मू से जाने वाली हर गाड़ी में भारी भीड़ होती है। ए.सी. डिब्बों में भी एक-एक सीट पर दो-दो लोगों को बिठाया जाता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं। राय साहब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप भविष्य में धीरज रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिए।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, इसमें तीन इश्यू हैं। जहां तक अतिरिक्त गाड़ी का मामला है तो जब सप्लीमेंटरी बजट आएगा, उस समय विस्तार से चर्चा होगी। दूसरा जो विद्युतीकरण का मामला है, उसको भी तभी उठाया जा सकता है। जहां तक बैडिंग का सवाल है और रख-रखाव का सवाल है, तो रख-रखाव के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा है कि हम इसको लेकर चिंतित हैं। हम ट्रेंस तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कोचेस की कमी है। लेकिन बैडिंग की कमी का जो सवाल है, हम विश्वास दिलाते हैं इक इसको फौरन देखकर ठीक कराएंगे और जो अन्य गाड़ियों में भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं, उनको भी दूर करेंगे।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की बात है कि पिछले हफ्ते हमको सूचना मिली थी कि झरिया में भू-धसान हुआ था और पांच सौ परिवार उससे प्रभावित हुए थे, काफी नुकसान हुआ था तथा कुछ की जान भी खतरे में है। उसी दिन यह भी खबर मिली कि दुग्धा कोल वॉशरी जो बी.सी.सी.एल. का ही एक प्लांट है, बी.सी.सी.एल. के सी.एम.डी. ने अचानक वहां 26.11.96 को विजिट किया और साथ ही साथ उसको बंद करने के लिए बोल दिया और वह दुग्धा कोल वॉशरी उसी रोज ही बंद हो गई जिससे करीब तीन हजार मजदूर बेरोजगारी के रास्ते पर आ गए हैं। हमने बी.सी.सी. एल. के सी.एम.डो. को सूचना दी थी कि हम कोल कंसलटेटिव कमेटी के मेम्बर तथा कोल स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर होने के नाते से वहां आएंगे और हम देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सी.एम.डी. तो दूर की बात है, वहां पर कोई अधिकारी भी हाजिर नहीं था। हमने उनसे गाड़ी नहीं मांगी, हमने उनसे गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि जहां भू-धसान हुआ है, उस इलाके में हम जाएंगे और आप भी हमारे साथ जाइएगा क्योंकि वहां के निवासियों के शिफ्टिंग तथा रीहेबिलिटेशन के बारे में बंदोबस्त करना है।

मैं जानना चाहता हूं कि दुग्धा कोल वॉशरी जिसको बंद कर दिया गया है, उसे क्यों बंद कर दिया गया तथा वह कब तक पुनः चालू होगी? यह सब हमको बताइये। इस प्लांट को 1962 में तैयार किया गया था और अब 1996 चल रहा है, 34 साल हो गए हैं। न इसका रिनोमिसन किया गया, न मौडरनाइजेशन किया गया, न डाइवर्सिफिकेशन किया गया और न ही इसको कोई प्रोग्राम दिया गया तथा उस प्लांट को अचानक बंद कर दिया गया। हमारे देश में कोयला होते हुए एक तरफ हम अच्छे कोयले के लिए विदेश से कोयला इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जो कोल वॉशरी है, उसको हम बंद करके विदेशों का सहारा ले रहे हैं कि ज्यादा कोयला हमारे देश में ले आओ और ज्यादा नफा करो। इस तरफ की लूटमारी हमारे देश में चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जहां भू-धसान हुआ है, वहां के निवासियों के शिफ्टिंग

और रीहेबिलिटेशन की उचित व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ कोल वॉशरी को चालू करने के प्रबंध किए जाएं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने झरिया में देखा कि आग से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मैं दोमंजिले भवनों में आई दरारें भी देखी हैं। बी.सी.सी.एल. द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से किए गए खनन से बहुत बड़े क्षेत्र के हजारों लोग खतरे में पड़ गए हैं। इसलिए झरिया के लोगों के उचित पुनर्वास की आवश्यकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि कोल इंडिया और बी सी सी एल को झरिया कस्बा क्षेत्र के आग और धंसाव से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए तत्काल पुनर्वास कार्य आरंभ कर देना चाहिए।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र (अ.जा.) करीम गंजअसम में करीम गंज और हेलाकांडी जिले आते हैं जिनमें करीम गंज सीमावर्ती जिला है जोकि बंगलादेश से लगता है जो कुशियारा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इस सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल तीन सेक्टरों में विभाजित है। एक छौल घेरा, दूसरा मधीम पुर और तीसरा करीमगंज-सीमावर्ती जिला और जिले का मुख्यालय।

महोदय, इस सीमा पर तस्करी एक सामान्य सी बात है और उस दिन अर्थात 2 नवम्बर, 1997 को ही सीमा सुरक्षा बल का एक जवान राम सिंह कुशियारा नदी के किनारे मारा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासजी, कृपया जल्दी कीजिए।

श्री द्वारका नाथ दास : इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि करीमगंज को सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्रीय मुख्यालय बना दिया जाए और वहां सीमा सुरक्षा बल के एक उपमहानिरीक्षक को तैनात किया जाए ताकि वह उपर्युक्त तीनों सेक्टरों में सीमा सुरक्षा बल अभियानों में समन्वय कर सकें। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जीरो आवर में पढ़ना नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास : सीमा पर तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री डी.पी. यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को उठा रहा हूं, वह बहुत भी गम्भीर मामला है। दिल्ली से महज सौ किलोमीटर की दूरी पर गजरौला में एक कैमिकल फैक्ट्री वैन-आर्गेनिक नाम से है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फैक्ट्री करीब पचास लोगों की जान ले चुकी है और दो कस्बों को प्रभावित कर रही है। यह फैक्ट्री गजरौला में, जहां से मेरा लोक सभा का निर्वाचन क्षेत्र शुरू होता है, सम्भल में स्थित है। इस फैक्ट्री के मालिक का संबंध बहुत सारे बड़े लोगों, राजनेताओं से है। जब-जब भी वहां पर टेलीविजन टीम गयी है, बी.बी.सी. या दूसरे, उसकी रिकार्डिंग होते नहीं देखा है। इस फैक्ट्री से एक कैमिकल बाहर नदी में बहता रहता है। स्थिति यह है कि वह कैमिकल ढाई सौ गावों के आसपास होता हुआ, गंगा नदी में बह जाता है, जो कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट में जाकर पड़ता है। यदि कोई गांव का आदमी या मजदूर खेत से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जाता है और वह उस नदी से होकर गुजरता है, जहां पर कि कैमिकल बह रहा है, तो उसके पैरों में और उसके शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। पशु तो मर ही जाते हैं। मैं चाहता हूं आप निर्देश दें और मैं माननीय मंत्री जी को इस विषय के बारे में लिख कर दे चुका हूं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए, ताकि ढ़ाई सौ गावों के लोग जो परेशान हैं, जिनकी जाने चली गई हैं, जिनके पशुओं का नुकसान हुआ है, उनको कम से कम राहत मिले। साथ ही जिसके खेत में वह पानी चला जाता है, वह खेत चाहे ईख का हो, चाहे गेहूं का हो या चाहे मकई का हो, नष्ट हो जाता है। मैं चाहता हूं कि नदी में जो जहर बह रहा है, उसको रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से उस फैक्ट्री को बन्द कर दिया जाए। आप निर्देशित करें और मैं माननीय मंत्री जी को लिख कर दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं नहीं जानता उन मालिकों के पास ऐसी कौन सी ताकत है, इस बारे में न अखबार वाले लिख पाते हैं और न टी.वी. वाले कुछ कर पाते हैं और किसानों तथा मजदूरों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि उस फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाए ताकि वहां लाखों-हजारों लोग जो बसे हुए हैं, उनकी जान को बचाया जा सके और उनके खेतों को सुरक्षित रखा जा सके।

श्री विद्यासागर सोनकर (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक सनसीखेज सौ करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का प्रकरण आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस गम्भीर घोटाले के प्रकाश में लाने के बावजूद उसमें लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात तो दूर राज्य सरकार के कुछ रहनुमाओं द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। यह भी जानकारी मिली है कि इन अपराधियों को कुछ बड़े राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस गम्भीर घोटाले में देश के बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग भी शामिल हैं।

पूर्व कांग्रेस सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीति के अंतर्गत एल.पी.जी. गैस एवं मिट्टी के तेल की सप्लाई के नाम पर लोगों को डीलरशिप दी गयी और लाखों लोगों ने इसका कनेक्शन प्राप्त किया। सबसे पैसा लिया गया और अब किसी को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

मान्यवर, भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि या तो कम्पनी के क्रियाकलापों को सदन के पटल पर रखें या उनको अपने उपक्रम से कनेक्शन दिलाएं या फिर उनके पैसे वापस दिलवाएं।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण मामले की सी.बी.आई. के द्वारा निश्चित समयावधि में जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए और इस घोटाले से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : महोदय, मुझे इस सभा को, भारत सरकार को और इस राष्ट्र को बड़े दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में एक महीने के भीतर ही दूसरी बार तूफान आया है। 08 बी नाम का यह चक्रवाती तूफान 28 नवम्बर, 1996 को बंगाल की खाडी में उठा था। आंध्र के तट को छूता हुआ यह तूफान 30 नवम्बर, 1996 से 1 दिसम्बर, 1996 तक पूर्व की तरफ मुड़ गया और फिर 'यू' की शक्ल लेता हुआ पुनः आंध्र प्रदेश के तट की ओर मुड़ गया।

ऐसा बताया गया है कि इस समय यह तूफान 55 समुद्री मील की रफ्तार लिए मछलीपट्टम के लगभग 250 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऐसा बताया गया है कि यह पांच समुद्री मील की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह तूफान आज दोपहर किसी भी समय तट को पार कर सकता है। तूफान के मार्ग की हवाई स्थित ट्रोपिकल स्ट्रोम्स मोनिटरिंग सेन्टर, सी. एन.एन. और डब्ल्यू एक्स. ट्रोपिकल जैसे परामर्शी समूहों की इन्टरनेट जैसे साधनों से प्राप्त सूचना के आधार पर बारीकी से निगरानी की जा रही है।

राज्य सरकार ने जिला स्तरीय नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना करके सभी उपचारात्मक उपाय किए हैं। तटवर्ती जिला कलेक्टरों को चेतावनी दी गई है और सचिवालय में नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है।

मैं केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश में तूफान की वास्तविक स्थिति के प्रति संवेदन बने रहने का अनुरोध करता हूं ताकि राष्ट्र को सही स्थिति का पता चले और आंध्र प्रदेश के लोगों तक सहायता पहुंच सके।

मैं आशा करता हूं कि आंध्र प्रदेश के लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए सभी सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे और समूचा राष्ट्र इस दुख की घड़ी में हमारा साथ देगा।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही हिन्दी की निरंतर अवमानना और उपेक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। आगामी 8 दिसम्बर, 96 को आयोग सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित करने जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे जबकि हिन्दी में भी देने अनिवार्य हैं। इस तरह से आयोग संविधान के अनुच्छेद संख्या-343, 344 एवं 351 एवं संसद द्वारा 18 जनवरी, 1968 को पारित पवित्र संकल्प 4(क) का उल्लंघन करने जा रहा है। मैं इस संबंध में आपको सूचित करना चाहता हूं कि 450 सांसदों ने उक्त परीक्षा हिन्दी में भी लेने का संसद में ज्ञापन दिया था परन्तु आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में परीक्षा लेना सिविल सेवा परीक्षा योजना समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अध्याय-दो चयन पद्धति के अंतर्गत अनुच्छेद 2.0107 का भी उल्लंघन है जिसके अनुसार भाषा के आधार पर चयन की प्रक्रिया में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, आठ तारीख को दिल्ली के अन्दर यू.पी.एस.सी. की नाकेबंदी के लिए एक घेराव की योजना चल रही है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को आदेश दें कि वह आठ दिसम्बर, 1996 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी उपलब्ध कराये जिससे कि लोगों में व्याप्त असंतोष शान्त हो। धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, माननीय शर्मा जी ने जिन बातों को रखा है हम भी उसका समर्थन करते हैं। यह मामला पहले भी पार्लियामेंट में उठा था। ...**(व्यवधान)** महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। ...**(व्यवधान)** शर्मा जी ने जिन बातों को रखा है उस पर निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। ...**(व्यवधान)** हम चाहते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा का इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात आ गई है।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री राम कृपाल यादव : शर्मा जी ने जिस बात को रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ...**(व्यवधान)** हिन्दी हमारी राष्ट्रीय-भाषा है और यह अपमान हिन्दी का ही नहीं सारे राष्ट्र का है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया मुझे कुछ शब्द बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सारा सदन इस इश्यु पर उत्तेजित है, यह महत्वपूर्ण इश्यु है।

[अनुवाद]

सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आजादी के बाद अपनी भाषा की उपेक्षा ही नहीं हुई बल्कि अपनी भाषा में लोगों को लिखने और जवाब देने का अधिकार नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, इस संबंध में हम जरूर सरकार से जानकारी लेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : इस परीक्षा में अब केवल दो दिन रह गये हैं। मंत्री जी हमेशा आश्वासन देते हैं लेकिन वह आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ।

श्री राम विलास पासवान : शर्मा जी ने कहा है कि आठ तारीख को ही यह परीक्षा होने वाली है। इसलिए हम इस बात को आज ही मंत्री के ध्यान में लाएंगे।

श्री विजय गोयल : धन्यवाद।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस सवाल को सदन में पहले भी उठा चुका हूं। मैं उन इंसानों के बारे में बता रहा हूं जो अभी तक इस देश में स्टेटलैस हालत में घूम रहे हैं। मेरा जो पार्लियामेंटरी क्षेत्र है उसके अंदर नडिया जिले की करीमपुर असेम्बली है। इसके बार्डर एरिया में दो गांव हैं। एक जमालपुर है और दूसरा है चारमेघना। बंगला देश से जो चारमेघना में आकर बसे हुए हैं वे समझते हैं कि यह इडिया है और इधर के लोग जो जमालपुर में जाकर बसे हैं उनके ख्याल में है कि यह बंगला देश है। बार-बार हम इस बात को सदन में उठा रहे हैं लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चारमेघना में जहां पर इंडिया के लोग रहते हैं वह बंगलादेश की टैरेटरी है लेकिन इंसान इंडियन हैं और दिन प्रति दिन क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम की रिपोर्ट न तो बंगला देश में दर्ज होती है न ही करीमपुर पुलिस स्टेशन लेने को तैयार है और यहां जो जमीन बिक रही है उसकी भी कोई दलील नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : दो स्टेट हैं ... **(व्यवधान)** बंगला देश स्टेट है। ...**(व्यवधान)** आपको मालूम नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्यों मालूम नहीं है, मुझे मालूम है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं बार-बार इस बात को सदन में उठा रहा हूं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके सामने विनती कर रहा हूं कि यहां मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। वे वहां जाएं और अगर न भी जाएं तो कम से कम आज कलकत्ता के रायसीना रोड में जो बी.एस.एफ. का हैड-क्वार्टर है उनसे सम्पर्क करके हमें जवाब दें कि कब तक ये लोग स्टेटलैस होकर रहेंगे। इनको इंडिया से कोई मदद नहीं मिल रही है। हमें दूसरे गांव के नाम पर इन्हें ट्यूबवैल, स्कूल, राशन-कार्ड देने पड़ रहे हैं और तीसरे गांव में आकर वे लोग वोट डाल रहे हैं। जमालपुर जो इंडिया का हिस्सा है उसका यहां के लोगों के साथ कोई सम्पर्क नहीं है और वहां के लोगों को भी बंगलादेश लेना नहीं चाहता है। बंगला देश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पानी के लिए बातचीत हो रही है। मैं चाहता हूं कि दूसरे मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ा जाए और मैं पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर से विनती करूंगा कि आज ही वे कलकत्ता के रायसीना रोड पर स्थित बी.एस.एफ हैड-क्वार्टर से सम्पर्क करें कि यह बात ठीक है या नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : और ठीक है कि जीरो आवर में सवाल उठाने से हमें कुछ पब्लिसिटी जरूर मिलती है लेकिन इससे काम नहीं होता है। जमालपुर में इंडियन लोग रहते हैं। मैंने रक्षा मंत्री को बॉर्डर रोड बनाने के बारे में पत्र लिखा था। उन्होंने मुझे लैटर का जो जवाब दिया, उससे ऐसा पता लगता है कि उनहें वहां बॉर्डर रोड बनने के बारे में मालूम ही नहीं है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सीरियस मैटर था, इसलिए मैंने उन्हें एलाऊ किया।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, नौएडा, ग्रेटर नौएडा और दादरी एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। वहां बहुत बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं। वहां आवासीय कॉलोनी बहुत अच्छी-अच्छी बनी हुई हैं। वहां पीने के पानी की किल्लत है। उद्योगपति दिल्ली या आसपास के शहरों से, जहां वे रहते हैं, वहां से अपने वाहनों से पानी लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जौंडिस का कितना प्रकोप था। अब फिर वही हालत हो गई है। इसके साथ लगे दिल्ली के क्षेत्रों में गंगा का पानी सप्लाई होता है। मैं वहां पानी की किल्लत के बारे में कई बार प्रश्न उठा चुका हूं लेकिन उसके ऊपर एक बार भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही साहिबाबाद में राजेन्द्र नगर भी है। वहां जो पानी मिलता है अगर उसको थोड़ी देर तक रखा जाए तो उसमें से नमक निकलता दिखाई देता है लेकिन लोग वह पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नौएडा और ग्रेटर नौएडा में लोग गंदा पानी पी रहे हैं। वहां इतनी बुरी हालत हैं कि त्राहि-त्राहि मची हुई है। अतः इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

कुमारी क्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, सी.ई.पी.ए. उद्योग समूह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वसुन्धरा कोयला खानों और उड़ीसा के सुन्दरगढ़ क्षेत्र में 4000 मे.वा. शक्ति का विद्युत संयंत्र लगाने के

लिए तैयार है। वसुन्धरा कोयला खानों से 40 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उत्पादन होगा। यहां से प्रतिवर्ष 15 मिलियन टन कोयला विद्युत संयंत्र को सप्लाई किया जा सकेगा। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चुआनबहल में या बंधबहल में या नगल केता में या बर्पली कुसरा में संयंत्र लगाने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांसद क्षेत्रीय विकास योजना की राशि अभी तक जिला मुख्यालय नहीं पहुंची है जबकि 6 महीने से ज्यादा हो गये हैं। हमारे यहां स्कीम का प्राक्कलन बनकर तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इशू पहले भी उठाया जा चुका है, इसलिये ब्रीफ में अपनी बात कहिए।

श्री सुकदेव पासवान : वहां अभी तक रुपया नहीं पहुंचा है। यह स्कीम आजादी के बाद चाहे कोई मुखिया हो या विधायक हो या कोई ओर हो, उसने पहली बार देखी है। अब सभी सांसद इसे देख रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत फर्स्ट फेज में 50 लाख रुपये दिये जाते हैं लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक करोड़ रुपये से राशि अदा कर दो करोड़ रुपए की जाये।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा की जाएगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन के बीच मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : रेल मंत्री द्वारा हाल ही में जोधपुर-जैसलमेर बड़ी रेल लाईन का उद्घाटन करने के लिए जोधपुर की यात्रा से स्पष्ट हो गया था कि जोधपुर मारवाड़ जंक्शन (104 कि.मी.) के बीच मीटर गेज रेल लाईन को बदलने का कार्यक्रम स्थगित नहीं किया गया है। परन्तु जोधपुर मारवाड जंक्शन के बीच रेल लाईन बदलने का कार्य पुनः आरंम्भ करने के लिए रेल मंत्री द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं ताकि यह कार्य दिसम्बर 1996 के अन्त तक पूरा किया जा सके। पाली कस्बा इसी रेल लाईन के साथ जुड़ा हुआ है और सभी औद्योगिक शहरों और पर्यटन स्थलों के लिए आवागमन जोधपुर मारवाड़ जंक्शन के द्वारा पाली के माध्यम से होता है। सरकार को 104 कि.मी. लम्बी मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाईन में बदलने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए तथा यह कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर 1996 के अन्त तक पूरा कर लेना चाहिए। जैतरा में रेलवे स्टेशन के साथ साथ बर-बिलारा रेल लाईन का निर्माण भी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भिलाड़ी होकर अहमदाबाद तक की रेल लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य भी पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) बिहार में स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बहुद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल प. सिंहभूम का निर्माण कई वर्षों से किया जा रहा है। समय पर योजना पूरी नहीं होने से लागत बढ़ती गई और कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस परियोजना से बिहार, बंगाल, उड़ीसा को पानी पहुंचाना था ताकि इन राज्यों में सिंचाई सुविधा मिल सके। साथ-साथ बिजली का भी उत्पादन होना था। परंतु समय पर योजना का निर्माण न होने से इन राज्यों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। विस्थापित परिवार के कई गांव के लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है और न पुनर्वास विकास पुस्तिका, नौकरी आदि कुछ मिला है। स्कूल, सड़क, अस्पताल आदि सभी डैम में चले गए। इसकी भी व्यवस्था नहीं की गई है। इस समस्या को मैंने पहले भी कई बार सदन में उठाया, परंतु अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

अतः भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त परियोजना का अधूरा कार्य शीघ्र पूरा किया जाए एवं उपर्युक्त सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा में चिल्का और अंसुपा झीलों को सूखने से बचाने के लिए एक पायलट परियोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं सरकार का ध्यान भारत की सबसे बड़ी झील चिलिका तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी मीठे पानी

की झील अंसुपा के उत्तरोत्तर घटने की ओर दिलाना चाहता हूं। पांच हजार वर्ष पुरानी चिलिका झील जो कि बंगाल की खाड़ी को सकरे मुहाने के जरिए जोड़ती है, आरंभ में 2200 कि.मी. क्षेत्र में फैली हुई थी, परन्तु अब यह काफी घटकर मात्र 915 कि.मी. क्षेत्र में रह गई है, जिसके मुख्य कारण इसके तल में भारी गाद जमा हो जाना, घास-पात फैलना, अत्यधिक मछलिया पकड़ा जाना और छतरपुर के क्लोराइड संयंत्र से निकलने वाली विषाक्त धातुओं की बढ़ती मात्रा आदि है। प्रति वर्ष शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी चिलिखा आते हैं और नालाबार पक्षी विहार में आश्रय लेते हैं। प्रवासी पक्षियों के अतिरिक्त हनीमून आइलैण्ड और 'ब्रेकफास्ट' आइलैण्ड भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां प्रचुर मात्रा में मछलियां होने के कारण यह झील मछुआरों के हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा है।

अंसुपा झील में अब प्रवासी पक्षियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण नहीं रह गया है। अंसुपा के आसपास के क्षेत्र में भारी मात्रा में पेड पौधों के काटे जाने तथा गाद जम जाने और भारी मात्रा में मणियां और शैवाल निकालने के कारण झील उथली होकर रह गई है।

यदि इन दोनों झीलों को पानी कम होने को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो पर्यटकों को आकर्षित करने का उनका सम्पूर्ण सौन्दर्य नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग इन झीलों के द्वारा अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उन्हें असीमित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंसुपा झील के लिए प्रायोगिक परियोजना तैयार की जाए तथा गंगा कार्य योजना के आधार पर चिलिका के लिए वैसी ही एक अलग परियोजना तैयार की जाए जिससे कि इनका पानी और कम होने को रोका जा सके।

(चार) समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के कार्य आरंभ करने के लिए केरल सरकार द्वारा भेजी गयी योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोड़ा) : वर्ष 1992 से भारत सरकार समुद्र कटाव प्रतिरोधक कार्यों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। यद्यपि बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए केन्द्र सरकार ही वित्तीय सहायता देती है, परन्तु समुद्र कटाव प्रतिरोधक कार्य, जो कि केरल जैसे राज्यों जिनकी तट रेखा क्षीण है, के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है परन्तु केन्द्र सरकार इन पर उतना ध्यान और तरजीह नहीं दे रही है जितनी दी जानी चाहिए। केरल सरकार अपने अपर्याप्त संसाधनों के साथ इस विशाल कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए धन प्रदान नहीं कर सकती। केरल सरकार ने अन्तरिम कार्यवाही के रूप में समुद्र कटाव प्रतिरोधक कार्य आरंभ करने के लिए 27 करोड रुपए की कुछ योजनाएं योजना आयोग को प्रस्तुत की हैं। ये योजनाएं जो कि आपातकालीन उपायों के लिए हैं, केवल आंशिक पूर्ति करेंगी। वास्तव में व्यापक योजनाओं की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में उन समग्र तटीय रेखाओं को शामिल किया जाए जिनका बचाव किया जाना शेष है तथा पहले से निर्मित समुद्र तट-बन्धों में सुधार किया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी योजना का कार्यान्वयन तभी संभव है यदि केन्द्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल कार्यवाही करे तथा केरल सरकार द्वारा अन्तरिम उपायों के रूप में समुद्र कटाव प्रतिरोधक कार्य करने के लिए मांगी गई 27 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत करे।

(पांच) असम में सुबनश्री नदी पर बांधों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, 3000 करोड़ रु. की लागत से 4800 मे.वा. विद्युत उत्पादन के लिए असम की सुबनश्री नदी पर बांध का निर्माण करने के लिए ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई परियोजना का प्रस्ताव 1984 में केन्द्र सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा 'कैचमेंट' क्षेत्र में कुछ गांवों के जलमग्न होने के उदाहरण देकर विरोध किए जाने के कारण उसकी स्वीकृति होने में विलम्ब हुआ है। परन्तु इसकी डूब में आने वाले गांवों की संख्या कम करने के लिए एक बड़े बांध के स्थान पर तीन छोटे बांधों का निर्माण करने का संशोधित प्रस्ताव रखे जाने पर, अरूणाचल प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी। परियोजना की वर्तमान लागत विद्युत की 2500 मे.वा. की स्थापित क्षमता के साथ 12000 करोड़ रु. बैठेगी तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन से, चाहे इसमें विदेशी निवेश भी शामिल किया जाए, केवल पूर्वोत्तर में ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं आएंगे, बल्कि इससे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना से उत्पादित जल-विद्युत देश में सबसे सस्ती पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं मिलने और कटाव नियन्त्रण के अलावा इस परियोजना से बाढ़ का स्थायी संकट भी लगभग 15 प्रतिशत कम हो जाएगा। परन्तु इसमें चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी जो कि ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक है।

इसलिए मैं विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के आधार पर योजना आयोग द्वारा हाल ही में बनाए गए आयोग से आग्रह करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करके न्यूनतम मूल सेवाएं प्रदान करने के लिए इस परियोजना को कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(छः) केरल के कोट्टायम जिले के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : केरल में कोट्टायम जिले के मीनाचिल तालुक में पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र बहुत सुन्दर और आकर्षक हैं तथा उनका पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जा सकता है। वहां के काव्यमय परिदृश्य, निरन्तर शीतल पवन, अनुपम प्राकृतिक दृश्य, शिलाएं, पर्वत, झरने, हरियाली तथा घाटी-सौन्दर्य के आकर्षण का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। यहां पर एलिविजे-पुंचीरा, इल्लीका-कालु, अयनपारा, इरमपरा, मिचल, नीलपाड़ा, कोलानी, अंबलम मनकम्ब, कुरिसुमला आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका विशेष पर्यटन के विकास के लिए विशेष रूप से विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सड़कों, जलापूर्ति, संचार आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास। मुनिलवु, पंचायत के अन्तर्गत इरमपाडा एक ऐसा क्षेत्र है जहां जनजातीय लोग ही रहते हैं। इन मुनिलवु और मेलुकवु पंचायतों के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या जनजातीय है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षों से लोग रह रहे हैं परन्तु वहां पर न सड़कों का, न जलापूर्ति का और न ही बिजली की कोई उचित व्यवस्था है। जनजातीय और अत्यधिक पर्यटक क्षमता वाले क्षेत्रों के रूप में उन पर शीघ्र और आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक विशेष दल इन क्षेत्रों में भेजा जाए, विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाए और उनके लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों के महत्वपूर्ण शहरों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर झांसी एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र होने की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके महत्वपूर्ण नगर मऊरानीपुर, कटेरा, टोड़ी, फतेहपुर, सकरार, बरूआसागर, बड़ागांव, चिरगांव, पारीछा, रक्सा, बी.एच.ई. एल. कालोनी तथा ललितपुर के नगर तालबेहट, मेहरोनी, जखौरा, बड़ावदा, बौनी में एस.टी.डी. की व्यवस्था तुरन्त होना आवश्यक है। विभाग ने जो मुझे जानकारी दी है, उसके अनुसार कुछ यंत्रों की कमी के कारण यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है जबकि मंत्रालय ने मुझे जानकारी दी है कि व्यवस्था पूरी कर दी गई है, लेकिन एक वर्ष बाद भी झांसी दूर संचार विभाग का कहना है, जो एक मंडल कार्यालय है, कि यंत्र अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। जो यंत्र झांसी और ललितपुर के लिए एलाट किए गए थे, उन्हें किसी दूसरी जगह पर लगा दिया गया है।

मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि कृपया इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

[अनुवाद]

(आठ) जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में आर्थिक पैकेज शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : सदन में पिछले सत्र में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित जम्मू और कश्मीर से संबंधित आर्थिक पैकेज कार्यक्रम के संबंध में वास्तव में कुछ भी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। वस्तुतः जम्मू और कश्मीर के लोग क्षुब्ध हैं।

मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले की नवीनतम स्थिति क्या है और आर्थिक पैकेज के तीव्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। अर्थात् :—

1. राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अनुशंसित जम्मू क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।
2. राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अनुशंसित जम्मू का स्तर बढ़ाकर वर्ग 'ख' में करना।
3. जम्मू और कश्मीर राज्य में चल रही जल-विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करना और नयी परियोजनाओं का आरम्भ विशेषकर किपूतवाड़ जम्मू में दूल हस्ती परियोजना से संबंधित कार्य पुनः शुरू करना और कश्मीर में ऊडी परियोजना को पूरा करना।
4. रेलवे लाइन को ऊधमपुर तक बढ़ाना और घाटी तक उसका विस्तार करना।
5. राज्य लोक निर्माण विभाग की मुराल रोड को सीमा सड़क संगठन, भारत सरकार को स्थानान्तरित करना।
6. राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अनुशंसित डोगरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना।
7. 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित व्यक्तियों का स्थायी व्यवस्थापन।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अधीन हम यहां जो सूचनाएं देते हैं, मंत्री जी की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिलता कि उनके संबंध में क्या कार्यवाही सरकार की तरफ से की गई। मैं चाहता हूं कि आप चेयर की तरफ से ऐसे आदेश दे दें कि हमें उनके जवाब मिलने चाहिए ताकि हमें पता लगे सके कि हमारे द्वारा उठाए गए मामलों में क्या कार्यवाही हो रही है। अगर हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिलेगा तो

हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि सरकार उन मामलों में कुछ स्टैप्स ले रही है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया। जीरो-ऑवर में कोई मैम्बर किसी भी विषय को उठा सकता है लेकिन नियम 377 के अधीन जो मामले यहां उठाए जाते हैं, वे एग्रूड होकर लिस्ट होते हैं इसलिए उनके जवाब आने चाहिए।

श्री मुख्तार अनीस : कभी-कभी जवाब आते हैं, बराबर नहीं आते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आपकी तरफ से हिदायत दे दी जाए तो जवाब आने लगेंगे कि हमारे द्वारा उठाए गए मामलों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब जरूर आएंगे।

अपराह्न 2.30 $^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री इंद्रजीत गुप्त के संकल्प पर आगे चर्चा आरंभ करते हैं। श्री बनातवाला खड़े हुए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पूनानी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। इस सदन में घोषणा मंजूरी के लिए रखी गई है। इस सदन का यह प्रथम कर्तव्य है कि निष्पक्ष रूप से यह जांच करें कि क्या उद्घोषणा संविधान की परीक्षा में खरी उतरती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां हम राज्यपाल द्वारा आरम्भ किये गये मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। राज्यपाल द्वारा आरंम्भ किये गये मुद्दों में से एक यह है कि जब एक सबसे बडा दल या गठबंधन जो बहुमत में नहीं है और उस दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना, खरीद-फरोख्त और व्यापक पैमाने पर दल-बदल को बढ़ावा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे अवश्य स्वीकार करता हूं कि मुझे खेद है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस विशेष तर्क को समझने में असफल हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जबकि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और विधान सभा निलंबन में रखी गई है, में दल बदल और खरीद फरोख्त व्यापक है। इसलिए बहस का कोई अर्थ नहीं है।

वैधानिक सलाह के अनुसार, विधान सभा के सदन के गठन और सदस्यों के शपथ ग्रहण के बीच की अवधि के दौरान, दसवीं अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून की परवाह किये बिना दल बदल हो सकता है। महोदय, इसलिए जहां तक इस तर्क का संबंध है, मुझे खेद है, इसमें जरा भी दृढता नहीं है। लेकिन तब यह तर्क कि सभी दूसरे तथ्यों पर विचार किए बिना सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना एक तर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखिए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था। इसे बहुमत प्राप्त करने में 37 सदस्यों की कमी रही। निर्दलीय सदस्यों की संख्या मुश्किल से 14 है। इससे असामान्य स्थिति है। मैं असामान्य स्थिति पर जोर देता हूं कि जहां अन्य गैर भाजपा दल इसमें बहुमत में हैं, राज्यपाल को बताया है कि वे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं।

अब राज्यपाल को पहले ही सूचित किया गया है कि साझा दल जिसमें 234 सदस्य हैं, जो सदन में सदस्यों के बहुमत का साझा दल है, ने बताया है कि वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वे क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? यदि राज्यपाल ऐसी स्थिति में दृढ़ और अटल रहता है कि सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाये तो मैं यह कहने पर विवश हूं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रियाओं को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। बहुमत वाले दल राज्यपाल को सूचित करते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति पर एक धोखेबाजी होगी।

महोदय हमें सरकारिया आयोग के बारे में कहा गया है। यह एक बहुत सही विषय है। हमें बताया गया और माननीय सदस्य डा. मुरली मनोहर जोशी ने इस सदन में सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन से एक लम्बा उद्धरण पढ़ा। यह सरकारिया आयोग प्रतिवेदन का भाग्य है कि इसे बार-बार उल्लेख किया गया है और बार बार गलत ढंग से उल्लेख किया गया है। मैं दोहराता हूं कि बार-बार गलत ढंग से उल्लेख किया गया। माननीय सदस्य डा. मुरली मनोहर जोशी ने एक लम्बा अनुच्छेद पढ़ा लेकिन उसके बाद का अनुच्छेद उन्होंने नहीं पढ़ा। यह मेरा कर्तव्य है कि यह अनुच्छेद सदन के सदस्यों की जानकारी में लाऊं और यह कहूं कि राज्यपाल ने सरकारिया आयोग रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कार्य किया है।

महोदय, मैं सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन खण्ड । पृष्ठ संख्या 128, अनुच्छेद 4.11.05 से उल्लेख करता हूं :—

> " राज्यपाल ने चयन प्रक्रिया के समय उपर्युक्त कहा कि उसे नेता चुना जाना चाहिए जो सदन में बहुमत को बनाये रखने के निर्णय (राज्यपाल का) कर सके। राज्यपाल का आत्मपरक निर्णय एक अहम भूमिका अदा करेगा।"

इसलिए, हम पाते हैं कि सरकारिया आयोग प्रतिवेदन में दिशा निर्देश हैं कि राज्यपाल सरकार बनाने के लिए एक दल या गठबंधन को आमंत्रित करें। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह दल या गठबंधन का वास्तव में बहुमत है या नहीं। यहां हमने बहुमत के द्वारा

राज्यपाल को पहले ही सूचित कर दिया है कि वे सबसे बड़े दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। यह दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी हर कीमत पर सरकार बनाना चाहती है। यह दूसरा मामला है।

मुझे खेद है कि संविधान और सरकारिया आयोग प्रतिवेदन ने उनका कोई बचाव नहीं किया। हमें बताया गया है कि लोग नहीं भूलेंगे और लोग क्षमा नहीं करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग कहां हैं? क्या वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? निर्वाचक मत की प्रकृति देखिये। क्या यह एक सच्चाई नहीं है कि निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है? वह पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई, वह भारतीय जनता पार्टी थी। उत्तराखंड क्षेत्र को छोड़कर हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी। भारतीय जनता पार्टी मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और रूहेल खंड क्षेत्र में बुरी तरह हारी।

यह सच है कि केवल छः महीने पहले उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव थे। लोक सभा चुनाव में, 236 विधान सभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से आगे चल रही थी। लेकिन अब विधान सभा चुनावों में कम से कम 60 निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त कम हो गयी है। लोग भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। जबकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है और यदि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है तो राज्यपाल का यह कार्य लोगों के विरूद्ध कार्य होगा। वह कार्य लोगों के विश्वास को तोड़ना और राज्यपाल द्वारा इस विश्वास तोड़ने के कार्य को लोग क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए यह राजनीतिक मामला है या सरकारिया आयोग से संबंधित मामला है। इन सभी तथ्यों से एक निष्कर्ष निकलता है कि उ.प्र. में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी।

अब यहां हमें अनुच्छेद 356 का भी अध्ययन करना है। अनुच्छेद 356 के अनुसार साधारणतया राष्ट्रपति शासन एक वर्ष तक रह सकता है और साधारणतया एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं इससे सहमत हूं। महोदय लेकिन पक्ष उत्तर प्रदेश में पहले के राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है। पहले का राष्ट्रपति शासन कतिपय तथ्यों पर आधारित था। नए चुनावों के पश्चात तथ्य बदल गये हैं और बदले हुए तथ्यों के अनुसार राष्ट्रपति शासन जारी रखने का कोई प्रश्न नहीं था। यह गलत होगा। बदली हुई स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करना पूर्ण रूप से संविधान के दायरे में है। ऐसा किया गया, लेकिन महोदय, मैं यहां एक और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमें संविधान के अनुच्छेद 175(2) का सहारा लेना चाहिए। राज्यपाल को निलंबन में चल रहे सदन को सूचित करना चाहिए। इसे पुनः लाया जाना चाहिए और एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए नेता को चुने जाने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा को अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत संदेश भेजा जाना चाहिए। विधान सभा में इसे चुनौती दी जाय। मुझे खेद है कि राज्यपाल ने इसे नहीं अपनाया है। मैंने संकल्प में संशोधन के लिए कहा है लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे संशोधन में कुछ तकनीकी कमियां हैं। इसलिए इस प्रस्ताव के मेरे संशोधन का कोई औचित्य नहीं है लेकिन मैं आज भी अपील करता हूं कि विधान सभा बहाल की जाय और अपना नेता चुने जाने के लिए संदेश भेजा जाय।

महोदय इन कुछ शब्दों के शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्थिति में राज्यपाल जैसे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार का आचरण करें।

इसलिए, यदि किसी में कोई दुर्भावना नहीं है, तो इस स्थिति से संबंधित कोई शिकायत या गलतफहमी नहीं हो सकती है। संविधान का संशोधन स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं और मेरा दल गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी द्वारा राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं धारा 352, 56, 360 को अनेकों बार पढ़ चुका हूं। कल से मैं सभी के वक्तव्य सुन रहा हूं। जिन लोगों को पढ़ाते समय मैं कोट किया करता था, उनको सुनने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं सोचता था कि लोग बिंदुवार बोलेंगे, लेकिन बड़े-बड़े वरिष्ठ सदस्य, जिनपर सदन में बुद्धिजीवी होने का ठेका है, जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि मैंने उन्हें कोट करके कहीं न कहीं पाप किया है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से कुछ शब्दों में उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दल है, माननीय बनातवाला जी का तो मेरी दृष्टि में कोई दल नहीं है। इनका तो ले देकर एक आदमी यहां है और यू.पी. में तो इनका नामोनिशान नहीं है। यहां एक वोट भी इनको नहीं मिला। जिसकी गांठ में कुछ न हो, वह दूसरों को क्या कुछ दे सकता है। यह शिक्षा तो ऐसी है, जैसे कोई चरित्रहीन आदमी किसी चरित्रवान से यह कहे कि तू सलीका सीख ले। ...**(व्यवधान)** भाषा संवैधानिक होगी। मुझे टोकने से पहले सोच लेना, मैं क्या बोलता हूं और कैसे बोलता हूं। फिर यह सोच लेना कि कोई नहीं बोलेगा। मुझे तिबारा न कहना पड़े। मैंने सबको बड़े ढंग से सुना है। मैं एक-एक बात पर बोलूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा सदन है, हमारा देश और हमार प्रदेश है, यह पिछले 50 साल से कांग्रेस ने जो पाप किये हैं, उन्हें झेल रहा है। ...**(व्यवधान)** बिल्कुल, के.डी. सुल्तानपुरी जी, आपके साथी जेट काट आये हैं, आप उन्हीं के खानदानी हैं, मुझे मालूम है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : जो घोटाला करेगा, वह जायेगा, इसमें मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। यह देश हिसाब लेगा, यह जनता हिसाब लेगी। यहां कोई दल नहीं होता। आपको तो कायदे से कहने का अधिकार नहीं है, मैं इसी बिन्दु पर बोल जाऊंगा।

मुझे बड़ा दुख हुआ, जब कई लोगों ने यह कहा कि हम बड़े दुखी मन से समर्थन कर रहे हैं, दुखी मन से समर्थन करने की ऐसी कौन सी मजबूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि धारा 356 बहुत बुरी है, इसे समाप्त कर दिया जाये, लेकिन आज हम समर्थन कर रहे हैं। क्यों भाई, गधे और गधे के बच्चे में क्या अंतर होता है? एक बोझ ढो रहा होता है, एक बोझ ढोने के लिए तैयार होता है। अगर चोर को मारना है तो चोर की अम्मां को मारो, चोर पैदा ही नहीं होगा, पुलिस की व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चोर की अम्मां का समर्थन करना और चोर को गाली देना, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी, इसलिए सोच लें।

जिस दिन 1951 में पंजाब में पहली बार इस धारा का प्रयोग हुआ था, वह शायद सबसे काला दिन था। मैं नहीं समझता, क्यों प्रयोग किया गया, लेकिन इतिहास गवाह है, अब यह मेरी मजबूरी है कि सत्ता पक्ष कहना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए इस धारा का दुरूपयोग किया। एक-एक उदाहरण इसका साक्षी है। आज जो जनता दल की सरकार है, उन्होंने पांच बार झेला है, चार बार डी.एम.के. ने झेला है, तीन बार अकालियों ने झेला है, पांच बार बी.जे.पी. ने झेला है, अब कई कांग्रेसी मित्र कह सकते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री भी हटाये गये थे तो मैं यह कहूंगा कि उन्हें तो शतरंज खेलने का शौक है, अपनी गोटियां फिट करना, अपने लोगों को हटाना आपका शौक रहा है, यह आपका आंतरिक मामला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कि इस देश में 94 बार लगभग राज्यों में इस धारा का दुरूपयोग हुआ है और परिणाम कुछ नहीं हुआ। तेरह बार केन्द्र शासित प्रदेशों में इसका दुरूपयोग हुआ है और परिणाम कुछ नहीं हुआ। इसलिए जिस डाल पर बैठे हो, उसी को काटने का प्रयास न करो। लोकतंत्र की गवाही देते हो और पूरे देश के सामने इस सदन में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने का लज्जा नहीं आती कि एक तरफ लोकतंत्र की गवाही देना और दूसरी तरफ उसका गला घोंट देना, वह भी राष्ट्रहित के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता जैसे खोखले शब्दों के नाम पर, केवल एक दल सत्ता में न आ जाए, इस नाम पर। अभी एक मित्र ने कहा था कि केवल 32 प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। उन्हें कितने मिले, उनको हमसे कम मिले हैं, इसलिए पहले अपनी पूंजी को देखें। एक ने कहा कि सारा विपक्ष एक हो गया। लगता है वे इस बात को भूल गए कि अभी राज्य सभा के चुनाव के बाद क्या लिखकर दिया गया है? बसपा द्वारा किसी ने कहा कि जोशी जी ने बढ़िया भाषण दिया, लेकिन सरकारिया आयोग का एक खंड पढ़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपने तो डेढ़ लाइन सरकारिया आयोग की पढ़ दी, क्या डेढ़ लाइन में आप सरकारिया आयोग को समझाना चाहते हैं? विचार करें, अपने हृदय में झांकें कि हम कहां गलती करने जा रहे हैं और फिर जानबूझकर गलती करके यह कहते हैं कि वे सही हैं। एक साथी ने कहा कि तुम धर्मांध हो, साम्प्रदायिक हो और तुमने बाबरी मस्जिद गिराई। मेरी समझ में नहीं आया, अगर ऐसी बातों से ही विरोध करना है तो आप सत्ता पक्ष में हैं, संख्या में लगभग 300 हैं, इस समय पुलिस आपके हाथ में है, सेनापति भी आप हो और सेना भी आपकी है, किसी घोटालेबाज को बचाने के लिए न्यायालयों पर दबाव डाल देते हो तो हमें फांसी क्यों नहीं लगवा देते। मैं कहता हूं हमने ऐसा किया। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलना।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : यह यहां कहा गया, मैं उसे दोहरा रहा हूं कि मेरे चरण-चरण और तुम्हारे पावं-पांव यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बोलने से पहले मानसिकता सोच लें कि दूसरे लोग जवाब भी दे सकते हैं।

एक वरिष्ठ सदस्य हैं सोमनाथ चटर्जी, दुर्भाग्य से अभी यहां नहीं हैं। वे होते तो मैं उनसे कहता। उन्होंने कहा कि भा.ज.पा. उत्तर प्रदेश में 236 से घटकर 176 पर रह गई। लेकिन जिसके कंधों पर बैठकर सरकार का समर्थन कर रहे हो, किसी जमाने में वे इस सदन में 408 सदस्य थे, अब कितने हैं, यह दिखाई नहीं पड़ता। हम दो से 161 हो गए, यह दिखाई नहीं पड़ता। क्या जनता का मापदंड आपके शब्दों से होगा। आपके कितने सदस्य उत्तर प्रदेश में जीतकर आए हैं, यह भी देखें। ऐसा ही घमंड है तो इस सदन को भंग कराओ और दुबारा चुनाव कराकर देख लो कि जनता क्या चाहती है। यह ...**(व्यवधान)** खेल ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ...**(व्यवधान)** जनता जो भी परिणाम देगी उसे हम झेलेंगे। चाहे कोई भी क्यों न हो, लेकिन इसको भी आजमाकर देख लें।

अपराह्न 2.54 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

माननीय सदस्या नूर बानो ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक गतिरोध है। उत्तर प्रदेश में बिलकुल भी राजनैतिक गतिरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को इसीलिए बिठाया गया है कि तुम येन-केन-प्रकारेण यह गतिरोध बनाए रखो, जब तक एक विशेष दल और एक विशेष नेता लोगों की खरीद-फरोख्त कर लोगों को अपने पक्ष में न कर लें, तब तक तुम यही राग अलापते रहो।

यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। वहां कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि भा.ज.पा. का बहुमत नहीं है। कांग्रेस के 30 सदस्य ब.स.पा. के तलवे चाटकर आ गए और वे भी घमंड भरी बातें करते हैं, इससे मुझे आश्चर्य होता है। मैं सोचता हूं कि यह उनकी बहुत बड़ी पूंजी है। अगली बार तीन भी नहीं रहेंगे। एक माननीय सदस्य ने और कहा कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है और जब तक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले दल एक न हो जाएं तब

तक वहां सरकार नहीं बननी चाहिए। कल्पनालोक में विचरण करना बड़ा अच्छा होता है। लेकिन एक ही झंडे के नीचे सभी धर्म-निरपेक्ष हैं और एक ही चुनाव चिन्ह पर एक ही घोषणा-पत्र के आधार पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर आपको धर्मनिरपेक्षता का इतना ही शोक है। ...**(व्यवधान)** आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। आपकी भी मजबूरी होगी। चिन्ता मत कीजिए।

जहां तक जनादेश का प्रश्न है, जनता तय करेगी, उसे एक व्यक्ति तय नहीं करेगा। अगर लोक तंत्र में न्यायपालिका के अलावा अगर कोई एक व्यक्ति जनादेश का परिणाम तय करेगा तो उस दिन लोकतंत्र का गला घुट जाएगा और वह दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा। इसलिए या तो जनता तय करेगी या विधान सभा तय करेगी या जनता तय करेगी या लोक सभा तय करेगी। सभी विचार कर रहे हैं क्योंकि सब उसके भुक्त-भोगी हैं। उसको दंडित होना पड़ा है। भविष्य में किसी को भी दंडित होना पड़ सकता है। यह दुधारी तलवार है। इसलिए चलाते समय चलाने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकती है और मारते समय किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकती है। इसलिए ऐसे हथियार का प्रयोग न करें जो कि दूसरे पर चलाते समय अपना ही गला काट ले। एक और बात कहना चाहता हूं कि यहां पर कोदंडा रमैया जी ने शुरू-शुरू में अपना ठीक-ठीक भाषण बोला था लेकिन न जाने कैसी अन्तरात्मा थी कि भाषण का अंत आते-आते बदल गई और तब ऐसा लगा कि इनकी भी कोई मजबूरी है। इसके बाद हमारे मित्र संतोष कुमार गंगवार जी ने उनसे कहा कि आप अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनकर इसका समर्थन न करें, इसका विरोध करें। मैं तो गंगवार जी से कहता हूं कि जिनके आत्मा ही नहीं हैं, उनसे क्या प्रार्थना करना? "जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना?" हार-जीत क्या चीज है?

"वीरता की पहचान समर है।"

इसलिए जिनकी आत्मा ही नहीं है, जो केवल धमकी देने के पैसे ले लेते हैं। ...**(व्यवधान)** मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के परिणाम आए और कुछ लोगों ने कुछ दलों ने कहा कि मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ठीक है वर्ना हम केन्द्रीय सरकार का समर्थन नहीं करेंगे तो उनको कुछ करोड़ रुपए मिल गए होंगे क्योंकि उसके बाद उनकी राय ही दूसरी हो गई, बदल गई। पहले शेर की तरह दहाड़ रहे थे, बाद में वे पूंछ हिला रहे थे। यह कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है कि आपकी राय दो दिन में बदल गई? कोई ईमान-धर्म तो होना चाहिए। यह दोगलापन, यह थूककर चाटना कम से कम इस पवित्र सदन में तो नहीं होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)** आगे तो चल ही रहे हैं और हम ही आगे चलेंगे। आप तो बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ...**(व्यवधान)** एक और बात थी। लोगों ने कहा कि धारा 163 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस सदन में अगर कोई संविधान सभा में रहा होगा और उसमें एक भी कतरा यदि ईमानदारी का होगा तो उसकी आत्मा यह सुनकर रोई होगी। ...**(व्यवधान)** कोई नहीं है तो उसके पूर्वज रोए होंगे। मुझे मालूम है कि मैं और मेरे पिता जी ने इसमें कभी हिस्सा नहीं लिया। जो संविधान बनाया गया है, वह इधर से ही कहीं से बना था। एक भी संविधान सभा का मेम्बर धारा 356 को नहीं चाहता था और मुझे मालूम है कि प्रोफेसर के.टी.शाह, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी, श्री हरि विष्णु कामथ ने संविधान सभा में इस पर विपरीत टिप्पणी की थी और कहा था कि यह संविधान कहां से उधार लिया गया है? वह जर्मनी से लिया गया है। उसकी एक धारा का रूपान्तरण कर दिया गया है। उनकी भाषा में इसका नाम है : "नाइमर कांस्टीट्यूशन" और मेरे जैसे अनपढ़ लोग इसे कहते हैं "बीमार कांस्टीट्यूशन" जिस धारा के आधार पर हिटलर तानाशाह बन गया था, उस धारा का इस लोकतंत्र में प्रयोग किया गया। राज्यपाल के बारे में भी टिप्पणियां हुई। मैं बहुत अधिक देर तक बोलना नहीं चाहता। लेकिन माननीय अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा था " हम नहीं समझते थे कि कभी राज्यपाल शक्तियों का दुरूपयोग करेंगे, वह अच्छा काम करेंगे।" लेकिन वहां पर वी.जी. थेर साहब ने कहा कि एक अच्छा राज्यपाल बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकता है और एक दुष्ट राज्यपाल बहुत कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है और आज कौन बैठा है? यह देख लें और सोच लें। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन जो सम्मान के काबिल न हो, उनके बारे में कुछ भी कहने और न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता निर्णय करेगी और माफ नहीं करेगी तथा भविष्य भी कभी माफ नहीं करेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं एक बात और कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे मालूम है कुछ लोगों को आदत होती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। कृपया उन्हें सम्बोधित न करें।

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : मैं तो आपको ही एड्रैस कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)** इसलिए आप उन्हें धमकाइये। मैं यह तो नहीं कहता कि मेरी मंडन स्पीच है। ...**(व्यवधान)**

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : यह पार्लियामेंटरी लैंग्वेज नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। वह अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करेंगे।

[हिन्दी]

आप बैठिए। उनसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोलते। ...**(व्यवधान)**

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : अगर कोई व्यक्ति उम्र के हिसाब से हमें शब्दावली समझाता है तो मैं ऐसे ठूंठ की छांव नहीं चाहता जिसमें पत्ते ही न हों। आप समझ लें। मुझे टोके नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय : अपनी बात कहिए और प्रोक्लेमेशन के ऊपर बताएं।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : श्री सोमनाथ जी ने किसी तथाकथित परम्परा का शब्द का उल्लेख किया था। इसका पालन इस सदन में भी हुआ है। माननीय नरसिंहराव जी उस समय बहुमत में नहीं थे जब उन्हें बुलाया गया था। उससे पहले भी बहुमत दल के नेता श्री राजीव गांधी जी को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था तब फिर वी.पी.सिंह जी को बुलाया गया था, यह बात सभी जानते हैं।

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए या न किया जाए, इस पर डिबेट हो रही है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बोलिए।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : उपाध्यक्ष जी, सरकार दो दिन या 6 दिन या 10 दिन या 16 दिन चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी ने आदरणीय वाजपेयी जी को बुलाकर उस तथाकथित परम्परा का पालन किया और एक सम्मानित सदस्य यह कहे कि राष्ट्रपति जी के द्वारा डाली गई परम्पराओं का उल्लंघन और उनके द्वारा नियुक्त और उनके प्रसाद पर्यन्त पद पर रहने वाला राज्यपाल क्या कर सकता है? यह विचार युक्त प्रश्न है, इसलिए अपनी बात पर केवल लीपापोती करने के लिए हम यह कह दें कि यह तथाकथित परम्परा है। बिना परम्पराओं के कोई संविधान जिंदा नहीं रहता और जिस संविधान की धाराओं की नकल आप लोगों ने या हम लोगों ने की है, वह संविधान तो परम्पराओं पर आधारित है। ...**(व्यवधान)** वहां संविधान है। यह कोई विषय नहीं है। वहां संविधान है। मैंने यह कहा कि कोई संविधान बिना परम्पराओं के चल नहीं सकता। चाहे वह कितना ही कठोर संविधान हो, कितना ही छोटा संविधान हो और भारतीय संविधान तो परम्पराओं पर आधारित है, जहां परम्पराएं चलती हैं, मानी जाती हैं, अपने हित में बहुत ही बेशर्मी से हम उनका दुरूपयोग करते हैं।

यहां जो बात उठी थी कि धारा 356 को समाप्त किया जाए। माननीय सोमनाथ जी ने उठायी थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्रों का क्या विचार होगा, मैं हमेशा से ही ऐसी धाराओं का विरोधी रहा हूं क्योंकि मैं सैद्धांतिक राजनीति में विश्वास रखता हूं। जिन लोगों का यह कहना है कि वहां ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, इस सैशन के बाद मेरी क्लास लगेगी, मेरी क्लास में आकर पढ़ लीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां संविधान है या नहीं। यह पढ़ाई का सदन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसको समाप्त करना है तो यह शुरूआत आज से ही क्यों न की जाए? इसका जमकर विरोध किया जाए और यह जो प्रोक्लेमेशन आया है, इसका विरोध किया जाए, इसको निरस्त किया जाए और यह शुरूआत आज से ही की जाए। यह क्या कि आज इसका दुरूपयोग करेंगे, फिर इसको समाप्त करेंगे। इसलिए यह प्रश्न है। कम से कम इतने बुद्धिजीवी सदस्य को तो यह बात सोचनी चाहिए कि अगर आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो आज ही समाप्त किया जाए, किसके लिए देर क्यों की जाए? ...**(व्यवधान)** अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि बी.जे.पी. एक अनुशासित पार्टी है लेकिन उस पार्टी ने गुजरात में अपने एक वयोवृद्ध सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया, कम से कम किसी ने उन्हें पहनने के लिए धोती दे दी होती। यह बात उन्होंने कही थी। बंगाल में उनकी सरकार थी। आदरणीय ममता जी कहीं हो, तो मुझे क्षमा करेंगी। वे केन्द्र में मंत्री थीं और इतनी बड़ी बदतमीजी उनके साथ की गई थी कि शायद इस देश में दूसरा इतिहास नहीं है। उस समय उनको साड़ी-धोती की याद नहीं आई।

सभापति महोदय : काफी समय आप बोल लिए हैं।

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : यह बात तो कम से कम उनको मालूम होनी चाहिए थी। यह दूसरी बात है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री किसी कारण से कोई काम नहीं कर पाए। इसलिए जो शीशे के मकान में रहते हैं, वे दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले सोच लें कि हाथ दूसरों के पास भी होते हैं।

महोदय, आपने घन्टी बजाकर मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बनातवाला जी कह रहे थे कि अगर बी.जे.पी. को बुलाया जाएगा, तो राज्यपाल का अपराध होगा और संविधान का उल्लंघन होगा। मैं पूछता हूं, यह किस ग्रन्थ में लिखा है या कहां लिखा है? वे कह रहे हैं कि खरीद-फरोख्त होगी। कल गृह-मंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं कह दिया कि हम तो विधान सभा को तब तक निलम्बित रखना चाहते हैं, जब तक किसी का बहुमत न आ जाए? मैं पूछना चाहता हूं, वह बहुमत क्या अपने आप आ जाएगा? यानि, हमारी सरकार बनेगी तो खरीदफरोख्त होगी और किसी दूसरे की बनेगी, तो ईमानदारी से बनेगी। दोहरा मापदंड कैसे अपनाया जाएगा?

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। कहा गया अगर बी.जे.पी. की सरकार बन जाती, तो जैसे 6 दिसम्बर को अयो कान्ड हुआ, उसी प्रकार से काशी और मथुरा में हो जाता। हम पूछना चाहते हैं, कांड करने के लिए क्या सरकारों की आवश्यकता होती है? जब मन में इच्छाशक्ति हो जाती है, तो कांड हो ही जाते हैं। इसलिए ऐसे राज्यापालों का सहारा लेकर अगर कांडों को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये कांड बढ़ेंगे। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कोई बात नहीं है, उनको बोलने दीजिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : मैं कहना चाहता हूं, आज भी स्थिति ऐसी बन गई है कि राज्यपाल के लिए दो ही विकल्प हैं-एक, या तो इस पद को समाप्त कीजिए और दूसरा, इस दलीय राजनीति से ऊपर उठा जाए। यदि केन्द्र ने इन दोनों में से एक विकल्प को स्वीकार नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं जब राज्य सरकारें राज्यपालों के खिलाफ काला झण्डा दिखायेंगी, प्रदर्शन करवायेंगी और राज्य प्रमुख के रूप में उनको मानने से इन्कार कर देंगी। वह दिन हमारे लोकतन्त्र के लिए काली और अशुभ घड़ी होगी। दुर्भाग्य से हमारा सत्ता पक्ष उसी ओर बढ़ रहा है। मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पंक्तियां इस प्रकार है :—

" राज्यपालों का कमाल, देख भारती का भाल,
शर्म से झुका हुआ है, सोच लो विचार लो।
संविधान से महान, मुफ्तखोर बेईमान,
गुण्डों की निराली शान, देश में निहार लो।
चोर हुए सीना जोर, तस्करों ने किया शोर,
देशभक्त हम, हमारी आरती उतार लो।
सत्ता दे रही है छूट, चाहे जहां करो लूट,
मोर्चा के साथ रहो, चाहे जिसे मार लो।।"

अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा जो लोग हमको साम्प्रदायिक कह रहे हैं, वे सोच लें कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमने भी बलिदान दिए हैं। हम भी टैक्स चुकाते हैं। इनसे ज्यादा चरित्रवान हैं। इनसे ज्यादा ईमानदान हैं। अगर हमें बार-बार टोका गया, साम्प्रदायिक कहा गया, तो इससे नुकसान इनको होगा।

मैं आपकी अनुमति से अंतिम चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं :-

" सदियों से हो सका नहीं जो, वह करके दिखलायेंगे।
अब कोई कुछ कहे किन्तु, नहीं बहकावे में आयेंगे।
जो बाधा बन कर आयेगा, उसको मार भगायेंगे।
सौगंध "राम" की खाते हैं, हम "मंदिर" वहीं बनायेंगे।"
...(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : महोदय, समाजवादी पार्टी को अभी तक टाइम नहीं मिला है।

सभापति महोदय : मैं लिस्ट के हिसाब से नाम बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिए कि इस विषय के लिए चार घन्टे का समय आवंटित किया गया है। अब तक तीन घन्टे पच्चीस मिनट का समय खर्च हो चुका है। अब मात्र तीस मिनट शेष बचे हैं। अभी पन्द्रह सदस्यों को बोलना है और चार बजे नियम 193 के अधीन प्रस्ताव है। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे विषय पर संक्षेप में बोलें, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त करने हेतु सभी सदस्यों को अवसर मिल सके।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यदि आवश्यक समझें तो इस विषय पर पूर्ण विचार-विमर्श के लिए समय को बढ़ा दिया जाए।

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय और साथियों, मेरा राज्य उत्तर प्रदेश बहुत अशान्त दौर से गुजर रहा है। हमने पिछले सात वर्षों में भारी राजनैतिक संकट देखा है। हमने चार सरकारों का गिरना और दो बार राष्ट्रपति शासन लगना देखा है। हमारा निर्वाचन करने वाले हमारे मतदाताओं ने भी यह अशान्त काल हमारे साथ झेला है। लगातार राजनीतिक संकट बना हुआ है। और कोई भी राजनैतिक दल इसका समाधान निकालने की स्थिति में नहीं है। अभी 6 माह पूर्व ही हमने लोक सभा के चुनाव कराए थे और उस समय उत्तर प्रदेश से जो परिणाम आए थे उसकी तुलना में 2 माह पूर्व विधान सभा के चुनावों के परिणाम बिल्कुल भिन्न आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर बढ़त प्राप्त की थी। और हाल के चुनाव में यह मुश्किल से 173 सीटों तक पहुंच पाई। ऐसा ही 1993 में हुआ था। वर्ष 1993 के बाद जनता भा.ज.पा. को पुनः मौका देने के लिए तैयार नहीं है। उसने 1995 और फिर 1996 में उन्हें उतनी ही सीटों के लिए वोट दिए हैं।

दूसरे दलों की स्थिति को देखने से पता चलता है कि जनता ने हमें कोई निश्चित जनादेश नहीं दिया है। जैसाकि लोकसभा के चुनाव में हुआ, राज्य में वैसे ही कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सका, यहां तक कि बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। हमारे राज्य में राजनीतिक संकट है। हम क्या करें? हम उ.प्र. राज्य के लोग एक विकट स्थिति में फंस गए हैं। उ.प्र. में किसी मजबूत सरकार के न होने से वहां कोई आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। राज्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। हर बार हमें एक मिली-जुली सरकार मिलती है और यह कुछ माह में ही गिर जाती है। हम उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि इससे उ.प्र. के राजकोष को कितनी हानि हो रही है।

हमें अपने राज्य के अपने गृह प्रदेश के उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। हमें अब ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो पांच वर्ष चले क्योंकि हर बार हम कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों एक अल्पावधि सरकार को लाते हैं और इसलिए हम कोई काम नहीं कर पाते। यह स्थिति हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत दुखद है। जब हम अपने निर्वाचकों के बीच जाते हैं और उनका सामना करते हैं तो उन्हें यह बताना कठिन हो जाता है कि हम अपने राज्य को कैसे ऊपर ले जाएं। आज हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है और बाहर से कोई धन नहीं आ रहा है। जब हम दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र अथवा गुजरात की ओर देखते हैं तो ये राज्य बहुत सम्पन्न दिखते हैं वहां बहुत प्रगति हो रही है और भारी विकास

हो रहा है। लेकिन कोई भी हमारे राज्य में निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि हम कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं।

हम कोई मजबूत राजनैतिक संदेश नहीं दे रहे हैं। यह उपयुक्त समय है जब हम सब इकट्ठे होकर उ.प्र. में एक ऐसी सरकार बनाएं जो हमें 21 वीं सदी में ले जाए। हम 21वीं सदी के किनारे पर हैं। हमारा राज्य भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही साथ यह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य भी है। मैं सभी दलों से अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि हम किसी राजनीतिक निर्णय पर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो भी हमें एकजुट रहना चाहिए और तब तक राष्ट्रपति शासन को चलने देना चाहिए, जब तक कि हमारे बीच आपसी लड़ाई बन्द न हो जाए और हम एक टिकाऊ सरकार का गठन न कर लें।

हम सभी उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें अपने राज्य, अपनी मातृ-भूमि और अपने गृह-प्रदेश के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। हमारे माननीय सभापति महोदय ने कहा है कि मेरे बाद अभी 14 सदस्यों ने और बोलना है। मैं महसूस करती हूं कि प्रत्येक को बोलने का अधिकार है इसलिए इस बारे में मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। मैं दूसरे लोगों को अपने विचार व्यक्त करने से रोकना नहीं चाहती। मैं इस स्थिति में यह भी नहीं कहना चाहती कि जब हम कोई राजनैतिक निर्णय नहीं ले सकते हैं और बिना खरीद-फरोख्त के या कुछ समस्याओं के उ.प्र. में सरकार का गठन नहीं कर सकते तो हमें राष्ट्रपति शासन को ही लागू रहने देना चाहिए और हम अपने गृह प्रदेश अपने राज्य के बारे में जो कुछ करना चाहते हैं, उस पर निर्णय लें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : सभापति महोदय मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है। मैं मात्र एक या दो बात करना चाहता हूं। हमारे सामने एक राजनैतिक विवशता है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित सांविधिक विवशता है। हमारे जैसे लोग व मेरे जैसे लोग पिछले अनेक वर्षों से अपने राजनैतिक अभियान के दौरान अनुच्छेद 356 को समाप्त करने के लिए लड़ते रहे हैं। लेकिन यह अभी तक संविधान में है और इसे अब तक हटाया नहीं गया है। इसलिए जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए स्वविवेक और सावधानी से किया जाए। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। मैं अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। अब इस सभा को इस संकल्प को पारित करना राजनैतिक मजबूरी है।

मैंने दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य को विशेषरूप से केरल के मुस्लिम लीग नेता श्री जी.एम. बनातवाला की आलोचना करते हुए सुना। उन्होंने पूछा था कि पार्टी कहां है, जिसका तात्पर्य है कि मुस्लिम पार्टी कहां हैं, मुस्लिम संगठन कहां है। हम वहीं हैं। उत्तर प्रदेश की ताकतें हैं। वह मुस्लिम लीग नहीं है, मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम संगठन अथवा अल्पसंख्यक वर्गों ने 1996 की लड़ाई नहीं लड़ी। हिन्दुओं ने यह लड़ाई लड़ी है और वह इस देश का बहुसंख्यक वर्ग है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कि हम उनका मजाक बना सकते हैं। हम अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति का सिर्फ उपहास कर सकते हैं। मैंने दूसरे पक्ष के एक परम आदरणीय व्यक्ति की यह बात सुनी कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम देशभक्त हैं। देशभक्त कौन नहीं है? क्या एक मुसलमान देशभक्त नहीं है। क्या एक व्यक्ति जिसका जन्म इस देश में हुआ है, वह देशभक्त नहीं है? ...**(व्यवधान)**

मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। इस देश में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है और सभी लोग-चाहे वे किसी भी धर्म को जैसे इस्लाम, इसाई, हिन्दू, जैन, या बौद्ध धर्म को मानने वाले हो—यदि वे राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी करते हैं, तो वे राष्ट्र-द्रोही लोग है। देशभक्ति किसी एक विशेष धर्म से बंधी हुई नहीं है। यह तय है कि इस देश में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, कोई भी किसी की दया पर निर्भर नहीं है, किसी को किसी के सामने घुटने टेकने की या यह दम भरने की जरूरत नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों के रक्षक है। हम शुरू से आखिर तक भारतीय हैं। हम इस देश में एक भारतीय के रूप में ही मरेंगे तथा एक आत्म-निर्भर और स्वाभिमान व्यक्ति के रूप में जियेंगे।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी-जैसा कि मैंने सुना है-कि उसे मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए बुलाया जाए। यहां केन्द्र में क्या हुआ था? माननीय श्री वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी खरीद-फरोख्त अथवा कोई अनैतिक काम नहीं किया। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। अब, आप इस पर विचार करें जो मैं कुछ कह रहा हूं। आप एक दल के रूप में यहां थे और दूसरी पार्टियां, जो इस तरफ बैठी थीं उनकी भिन्न राय थी। हमारा एक राजनैतिक दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण धार्मिक है। जब आप कुछ-कुछ बोलते हैं, आप धर्म पर बोलते हैं। आप भारतीय अर्थ-शास्त्र पर बोलते हैं आप पूरे सप्तक परउपनिषदों पर बोलते हैं। आप राम बोलते हैं हम पानी पर बोलते हैं, हम आम आदमी पर बोलते हैं, हम भूख पर बोलते हैं, हम राजनीति पर बोलते हैं। हम दोनों में कुछ अन्तर है।

हम कुछ अनैतिक कर भी दें लेकिन आप से यह आशा नहीं की जाती कि आप कुछ अनैतिक करें।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : हम किसानों की बात करते हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : मैं समझता हूं इब्राहीम साहब। हम किसानों की दलितों की और दूसरे लोगों की बात करते हैं। जब कुमारी मायावती भा.ज.पा.के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं, उन्होंने कहा कि "यहां देखो कि हमने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एक दलित को बनाया है।" इस चुनाव में, आपने एक दलित महिला को अपनी पार्टी का नेता क्यों नहीं चुन लिया? क्या आपने किसी दलित महिला को अपनी पार्टी का नेता चुना था? आप यहां दलित महिला

को पार्टी का नेता बनाने हेतु संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप भा.ज.पा. को सत्ता में लाना चाहते हैं।

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : आप एक दलित महिला को अपनी पार्टी का नेता क्यों नहीं चुनते?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : यह इसलिए कि हमने यह कभी नहीं कहा कि हमने एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। हम महसूस करते हैं कि दलितों को आगे आना चाहिए। यह अलग प्रश्न है। हम इस बात को कहीं और उठाएंगें ...**(व्यवधान)** महोदय मैं एक नया सदस्य हूं।

सभापति महोदय : उनकी बातों का उत्तर मत दीजिए। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, भाजपा अन्य दलों की शक्तियों और कमियों की आलोचना करती है। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया। यदि आपको समय दिया जाए तो आप कैसे सरकार बनाएंगे? क्या आप खरीद फरोख्त नहीं करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : सभापति महोदय, मेरा विचार था कि हम संविधान के अनुच्छेद 356 और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं न कि एक दलित महिला को हमारे दल की नेता नियुक्त करने या श्री इब्राहीम को ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो भी हो, आप जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : महोदय, जब माननीय सदस्य ने मुझे टोककर कहा कि मुझे अपनी बात अनुच्छेद 356 पर ही केन्द्रित रखनी चाहिए तो उन्हें उस माननीय सदस्य को जो उनसे पूर्व भाषण दे रहे थे, कहना चाहिए था कि उन्हें अपनी बात अनुच्छेद 356 तक ही सीमित रखनी चाहिए। आप हमें 356 तक ही सीमित करते हैं और स्वयं 3,056। की सीमा तक जाते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

आपने एक प्रश्न किया था कि हम कहीं खरीद फरोख्त को नहीं करेंगे। नहीं, हमारी कामना है कि यदि हमें कोई अवसर मिले तो वह उत्तर प्रदेश में मिले, यदि ऐसा होगा, तो हमें खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता नहीं। हम धर्म-निरपेक्ष शक्तियों में जा एकता है, वह उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. के दावे को समाप्त करने के लिए काफी है। इतना तो हम जानते हैं। परन्तु हमें अफसोस है, हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। हमें उनकी आशंका थी क्योंकि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है।

एक मुद्दा और है। आपने दो प्रतिशत कम मतदान किया। आप वह मत भूलिए और 64 प्रतिशत लोग आपके विरूद्ध हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप अपना काम करो।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : हमारा दल 'करोइंगे' में विश्वास करता है। क्या यह भाषा सही है? मैं हिन्दी भाषी नहीं हूं...**(व्यवधान)** मैं हिन्दी नहीं जानता। इसलिए कृपया मुझे तंग मत कीजिए।

उत्तर प्रदेश में 64 प्रतिशत लोग आपके विरूद्ध हैं। हम सभी इकट्ठे होकर 64 प्रतिशत से अधिक हैं। मैं यहां पर यह विषय समाप्त करता हूं और कहता हूं कि आप जातीय, राजनीतिक और संवैधानिक आधार पर यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अधिकार है।

आपनें बाबरी मस्जिद पर चर्चा की। ...**(व्यवधान)** आपने यह कहा।

यही कारण है कि मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। अन्यथा मैं नहीं करता। मैं एक वयोवद्ध सांसद नहीं हूं। मैं यहां पहली बार आया हूं। इसलिए मुझसे छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं। कृपया मुझे क्षमा करें।

आपने कहा कि आप मथुरा और काशी जायेंगे। बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? आप संविधान और अनुच्छेद 356 की बात करते हैं। जब न्यायालय ने बाबरी मस्जिद पर यथा स्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया तब संविधान के संबंध में आपकी भावना कहां थी। क्या आप ने कभी संविधान के प्रति मान का व्यक्त किया हैं? किसी ने कहा है "क्या वहां सेना नहीं थी?" सेना वहां थी लेकिन मैं सोचता हूं कि सेना देश को नियन्त्रित नहीं कर रही है, मस्तिष्क ही देश को एक साथ बांध रहा है। हम मस्तिष्क को साथ-साथ रखना चाहते थे।

आपने केवल बाबरी मस्जिद को ही नहीं तोड़ा अपितु आपस में संगठित लोगों के मन को भी अलग-अलग कर दिया।

महोदय, मैं केरल से आया हूं और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सबने तुलसीदास द्वारा **रचित राम चरित मानस** अवश्य पढ़ी होगी। कभी नहीं पढ़ा। यदि मेरी याददाश्त सही है तो यह 14वीं शताब्दी में अवश्य कहीं लिखी गयी है। यह अयोध्या से लिखा है। क्या आप को नहीं मालूम कि तुलसीदास बहिष्कृत थे? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि मुसलमान उनके मित्र थे और उनके सहयोग से वह राम की कहानी लिखेगें? **रामचरित मानस** एक ऐसी कृति है जिससे हिन्दु-मुसलमान एकता बढ़ी और जबकि आपने राम को हिन्दू-मुसलमान की एकता के विरूद्ध एक धुरे की भांति प्रयोग किया। आपको इस देश के अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक लोगों के मन को संगठित नहीं करती तब तक न तो हम उत्तर प्रदेश में, न भारत पर या अन्य राज्य पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तब तक हम न तो आपके उल्टे शब्दों से और न तो मंत्रों से हट सकते हैं। राम आपके मंत्रों में नहीं है लेकिन वह महात्मा गांधी के अधरों पर हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, संकल्प में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध

में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 17 अक्तूबर, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा-पत्र को यह सभा स्वीकृत करती है।

कल से हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या विद्यमान स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा-पत्र उचित, कानूनी और संवैधानिक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 16 अक्तूबर, 1996 को केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा बाद में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत घोषणा-पत्र जारी किया गया था। विधान सभा चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा में किसी भी अकेले दल को बहुमत नहीं मिला था। यही वास्तविकता है।

आज इस सभा में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी द्वारा अदा की जा रही भूमिका के बारे में विशेष रूप से चर्चा चल रही है। गृह मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय लेने और राज्यपाल को निर्देश देने से पूर्व सभा को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा जिस पर गृह मंत्रालय को कार्यवाही करनी चाहिए। चुनाव के तुरन्त बाद माननीय राज्यपाल को उस दल को एक अवसर देना चाहिए जिसके पास सबसे अधिक विधायक थे तथा यह पता लगाना चाहिए था कि क्या वे सरकार बनाने के इच्छुक हैं। किन्तु यह कार्य नहीं किया गया।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने एकेला सबसे बड़ा दल होने के कारण राज्यपाल को एक पत्र लिखा था तथा सरकार बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी जिसपर राज्यपाल ने दूसरे तरीके से कार्य किया और उनसे अपने विधायकों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा उनसे यह कहा कि उसके बाद ही वे कोई निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा की जबकि राज्यपाल ने जैसाकि मुझे बताया गया है यह पता लगाने हेतु अन्य दलों से सम्पर्क किया कि क्या वे सरकार बनाने के लिए तैयार हैं अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी।

यह पहल राज्यपाल की ओर से की गई है। मुझे इसके बारे में बताया गया है। यह बात मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ी है। वर्ष 1991 में संसदीय चुनावों के बाद जब एक बार ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी तो माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। जिस समय सरकार गठित की गई थी तो कांग्रेस का बहुमत नहीं था फिर भी राष्ट्रपति ने उसे सरकार बनाने की अनुमति दी और श्री पी. वी. नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। वैसा ही किया गया और तद्नुसार श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और कांग्रेस पार्टी ने पूरे पांच वर्ष तक देश पर शासन किया।

इसके पश्चात मई, 1996 में उस समय वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। उस अवसर पर एक बार पुनः सबसे बड़ी पार्टी को ध्यान में रखकर उसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया और उससे कहा गया कि वे माननीय सदन में 15 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करें।

उन्हें यह अवसर दिया गया और तद्नुसार सरकार का गठन हुआ। उसके बाद वह सरकार 12 दिन तक चली और फिर ऐसा निर्णय लेने के मोड़ पर पहुंच गई कि क्या सरकार को बहुमत प्राप्त है और शासक दल को कहना पड़ा कि उनकी संबद्ध पार्टियां उनके साथ हैं परन्तु उनके लिए बहुमत सिद्ध करना संभव नहीं है और परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री महोदय ने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया और वे संसद से चले गए तथा दूसरी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया।

यदि आप इसे अधिक ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कोई खरीद फरोख्त नहीं की गई। इस सरकार का कार्यकाल 13 या 15 दिन रहा परन्तु खरीद फरोख्त बिलकुल नहीं हुई। इसके बावजूद खरीद फरोख्त की आशंका को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था, जिनका निर्वाचन पूरा देश करता है, ने लगातार दो अवसरों पर राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना की।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने खरीद फरोख्त का सहारा लेकर अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इस समय यह मामला निर्णयाधीन है।

परन्तु सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार केवल कांग्रेस पार्टी के सशक्त कन्धों पर ही खड़ी है। एक मात्र कठिनाई यह है कि उन्हें आशंका है कि यदि भाजपा और अन्य दलों को उत्तर प्रदेश में शासन करने का अवसर दिया भी गया तो वे खरीद फरोख्त की नीति अपना सकते हैं। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार से पूछता हूं कि आपकी सरकार किसकी शक्ति के सहारे कार्य कर रही है? वे खरीद-फरोख्त में निपुण हैं। गत पांच वर्षों के दौरान यह बात निःसन्देह साबित हो गई है।

परन्तु भाजपा जो कि यहां गिने-चुने केवल 13 दिनों के लिए सत्ता में रही, उसने ऐसी कोई भी खरीद फरोख्त नहीं की।

इस परिप्रेक्ष्य में मुझे दो मुद्दों पर चर्चा करनी है।

पहला मुद्दा यह है कि क्या चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायोचित है? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने की पहल करनी चाहिए? तीसरा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पार्टियों को सभा में अपनी सामर्थ्य दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। चौथा, क्या वर्तमान परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाना उचित है? ये मामले मैं उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे तो अपना भाषण समाप्त करना ही है। मुझे समय चाहिए क्योंकि अपनी पार्टी की ओर से मैं ही अकेला वक्ता हूं। मैं बोलता रहूंगा।

सभापति महोदय : आखिरकार आपको बोलना तो है, परन्तु अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए ताकि अन्य सदस्य भी बोल सकें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं विषय पर ही बात कर रहा हूं। कृपया आप मुझे एक भी मुद्दा ऐसा बताइए जहां मैंने विषय से हटकर बात की हो। मैं आपने भाषण को बिल्कुल विषय तक ही सीमित रखूंगा।

सभापति महोदय : मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं मुद्दों के अनुसार ही बोलूंगा। मैं अपने भाषण में उठाए गए कुछ मुद्दों पर कुछ कहना चाहूंगा। मैं केवल मुद्दों पर ही बोलूंगा। अन्य मामलों पर चर्चा नहीं करूंगा ...**(व्यवधान)**

संयुक्त मोर्चा सरकार के निर्णय को न्यायोचित बताते हुए माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने कल कुछ उल्लेख किया था। मैं बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहा था। मैं केवल श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण ही नहीं सुन रहा था बल्कि मैंने इस मुद्दे पर बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं इस संबंध में उनके विचार जानना चाहता था। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार सुनकर आश्चर्य हुआ। उनकी क्या भूमिका है? वास्तव में राज्यपाल के बारे में वे क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध मे मुझे ग्रन्थालय में यह जानकारी मिल गई कि राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में उनकी क्या विचारधारा है। आखिरकार यह विशिष्ट नियुक्ति संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा की गई है जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरह कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भी समर्थक दलों के रूप में शामिल है। अब कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने अपने स्वयं के विचार बदल दिए हैं। उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा हैं, जिसको मैं उद्धत करता हूं :—

> " यह एक और उपबन्ध है जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पूर्व संविधान में से लेकर 1958 के संविधान में लिख दिया गया है। स्वतंत्र भारत को नए संविधान में एक मात्र किया गया परिवर्तन यह है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसका तात्पर्य यह है कि वह केन्द्र में शासन करने वाले दल का एजेन्ट होता है।"

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के ये विचार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की पुस्तिका में इसका उल्लेख किया है। वे आगे कहते हैं :—

> " वास्तव में केन्द्र में शासक करने वाले दल द्वारा गवर्नर का उपयोग राज्यों के लोगों को उनकी मनपसन्द की सरकार से वंचित रखने तथा उन पर अवांछित सरकार थोपने के लिए किया है। गवर्नर के कार्यालय का उपयोग शासन करने वाले दल में किसी फंक्शन में ऐसे नेता के लिए किया गया है जो उसके हाई कमान के अनुरूप नहीं चलता। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा यह कहना कि गवर्नर निष्पक्ष होगा, हास्यास्पद है। यह पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और यदि किसी कारण वश यह संभव न हो तो इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।"

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) द्वारा ये विचार व्यक्त किए गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यह विचार प्रकट किया गया है। उस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कल मैंने उनका भाषण सुन रहा था। उस पार्टी की वर्षों तक यही विचारधारा रही है। मुझे याद है कि सन् 1958 में जब केरल में नम्बूदरीपाद सरकार थी, तो अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उसे हटा दिया गया था। मुझे याद है कि उस समय सारे देश में क्या हुआ था और क्या प्रतिक्रिया हुई थी।

उस समय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अनुच्छेद 356 का विरोध करती रही है। परन्तु श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण सुनकर मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ। मेरा विचार था कि वह राज्यों के हितों और लोकतन्त्र की वकालत करेंगे। परन्तु जब वह तर्क कर रहे थे तो मुझे विश्वास हो गया कि वह उस कार्य की वकालत नहीं कर रहे थे। करत उनका एक अलग ही रूप था। अनावश्यक रूप से वह गलत चीजों का समर्थन कर रहे थे। कल उन्होंने जानबूझ कर इसका उल्लेख नहीं किया था। दुर्भाग्य से इस समय वह उपस्थित नहीं है। मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रहा था। तो स्थिति यह है।

महोदय, हाल ही में देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उन्होंने भी यह कहा था कि अनुच्छेद 356 का लोप किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो अनुच्छेद 356 में या तो संशोधन किया जाना चाहिए या उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इस देश के मुख्यमंत्रियों की मांग है। परन्तु इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा संयुक्त मोर्चा सरकार ने जानबूझ कर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसे सारा देश जानता है तथा सबको पता है कि वह किन गतिविधियों में संलिप्त है। इन दलों अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) ने बीते समय में भी श्री रोमेश भण्डारी की आलोचना की है। मैं इस बात को साबित कर दूंगा क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत हैं। चूंकि मेरे पास सीमित समय है, मैं सारी सामग्री यहां लाने की स्थिति में नहीं हूंगा। परन्तु अब मैं यह महसूस करता हूं कि सत्ता का नशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) जैसे निष्ठापन दलों को भी अपनी उंगली पर नचा देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे कुछ भी कारण हो, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए था।

जब मैं ध्यानपूर्वक उन्हें सुन रहा था तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनके समक्ष राष्ट्रीय प्रश्न था कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में विधान सभा के कितने सदस्य हैं। वे भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं, उनके उपर दोषारोपण कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाजपा एक साम्प्रदायिक दल होने के कारण, उत्तर प्रदेश के लोग उनका समर्थन नहीं करते। यह दोषारोपण उन पर किया गया है। मेरा एक मात्र प्रश्न है कि आपको कितना समर्थन प्राप्त है? क्या आपको

वास्तव में उत्तर प्रदेश में समर्थन प्राप्त है? यदि ऐसा नहीं है तो आप एक ऐसे दल के विरूद्ध अनावश्यक दोषारोपण क्यों करते हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। किसी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आज आप यह कह रहे हैं कि दो या तीन महीनों में आप मिल जाएंगे। कांग्रेस, ब.स.पा. और स.पा. सहित शेष सभी 3-4 दलों ने इकट्टे होकर भी सरकार नहीं बनाई है। यह इसलिए कि वे अपने दलों के हितों के लिए ऐसा नहीं करेंगे। इस सरकार ने दूसरों को प्रभावित करने तथा किसी भी कीमत पर भाजपा को उत्तर प्रदेश में शासन न करने देने का गलत निर्णय लिया है क्योंकि शायद वे इस बात से पूर्णतः अवगत थे कि एक बार वे उस राज्य में शासन करने लगे तो उन्हें कोई स्थान प्राप्त करने का अवसर शायद ही मिले।

सभापति महोदय : आखिर, समय सीमित है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं अपने विषय से नहीं हट रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि आप अपने विषय से हट रहे हैं या नहीं। बल्कि अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री मधुकर सरपोतदार : उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ब.स.पा. के 67 सदस्य हैं। जब हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उन सभी 67 विधानसभा सदस्यों को एनेक्सी हाल में रखा गया था। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें किसी अन्य दल के साथ चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। यह स्थिति थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद हम यह दावा करते हैं कि हमारे देश में लोकतन्त्र है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब लोगों ने राज्य के हित मे भाजपा को एक मात्र बड़े दल के रूप में विजयी किया, तो गवर्नर को उन्हें सम्मानित करना चाहिए था, और उनको सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। यह मेरा विचार है। बहुमत साबित करने के लिए क्यों न चुनाव से पूर्व गठजोड़ क्यों नहीं किया गया और फिर इस संबंध में लोगों का निर्णय लिया जाना चाहिए था। मैं सभी कथित धर्म निरपेक्ष दलों से यही प्रश्न पूछ रहा हूं। फिर आप कहते हैं कि आप सभी धर्मनिरपेक्ष दल हैं। क्या ऐसा नहीं है? क्या 3-4 दलों सहित सभी दलों का यह उत्तरदायित्व नहीं है? दलों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उन्हें चुनावों के लिए एकजुट होकर तैयारी करनी चाहिए, उन्हें एक सामान्य कार्यक्रम बनाकर चुनाव लड़ने चाहिए। यदि लोग आपके पक्ष में अपना मत देते हैं तो आपको यह कहने का अधिकार होगा कि आपने लोगों का मत प्राप्त कर लिया है और धर्मनिरपेक्ष होने के कारण सभी लोग आपका साथ देंगे और आप सरकार बना सकते हैं। हम ऐसी सरकार का स्वागत करेंगे। परन्तु परिणाम निकलने के पश्चात उन्हें ऐसी गन्दी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए और उन्हें दावा नहीं करना चाहिए कि वे धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, वे एकजुट हो गई हैं और वे सरकार बना रहे हैं। अब आप इस सरकार की स्थिति देख सकते हैं कि देश में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तथा अस्थिरता पैदा कर रही हैं।

महोदय, मेरा दृढ़ विचार है कि लोकतन्त्र को नष्ट करने तथा भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए अवसरवादी शक्तियां इकट्ठी होकर गन्दी चालें चल रही हैं तथा उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 लागू कर दिया है। आप इस स्थिति को और कितनी देर चलते रहने देंगे? मेरा केवल यही प्रश्न है कि आप कब तक ये गन्दी चालें चलते रहेंगे? हम देखते हैं कि कितनी देर ऐसा चलता है। हम भी इसी देश में है तथा बराबर देखते रहेंगे।

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार जी, कृपया सहयोग दीजिए। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, केवल दो या तीन मुद्दे शेष रह गए हैं, मैं अभी समाप्त करता हूं।

बाबरी मस्जिद का उल्लेख हुआ था। 6 दिसम्बर, 1992 को - मैं उसे बाबरी मस्जिद नहीं कहूंगा - एक 'ढांचा' तोड़ा गया। ऐसा आरोप लगाया गया। मैं उसे बाबरी मस्जिद नहीं कहता और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार श्री आजाद ने भी यह उल्लेख किया था कि वह मस्जिद नहीं है और वहां पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : आपको मालूम ही नहीं है ...**(व्यवधान)** आजाद ने ऐसा कभी नहीं कहा।...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : श्री गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट मैंने पेपर में पढ़ा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जब मुसलमान स्वयं ही कहते हैं, जैसा कि श्री आजाद ने कहा, तो आप नहीं कह सकते हैं।...**(व्यवधान)**... मैं एक व्यक्ति का नाम बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : इसलिए, मूल रूप से यदि यह एक पूजा स्थल है तो निश्चित तौर पर इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। किन्तु यदि यह केवल एक ढांचा है और जब वहां कोई मस्जिद नहीं थी तो राष्ट्र के हित में उन लोगों ने जो भी कार्यवाही की, मेरे विचार से यह उचित कार्यवाही थी। मैं इस माननीय सभा मे ही ऐसा नहीं कहता हूं, मैंने न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कहा है।

मे जैसा महसूस करता हूं मैंने कह दिया। शायद मैं नहीं जानता कि लोग इसे किस प्रकार लेंगे। मुझे मुस्लिम वोटों की चिन्ता नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी मुस्लिम मेरे साथ हैं। मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं और व मुझे वोट दे रहे हैं। इस ढांचे को गिराने के कारण ही यदि कोई यह कह रहा है कि सभी मुस्लिम मेरे खिलाफ हैं तो मैं इसे नहीं मानता और इसकी चिन्ता नहीं करता। ऐसी मेरी धारणा है।

इसलिए, इस स्थिति को देखते हुए मैंने माननीय गृह मंत्री से यह कहा कि वह एक सैद्धान्तिक व्यक्ति होने के कारण...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं समाप्त कर रहा हूं।

अनेक वर्षों से वे सिद्धान्तों पर ही कार्य कर रहे हैं। कम्युनिस्ट दल और सी पी आई (एम) ने जीवन पर्यन्त मूल्य आधारित राजनीति की पूजा की है। मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि विद्यमान संयुक्त मोर्चा सरकार का घटक होने से ही, किसी को भी सिद्धान्तों से अलग नहीं चलना चाहिए तथा गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। आपने सदैव इस बात की सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 को संविधान से निकाल दिया जाना चाहिए और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसी बात का आप समर्थन करते रहे हैं और यह समर्थन जारी रहना चाहिए।

इसलिए, महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 लागू करने संबंधी सांविधिक संकल्प का विरोध कर रहा हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प.बं.) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने के संबंध में माननीय गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर विचार व्यक्त करने हेतु मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : पीठासीन अधिकारी जी, मंत्री महोदय आपको इस तरह प्रभावित नहीं कर सकते, यह संसदीय प्रणाली के विपरीत है। मैं बहुत क्षमाप्रार्थी हूं...(व्यवधान) सन्य सभा में भी ऐसा नहीं होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप कृपा करके...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई सलाह-मशविरा नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं यह नहीं कह रहा हूं पर मैं इनके लिए कह रहा हूं, मंत्री महोदय से निवेदन करें कि प्लीज...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां कोई सलाह मशविरा नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, आपके अतिरिक्त असम से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : सामान्यतया, हम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में नहीं हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात कहते रहें, बीच में ही न रूकें। आप उनकी बात क्या सुन रहे हैं? उनकी बात न सुनें, उनके बहकावे में न आयें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : आपका आदेश ही पर्याप्त है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना अथवा इसकी अवधि बढ़ाना अथवा राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करना लोकतन्त्र के लिए अच्छी बात नहीं है। यह संघीय संविधान के अच्छे लक्षण नहीं हैं। परन्तु ऐसा समय भी आता है, ऐसे अवसर भी आते हैं, स्थिति की ऐसी मांग भी होती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करना पड़ता है। अतः अपनी पार्टी आरएसपी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने हेतु इस सांवधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पांच वर्षों के अन्दर लगातार चार चुनाव हुए हैं। इस बार भी राज्य में लोगों का सामान्यतया जटिल जनादेश देखने को मिला। किसी भी दल के पक्ष में अथवा बहुमत प्राप्त करने हेतु किसी राजनैतिक गठजोड़ के पक्ष में लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है। इसका परिणाम त्रिशंकु विधान सभा के रूप में सामने आया जिसमें सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी अथवा किसी राजनैतिक गठजोड़ को बहुमत नहीं मिला है।

अब हम जरा चुनाव परिणामों को देखें। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी गठबन्धन को केवल 32.7 प्रतिशत वोट मिले हैं। सयुंक्त मोर्चा और उसके सम्बद्ध दलों को केवल 29.4 प्रतिशत वोट मिले हैं तथा बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबन्धन को केवल 27.9 प्रतिशत वोट मिले हैं। यह दुख की बात है कि किसी भी अकेले दल को और किसी भी गठबन्धन को न तो सरकार बनाने हेतु बहुमत मिला है और न ही तीनों राजनैतिक गठबन्धनों में किन्हीं दो के बीच सरकार बनाने हेतु आपसी सहमत हुई है। बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीति में नेताओं की आपसी उदासीनता और शत्रुता से राज्य में राजनैतिक स्थिति बिगड़ गयी है। स्थिति की इसी मांग और इस राजनैतिक संकट के कारण ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने की सिफारिश करने हेतु विवश होना पड़ा।

यह बताना दुखदायी है कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और इस अनिश्चितता की स्थिति ने ही राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने हेतु सिफारिश करने तथा इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के निलम्बन स्थिति में रखने के लिए बाध्य कर दिया। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। डा. जोशी जी और कुछ अन्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के अनुसार यह पूर्णतया संविधान का उल्लघंन है। शायद यह उनका विचार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे संविधान की परम्पराओं का उल्लघंन है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को अकेले सबसे बड़े दल के नेता के रूप में केन्द्र में सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया गया था, किन्तु उन्होंने अकेले सबसे बड़े दल के नेता के रूप में सरकार बनाने के इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था। यह भी सच है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी अकेले सबसे बड़े दल के नेता के रूप में केवल कुछ माह पूर्व वर्ष 1996 में केन्द्र में सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया गया था। किन्तु इसके दूसरे पहलू के बारे में भी उदाहरण हैं। वर्ष 197। में, श्री ज्योति बसु को पश्चिम बंगाल में अकेले सबसे बड़े दल के नेता के रूप में और फ्रन्ट के नेता के रूप में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे अनगिनत घटनाएं हुई हैं।

अपराह्न 3.56 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

परन्तु राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने की इस सिफारिश को संविधान का पूर्णतया उल्लघंन करना नहीं माना जा सकता है। इसे शुरूआत के रूप में रिकार्ड नहीं किया जा सकता है - जैसा कि डा. जोशी ने इस सभा में कहा है - यह फासिस्टवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। मेरा यह निष्कर्ष है कि बाबरी मस्जिद को गिराना भारत में फासिस्टवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में पहला कदम है। परन्तु मैं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना नहीं चाहता। मैं संवैधानिक रूप से अपनी बात पर दृढ़ हूं। मैं अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं।

महोदय, डा. जोशी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र और अन्य लोगों ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया है। इसके कागजात मेरे हाथ में हैं और आपकी अनुमति से मैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों का हवाला दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने "संवैधानिक तन्त्र की विफलता" को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने की सिफारिश की है और "संवैधानिक तन्त्र की विफलता" शीर्षक से पृष्ठ 17। पर से पैरा - 4 में सरकारिया आयोग की सिफारिश का उल्लेख है। आपकी अनुमति से मैं इसे उद्धृत करता हूं :-

> "संवैधानिक तन्त्र की विफलता अनेकों तरह से हो सकती है। ऐसी स्थिति जिन घटकों से उत्पन्न होती है, वे अकल्पनीय और विभिन्न रूप लिए हो सकते हैं। अतः ऐसी सभी स्थितियों की सुविस्तृत सूची देना एक मुश्किल काम है। जो इस वाक्यांश के कथन को पूरी करती हों कि "राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। "फिर भी इस अनुच्छेद के दायरे में संवैधानिक विफलता वाली स्थितियों के कुछ उदाहरणों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन पर निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है।"

और पहला शीर्ष "राजनैतिक संकट" है। यह पैरा 6.4.02 में दिया गया है और मैं इसे सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से पुनः उद्धृत करता हूं :-

> "संवैधानिक विफलता राजनैतिक संकट अथवा कोई कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाने के कारण हो सकती है।"

यह वह स्थिति है जिसका उल्लेख करके उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने हेतु सिफारिश की गई है :-

> "आम चुनाव के बाद यदि कोई भी दल या गठबन्धन मोर्चा अथवा दल-समूह विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है और राज्यपाल द्वारा सभी संभव विकल्प दिए जाने के बावजूद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब यह अनुभव हो कि कोई भी दल विधान सभा में विश्वास मत हासिल करके सरकार बनाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है।"

यह वह पैरा है जिसे मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं और जिसका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने पुनः राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के लिए सहारा लिया है।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, चार बजे हमें नियम 193 के अन्तर्गत विदेश नीति के सम्बन्ध में चर्चा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : अभी चार बजने में एक मिनट बाकी और है।

श्री राम नाईक : आपका क्या निर्णय है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की राय जाननी पड़ेगी। श्री मुखर्जी कृपया आप बैठ जाइए। चार बजे हमें नियम 193 के अन्तर्गत विदेश नीति पर चर्चा करनी है। माननीय मंत्री भी आए हैं। यू.पी. के संकल्प के लिए केवल चार घन्टे का समय नियत किया गया था। हम पहले ही चार घन्टे और पन्द्रह मिनट ले चुके हैं। अभी दस और माननीय सदस्य इसी विषय पर बोलना चाहते हैं अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : अध्यक्ष महोदय समाजवादी पार्टी को मौका नहीं मिला है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कार्य सूची में दर्ज है। बताया गया है कि चर्चा "चार बजे 4. म.प. पर या कार्य की पूर्व मदों में निपटाए जाने पर जो भी पहले हो, शुरू की जाएगी।" परम्पराओं या नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरंभ करने

के अलावा भी कोई और विकल्प हो सकता है। निश्चित रूप से आप उसे बदल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी उसे बदल सकते है न कि मैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यू.पी. संकल्प के सम्बध में बाद में चर्चा की जा सकती हैं क्योंकि अभी दस और माननीय सदस्यों को बोलना है। वे माननीय मंत्री द्वारा अपना उत्तर देने से पूर्व बोलग। यू.पी. के संकल्प के संबंध में चर्चा समाप्त करने के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है। और फिर हम कार्य सूची में दर्ज विषयों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, इस बात का निर्णय सरकार को लेना है। सरकार महसूस करती है कि यह आज पारित हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी उन माननीय दस सदस्यों की सूची में है।

श्री संतोष मोहन देव : हमारी पार्टी के तीन सदस्य हैं। हम तीन में दो नहीं बोलेंगे और केवल मैं ही बोलूंगा। यदि वे मेरा सहयोग चाहते हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। हमने सदैव आपको सहयोग दिया है। इस ओर से वे वक्ताओं की संख्या घटाने को तैयार हैं। यदि आप यू.पी. के संकल्प के संबंध में चर्चा करने का समय पांच बजे तक बढ़ा देते हैं तो हम चर्चा पूरी कर सकते हैं और फिर हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू कर सकते हैं जो कल तक चल सकती है।

श्री जसवन्त सिंह : विदेश नीति के विषय के साथ ऐसा करना उचित नहीं है। वर्षों के बाद हम विदेश नीति पर पर्याप्त चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इसे पांच बजे आरंभ करते हैं तो निश्चय ही इस विषय की महत्ता को कम करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि एक घन्टा बहुत ज्यादा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं समझता हूं कि श्री संतोष मोहन देव द्वारा दिया गया सुझाव सही है। यू.पी. संकल्प के संबंध में चर्चा को हम आधा या पौना घन्टे के और समय में समाप्त कर सकते हैं और फिर पांच बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : आप यहां मेरे पास आकर मुझसे कुछ बात करते हैं और यहां सदन में कुछ और कहते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मैं श्री जसवन्त सिंह से केवल इस पर सहमति जताने का अनुरोध कर रहा हूं। अन्यथा दोनों चर्चाएं कल तक चलती रहेंगी। जहां तक वक्ताओं की संख्या का प्रश्न है, मेरा विचार है कि बी.जे.पी. के सभी सदस्य बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में तो विधान सभा का गला घोंट दिया गया है। अब क्या उत्तर प्रदेश के सांसदों को अपनी बात भी नहीं कहने दोंगे? उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सांसद बी.जे.पी. में ही हैं।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था कि विदेशी नीति के संबंध में चर्चा आज नहीं होगी वास्तविकता तो यह है। निर्णय यह लिया गया था कि यू.पी. के संबंध में चर्चा आज समाप्त हो जाएगी और कल परिसीमन तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच हम एक दिन का समय गंवा चुके हैं।

महोदय, मेरा सुझाव यह है कि हमें यू.पी. संबंधी चर्चा को आज समाप्त करना चाहिए क्योंकि आज अनेक संसद सदस्य यू.पी. वाद विवाद पर बोलने के लिए तथा मतदान में भाग लेने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यू.पी. संबंधी वाद विवाद आज समाप्त हो जाना चाहिए...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यू.पी. समाप्त नहीं हो सकता और यह कभी भी समाप्त नहीं होगा...**(व्यवधान)** यह सदैव भारत के नक्शे में मौजूद रहेगा, और कोई भी इसे समाप्त नहीं कर सकता।...**(व्यवधान)** परन्तु चर्चा शुरू की जा सकती है और कल भी जारी रह सकती है...**(व्यवधान)** यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : वे यू.पी. रिजोल्यूसन के बारे में बोले हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं अपील करता हूं कि इस विषय पर अनेक वक्ताओं को अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरे माननीय मित्र श्री अनीस एक बहुत ही अमूल्य योगदान देना चाहते हैं। और भी अनेक माननीय सदस्य हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। श्री संतोष मोहन देव भी बोलना चाहते हैं बशर्ते कि उन्हें उनका समर्थन चाहिए। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि हम कल भी यू.पी. संबंधी चर्चा को जारी रखें...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : कांग्रेस और बी.जे.पी. प्रत्येक से एक एक माननीय सदस्य को चर्चा में भाग लेने दें तभी माननीय गृह मंत्री उत्तर दे सकते हैं ताकि हम इस चर्चा को आज ही समाप्त कर सकें ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सूची में केवल जनता दल के एक वक्ता का नाम शेष है।

श्री श्रीकान्त जेना : केवल गृह मंत्री बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री संतोष मोहन देव को बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यावहारिक बात करनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, वे कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती और हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम। आप हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे इतनी अधिक मदद नहीं चाहिए।

मेरे पास दस और वक्ताओं के नामों की सूची है जिनमें से जनता दल का केवल एक सदस्य है। यदि जनता दल के सदस्य नहीं भी बोलते हैं तो भी सूची में नौ नाम और बचते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक सदस्य केवल पांच भी मिनट बोले तो भी कुल मिलाकर 45 मिनट बन जाते हैं। सभा में विभिन्न माननीय सदस्यों ने अनके मुद्दे उठाए हैं और उनमें से यदि गृह मंत्री कम से कम आधे प्रश्नों का भी उत्तर दें तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितना समय लग जाएगा।

यदि आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को स्थगित करते हैं तो आपको इसे कल तक के लिए स्थगित करना होगा। आप इस विषय पर आज चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप मुझे यह बता रहे हैं कि उनमें से प्रत्येक वक्ता केवल पांच मिनट बोलेगा तो मैं आपकी बात से सन्तुष्ट नहीं हूं। यदि आप यह कहें कि हम लगभग पांच बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर देंगे तो भी मैं सन्तुष्ट नहीं हो सकता हूं। मैं यह मान ही नहीं सकता कि यह चर्चा पांच बजे तक समाप्त हो जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आज की सूची में है, उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। चूंकि ऐसा करने से यह एक गलत उदाहरण बन जाएगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय गृह मंत्री केवल दस मिनट का समय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं? मैं उनके मुंह से यह सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय गृह मंत्री की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उचित जवाब देने के लिए कितना समय लेंगे?

श्री जेना आप यह नहीं कह सकते कि माननीय गृह मंत्री केवल दस मिनट का समय ही लेंगे। इसका अर्थ है कि आप यह भी कह सकते हैं कि माननीय गृह मंत्री बिल्कुल नहीं बोलेंगे। परन्तु सभा इससे संतुष्ट होने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं यह भी कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम यू.पी. के सम्बन्ध में वाद विवाद को कल भी जारी रख सकते हैं। अब हम नियम 193 के अन्तर्गत भारत की विदेश नीति पर चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी कल आप यू.पी. के सम्बन्ध में वाद विवाद में बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 4.10 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत की विदेश नीति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। श्री चंदूमाजरा उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी चर्चा आरम्भ कर सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, संकल रूप से भारत की विदेश नीति सफलतापूर्वक चल रही है फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनपर सतर्क रहना है। विदेश मंत्री एक सक्षम मंत्री हैं और उनके नेतृत्व में नीति को अपनाया जा रहा है। मैं कुछ क्षेत्रों का वर्णन करूंगी और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगी।

सर्वप्रथम भारत को व्यापक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए। इसके ऊपर काफी दबाव था कि हमें इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। लेकिन भारत इस आशंका से नहीं घबराया कि हम शेष अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग पड़ जाएंगे और जो इस पर दबाव डाल रहे थे वे इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। यह हमारी विदेश नीति के मुद्दों में से एक है और हमें इसी प्रकार से डटे रहना चाहिए जैसे कि इस समय हम डटे हैं।

दूसरे, सुरक्षा परिषद में हाल के मतदान के समय काफी बातचीत की जा रही है। कुछ कह रहे हैं कि हमें चुनाव में भाग नहीं लेना था। यह हो सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या हमारे विदेश मंत्रालय ने यह आशा की है कि हम जीतेंगे। मैं ऐसे नहीं सोचता हूं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने चीन, रूस और फ्रांस जैसे परमाणु शक्ति वाले तीन देशों सहित 40 मतों का प्रबन्ध किया है। यद्यपि हार एक दुर्भाग्यपूर्ण झटका है और वे जो सरकार के विरुद्ध हैं, इससे वे लाभ उठा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यदि भारत अंतिम समय में मतदान से अपने को अलग रखेगा तो इससे यह प्रतीत होगा कि भारत का व्यवहार कायरतापूर्ण है। मैं सोचता हूं कि ऐसा न करके सरकार ने सही कार्य किया है।

हमारे पड़ोस में सीमा रेखा पर अच्छी और बुरी गंभीर परिस्थिति है। इस समय जो बुरी परिस्थिति है वह यह है कि तालिबान सेनाएं, जिन्होंने अफगानिस्तान के दो-तिहाई भाग को अपने कब्जे में किया, ने काबुल को अपने कब्जे में लिया है। इससे उत्तर-पश्चिम में पर्यावरणीय सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव होगा और कश्मीर के लिए एक खतरा होगा।

यह कोई छुपी बात नहीं है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान और यू.एस.ए. का हाथ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने सामान्य रूप से तालिबान के व्यवहार और उनके रूढ़िवाद, महिलाओं और मानव अधिकारों के प्रति उनके व्यवहार के सामान्य तौर पर तालिबान के व्यवहार के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से तुरंत आना। पहले की स्थिति को देखते हुए शायद मैंने ऐसा कहा था कि भारत की ओर से कुछ संकोच था। लेकिन, मैं यह अवश्य कहूंगा कि भारत ने वही निर्णय लिया जो उसे लेना चाहिए था।

अपराह्न 4.16 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

. हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत रब्बानी के राष्ट्रपतीय शासन वाली पूर्व सरकार को मान्यता देता है और मान्यता देता रहेगा। इसलिए अब आरम्भिक संकोच समाप्त हो गया है। और अगला कदम वह यह है कि ईरान के साथ संबंध और तेहरान सम्मेलन में निश्चित दृष्टिकोण अपनाना बहुत अच्छा था। उस समय श्री गुजराल बीमार थे। उनके बदले श्री चतुरानन मिश्र गये। मैंने उनसे सुना है कि वहां बहुत अच्छा विचार-विमर्श हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और उजबेकिस्तान तेहरान सम्मेलन में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित रहे। इसके स्पष्ट कारण थे लेकिन हमें वहां कम से कम कुछ अन्य देशों के साथ तालिबान के विषय पर बात करनी चाहिए थी। इससे हमें सहायता मिली है।

हमारे उत्तर-पश्चिम पड़ोसी देश, पाकिस्तान में उसी समय एक राजनैतिक और पेचीदा स्थिति थी। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार को बर्खास्त किया गया था। वह सरकार कश्मीर में आतंकवादियों को सहायता करने के साथ सभी प्रकार से भारत विरोधी थी। उन्होंने सोचा कि शायद हम उनको पाकिस्तान में स्थायित्व की सबसे अच्छी गारंटी हम देंगे। लेकिन तथ्यों से प्रमाणित हो गया है कि यह उस प्रकार से घटित नहीं होता है।

पाकिस्तान की नयी सरकार भारत-विरोधी रवैये के आधार को बेनजीर भुट्टो से कहीं आगे निकलने का प्रयास कर रही है। यदि वे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनकी अच्छी प्रकार से सहायता होगी तो मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए, इन परिस्थितियों में हमारी सरकार का दृष्टिकोण है कि सभी मुद्दों पर लोगों के साथ चर्चा करना अधिक सही दृष्टिकोण है। सभी आवश्यक कदम उठाते हुए यह देखना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को हमारे देश में न भेज सके। हमें भविष्य के संबंधों के लिए लोगों के साथ चर्चा का दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें पाकिस्तान के साथ संबंध रखने में ऐसा ही करना चाहिए।

महोदय, हमारे अन्य पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में अच्छे परिवर्तन हुए हैं। हम सबसे पहले बांगला देश का मामला लेते हैं। श्री गुजराल जी ने इस संबंध में पहल की है। उन्होंने बांगलादेश जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। हम सभी वहां थे और एक अच्छी नयी पहल मित्रता के वातावरण में हुई। उस समय आरम्भ हुई बातचीत में अब काफी प्रगति हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, श्री ज्योति बसु जल बटवारे के विवादास्पद प्रश्न पर चर्चा के लिए बंगलादेश गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने इस क्षेत्र में भी उन्नति की है। यह दोनो देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बार जब जल बटवारे के मुद्दे का कुछ समाधान होता है तो उस समय जो दूसरे मुद्दे उठाये जाते हैं संभवतः वे भी हल हो जाते हैं चाहे वह पारगमन का प्रश्न हो या और अधिक विकास का। भारत ने व्यापार विनिमय के द्वारा बंगलादेश को सहायता प्रदान करने हेतु बहुत अच्छा दृष्टिकोण अपनाया है। इन दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ही असंतुलित है। वर्तमान समय में बंगलादेश की व्यापार क्षमता भारत की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत ने जिस स्थिति में कार्यवाही की है वे दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी कारण हम आशा करते हैं कि यह जल बटवारे का झगड़ा सुलझा दिया जायेगा। यदि पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम अधिकांश सुलझ जायेगा। इससे हमें कुछ सहायता मिलेगी। यह एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन है।

महोदय, चीन के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन गणराज्य के राष्ट्रपति का इस देश में आना बहुत महत्व की बात है। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते को वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किए गए समझौते को दोहराना मात्र नहीं माना जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। इस समझौते को 1993 के समझौते का केवल अद्यतन कहना इसके संकल्पना संबंधी कार्यक्रम की सकारात्मक क्षमता को कम करके बताना होगा। विद्यमान समझौते का विषय पूर्व समझौते के विषय से भिन्न है जिसमें

स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यह अच्छे पड़ोसी के दीर्घावधिक संबंधों को मजबूत करने हेतु "भारत और चीन के लोगों के मूल हितों की रक्षा करने में सहायक होगा" तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर शान्ति बनाये रखना इस मूल हितों में "शामिल" है। यह वास्तव में अत्यधिक महत्व की बात है। दोनों देश वास्तविक नियन्त्रण रेखा को गम्भीरता से लेंगे। वहां से सैनिकों को पहले ही हटाया जा रहा है। यदि भारत और चीन, दोनों देशों के लोगों के 'मूल हितों' की इस धारणा को कार्यान्वित किया जाना है तो इस संबंध में एक नयी विचारधारा की शुरूआत भी की जा सकेगी। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी और हम भी इस संबंध में सहायता के लिए अन्य देशों का समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। चीन गणराज्य के राष्ट्रपति ने भारत में जो कुछ भी कहा है, उससे ऐसा लगता है कि चीन भी इसके लिए अनिच्छुक नहीं होगा।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यह एक अति सकारात्मक विकास है जिसके लिए भारत को प्रसन्न होना चाहिए।

इन क्षेत्रों में इन सकारात्मक विकासों के अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारी सरकार को सर्तक रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें पूर्व सरकारों के रवैये से भिन्न रवैया अख्तियार करना होगा। एक गैट समझौते के कठोर प्रावधानों के बारे में है। गैट और पेटेन्ट कानून के संबंध में अनेक दृष्टिकोण हैं। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। वामपंथी दल और अन्य दल भी हमारे पेटेन्ट कानून में परिवर्तन करने के विरुद्ध हैं। हमें अगली बैठक जो इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है तथा सिंगापुर बैठक, जिसमें कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा होगी, के बारे में भी सर्तक रहना होगा। इस संवैधानिक बहस में पड़े बिना कि क्या मराकेस संधि में ऐसी बाध्यकारी वचनबद्धताएं - अर्थात हमें अपने पेटेन्ट कानून में परिवर्तन करना चाहिए, आदि हैं और वास्तव में ऐसी बाध्यकारी वचनबद्धताएं की जा सकती हैं - भारत के अधिकांश राजनैतिक दल, बड़ी मात्रा में संगठन और लोगों के व्यापक लोकतन्त्रात्मक विचार यह हैं कि कोई भी ऐसा समझौता बाध्यकारी नहीं है जो लोगों के हितों के विरुद्ध हो। यदि हमसे यह कहा जाए कि यह बाध्यकारी है तब भी हमें इसे बाध्यकारी नहीं मानेंगे। इसके बारे में कोई भी संवैधानिक झगड़ा हो; हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना होगा। मैं यह आशा करता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार का मत सरकार के मत से भिन्न होगा। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए।

सिंगापुर में होने वाली बैठक ने दूसरी गम्भीर समस्या खड़ी कर दी है। जी-7 और यूरोपीय देश सिंगापूर बैठक में नया मुद्दा, जैसे निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार आदि, लागू करके विश्व व्यापार संघ के कार्य क्षेत्र को व्यापाक बनाने हेतु दबाव डाल रहे हैं। विकासशील देशों को अपने विरुद्ध चलाये जा रहे ऐसे सभी प्रस्तावों का विरोध करना होगा। निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार में राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिए बिना बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जहां कहीं और जैसे भी निवेश करना चाहें उन्हें निवेश करने की अनुमति दी जाए। हमें प्रभुत्व के इन प्रयासों का विरोध करना होगा। जी-15 देशों की हरारे में हाल ही में हुई बैठक में इन मामलों में संकेत दिया गया है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट निर्णय लिया है। सभी विकासशील देशों को इस निर्णय का अनुसरण करना होगा। विकासशील देशों को इससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विदेशी नीतिगत मामलों से संबंधित हैं। संयोगवश मैं एक बात कहना भूल गया हूं। अब तक हुए सकारात्मक विकासों में दूसरा सकारात्मक विकास नेपाल की संसद द्वारा महाकाली संधि का अनुसमर्थन प्रदान करना है। सरकार सहित साम्यवादियों ने इसमें सहायता की है। हमने अपना पूरा प्रयास किया कि यह संधि पड़ौसी देश के साथ सम्बन्धों में सुधार लाने और पिछली बकाया समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध होगी।

हमें भारत को एसियन का सदस्य बनने की संभावना देखनी होंगी। इसे भी नोट किया जाना है। हमें यह देखना होगा कि यदि ऐसी संभावना है और हमें इस दिशा में अपने प्रयास करने होंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों में विदेशी नीतिगत मुद्दों को दूसरी प्राथमिकता दी। इससे ऐसे मामलों में प्रयासों की कमी का पता चलना है। नाम और जी-15 को न मानने, अमेरीकी दबाव के समक्ष घुटने टेकने की प्रवृत्ति और इस निष्क्रियता ने भारत के राष्ट्रीय हित और इसकी छवि को क्षति पहुंचाई है। इससे हमें उभरना होगा और दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में पड़ौसी देशों और अन्य विकासशील देशों के संबंध में अधिक सक्रिय नीति बनायी जानी है। इस संबंध में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों को सख्ती के साथ आगे बढ़ाना होगा।

सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि इस संबंध में सकारात्मक विकास हुए हैं। इसके साथ-साथ मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आर्थिक मामलों में जिनका कि मैंने जिक्र किया था, हमें अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी, और यह देखना होगा कि हम साम्राज्यवादी दबाव के समक्ष ने झुकें। यह दबाव बहुत अधिक होगा किन्तु जन आन्दोलन, सभी दलों के संयुक्त प्रयासों और सभी-देशों के साथ मित्रता पूर्ण संबंध बनाकर प्रतिकूल दबाव बनाया जाना चाहिए।

अंतिम परन्तु उतनी ही महत्वपूर्ण बात क्यूबा के साथ सहानुभूति है। किसी भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति, इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि क्यूबा जैसा छोटा देश अमरीकी दबाव के समक्ष डटा रहा और अभी भी ताकतवर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने क्यूबा को अपना सहयोग दिया। भारत हमेशा से ही क्यूबा का मित्र रहा है। हर संभव तरीके से क्यूबा की सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है और ऐसा ही हम कर रहे हैं।

विदेशी नीति से संबंधित कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं जिन्हें मैं सभा के समक्ष रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे विदेश मंत्री मेरे द्वारा उठाए मुद्दों का स्पष्टीकरण देंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं इस चर्चा का तह दिल से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूं कि यह चर्चा इस सभा में हो रही है और जहां तक मुझे अच्छी तरह से याद है ऐसी चर्चा बहुत लम्बे अन्तराल के बाद हो रही है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है दुर्भाग्य से हम राष्ट्रीय महत्व के इस व्यापक पहलू पर लगातार कई बजटों के दौरान चर्चा ही नहीं कर पाए। अकेले इसी एक कारण की वजह से भी इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

अन्य कारण जिसकी वजह से मैं इसे एक बहुत ही स्वागत योग्य वाद विवाद समझता हूं वह यह है कि हम वास्तव में एक विदेश नीति की तलाश में है। एक विदेश नीति, एक अभिज्ञेय और एक सुबोधगम्य विदेश नीति के अभाव में, मुझे आशा और अपेक्षा है कि इस वाद विवाद से पर्याप्त विचार उभर कर आएंगें जिससे हम एक ऐसी नीति का पता लगा सकेंगे और उसे तैयार कर सकेंगे जिससे कि उससे देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का पता लग सकेगा।

महोदय, जब इस सरकार की विदेश नीति निर्धारण करने की बात आती है तो मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछ प्रारम्भिक मुद्दे रखना चाहता हूं जो कि मेरे विचार से प्रमुख हैं और जिनके बारे में हम मुख्य रूप से चिन्तित हैं।

मुझे व्यक्तगत रूप से इस समय अत्यधिक प्रसन्नता होती यदि मेरे अपने तथा विपक्ष के नेता श्री अटल विहारी वाजपेयी यहां होते। लेकिन यह वाद विवाद बिना पर्याप्त नोटिस के कराया गया है; और उन्हें किसी कार्य की वजह से हैदराबाद जाना पड़ गया और यही कारण है कि मुझे अपनी पार्टी की ओर से इस चर्चा को शुरू करने का अवसर दिया गया है।

जहां तक उन प्रारम्भिक - केवल इस मायने में कि वे अनुक्रम में पहले आते हैं - मुख्य मुद्दों का जो मैंने रखे हैं, सम्बन्ध है, किसी अन्य मंत्रालय, सरकारी कार्यकलाप के किसी अन्य पहलू और इस मंत्रालय से कहीं अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि सरकार की विदेश और रक्षा नीतियों की परख केवल उनकी कठिन जांच अथवा उल्लिखित उद्देश्यों के मानदंडों की जांच के आधार पर की जा सकती है और की जाए।

वे कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें इस सरकार ने प्राप्त कर लिया है अथवा प्राप्त करना चाहती है?

वे कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें सरकार पूरा करना चाहती है? यह केवल वहीं जायें हैं, जिसके अनुसार यथार्थ में यथासंभव, हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कथित नीति एक सफल अथवा एक असफल नीति है। तथापि मैंने रक्षा और विदेश नीतियों का उल्लेख इसलिए किया था क्योंकि दोनों में आपस में गहरा सम्बन्ध है। लेकिन वह अंतः संबंध अब धीरे धीरे बढ़ा है। वास्तव में काफी बढ़ गया है। मैंने यहां एक बार किसी अन्य संदर्भ में, रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ करते समय यह कहा था कि यह देखकर व्यंग्यपूर्ण लगता है कि हमें अपनी सरकार की विदेश नीति की कीमत देश के रक्षा बजट के रूप में चुकानी पड़ती है। इसलिए वे सभी एक दूसरे से जुड़े होना और अन्तः संबंध जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है कि विदेश नीति की कीमत हम रक्षा बजट के रूप में चुकाते हैं। लेकिन सुरक्षा की सम्पूर्ण अवधारणा काफी व्यापक अवधारणा है। इसमें न केवल सैन्य सुरक्षा का पहलू शामिल है बल्कि इसमें आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा का पहलू भी शामिल हैं। इन सभी पहलुओं और सभी ऐसे विभिन्न मुद्दों को विदेश नीति की एजेंसी के माध्यम से रखना होगा। उसके पश्चात् अपनी कूटनीति के सही आचरण द्वारा उनका अनुपालन करना होगा।

दूसरा मुद्दा यद्यपि जिसे मैं केवल मुद्दों के रूप में बताना चाहूंगा क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेश नीति जैसी महत्वपूर्ण चर्चा इतने लम्बे अरसे के बाद हो रही है जो कि इस सभा में दोपहर पश्चात चार बजे हो जानी चाहिए थी। मैं बहुत अच्छी तरह यह जानता हूं कि पर्याप्त संख्या में मत विदेश नीति के पक्ष में नहीं है और इस समय भी पर्याप्त मत नहीं है क्योंकि यह सभा की उपस्थिति से एकदम स्पष्ट है और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। दूसरा मुद्दा जिसे मैं माननीय मंत्री के साथ उठाना चाहूंगा। वह यह है कि अन्य क्षेत्रों में शासन की गलतियों की भांति अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा से संबंधित विषयों में गलतियां से न केवल एक पीढ़ी प्रभावित होती है बल्कि देश की अनेक आने वाली पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि मुझे पिछले पचास वर्षों के अपने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विदेश नीतियों की जांच करने को कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी और स्पष्टता से यह कहूंगा कि विदेश नीति की गलतों के कारण जम्मू और कश्मीर की समस्या चल रही है जो हमें लगातार परेशान कर रही है।

भारत के हितों और सही नीति तैयार करने की अवधारणा संबंध में पूरी तरह अनुमान लगाने में हुई गलती के परिणामस्वरूप भारत-चीन संबंध खराब हुए और सीमा विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। वह स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में गलत हुई है। यह आज हमारे बीते कल का एक हिस्सा है। मैं इसे एक उत्कृष्टता अथवा सफलता के उदाहरण के रूप में नहीं मान सकता। वास्तविकता यह है कि संभवतः हमारे साथ ही आजादी प्राप्त करने वाले देशों में से भारत ही एक अकेला देश है जो आजादी के पचास वर्षों के बाद भी अपनी भू-सीमा निर्धारित नहीं कर सका है और जिसका अभी हल नहीं निकल सका है। इसीलिए मैंने अपनी बात यह कहकर शुरू की थी कि विदेश और रक्षा नीति के क्षेत्र में किसी भी सरकार के केवल सरकार के कथित उद्देश्यों को ही सरकार की नीति की परख का मानदंड माना जा सकता है।

तीसरी बात जो मैं प्रारंभिक टिप्पणी के तौर पर रखना चाहता हूं, यह है कि आजादी के बाद और उसके कुछ दशकों बाद तक हमारा एक अवधारणात्मक ढांचा रहा जिसके कारण हमारी विदेश नीति कायम रही जिसे विधाओं की शक्ति के आगे बल मिलता रहा। हमारी सरकार को विश्व में आए बदलाव की स्थिति में उस अवधारणात्मक

ढांचे की तर्कसंगतता को सामने रखना होगा। अतः वही प्रमुख चुनौती है। क्या इस पहलू को हमने अपने सम्मुख रखा है? आजादी के प्रारंभिक वर्षों में हमारी विदेश नीति के दो समर्थक खण्ड कौन से थे? उस अवधारणात्मक ढांचे की परिणति ऐसी गठबंधन प्रणाली में हुई जो द्विपक्षीय भी थी और बहुपक्षीय भी थी और जिसके अनेक नाम थे। उस प्रणाली के परिणामस्वरूप एक और फायदा अवधारणात्मक ढांचे के विस्तार से गठबंधन प्रणाली तथा विदेश आर्थिक नीति के रूप में हुआ। और अब उसका अभाव है। उस अवधारणात्मक ढांचे की जगह हमने कोई दूसरा ढांचा नहीं अपनाया है। हमारे यहां गठबंधन प्रणाली नहीं है। इसलिए तीसरी बात जो विदेश आर्थिक नीति से संबंधित है पर भी हमें इस समय परेशान कर रही है।

इससे पूर्व कि मैं कुछ और आगे कहूं, मैं एक और बात माननीय विदेश मंत्री के ऊपर छोड़ देता हूं। वह यह है कि हमें इन शब्दों का प्रयोग करना अच्छा लगता है और इससे हमें कुछ संतोष प्राप्त होता है कि यहां विदेश नीति के बारे में "व्यापक सहमति" है। मैं इसकी मूल बातों पर भिन्न विचार रखता हूं। कुछ मुद्दों पर कूटनीति के व्यवहार में शायद सर्वसम्मति होती है हमारे सामने आने वाली तत्काल समस्या का हमें किस प्रकार समाधान करना चाहिए। किसी देश की विदेश नीति को कायम रखने के लिए मूल मतैक्य यहां नहीं है और इसके पश्चात् भी यह कहते रहना कि मतैक्य है। वास्तव में हमें इस शब्द के मूल अर्थ से ही वंचित कर देता है। मतैक्य का अर्थ अनुरूपता नहीं है, मतैक्य का अर्थ है एक दृष्टिकोण पर पहुंचना जो किसी विचार का निचोड़ हो, तथा वह निचोड़ जो वाद-विवाद के जरिए निकाला गया हो। मैं समझता हूं कि वह बात यहां नहीं है।

ये कुछ प्रारम्भिक टिप्पणियां हैं। मैं मानता हूं कि समय की कमी है। मैं हितों की बात भी समझता हूं। अब मैं यह बताता हूं कि मैं यह सब समझता कैसे हूं। हमारे सामने आज प्रमुख चुनौती कौन सी है। मेरे विचार में आज देश के समक्ष जो चुनौती है वह बहुत बड़ी चुनौती है। वर्ष 1989 के शरदकाल से जब शेष विश्व स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बदल रहा था और यदि मुझसे एक युगान्तरकारी घटना बताने को कहा जाए, तो वह बर्लिन की दीवारा का गिरना होगा, बर्लिन दीवार का गिराया जाना और सोवियत संघ का विघटन। ऐसी घटनाएं रोज नहीं होती। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, विश्व के रूपान्तरण के महान संकटकाल के समय से, जब पूरे विश्व में स्थितियां बदल रही थी। भारत ने ऐसे चरण में प्रवेश किया जब उसे एक साथ तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही हमें अपनी आन्तरिक राजनीति को पुनः व्यवस्थित करनी पड़ी।

एक महान राजनीतिक दल, जिसे कभी भारत में एक प्रमुख दल समझा जाता था। कांग्रेस पार्टी, निःसन्देह यथार्थतः अपने जीवन की अन्तिम घडिया गिन रही है। अभी उसका कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ है। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके जरिए वे अब शासन कर रहे हैं या शासन करने को लालायित हैं या शासन करने का दिखावा कर रहे हैं। वह एक 13-दलों वाली व्यवस्था है जिसे दो प्रमुख दल समर्थन दे रहे हैं और दोनों दल सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सुविधाजनक होने पर वे इसकी आलोचना करने लगते हैं, जब सुविधाजनक नहीं होता है तो वे इसे संसदीय जीवन के बेढ़गे गणितीय प्रश्न के जरिए जाने देते हैं। इसलिए, हम साथ ही अपनी आन्तरिक राजनीति को पुनः व्यवस्थित करने की समस्या से निपट रहे हैं। 1989 में तथा 1991 के चुनाव में, हमने इसके साथ-साथ अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने की चुनौती स्वीकार की। हम इसे नया आर्थिक कार्यक्रम या आर्थिक सुधार कहते हैं या इसे जो भी जो कुछ कहें।

तीसरी चुनौती, भारत की विदेशी नीति को व्यवस्थित करने की थी ताकि आज की चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। यहां तक कि साधारण परिस्थितियों में भी इससे लोगों की आखरी सामर्थ्य की परख होती है। फिर भी हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। हम इन तीन चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहे हैं और यदि ऐसा करने में विदेश नीति की संकल्पना तैयार करने में तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन को प्राथमिकता न दें या उसे कम महत्व दें, तो मैं इसमें आश्चर्यचकित नहीं हूंगा। ऐसा इसलिए है जैसीकि यह पुरानी कहावत है, कि विदेशी नीति आन्तरिक नीति का ही प्रतिबिंब होती है, शायद यहां खरी उतरती है - मेरी समझ में ऐसा ही है -- यदि आन्तरिक नीति अस्पष्ट हो जैसी कि यह फिलहाल है, जैसी यह स्वयं दिखाई देती है, तो विदेश नीति भी स्पष्ट नहीं हो सकती। एकदम सीधी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यह राष्ट्रीय सेवा का एक विश्वासदायक भरोसेमंद उपकरण नहीं हो सकता है। इसलिए यह चुनौती केवल इस सरकार के समक्ष ही नहीं है। यह चुनौती सामूहिक रूप से इस सभा के लिए भी है ताकि इन बदली हुई परिस्थितियों में हम मिलकर वह नीति निर्धारित कर सकें, जिसका समर्थन स्वतन्त्र भारत के अपने शुरू के दशकों में किया। हमें गुट निरपेक्षता का विकल्प खोजना होगा। मैं हमारे लिए बोलने की अवधारणा या विश्व के निर्धनों के लिए आवाज उठाने की अवधारणा के विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं। इसे कोई राय दीजिए, उसकी अवधारणा बनाइए, इसकी एक रूपरेखा तैयार कीजिए। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम आन्तरिक रूप से स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं।

हम ऐसा क्यों नहीं करने पा रहे हैं। सिद्धान्ततः मैं समझता हूं कि हम ऐसा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इस चुनौती को भी समय में यह ही नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं, हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं, और हमारे राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं। यह सभा जितने हिस्सों में बटी हुई है उतने ही हिस्सों में इसकी विचारधारा बंटी हुई है जहां तक मैं जानता हूं यह संसद अन्य सभी संसदों से अधिक विभक्त है।

यह केवल गणितीय रूप से ही विभक्त नहीं है इसमें अभी अभी अत्यन्त विवादास्पद मुद्दे पर बड़ी भारी अशांत एवं कुछ शब्दाम्बर पूर्ण वाद-विवाद हुआ था। और यदि हम राष्ट्रीय उद्देश्यों, आकांक्षाओं तथा

मूल्यों पर विभक्त होंगे, तो इसकी कोई विदेश नीति नहीं हो सकती है जिसके बारे में मतैक्य का दावा किया जाता है। यह मेरा विचार है। माननीय विदेश मंत्री इसे नकारने के लिए मुझे प्रतीतिकर उत्तर देने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, यह मुख्य चुनौती है। इन तीनों को पुनर्व्यवस्थित करना और इसके साथ साथ नीति की संकल्पना तैयार करना, न केवल आज के लिए, बल्कि ऐसी नीति जो हमें कम से कम इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक में ले जाएगी।

अपराह्न 4.51 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने जल्दी में कही हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें मैं नई अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्डा कहता हूं।

ऐसे कुछ मुद्दे कौन से हैं जो हमारी समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय एजेण्डा के रूप में जटिल बनाते हैं? इसलिए 'वैश्वीकरण' के इस युग में, हम राष्ट्रीय संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं, हम राष्ट्रीय हितों तथा उचित और वैध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को किस प्रकार समन्वय बनाए रख सकते हैं? भारत के सामने यह चुनौती है। यही चुनौती विदेशी राजनीतिक नीति, विदेशी आर्थिक नीति तथा विदेशी सुरक्षा नीति के रास्ते में है। यही चुनौती है और यह इन तीनों के मार्ग में बाधा है। मेरे विचार में, हमें वरूण देव या इन्द्र देव की अत्यन्त प्रशंसा करनी चाहिए कि हमें बारिश के लगातार आठ मौसमों का खूब लाभ मिला। भगवान न करे, यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी खाद्यान्न सुरक्षा पर गम्भीर तथा कठिन प्रश्नचिन्ह लग जाते। हमारी विदेश नीति उसमें आज कहां तक सहायक सिद्ध हो रही है।

महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी, जिसके बारे में संसद की एक रिपोर्ट है, सभी को भली प्रकार ज्ञात है। मुझे उस समिति के सभापति होने का गौरव प्राप्त हुआ। "ऊर्जा 2000" के सम्बन्ध में संसद की रिपोर्ट का पहला ही वाक्य इस प्रकार है कि "ऊर्जा सुरक्षा है"। और यदि हमारी यही स्थिति रही जो आज है तो विद्युत की स्थिति तथा यह क्षेत्र खतरे में है। हमारी ऊर्जा स्थिति इतनी गड़बड़ है जितनी पहले कभी नहीं हुई। हमारी ऊर्जा सुरक्षा की कमियों का समुचित प्रबंध करने के उपकरण के रूप में हमारी विदेश नीति किस प्रकार सहायक हो रही है? इसके अतिरिक्त, मेरा विश्वास है—नई चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय एजेण्डा-पर्यावरण का क्षेत्र भी नए अन्तर्राष्ट्रीय एजेण्डा का एक भाग है। यह मानवाधिकारों के बारे में साधारणतः क्लिंटनी सुसमाचारी आगाह नहीं है जिसने मानवाधिकारों को एक मुद्दे के रूप में आगे किया जिसके बारे में वास्तव में विदेश नीति ने सोचना शुरू किया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का पहलू है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की एक सुनिश्चित तथा स्वीकार्य परिभाषा के अभाव में हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं।

न तो मुझे पंजाब का उदाहरण देना है और न कश्मीर का अथवा यह उल्लेख करना है तीलिका के जातीय संघर्ष का प्रायद्वीपीय भारत में आगमन कैसे की हुआ। इसके अलावा, पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है? यह भी उसी का एक भाग है। मेरे विचार में अब विदेश नीति का क्षेत्र अत्यन्त जटिल हो गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेण्डा की ये नई मदें वास्तव में इसमें अनुचित रूप से घुस आई हैं।

इसके बाद, नए आर्थिक विवादों के पहलू भी हैं जो अब विदेशी आर्थिक नीति का एक अभिन्न भाग है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने उन ऐसे नए आर्थिक मुद्दों पर, जो अभी भी एक जोन के अन्तर्गत आते हैं जिस पर मतैक्य नहीं है, शीघ्र होने वाले सिंगापुर सम्मेलन के बारे में कहा।

व्यापार के पहलुओं के सम्बन्ध में सिंगापुर ने निवेश के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। हम नहीं जानते कि निवेश के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। हम नहीं जानते कि वह सिंगापुर में क्या करेंगे। श्रम के पहलू के सम्बन्ध में आप्रवासन के बारे में प्रश्न हैं। यदि धन का निर्बाध आदान-प्रदान होना है, तो लोगों के निर्बाध में आवागमन के बारे में क्या होगा? और यदि हम लोगों के निर्बाध आवागमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हमने इस बात की पर्याप्त जांच कर ली है कि दक्षिण एशिया के संदर्भ में लोगों के निर्बाध आवागमन का क्या अर्थ है। भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? हम निर्बाध आवागमन और आप्रवास का दावा करते हैं और अब हम इसके प्रतिकूल करना चाहते हैं या इसे निवेश के विरूद्ध बता रहे हैं। क्या उन्होंने गहराई से इसकी जांच कर ली है? दक्षिण एशिया के हम लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है? यदि हमारी कोई समस्या है, जैसी कि है, भारत में अनियंत्रित अवैध आप्रवासन की, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं?

ये जटिलताएं है। हम सेवाओं की बात करते हैं। इसलिए जब तक विदेश नीति के अपने ही क्षेत्र में, इन मामलों ने वास्तव में हम यह कहने के लिए स्वयं को ही संबोधित नहीं करते कि 'हां, हमारी सर्वसम्मति है—काम नहीं चलेगा, और वास्तव में यह मुझे स्वीकार्य नहीं है।

मैं पांच वर्तमान समस्याओं की चर्चा करूंगा। उन पांच समस्याओं में से अफगानिस्तान संबंधी मामले को मैं वरीयता देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काबुल में तालिबानों संबंधी घटना के दो या ढाई महीनों के भीतर सरकार सक्रिय हुई और उसने अपना पहला अधिकारिक वक्तव्य जारी किया। मैंने उस वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा। निःसन्देह मुझे उस पर अत्यधिक खेद है। हमने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी? वर्ष 1979 में जब सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था, तो तब हमारा सुझाव कभी एक सरकार की तरफ हो जाता था और कभी दूसरी सरकार की तरफ। जनता सरकार दोबारा शासन संभाल रही थी और उसके पश्चात स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और उन निर्णायक क्षणों में कोई सरकार नहीं थी।

तब हमें अपनी विदेश नीति दोबारा तैयार करनी चाहिए थी। मैं इस पर प्रश्न-चिन्ह नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से इतिहास पर प्रश्न-चिन्ह लगेगा। इसके पश्चात् हमारी विदेश नीति सोवियत

यूनियन और स्वर्गीय श्री नजीबुल्लाह पर केन्द्रित हो गई। इसके पश्चात हमने दोनों को छोड़ दिया। सोवियत यूनियन ने हमें नहीं छोड़ा, उसका विघटन हो गया।

यह मेरे लिए बड़ी खेद की बात है कि जब स्वर्गीय श्री नजीबुल्लाह को बाला-इसार में एक लैम्प पोस्ट पर अत्यन्त अमानवीय ढंग से लटकाकर मारा गया था तो इस सरकार की ओर से इसका कोई विरोध नहीं किया गया था। इससे मुझे याद आया-और चाहे किसी को याद आया हो अथवा नहीं लेकिन श्री नारायण दत्त तिवारी को शायद याद आया होगा—कि जब हमने इसे स्वीकार किया था तब स्वर्गीय श्री अब्दुल गफ्फार खां ने क्या कहा था। सीमान्त गांधी ने कहा था कि "आप मुझे भेडियों के आगे फैंक रहे हैं। आपने हमें भेडियों के आगे फैंक दिया है।" क्या अफगानिस्तान में हमने इसी की पुनरावृत्ति नहीं की है? सरकार के नए वक्तव्य के अनुसार ऐसा ही है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जनरल दोस्त के साथ संपर्क स्थापित किए गए हैं चाहे ऐसा कहा नहीं गया है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोई न कोई संपर्क पहले ही स्थापित कर लिया गया है तथा रूस और उजबेकिस्तान से कुछ सहायता मिली है।

अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को मैं भारत की विदेश नीति को किसी भी प्रकार की सफलता नहीं कह सकता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान मुम्बई के भांति भारत का प्रवेश द्वार है। यह किसी कारण से भारत का प्रवेश नहीं है अपितु इस क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के कारण हैं। हमारा इतिहास हमें यह सिखाता है। शताब्दियों से भारत पर जो आक्रमण हुए हैं वे इसी प्रवेश द्वार से हुए हैं और यदि हम इस बात को भूल जाएंगे तो यह भारत के सुरक्षा हितों की अनदेखी करना होगा। अन्ततः यह अशान्ति थी। यह स्वयं साक्ष्य है कि तालिबान द्वेषपूर्ण शक्ति है। और यह संहारक शक्ति इस क्षेत्र की संघीय सीमाओं को विभक्त कर देगी। और जब यह विभाजन करती है तो इसको सरकारी तौर से सूचित करना अपेक्षित है। उन्होंने सामान्यतया तालिबान और हरकत-उल-अनसार के मध्य अनुबंध विश्वसनीय रिपोर्ट को पढ़ा है।

हरकत-उल-अनसार जम्मू और कश्मीर में अब नहीं परन्तु पिछले कई महीनों से सक्रिय था। चरारे शरीफ की घटना के बाद क्या हरकत-उल-अनसार के बारे में कुछ कहना बाकी है? क्या हरकत-उन-अनसार के बारे में कुछ कहना बाकी है जबकि सम्पूर्ण विश्व जानता है कि इन्होंने पांच विदेशियों को बंधक बनाया था। भारत की धरती पर इतने विदेशियों को बंधक बनाये जाने के बाद भी क्या हरकत-उल-अनसार के बारे में कुछ कहना है? सरकार अब हमें हरकत-उन-अनसार के बारे में बता रही है। उन्होंने विश्वसनीय रिपोर्ट पढ़ी हैं लेकिन सरकार न समझेगी और न कहेगी : "नहीं तालिबान और हरकत-उल-अनसार एक हैं।"

अब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मतदान के संबंध में बोलता हूं। यह एक उलझा हुआ विषय है। संयुक्त राष्ट्र मत का मामला, वास्तव में, विरासत में मिली समस्याओं का ही एक अंश है। मैं सामान्य रूप से इसके लिए इस सरकार को दोषी नहीं मानता हूं। किन्तु मैं निश्चय ही सरकार के मूल्यांकन पर शंका करता हूं। मैं इसके दिन-प्रतिदिन के कार्य रखने का प्रभारी नहीं हूं। यदि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में होता तो वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में गैर-निषेधाधिकार, अस्थायी सदस्यता पर अपनी प्रतिष्ठता की बाजी नहीं लगाता। किस उद्देश्य के लिए? मैं जानना चाहूंगा। मैं इसकी तह में नहीं जा रहा हूं कि यह निर्णय कैसे और किसने लिया। मैं समझता हूं यह व्यर्थ है। इसके बारे में जानना कोई फलदायक नहीं है।

मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्त करने हेतु इस संयुक्त राष्ट्र वोट में भारत के राष्ट्रीय हित में भारत की क्या मांग है? यह सफलता न मिलना है। मैं इसे दूसरे तरीके से प्रस्तुत करता हूं। ...(व्यवधान) मैं वास्तव में प्रयास करता हूं तथा यह मानता हूं कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं क्या उस में किसी प्रकार का मार्क्सवादी संदेह है। किन्तु मैं नहीं मानता। इसमें कोई समानता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि इसमें क्या राष्ट्रीय हित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी वीटो वाली सीट न जीत पाने में भारत को क्या लाभ हुआ है? यदि यह आकलन किया गया था कि हमें वास्तव में सभी वोट नहीं मिल रहे हैं, हमने सोचा कि तब भी हमें इस सीट के लिए लड़ना चाहिए। वह कौन सी लाभ की बात थी जिसके लिए आप यह निर्णय लेने के लिए सम्मत हो गए? जी नहीं, यदि हम हार गए हैं तो कोई बात नहीं। 40 सदस्यों ने हमें वोट दिया होगा। इसका क्या लाभ हुआ? ...(व्यवधान) महोदय, मैं सभा की कमी को समझता हूं ...(व्यवधान)।

सभापति महोदय : आप आधा घंटे बोल चुके हैं।

श्री जसवन्त सिंह : कुल मिलाकर, अन्य संयुक्त राष्ट्र वोट भी हैं।

क्यूबा के विरूद्ध स्वीकृति जैसी बेतुकी बात पर आश्चर्यजनक रूप से वोट पड़ी। यह एक रूचि का मामला है। स्वीकृति के विरूद्ध, क्यूबा के विरूद्ध बेतुकी वोट पर तीन देशों ने स्वीकृति के पक्ष में वोट दिया-ये देश संयुक्त राज्य अमरीका, ईजराइल और सबसे आश्चर्य वाली बात यह थी कि तीसरा देश उजबेकिस्तान था। इससे कौन सा वाणिज्यिक हित होने जा रहा है? ये कुछ पहलू हैं।

अब मैं हाल के 1996 के समझौते पर आता हूं। मेरा विचार है कि यह सही है- और इस समझौते की व्याख्या भागों में की गयी है- कि पंचशील की भावना को पुनर्जीवित करके चीन गणराज्य और भारत के लोगों के बीच अच्छे दीर्घावधिक पड़ौसी संबंध बनाने होंगे।

मैं सरकारी कार्यों में उपयोग किए जाने वाले शब्द 'फोस्टरिंग' को अधिक पसन्द नहीं करता। फोस्टरिंग का मतलब है कि यह अभी भी

वहां है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पंचशील की भावना अकस्मिक जितनी ऊंचाई तक पहुंच पर भी समय से पूर्व ही समाप्त हो गय तथा यह 1962 में समाप्त हुई थी। किन्तु यदि आप इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है आप ऐसा करते रहें।

हम आपके साथ हैं क्योंकि हमारा विश्वास कि यह समुचित है। हमारा यह भी विश्वास कि शान्ति और प्रशांति प्रसंगवश वह मुहावरा है जो 1979 में चीन जनवादी गणराज्य और भारत के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में प्रथम प्रयास के रूप में सामने आया है—वास्तविक नियत्रंण रेखा के सहारे हम अन्ततः सीमा विवाद का हल खोज लेंगे। ठीक है। हमें वह रास्ता छोड़ देने दीजिए। परन्तु हमें यह तो मानना होगा कि भारत-चीन विवाद कुछ ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। जिस लगाव के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर भावना में न बहकर स्पष्ट रूप से विचार करने दीजिए। वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। क्या हम भारत और चीन के बीच किसी वैचारिक समीकरण की बात कर रहे हैं? क्या कोई अन्तिम वैचारिक समीकरण भी है? क्या हम वृहत्तर चीन-1997 के बाद के चीन-और भारत के बीच कुछ अंतिम आर्थिक और वाणिज्यिक समीकरणों पर बात कर रहे हैं? क्या हम किसी सैन्य समीकरण की बात कर रहे हैं?

क्यां हमारे संबंधों का इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि इतनी उत्साहजनक रही है कि हम उसमें लगाव तलाशने लगे हैं? तो हमारे संबंधों का इतिहास क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसलिए मेरा कहना है कि इसमें भावुकता का कोई स्थान नहीं है। यह बात उसी संदर्भ में है। और यह बता उस सच्चाई के संदर्भ में भी है कि चीन न तो हमारे दावे को सिक्किम के मामले में मानता है और न ही अरूणाचल प्रदेश के मामले में और न ही मैक मोहन रेखा को मानता है वह हमारे 37,500 वर्ग किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र में जमा हुआ है और उसका काराकोरम में लगभग 5200 कि.मी. क्षेत्र पर अधिकार है। या तो इन बातों को छोड़े या उन्हें अपनी सहमति दे दें और उसके बाद संबंध स्थापित करें तो वह संबंध समानता का संबंध होगा। भारत चीन संबंधों के विश्लेषण में इस बारे में मुझे गहन चिन्ता है।

मुझे यह बताने में दुःख हो रहा है, लेकिन मुझे यह बताना ही है कि जितनी बार मैं अपने बरताव पर निगाह डालता हूं, उतनी बार मैं उसमें एक प्रकार की [illegible] और संकोचशीलता पाता हूं, कि मानो हम अभी भी 1962 की घटना से मानसिक रूप से सदमाग्रस्त हैं। मैं इसमें अनुनय विनय की भावना पाता हूं :...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। जहां तक पड़ोसियों के अच्छे संबंधों की बात है मैं माननीय विदेश मंत्री से एक विचारणीय मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अब काफी स्थिरता आएगी, भले ही आर्थिक दिशा में हम अपने राजनैतिक मसले हल न कर सकें। परन्तु मैं उनसे इस बात पर विचार करने का आग्रह करूंगा कि भारत पाकिस्तान के अच्छे संबंधों की नींव अतीत की स्मृतियों पर ही आधारित नहीं हो सकती है। पश्चिमी पंजाब और लाहौर के संबंध में जो भी स्मृतियां हैं उन्हें याद करना बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं नहीं समझता कि यही भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों का आधार है। जब मैं इस महान देश और पूरे राष्ट्रमंडल में इसकी स्थिति पर विचार करता हूं तो मैं इसमें इस सरकार का दोष नहीं मानता हूं। यह सरकार अनेक दलों के गठजोड़ से बनी है। मुझे इस बात का सबसे अधिक दुःख है कि भारत को अलग-थलग कर दिया गया है जिससे विश्व में भारत का महत्व न के बराबर हो जाता है। इसीलिए मुझे दुःख होता है। यह भी, मेरे विचार से, हमारी विदेश नीति को एक चुनौती है।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, यह सच है कि इस सदन में हमने काफी समय से विदेश नीति पर कोई चर्चा नहीं की है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि अनुदानों को पारित करते समय भी 'गिलोटिन' रहा तथा विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।

श्री जसवन्त सिंह : मैं पांच मिनट में वापिस आऊंगा। मुझे क्षमा करें।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : तो, मैं तभी उत्तर दूंगा जब वह वापिस आएंगे। महोदय, हमें प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार भारत की प्रचलित पारंपरिक मूल नीतियों को ही जारी रखे हुए है। हमारी विदेश नीति में एक निरन्तरता बनी हुई है तथा हमें इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि नई सरकार हमारी विदेश नीति के उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। मैं आपने मित्र श्री जसवन्त सिंह से जो कि अभी बाहर गए हुए हैं, सहमत नहीं हूं। वह उन सभी मूल क्षेत्रों के संबंध में जहां वे सहमत नहीं है। यह कहकर कमियां खोजने का प्रयत्न कर रहे थे कि यह ठीक नहीं है। परन्तु दुर्भाग्यवश, उन्होंने लंबा भाषण दिया। उन्होंने हमारी विदेश नीति के सभी पक्षों की आलोचना की परन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि हम कहां गलत हैं और उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने किसी सुधार या सुझाव नहीं दिया। उन्होंने केवल आलोचना की है। इसलिए, यदि उन्होंने कुछ सुझाव दिए होते, तो बेहतर होता।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उन्होंने केवल बाबरी मस्जिद गिरायी है।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : छोड़िए, बाबरी मस्जिद का मामला अलग है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री. रासा सिंह रावत : अगर उन्होंने नहीं बताया तो आप बता दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : यही तो मुसीबत है इतने महत्वपूर्ण सबजेक्ट में आप दूसरी बात ले आते हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

यह विदेश नीति है ...(व्यवधान)। इसलिए हम यह कहेंगे कि नई सरकार उस विदेश नीति का पालन कर रही है जो कि हमारे राष्ट्रीय मतैक्य पर आधारित है तथा हम इस बात से संतुष्ट हैं।

महोदय, यह एक बहुत विशाल विषय है। श्री जसवन्त सिंह ने लम्बा समय लिया है तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, परन्तु मैं अपनी बात केवल तीन मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। उन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने के हमारे प्रयत्नों पर भी एतराज किया है। उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि तथा लम्बा इतिहास दिया है, परन्तु मैं समझता हूं कि अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए हमारी नीति में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है, चीन के साथ हमारे संबंध सुधारने का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

इसका आरंभ 1988 में श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था और हमारे संबंधों में सुधार हुआ। उस समय तथा बाद में श्री पी.वी. नरसिंह राव के समय में, वर्ष 1993 में तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में श्री पी.वी. नरसिंह राव की चीन की यात्रा के दौरान सीमा क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के संबंध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैं तो यह कहूंगा, कि ये सभी समझौते एशिया के दो विशाल देशों के बीच परस्पर विश्वास पैदा करने के उपाय थे।

यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि दोनों देश अपने संबंध सामान्य बनाएं। अतः एक संयुक्त दल गठित किया गया। मेरा विचार है, इस दल की लगभग 9 या दस बैठकें हो चुकी है, और वह सीमा संबंधी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही उन क्षेत्रों का पता लगा रहा है जिनके संबंध में दोनों देशों के बीच मतभेद हैं अथवा उनका समाधान करने का प्रयत्न कर रहा हैं जिससे अन्ततः सीमा समस्या का समाधान होगा। यह एक बहुत पुरानी समस्या है। इस की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसका समाधान एक ही दिन में नहीं हो सकता है। इसमें कुछ समय और धैर्य की आवश्यकता है, जिसके लिए दोनों देश प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह नीति पूर्णतः सही है।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह ने पूछा है कि भारत को इससे क्या लाभ होगा। उनकी सूचना के लिए मैं यह कहूंगा कि इससे तीन फायदें होंगे।

सर्वप्रथम, हम अपनी सेना पर भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं। हमारी लगभग दो-तिहाई सेना हिमालय की कठिन तराइयों में तैनात है। हमारी सेनाएं वापिस आ जाएंगी। अतः इससे हम अपना खर्चा भी बचाएंगे तथा उन कठिनाइयों से अपने सैनिकों को बचाएंगे जिनका सामना उन्हें हिमालय की उस ऊंचाई पर करना पड़ता है।

दूसरा लाभ यह होगा कि इस सहयोग के द्वारा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा तथा हमारे लिए 100 करोड़ से अधिक लोगों का बाजार खुलेगा जिनके साथ हमारा व्यापार होगा। अतः इससे भारत के उद्योग और वाणिज्य को लाभ होगा।

तीसरा, भारत को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ होगा, वह यह है कि दो महान देशों के बीच सहयोग से इस क्षेत्र में भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आयेगा। वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा। श्री जसवन्त सिंह सेना में कार्य कर चुके हैं तथा उन्हें दोनों देशों के बीच के संबंधों से भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं उठाना चाहता हूं वह अफगानिस्तान के संबंध में है। अफगानिस्तान के लोग भारत के मित्र रहे हैं तथा हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। अफगानिस्तान में होने वाली किसी घटना से हमारी सुरक्षा प्रभावित होती है। इसलिए, अफगानिस्तान का हमारे लिए बहुत महत्व है और इसीलिए भारत अफगानिस्तान में पूरी रूचि ले रहा है।

मुझे खेद है कि अफगानिस्तान की नवीनतम स्थिति के संबंध में मेरे कुछ मतभेद हैं। परन्तु हमारा सामान्य दृष्टिकोण अफगानिस्तान के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण रहा है, हमारी श्री रब्बानी की सरकार का समर्थन करते रहे हैं क्योंकि वे श्री हिकमत्यार जिसे पाकिस्तान तथा पाकिस्तान समर्थित तालिबान और कुछ बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, के विरूद्ध संघर्ष कर रहे थे। पाकिस्तान की नीति रही है कि वह अफगानिस्तान पर नियन्त्रण रखे क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत भिन्न है। उनका उद्देश्य सी.आई.एस. देशों तक पहुंचना, उनके साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें प्रभावित करना है तथा इस्लामी देश होने के कारण उनका विचार है कि उन्हें उन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान की नीति मूलतः यही है।

मैं रब्बानी सरकार तथा अफगान लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने दृढ़ता से इसका मुकाबला किया तथा इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। अब पाकिस्तान बड़ी कठिन स्थिति में है। उन्होंने हिकमत्यार का समर्थन किया और बुरी तरह से असफल हुए; अब उन्होंने तालिबान का समर्थन किया है और यहां भी बुरी तरह असफल रहे हैं। अब फिर वही स्थिति है।

अफगानिस्तान के संबंध में हमारी नीति है कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभुता सम्पन्न अफगानिस्तान में विश्वास करते हैं और यह समस्या अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा स्वयं हल की जानी चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थिति में, अफगानिस्तान में कई शक्तियों का हस्तक्षेप है और यही कारण कि अफगानिस्तान का मामला नहीं सुलझाया जा रहा है।

यहां मेरा एक छोटा सा मतभेद है। मैं महसूस करता हूं कि अफगानिस्तान को जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई है। यह अपर्याप्त है। उदाहरणार्थ जब नजीबुल्ला को फांसी दी गई थी उस समय वह भारत का अच्छा मित्र था लेकिन उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया किंचित धीमी थी। हमें तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। काबुल में क्या हो रहा है? हमने वहां की औरतें और बच्चों की स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। काबुल में औरतों और बच्चों के उत्पीड़न के प्रति हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। भारत की यह नीति रही है कि इस प्रकार के मामलों पर समर्थन दिया जाय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले में निश्चित रूप से सहायता दे।

अब वहां एक और समस्या है। शीतकाल आ गया है और इससे रास्ते बन्द हो जाएंगे और इस कारण भोजन की समस्या हो जाएगी। विगत में, भारत अफगनिस्तान की जनता को सहायता देने में सदैव अगृणी रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की जनता जो हमारे अच्छे मित्र हैं, को सहायता पहुंचाने के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। हम कठिनाइयों और विपत्ति के समय में उनकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं?

तीसरी बात यह है कि श्री जसवंत सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की बात की है। यह पूछना गलत है कि भारत ने चुनाव में भाग क्यों लिया? यह सभी पार्टियों की आम सहमति पर निर्भर था हांलाकि पिछले एक वर्ष से पिछली सरकार इस सीट को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। यह हमारी अभिलाषा थी। शायद श्री जसवंत सिंह ने अपने नेता श्री वाजपेयी से संपर्क नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें मतदान में अवश्य भाग लेना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यदि मैं गलत हूं मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। मंत्री महोदय ने श्री वाजपेयी सहित कई नेताओं की राय ली है जिन्होंने कहा है कि चुनाव में भाग अवश्य लें। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक था कि हम चुनाव में भाग लें।

यहां एक क्षेत्र है जिससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि पिछले एक वर्ष या डेढ़ वर्ष से हम इस पर काम कर रहे हैं और हमें हमारे विदेशी मिशनों से सूचना मिली है कि कौन सा देश हमारी सहायता करने वाला था और कौन हमारी सहायता नहीं कर रहा था। हमें इस तरह की नवीनतम जानकारी मिलती रही है। दूसरी बात यह कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे माननीय मंत्री महोदय संयुक्त राष्ट्र में लगभग 80 विदेश मंत्रियों से मिले और उनके साथ बातचीत की। इससे वह समझ गये होंगे कि कौन हमें सहायता करने जा रहा था और कौन सहायता करने नहीं जा रहा था। मेरा यह कहना है कि चुनाव के पूर्व हमे सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि हम जीतेंगे या नहीं। यदि ऐसा अंदाज था कि हम नहीं जीतेंगे तो जापान को सहायता देने के लिए हमें जापान से बात करनी चाहिए थी और इसके बदले भविष्य में हमें सहायता देने या दूसरे प्रकार से सहायता देने के बारे में बात कर सकते थे। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरी गलती को सही कर सकते हैं, कि जापान ने हमसे इस संबंध सहायता मांगी और कहा कि अगली बार वे भारत को सहायता देंगे। यदि ऐसा था तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव अस्वीकार क्यों कर दिया गया। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को केवल 40 मत मिले।

मैं कहता हूं कि 140 देशों ने भारत के विरूद्ध मतदान किया। मैं दूसरा पक्ष भी देखता हूं। यह ऐसा क्यों था? हमें इतनी बड़ी हार क्यों मिली? भारत की विश्व में अच्छी प्रतिष्ठा है। इससे हमारी प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। मेरी राय यह है कि मतदान में भाग लेने के पूर्व हमें एक अंतिम अनुमान लगा लेना चाहिए था और मामले के बारे में विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा करनी चाहिए कि इस स्थिति में हम मतदान में भाग लें या अपने को मतदान से अलग रखें। यह व्यापक परमाणु अप्रसार संधि जैसा नहीं है। राष्ट्रीय आम सहमति यह थी कि अकेले होने के बावजूद भी हमें लड़ना है और उस दृष्टिकोण को अपनाकर हमने अच्छा किया। यद्यपि हम हार गये। सम्पूर्ण विश्व ने हमारे दृष्टिकोण की सराहना की कि हमारी विदेश नीति नीतिशास्त्र, नैतिकता और आम सहमति पर आधारित है। लेकिन मैं यहां पर यह समझने में असमर्थ हूं कि उस पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया गया और विपक्षी नेताओं और मित्रों से सलाह मशविरा क्यों नहीं किया गया। हमें जापान से कुछ लाभ मिल सकता था। मैं नहीं जानता हूं लेकिन यह मेरी सूचना में है। माननीय मंत्री महोदय मेरी गलती सुधार सकते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में कई चुनाव होंगे और भारत कई क्षेत्रों में भाग लेगा और मैं सोचता हूं कि हमारी मूल नीति कोई समझौता किये बिना राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए हमारी कूटनीति कुछ युक्तिपूर्ण हों। यह मेरा विचार है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमने पूरा दिन विदेश नीति की चर्चा में लगा दिया और हम यह चर्चा कल भी करेंगे।

विदेश नीति की चर्चा करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चूंकि विदेश नीति मुख्यतया किसी देश के आर्थिक हितों का प्रतिबिंब होता है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझना चाहिए। यदि विदेश नीति पर एक व्यापक दृष्टिकोण से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ के बिना चर्चा की जाती है; तो यह मुझे निष्फल लगता है। हमें खेद है कि हमने अपनी विदेश नीति पर पूर्ण रूप से चर्चा नहीं की है। और खेद और अधिक इसलिए है उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भारी परिवर्तन हुए। यू.एस.एस.आर. का संदर्भ देते हुए वे कहते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है और समाजवाद जा चुका है। वह ऐसा नहीं है।

विदेश नीति पर पूर्णरूप से चर्चा न करना, एक गलती है लेकिन हमें इस नयी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और इसमें विगत नीतियों जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद तैयार की गई थी, को केवल छोड़ना नहीं चाहिए।

इसलिए, अपनी विदेश नीति को उचित परीप्रेक्ष्य में रखने के लिए मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के एक सर्वेक्षण से आरम्भ करता हूं।

तर्क-वितर्क और धारणा हैं कि शीत युद्ध इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया। वह हमारी समझ की मुख्य बात है क्या यह वास्तव में सही है? क्या शीत युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया? क्या यह सच है कि समाजवाद समाप्त हो गया है? वास्तव में, यदि आप चीन से प्राप्त साहित्य पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक बार फिर उन्होंने इस बात पर जोर डालना शुरू कर दिया है कि शीत युद्ध एक बार फिर आरंभ हो रहा है जो सोवियत संघ तरफ की तरफ से आरंभ नहीं हो रहा बल्कि क्यूबा, वियतनाम और चीन द्वारा शासित देशों जैसे शेष समाजवादी देशों की तरफ से आरम्भ हो रहा है। हमें इसे ध्यान में रखना होगा क्योंकि शीत युद्ध इस हद तक ही समाप्त हुआ है कि सोवियत संघ, जो विश्व आर्थिक साम्राज्यवाद के लिए एक बाधा स्वरूप था अब नहीं रहा, क्योंकि चीन अभी तक उतना शक्तिशाली नहीं है जितना सोवियत संघ था। इसलिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों, राजनीति और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य का अनुकरण करता है।

हमें अफगानिस्तान के बारे में बताया गया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जब सोवियत संघ का अफगानिस्तान में दखल था तब आफगानिस्तान की स्थिति कुछ और थी तथा अब जब स्वयं सोवियत संघ का अपना ही अस्तित्व नहीं है तो अफगानिस्तान की स्थिति कुछ और हो गयी है। इसके प्रति हमारे दृष्टिकोण परस्पर संबंध में भी परिवर्तन आ गया है। हमें इस बदली हुई स्थिति को समझना होगा।

अब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या हैं? हम जानते हैं कि विश्व के एक हिस्से में जहां समाजवादी प्रणाली चल रही थी, वह सोवियत संघ के टूटने के कारण छिन्न-भिन्न हो गयी है। संयोग से, मैं सभा को यहां पर स्मरण कराता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते रक्षा व्यय की वजह से जो इतना अधिक रक्षा व्यय इन्हें करना पड़ा है, वह भी इसके टूटने का एक कारण है। आज पाकिस्तान में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है जहां अपने बजट का 33 प्रतिशत रक्षा व्यय पर खर्च किया जाता है। इसी कारण उस पर इतना अधिक विदेशी ऋण चढ़ा हुआ है। किन्तु यह एक अस्थायी स्थिति है। लेकिन शायद, यह हमें अपने आर्थिक मामलों के संबंध में अपनी नीति पर विचार करने के बारे में हमारे लिए एक चेतावनी भी है।

इसके पतन के पश्चात यहां जिन जिन नीतियों का उल्लेख किया गया है और जिन्हें शायद हमने भी स्वीकार भी कर लिया है, को वैश्वीकरण और उदारीकरण के नाम पर विकासशील देशों पर थोपा जा रहा है। हम यह भूल जाते हैं कि ये सब हम पर थोपी गयी हैं। हम न तो स्वयं ही इस प्रतिस्पर्धा में आये हैं और न हीं हमने बाजार वैश्वीकरण अथवा उदारीकरण चाहा हैं। ये सब इस ऐतिहासिक तथ्य के कारण है क्योंकि सोवियत संघ अब विद्यमान नहीं है तथा ये चीजें विकसित देशों द्वारा थोपी जाती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि कोई उन्हें साम्राज्यवाद को समर्थित देश के रूप में जानें।

हम अपने मामले में इसे भूल जाते हैं, यहां मेरा श्री जसवन्त सिंह से थोड़ा मतभेद है कि किसी देश की विदेशी नीति मुख्य रूप से उस देश की आर्थिक नीति और सत्ता के आर्थिक हितों के अनुरूप होती है। आज, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की नीति या फिर विश्व के विकसित देशों की नीति अपने देश के कर्णधारों के आर्थिक हितों पर आधारित है।

केवल यही बात नहीं है। मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। काफी समय पहले यह मांग थी कि हमारे जैसे सभी अविकसित देशों का मुख्य रूप से जोर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के लिए संघर्ष करने पर होगा। हमारी विदेश नीति को परखने के लिए भी यही एक कसौटी होगी। हमें सफलता प्राप्त हुई अथवा नहीं हुई, यह नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की उन्नति की दिशा में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा जिसका मतलब है विश्व की प्रतिबन्ध-रहित अर्थव्यवस्था। या इसे यूं कहें कि अब चूंकि सोवियत संघ का अस्तित्व नहीं रह गया है अतः इसके बावजूद विकासशील देशों में विकसित देशों से अधिक तीव्रता से विकास हुआ है। दुर्भाग्यवश, यह तीव्र विकास विकासशील क्षेत्रों के कुछ देशों जैसे चीन, आंशिक रूप से भारत, ईस्ट एशियन टाइगर्स आदि में ही हुआ है। किन्तु अधिकांश विकासशील देश गरीबी और राजनीति के दल-दल में फसे हुए हैं। मैं राजनीतिक स्थिति के बारे में बाद में बात करूंगा।

आज यह स्थिति है कि विकासशील देशों पर 42 प्रतिशत निर्यात अमरीका को किया जाता है। इससे उनकी शक्ति का पता चलता है। यूरोप के आयात का 47 प्रतिशत विकासशील देशों से किया जाता है तथा जापान 48 प्रतिशत निर्यात इन विकासशील देशों को करता है। अब सोवियत संघ का अस्तित्व न होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से माल खपाने की क्षमता के साथ-साथ माल भेजने की क्षमता से अविकसित देशों की जो शक्ति बढ़ी है उससे यहां संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी एकाधिकार पर अंकुश रखने की प्रवृत्ति का पता भी चलता है। जब मैंने आंकड़ों का उल्लेख किया तो मुझे इस बात की अच्छी प्रकार से जानकारी है कि तब भी विश्व की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की शक्ति का पता नहीं चलता है। विकासशील देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्हें इस विश्व से तो कोई महत्व नहीं मिलता है। अब हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हाल ही में, विकासशील देशों का पिछले 300 या 400 वर्षों से पूंजीवादी देशों द्वारा शोषण किया जाता रहा है और इस प्रक्रिया में पूंजीवादी देशों ने अपार सम्पत्ति हासिल कर ली है। वे अपने श्रमिक का शोषण करते हैं तो उस श्रमिक को अवसर भी देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ साम्राज्यों में सूर्य अस्त नहीं होता था। हम यह सब जानते हैं इसलिए, हम चाहते हैं कि हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। यह उनसे मांगना या भीख लेना नहीं है। हमारा शोषण हुआ है और यह धन विश्व के कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो गया है। हम यह धन चाहते थे। इस एकत्र धन के आधार पर उन देशों में

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। हम अधिकार के रूप में उन देशों से पूंजी के साथ-साथ प्रौद्योगिकी भी चाहते हैं। पूर्णतया आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि हमारे उत्पादों की इन विकसित देशों के बाजार में खपत हो। अब चूंकि सोवियत संघ नहीं है, अतः यह हो रहा है कि पिछले 25 वर्षों में सरकारी तौर पर विकास बहुत कम हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के बावजूद यहां तक कि अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 7 प्रतिशत वे विकासशील देशों को सहायता के रूप में दे रहे हैं, आज विकसित देशों का अंशदान केवल 0.29 प्रतिशत है। और यहीं नहीं, वास्तव में, वर्ष 1995 में यह विकास सहायता पूर्व वर्ष की तुलना में केवल 9 प्रतिशत ही रह गयी। आप सब जानते हैं कि आज जो विश्व सहायता उपलब्ध की जाती है, वह विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को की गयी अदायगी और ब्याज से कम होती है। निवल निर्गमन होता है। साम्राज्यवादी शोषण की पुरानी स्थिति नये रूप में आज भी दिखाई देती है। मेरे विचार से सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिए और सभा में श्री जसवन्त सिंह जी भी शामिल हैं।

महोदय, हमें इस सच्चाई को मानना चाहिए कि हम पर भारी दबाव है और हम पिछले पांच वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन और भारत सहित प्रत्येक देश पर बहु-राष्ट्रीय लोगों द्वारा उत्पादित सामान को अपने बाजार खपाने हेतु दबाव डाला जा रहा है। यह आर्थिक व्यवस्था चल रही है। हमें उनके माल को खपाना होगा- यदि यह सीधे राजनैतिक व्यवस्था द्वारा नहीं किया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर, जो उनका नियन्त्रण है, उसके द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। यह पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हम सब क्यूबा के बारे में जानते हैं। मैं इस विषय पर भी बात करूंगा।

यह समस्या जटिल हो गयी है क्योंकि वे हमारी अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यह न केवल भारत में बल्कि हर जगह हो रही है तथा इसलिए भी नहीं है कि हम कुछ चीजों का आयात करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने अपने उत्पादन को हमारे यहां खपाने हेतु हमें बाध्य कर दिया है। यह स्थिति है। हम चीन की कहानी से वाकिफ हैं। अनेक बार उन पर अपने उत्पाद खपाने हेतु दबाव डाला गया था। कभी-कभी उन्हें अपने प्रतिरोध में सफलता मिली किन्तु यह सफलता हर बार नहीं मिली। एक बार फिर हमें यह स्मरण करना होगा कि 'शीत युद्ध समाप्त हो गया है", इसका मतलब केवल यह है कि सोवियत संघ आज विद्यमान नहीं है।

उन्हें क्या करना चाहिए ऋणग्रस्तता की कल्पना करें। गणना के अनुसार विकासशील देशों पर दो ट्रीलियन डालर अर्थात दो मिलियन मिलियन डालर का भार है। यह दो लाख करोड़ रुपए होना चाहिए। यह भार है। इन देशों की सम्पत्ति होने के बावजूद, इन अविकसित देशों के पिछले दशकों के दौरान हुए सभी शोषणों की विवरणी में यह शोषण भी जुड़ गया है।

हमें यह समझना चाहिए कि वे इसे किस प्रकार ले रहे हैं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि वे हमारे देश के साथ-साथ अन्य देशों के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के बाद वे अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इन देशों के निर्यात को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वे विकसित देशों के समान अधिक मजदूरी नहीं देते हैं। ये रूकावटें सामने आयी हैं। वे हर प्रकार का तर्क देते हैं कि इससे पर्यावरण का प्रश्न उठेगा, फिर मानवाधिकार का प्रश्न उठेगा और उसके बाद पेटेन्ट का प्रश्न उठेगा। अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था को चूर-चूर करने की चालबाजियों के रूप में इन सबका उपयोग किया जाता है। जब हम विदेश नीति के संबंध में वक्तव्य देते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार इसका मुकाबला करेंगे, नयी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार आरम्भ की जा सकती है। हम इसका मुकाबला कर सकते हैं तथा हम सफलतापूर्वक ऐसा करते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में की गई इन घिनौनी हरकतों से वे अपनी राजनीतिक घिनौनी हरकतों को छुपाने में सफल नहीं हो सकते हैं। आज सोवियत संघ कहीं नहीं है परन्तु समाजवादी देश कायम हैं। कोई भी यह जानकर क्यूबा के साथ व्यापार नहीं करता कि वह अमरीका के गले का राजनीतिक कांटा है। यह इस बात का उदाहरण है कि एक गैर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे कायम रह सकती है, हालांकि यह एक छोटा सा उदाहरण है। इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। यहां तक कि यूरोपियन देशों ने भी इसका विरोध किया था। आश्चर्यजनक रूप से हम जानते हैं कि ये ही हमारी उम्मीद के मुद्दे हैं। अमरीकी देशों के सभी संगठनों ने अकल्पनीय और अभूतपूर्व सर्वसम्मति से संयुक्त राज्य अमरीका की निंदा की। हमें संयुक्त राष्ट्रों का मत भी ज्ञात है। परन्तु अभी हमें उन मुद्दों को जानना है जिन पर वे लड़ रहे हैं। वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं और विश्व के अविकसित देशों की ओर से विरोध किया जा रहा है और इसलिए हमें यहां पर अपनी एक विदेशी नीति अपनानी होगी।

ये जो देश तुच्छ हरकतें कर रहे हैं उसका कारण यह है कि तथाकथित शीत युद्ध, जातीय राजनीतिक और राज्य क्षेत्रीय संघर्ष कहीं नहीं है जो कि तथाकथित शीत युद्ध का कारण होते हैं और वर्तमान एकाधिपत्य की प्रधानता वाले देश शोषण आरंभ करते हैं। वे विश्व के विभिन्न भागों में कलहों को बढ़ावा दे रहे हैं उस अफगानिस्तान में भी, जिसका आपने उल्लेख किया है, हमें यह बात स्वीकारनी ही होगी। इसका क्या कारण है कि वे वहां अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं? इसलिए हमें पुनः अपनी विदेश नीति में इसे स्थान देना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जो हमारे भविष्य के अनुकूल हों।

वे धर्म के नाम पर, इससे भी गई गुजरी बात के नाम पर, राजनीतिक लोकतंत्र के नाम पर आधिपत्य थोप रहे हैं और अनेकों देशों पर तानाशाही कर रहे हैं। उन्होंने यह कहकर चीन में भी तानाशाही चलाने की कोशिश की कि उनके यहां राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव है। और उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की परिभाषा

यह है कि लोक तंत्र में बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को राजकीय मामलों के अनुकूल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका और विकसित देशों में जो पैटर्न उभर कर आया है वह यह है कि उन देशों के विकास पर विचार किए बिना ही उन पर अपना पैटर्न थोप दिया जाए। यह आर्थिक स्तरीय साम्राज्यवाद के हितों का मुकाबला करने के लिए राजनैतिक स्तर का साम्राज्यवाद है। इसलिए हम जानते हैं कि अधिकांश अपरिवर्तनीय आर्थिक नियम कार्य कर रहे हैं। पूंजीवाद के स्वयं अपने कानून होते हैं। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से यह इस प्रकार की स्थिति पर पहुंच गया है कि वह गरीब, अविकसित और विकासशील देशों को मात दे रहा है। यह एक नए प्रकार का परिवर्तन है जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। वह इस बात के विरुद्ध है कि हमें अपनी विदेश नीति की जांच करनी पड़ेगी।

परन्तु स्थिति पूर्णतः निराशाजनक नहीं है। जी-77 का पुनर्जीवन हुआ है। मुझे विदेशी मामलों संबंधी नीति से एक शिकायत है। यह पिछले पांच वर्षों के बारे में नहीं है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने पूर्णतः समर्पण कर दिया था। परन्तु हमें जी-77 की भावना को, बांडुंग की भावना को पुनः जीवित करना होगा। मैंने पुनर्जीवन का मात्र प्रयोग किया है; वास्तव में यह केवल पुनर्जीवन ही नहीं है।

हमें विश्व के संदर्भ को देखते हुए उसके भी आगे जाना होगा। आज के विश्व का संदर्भ व्यापक रूप से भिन्न है। इसलिए यही मेरी शिकायत है। क्या यह हमारी सरकार है, यह वर्तमान सरकार जिसे हम राजनीतिक आधिपत्यवाद की रूपरेखा में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में समर्थन देते हैं? निश्चय ही हमें यह मानना पड़ेगा कि प्रारंभ में श्री जसवन्त सिंह की प्रारंभिक टिप्पणियां-आंतरिक आर्थिक ताकत का निर्धारण करेंगी।

आज, संयुक्त राज्य अमरीका भारत की तुलना में अधिक मात्रा में प्रौद्योगिकी और पूंजी लेकर चीन जा रहा है और वह भी इस तथ्य के बावजूद कि चीन ने उसके कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। इसका कारण चीन की वह अन्तर्निहित शक्ति है कि वह एक विशाल देश है, उसकी अपनी अन्तर्निहित आर्थिक रूप से शक्तिशाली गतिविधियां हैं जिनसे वह आधिपत्यवाद का निराकरण करता है। चीन या भारत के लिए इनसे निपटना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यही वह संदर्भ है जिसे आर्थिक नीति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। मुझे विशेष ब्यौरा मालूम नहीं है। परन्तु यदि संदर्भ इतने परिवर्तित हो गए हैं तो क्या हम यह न समझें कि हमारे दूतावासों को इस पर बिल्कुल नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। हमें अपनी ताकत का निर्माण करना होगा। इसके लिए हमारे दूतावासों को विश्व परिदृश्य पर कड़ी नजर रखनी होगी।

हम जानते हैं कि विकासशील देश हमारा प्रतिरोध कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बाजार संबंधी पहुंच को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए विश्व में बड़े पैमाने पर एक नए युग की शुरूआत हुई है। हमें अपने दूतावासों में तरह तरह की किस्म के लोगों को रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि बूढ़े और सेवानिवृत्त लोगों को वहां रखा जाए। ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए कि "जो देश ये काम न कर सकें उन्हें विदेश भेज दिया जाए"। हमें वहां ऐसे लोगों को तैनात करना चाहिए जो विश्व के घटनाक्रम, विकासशील देशों की सक्रियता के दौर की आवश्यकता और जो उन्नत देशों की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखने की आवश्यकता की समझ रखते हों।

यहां पर मैं उनके वक्तव्य में संशोधन करना चाहूंगा। यदि यह "निरन्तरता" है तो यह गलत है। निरन्तरता तो होनी चाहिए परन्तु इसके साथ-साथ विश्राम भी होना चाहिए। क्या यह आपके लिए द्वन्दवाद है? दोनों ही चीजें होनी चाहिए। हमें विश्राम पर नई दृष्टि से सोचना होगा। दूतावासों की बाह्य संरचना में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। हमें उसकी शुरूआत करनी होगी।

इस बात की यहां भी और दूसरी जगहों पर भी आलोचना की जाती रही है कि पड़ोसी देश के साथ कतिपय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किसी मुख्य मंत्री को ही क्यों भेजा जाता है। ठीक है। बदले हुए परिवेश में यदि हम किसी मुख्य मंत्री या संसदीय दल जो यहां सरकार बनाना चाहते थे, के किसी उपनेता के माध्यम से अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। इस बात पर अभिभावी विचार विमर्श किया जाना चाहिए वैसा ही वर्तमान स्थिति में किया जाए या नहीं?

मुझे अपनी बात दोहराने दें कि जब सोवियत संघ नहीं रहा तो क्या हमें विकासशील देशों के साथ अपनी एकजुटता स्थापित करने के पूरे प्रयास नहीं करने चाहिए ताकि हम उस समाजवादी देश के न होने के बावजूद, साथ साथ सफलतापूर्वक संघर्ष कर सकें?

यह इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध है पर मैं माननीय विदेश मंत्री से यह जानने का अनुरोध करूंगा कि क्या हम इन बातों के सहारे चल रहे हैं। अफगानिस्तान का उल्लेख किया गया है। परन्तु हम अफ्रीका के दूसरे अन्य देशों का उल्लेख क्यों नहीं करते? चूंकि वह आपका मित्र था इसीलिए नजीबुल्लाह की हत्या की आलोचना कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि यह उनका मात्र विदेश नीति से संबंधित वक्तव्य है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हां यह सच है। जब मैं राज्य सभा में था तो मैं इस विषय पर बोला था परन्तु यहां पर नहीं।

एक बात चुनावों के बारे में कही गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या हमें सभी जगहों से चुनाव लड़ना चाहिए। हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए? यह इस बात का द्योतक है कि हमारी विचारधारा क्या है। यह केवल इस बात का परिचायक है कि इस स्तर तक तो अविकसित देश और विकासशील देश भी धन की शक्ति से नियंत्रित हो रहे हैं।

क्या हम यह जानते हुए लोक सभा चुनावों में भाग न लें कि हम हार सकते हैं? उन दो लोगों में से एक फ्रेडरिक एंगेल्स ने एक बार प्रजातंत्र में चुनावों की भूमिका पर चर्चा की थी। वह कहता है "यदि कुछ नहीं भी होता है, तो भी चुनाव लोगों की चेतना के स्तर को प्रतिबिम्बित करते हैं और इसलिए इसमें प्रत्येक को भाग लेना चाहिए"।

इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यह एक नई स्थिति का उद्भव है। हमें यह जानना होगा कि राष्ट्रों को शिष्टाचार में हमारा स्थान कहां है। हमें जानना चाहिए कि वे टुकड़ों में क्यों बंट गए, वे अपने आप से नीचे कैसे गिर गए, हमें अधिक ताकत किस बात पर लगानी चाहिए और हमें कहां पर बल देना चाहिए ताकि हम साथ-साथ लड़ सकें।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस समय हमें आजादी के बाद से दक्षिण-दक्षिण सहयोग की दिशा में अब तक किए गए प्रयासों की तुलना में अपनी विदेश नीति के मामले में अधिक प्रयास करने होंगे। यह केवल बात बनकर नहीं रह जानी चाहिए। पड़ोसी देशों, चाहे वह चीन हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान हो, के साथ हमारे देश के सम्बन्धों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। पाकिस्तान के लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। हमें पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी ऐसे कदम उठाने चाहिए-पाकिस्तान के लोग शासक वर्ग से अपने हितों को अलग समझ सकते हैं। यह हमारी विदेश नीति का मानदण्ड होना चाहिए—कथन और व्यवहार दोनों तरह। यदि हम ये सभी कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो आप हमारी विदेश नीति की ऐसी आलोचना कर सकते हैं। यदि वे इस तर्ज पर चलने का आश्वासन देते हैं, तो मैं सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता हूं जिसका हम समर्थन करते हैं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : धन्यवाद। विदेश नीति के बारे में यह मेरा पहला भाषण है। इसलिए मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पर मेरे माननीय मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने छोड़ा है।

यह बिल्कुल ठीक ही कहा जाता है कि किसी चुनाव का परिणाम यह जानने का प्रमाण होता है कि चुनाव लड़ने वाले क्षेत्र के मतदाता के सम्बन्ध में एक विशेष प्रतियोगी की क्या स्थिति है। इसलिए, यदि भारत यह जानने का प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रों के मध्य में उसकी क्या स्थिति है, तो परिणाम एकदम स्पष्ट है कि हम बुरी तरह हारे हैं।

यदि हम वहां हार जाने के कारण विदेशी मामलों सम्बन्धी नीति पर अब वाद-विवाद आरंभ कर रहे हैं, तो हम संयुक्त राष्ट्र में हुई हार से सही सबक सीखने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री प्रभु, आप अपनी बात कल जारी रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में बोलने के लिए अभी कई सदस्य शेष हैं। क्या हम इसे कल पुनः जारी रख सकते हैं। क्या यह सभा की राय है?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : यह सभा कल 5 दिसम्बर, 1995 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 5 दिसम्बर, 1996/ 14 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईंट, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।